Reg. No. A-620

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

की

मुखपत्रिका

भाग ३ } चैत्र, वैशाख संवत् १९७३ { अङ्क ७, ८

विषय-सूची

वा० मू० १)] [मूल्य ।)

सम्पादक—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ।

सम्मेलन के उद्देश्य

(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गों की उन्नति का प्रयत्न करना।

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और दे[illegible] व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करनेके लिये हिन्दी भाषा [illegible] राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना।

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने [illegible] लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटिये[illegible] और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना।

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्व-विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-समूहों तथा व्यापार जमींदारी और अदालतों के कार्य्यों में देवनागरी-लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना।

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि-तोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना।

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना।

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस [illegible] की वर्त्तमान संस्थाओं की सहायता करना।

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करनेके लिये हिन्दी की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना।

(९) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी पुस्तकें तैयार कराना।

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जाँय उन्हें काम में लाना।

सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना और साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना।

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित

भाग ३ | चैत्र, वैशाख संवत् १९७३ | अङ्क ७, ८

राष्ट्रमिति एवं सौरमास

(ले० श्रीयुक्त पं०रामदत्त ज्योतिर्विद्)

भाग ३ अङ्क २।३ की सम्मेलन-पत्रिका में श्रीयुतपण्डित धर्म्मनारायण जी द्विवेदी का "राष्ट्रभाषा के लिये राष्ट्रमिति" शीर्षक गवेषणापूर्ण लेख छपा है। वास्तव में आपका लेख बड़े महत्त्व का है। राष्ट्रभाषा के लिये राष्ट्रमिति चान्द्रमास की मानी जाँय अथवा सौरमास की दोनों समान हैं। दोनों ही शास्त्रानुकूल हैं। आवश्यक यह है कि हिन्दी प्रधान देश में और हिन्दी प्रधान संस्थाओं में अङ्गरेजी तारीखों का व्यवहार न रहै। सौरमास अथवा चान्द्र-मास को तारीखों का स्थान दिया जाय। सौरमास अथमा चान्द्र-मास की मितियाँ जो अङ्गरेजी तारीख के अभ्यासियों को सुगम जान पड़ें। सर्व सम्मति में उन मितियों का प्रचार एवं व्यवहार करना श्रेयस्कर होगा। ज्योतिष-शास्त्र और धर्मशास्त्र की दृष्टि से सौरमास और चान्द्रमास दोनों तुल्य ही हैं। यथा—"दर्शावधिश्चान्द्रमसोहिमासः, सौरस्तु सङ्क्रान्त्यवधिर्यतोतः। शिरोमणि सिद्धान्त" तथा—सौरकार्यं विवाहादि ग्रहचारादिकं तथा, व्रतयज्ञादिकं चान्द्रे मासे परिणयः क्वचित् इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है। मन गढ़न्त

कोई नहीं दर्शान्त पर्यन्त चान्द्रमास सङ्क्रान्ति से सङ्क्रान्ति अर्थात् सूर्य की एक राशिभोग पर्यन्त सौरमास माना गया है। वर्ष, अयन, ऋतु और युग आदि की गणना सौरमास से करने की शास्त्र आज्ञा देता है। देखिये ज्यो० भ० अ० १ "वर्षायनर्तुयुगपूर्वकमेव देव, मानादि मानमखिलं किल सौरमानादिति" मेष सङ्क्रान्ति से मेष सङ्क्रान्ति पर्यन्त ही पञ्चाङ्ग की गणना होती है। संवत्सर प्रतिपदा का ध्रुवक मान कर पञ्चाङ्ग का ग्रह गणित नहीं होता, इस मत को मन गढ़न्त कैसे कहें। बङ्गदेश, आसाम, उड़ीसा, नैपाल, गढ़वाल और कूर्माचल में सहस्रों वर्षों से सौरमासों का प्रचार है। परन्तु जन्माशौच, श्राद्ध, व्रत, पूजा, पर्वोत्सवादि धर्म कार्य चान्द्रमान ही से यहाँ माने जाते हैं। युक्त प्रान्त में चान्द्रमास का प्रचार रहते हुए भी, विवाह उपनयनादि के मुहूर्त्त सौरमास ही के अनुसार होते आते हैं। ऐसी दशा में सौरमासों के प्रचार से—चान्द्रमासों को हम सब एक दम भूल जायँगे, यह शङ्का निर्मूल है—बङ्गदेशादि के श्रद्धावान् हिन्दू मात्र अब तक तिथियों का व्यवहार जैसे नहीं भूले उसी प्रकार सौरमास का सार्वजनिक सर्वत्र प्रचार होने पर भी चान्द्रमास की तिथियों को कोई भारतवासी कदापि नहीं भूलेगा। तिथिपत्रों के महीनों का वर्त्तमान क्रम जब इसी प्रकार प्रचलित रहेगा तब तिथि नक्षत्रादिकों को कौन भूल सकता है। यह चिन्ता व्यर्थ है। यदि किसीके पास पञ्चाङ्ग (तिथि पत्र) न हो और वह अपना दिन भूल जाय तो आकाशमण्डल को देखकर चान्द्र तिथि जिस प्रकार जान सकता है—तारागण देख कर तिथि जानने की जिसमें योग्यता है, उसी प्रकार वह राशि लग्न देखकर सौर दिन भी जान सकता है पर आकाश-मण्डल के पञ्चाङ्ग को देखने की उसमें योग्यता अवश्य होनी चाहिये। चान्द्रमास के सार्वजनिक प्रचार में यह बड़ी भारी बाधा उपस्थित होती है कि शास्त्र में दो प्रकार के चान्द्रमास कहे हैं। एक दर्शान्त और दूसरा पौर्णिमान्त। यत्र तत्र दोनों का वर्णन है, तदनुसार ही उत्तर भारत में कृष्णादिमास, दक्षिण भारत में शुक्लादिमास प्रचलित हैं। दोनों अपने अपने पक्ष में अड़े हुए हैं। दोनों ओर प्रमाणों के ढेर हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रमिति के लिये किस चान्द्रमास को ग्रहण करें। जिस प्रकार संयुक्तप्रान्तादि से कृष्णादि मास का प्रचार हटाना कठिन है उसी प्रकार दक्षिण-भारत से शुक्लादिमास नहीं हट सकता। जबकि उत्तर भारत एवम् दक्षिण भारत में एक ही प्रकार का चान्द्रमास प्रचलित नहीं हो सकता दोनों पक्ष के शास्त्रीय प्रमाण भी पर्याप्त हैं। ऐसी दशा में एक देशीय पौर्णिमान्त मास को राष्ट्रभाषा की पदवी देना, दरिद्री को करोड़ीमल, किसान को महीपतिसिंह, अन्धे को नैनसुख, लङ्गड़े को सुचालसिंह कहने के तुल्य ही है। सौरमास की मिति को राष्ट्रमिति मानने में ये झगड़े कुछ नहीं हैं। सौरमण्डल का चक्र ही अङ्गरेजी तारीखों का एक छत्र राज्य हटाने के लिये ब्रह्मास्त्र है। जैसे अङ्गरेजी तारीखें १०।५।१६ मात्र लिखने से १० मई १६ ई० का ज्ञान करा सकती हैं। उसी प्रकार सौरमिति भी २८।१।७३ लिखने से १० मई का बोध करा सकती है। चान्द्रमास के नवीन क्रमानुसार भी यह सुभीता नहीं हो सकता। अङ्क और अक्षर बढ़ जाते हैं। जिन कार्यालय वा संस्थाओं को सैकड़ों पत्र नित्य लिखने पड़ते हैं। वह अधिक झञ्झट इस चान्द्रमास के क्रम में देखकर चान्द्र तिथियों से घबड़ाये हुए अङ्गरेजी तारीखों की ओर झुक पड़ते हैं। इसी हेतु चिट्ठी पत्री, घरेलू व्यवहारों में अङ्गरेजी तारीखों का अनिवार्य प्रचार हो गया है।

लेन देन के व्यवहार में भी चान्द्र मितियों की अपेक्षा, सौरमितियों की उपयोगिता और आवश्यकता देखी जाती है। कलकत्ते के मारवाड़ी व्यापारियों में चान्द्रमासों का व्यवहार है। तिथियों के ह्रास वृद्धि के कारण लेन देन में ब्याज की गड़बड़ से मैं मैं तू तू भयङ्कर रूप धारण करती है। एक मारवाड़ी सज्जन इस विषय पर एक स्वतन्त्र लेख लिखने वाले हैं। सम्वादपत्र वालों को मलमास के कारण एक मास तक बिना मूल्य ही पत्र देना पड़ता है। इसी हेतु से हिन्दीसाहित्य-सेवी हिन्दीपत्र अङ्गरेजी तारीखों के अनुयायी होते जाते हैं। तिथियों के वृद्धि क्षय और अधिमास के कारण ही हिन्दी के मासिक साप्ताहिक वा दैनिक पत्रों का प्रका-

शन तथा आर्थिक लेन देन चान्द्रमासों के अनुसार नहीं होता। अङ्गरेजी तारीखों का व्यवहार ही प्रायः देखा जाता है। हाँ दो एक मासिक पत्र नाममात्र को चान्द्रमास के अनुसार प्रकाशित होते हैं। सो भी साप्ताहिक किंवा दैनिक नहीं। क्योंकि मासिक पत्र मलमास के कारण एक मास गुप्त हो सकता है। जैसे कि गत वर्ष वैशाख अधिक होने से "सम्मेलन-पत्रिका" एक मास गुप्त रही। परन्तु दैनिक वा साप्ताहिक भला एक मास तक कैसे अन्तर्ध्यान रहें। इस दशा में या तो एक मास तक विना मूल्य ही पत्र देना पड़ता है अथवा अङ्गरेजी तारीखों की शरण लेनी पड़ती है। क्या कारण है कि हिन्दी प्रधान युक्तप्रान्त के हिन्दी-साहित्यानुरागी प्रधान प्रधान नेताओं के दैनिक, साप्ताहिक एवम् मासिक हिन्दी पत्रोंमें भी अङ्गरेजी तारीखों का प्रचार अद्यापि हो रहा है। हिन्दी सेवी बेधड़क विदेशी तारीखों का व्यवहार कर रहे हैं। केवल अङ्गरेजी शिक्षामात्र ही इसका कारण नहीं है। क्योंकि संयुक्त प्रान्तादि की अपेक्षा वङ्गदेश में अङ्गरेजी साहित्य का अत्यधिक प्रचार होते हुए तथा अङ्गरेजों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहते हुए भी वङ्गदेश के एक भी दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिकपत्र अङ्गरेजी तारीखों के अनुसार प्रकाशित नहीं होते। कारण यह है कि वहाँ सौरमासों का सार्वजनिक प्रचार है। अङ्गरेजी तारीखों की आवश्यकता वहाँ नहीं पड़ती। यदि संयुक्त प्रान्त में भी सौरमासों का व्यवहार हो जाता तो यहाँ भी अङ्गरेजी तारीखों का इतना प्रचार न होता। इधर चान्द्रमासों से अड़चन पड़ने के कारण ही अङ्गरेजी तारीखों की आवश्यकता देखी जाती है।

जैसे देवनागरी वर्णमाला हिन्दू मात्र की पूजनीया एवम् सार्वजनिक सम्पत्ति है। संयुक्त-प्रान्तवासियों का अथवा हिन्दी जगत का प्रान्तीय अधिकार उस पर नहीं हो सकता। सर्वगुण आगरी नागरी वर्णमाला में इतने गुण होते हुए भी हिन्दीभाषा नागरी में लिखी जाती है केवल इसी आधार पर वङ्ग देशवासी भ्रमाक्रान्त हो इसे प्रान्तीय समझ कर अपने देश में स्थान देना नहीं चाहते? द्वेष, विरोध और अकारण हठ करते हैं, वैसे ही सौर मासों का संयुक्त प्रान्त में विशेष प्रचार न होने से हम संयुक्त-प्रान्तवासी इसे अप-

भाना नहीं चाहते—प्रान्तीय समझते हैं, यह हमारा सम्पूर्ण भ्रम है। देवनागरी वर्णमाला के सदृश सौरमासों पर किसी प्रान्त का, प्रान्तीय अधिकार नहीं हो सकता। यह हिन्दू और हिन्दुस्थान की सार्वजनिक सम्पत्ति है। वर्ष, अयन, ऋतु, मास, दिन की गणना सौर मास के अनुसार शास्त्र की आज्ञानुकूल होनी चाहिये। इससे सङ्कल्पादि में कोई गड़बड़ न होगी। सङ्कल्प तो ज्यों का त्यों रहेगा। केवल तिथि ही नहीं नक्षत्र वार योग करण मुहूर्त सभी का उच्चारण होना चाहिये। अङ्ग्रेजी तारीखों का व्यवहार सौर तारीखों से करने में सङ्कल्प कैसे विगड़ सकता है। शास्त्र में जिन कार्यों के लिये चान्द्रमास उक्त है वे पितृकार्यादि चान्द्रमास ही के अनुसार होंगे। विवाहादि मुहूर्त सौरमास से अब भी होते हैं तब भी होंगे। इससे चान्द्रमास का त्याग कुछ भी नहीं होगा। तिथिपत्रों की यही परिपाटी रहेगी। जो अब तक है चान्द्रमास का लोप क्योंकर होगा। केवल चिट्ठी-पत्री, देन-लेन, सभा, संस्था, सामयिक-पत्रादि अङ्गरेजी तारीखों का व्यवहार और अनिवार्य प्रचार जहाँ जहाँ हो गया है, वहाँ अङ्रेजी तारीखों का बहिष्कार करके भारतीय तारीख—सौर मितियों का प्रचार और व्यवहार करें। अङ्ग्रेजी तारीखों का चार्ज हिन्दी तारीख वा भारतीय तारीखों को देवें। यह राष्ट्रमिति सर्वानुमति से सौर वा चान्द्र जो सुगम जान पड़े जिसमें अड़चन न हो, भारतव्यापी हो सके, उसी को 'राष्ट्रमिति' स्थिर करें। "शुभस्य शीघ्रम्" के अनुसार जोर से आन्दोलन करके 'राष्ट्रमिति' का व्यवहार आरम्भ करना परमावश्यक है। अविलम्ब से श्रीगणेश होना चाहिये।

लिङ्ग-निर्णय-समिति की रिपोर्ट

श्रीयुत मन्त्रीजी,

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन,

प्रयाग।

महाशय,

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की जो बैठक लखनऊ में गत वर्ष २७-२८ और २९ नवम्बर को हुई थी, उसके नवें मन्तव्य के अनुसार निम्नलिखित सज्जनों की एक समिति हिन्दी के लिङ्ग-निर्णय पर विचार करने के लिए बनाई गई थी:—

(१) पं० रामावतार पाण्डेय, एम० ए०।
(२) " राधाचरण गोस्वामी।
(३) " अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी।
(४) " गोविन्द नारायण मिश्र।
(५) " चन्द्रधर शर्मा गुलेरी।
(६) " पद्मसिंह शर्मा।
(७) " अमृतलाल चक्रवर्ती।
(८) " अयोध्यासिंह उपाध्याय।
(९) बाबू श्यामसुन्दरदास।
(१०) पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी।

इस समिति के संयोजक का काम मुझे दिया गया था। समिति का कार्य्य आरम्भ करने के लिए मैंने ८--४--१५ को इस आशय का एक एक पत्र सदस्यों की सेवा में भेजा कि वे हिन्दी के लिङ्ग-निर्णय के विषय में अपनी अपनी सम्मति लिख भेजें; परन्तु पीछे से यह आवश्यक जान पड़ा कि सदस्यों की सेवा में कोरा पत्र भेजने के बदले कुछ नियम भेजने चाहिये जिनका वे लोग खण्डन-मण्डन करें। इस विचार के अनुसार लिङ्ग-विषयक कुछ नियमों का एक चिट्ठा सम्पूर्ण सदस्यों की सेवा में १-५-१५ को भेजा गया। इन नियमों पर अधिकांश लोगों ने सम्मति दी; केवल निम्नलिखित सज्जनों की सम्मति का सौभाग्य मुझे प्राप्त न हुआ:—

पं० रामावतार पाण्डेय, एम० ए० ।

" अमृतलाल चक्रवर्ती ।

" पद्मसिंह शर्मा ।

बाबू श्यामसुन्दरदास ।

पं चन्द्रशेखर शास्त्री ।

सम्भव है कि उपर्युक्त सज्जनों में से एक-दो महाशय ने उत्तर दिया हो और किसी कारण से मुझे न मिला हो ।

निर्वाचित सज्जनों के सिवाय और भी दो चार विद्वानों के पास मैंने नियमावली भेजी थी जिनमें से केवल पं० गङ्गाप्रसाद अग्निहोत्रीजी ने सम्मति देने की कृपा की ।

नियमों का खण्डन-मण्डन प्रायः सभी सम्मतियों में है; पर विशेष समालोचना पं० गोविन्दनारायण मिश्रजी ने की है जिसके लिये हम उनके परम कृतज्ञ हैं ।

यद्यपि अधिकांश सज्जनों को इस नियमावली में विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता नही जान पड़ी तथापि जो योग्य सम्मति मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार नियमों का संशोधन करना मुझे आवश्यक और उचित जान पड़ा । इस रिपोर्ट के साथ नियमावली की मूल और संशोधित प्रतियाँ सम्मिलित हैं ।

इस नियमावली के सम्बन्ध में कुछ सज्जनों ने जो सूचनाएं दी हैं उनका उल्लेख करना उपयोगी है और आशा है कि सम्मेलन उन पर विचार करेगा । वे सूचनाएं ये हैंः—

पं० चन्द्रधरशर्मा—देश-भेद से जिन शब्दों के लिङ्गों में अन्तर है उनमें व्याकरण परिवर्तन नही कर सकता ।"

"यह सब ठीक है, जितना व्यापक हो सकता है, उतना है। पूर्णता न सम्भव है न वाञ्छनीय" ।

पं० राधाचरण गोस्वामी—"मेरी समझ में वाणी का प्रवाह ही इसका (लिङ्ग-निर्णय का) नियामक है न कि व्याकरण । इससे इन सूत्रों को छाप दीजिये । आगे देखा जायगा" ।

"पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी—"इन नियमों से लिङ्ग-सम्बन्धी कठिनाई बहुत कुछ कम हो जाती है। मुझे इन पर विशेष रूप से विचार करने का समय नहीं मिला है, इसलिये मैं इनमें अपनी ओर से कुछ जोड़ देने में असमर्थ हूं"।

पं० गङ्गाप्रसाद अग्निहोत्री—"कालान्तर में धीरे धीरे ये नियम व्यापक और पूर्ण हो जाँयगे"।

पं० गोविन्दनारायण मिश्र—"जिस संस्कृत भाषा में पाणिनीय व्याकरण सा सर्वाङ्गसुन्दर व्याकरण वर्त्तमान है, जिसकी शिक्षा में आज भी ब्राह्मण पण्डित आजन्म परिश्रम करते हैं उस संस्कृत के पण्डितों में तथा बड़े बड़े अध्यापकों में भी व्याकरण की अशुद्धियाँ और लिङ्गों का भ्रम प्रत्यक्ष नित्य बोलने तथा लिखने में भी बहुधा सुनने और देखने में आता है"।

इन नियमों की अव्यापकता और अपूर्णता का विश्वास जितना मुझे है उतना औरों को भी है; पर इनको अधिक व्यापक और पूर्ण करना इस समय मेरी शक्ति के बाहर है। लिङ्ग-विषयक कठिनाई भाषा की अस्थिरता के कारण है और इस अस्थिरता का कारण लेखकों में शिष्ट-प्रयोग का अनादर तथा अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग है। इस कठिनाई का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है:—

एक ही शब्द एक ही लेखक की पुस्तकों में अलग अलग लिङ्गों में आता है; जैसे—

"देह ठंढ़ी पड़ गई" (ठेठ प्र० ३३), "उसके सब देह में" (ठेठ ५०) "कितने सन्तान" (इति-पृ० १), "रघुकुल भूषण की सन्तान" (गुट० भा० ३, पृष्ठ ४), "बहुत बरसें हो गईं" (स्वा० पृ० २१) "सवा सौ बरस हुए" (सर० भा० १५, पृ० ६४०)।

हिन्दी में जिन शब्दों का लिङ्ग वाद-ग्रस्त अथवा सन्दिग्ध है, उनकी सङ्ख्या बहुत अधिक नहीं है (यद्यपि उनके नियम निश्चित करना कठिन हैं); और यदि लेखक उनके सम्बन्ध में शिष्टप्रयोग का अनुकरण करें तो वैयाकरण की बहुत सी कठिनाई दूर हो जाँय।

इस लेख में इन शब्दों के लिङ्ग का अलग अलग विचार करना आवश्यक नहीं जान पड़ता। यथार्थ में यह कोष का विषय है।

यदि सम्मेलन उचित समझे तो यह नियमावली छाप कर प्रत्येक सदस्य के पास भेज कर उनसे प्रार्थना करे कि वे फिर इस विषय पर विचार कर नियमावली को पूर्ण और व्यापक बनाने में सहायता देवें। इसमें मैंने स्वयं कुछ नियम जोड़े हैं।

अन्त में समालोचकों को धन्यवाद देकर मैं यह सङ्क्षिप्त वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

गढ़ाफाटक, जबलपुर
२५-१२-१९१५

निवेदक—
कामताप्रसाद गुरु।

लिङ्ग-निर्णय

(लिङ्गविचार-समिति के संयोजक श्रीयुक्त कामताप्रसाद गुरु द्वारा प्राप्त)

१—हिन्दी में लिङ्ग-निर्णय बहुधा दो प्रकार से हो सकता है—(१) शब्द के अर्थ से। (२) उसके रूप से।

२—प्राणीवाचक सञ्ज्ञाओं का लिङ्ग बहुधा अर्थ के अनुसार और अप्राणीवाचक सञ्ज्ञाओं का बहुधा रूप के अनुसार निश्चित करते हैं। जिन शब्दों का लिङ्ग इन दोनों रीतियों से निश्चित नहीं हो सकता उनका लिङ्ग, व्यवहार के अनुसार माना जाता है।

अर्थ के अनुसार लिङ्ग-निर्णय

३—जिन प्राणीवाचक सञ्ज्ञाओं से मिथुन (जोड़े) का ज्ञान होता है उनमें पुरुष बोधक सञ्ज्ञाएँ बहुधा पुल्लिङ्ग और स्त्री-बोधक सञ्ज्ञाएँ बहुधा स्त्रीलिङ्ग होती हैं; जैसे—पुरुष, घोड़ा, मोर, आदि पुल्लिङ्ग हैं और स्त्री, घोड़ी, मोरनी, आदि स्त्रीलिङ्ग हैं।

अप०—"सन्तान" और "सवारी" (यात्री) स्त्रीलिङ्ग हैं।

सू०—शिष्ट लोगों में स्त्री के लिये "घर के लोग"-पुल्लिङ्ग शब्द बोला जाता है।

५—कई एक मनुष्येतर प्राणियों के नामों से दोनों जातियों का बोध होता है। और वे व्यवहार के अनुसार पुल्लिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग माने जाते हैं; जैसे—

पु०—पक्षी, उल्लू, कौआ, भेड़िया, चीता, खटमल, कीड़ा, केंचुआ, आदि।

स्त्री०—चील, बटेर, कोयल, मैना, गिलहरी, जोंक, तितली, मक्खी, मछली, इत्यादि।

सू०—इन शब्दों के प्रयोग में लोग इस बात की चिन्ता नहीं करते कि इनके वाच्य पुरुष हैं या स्त्री। जब इन प्राणियों की विशेष जाति सूचित करने की आवश्यकता होती है तब इनके नामोंके साथ पुरुष का बोध करने के लिये "नर" और स्त्री के बोध के लिये "माद" (वा "मादी") लगाते हैं; परन्तु इन उपसर्गों के कारण शब्द के मूल लिङ्ग में अन्तर नहीं पड़ता; जैसे, "वे बीस हजार मक्खियाँ उन निकम्मी नर-मक्खियों को खिला कर (शहद) वृथा नहीं खोतीं"। (विद्या०)।

५—प्राणियों के समुदाय-वाचक नाम व्यवहार के अनुसार नित्य पुल्लिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग होते हैं; जैसे—

पु०—झुण्ड, कुटुम्ब, सङ्घ, दल, मेला, इत्यादि।

स्त्री—भीड़, सेना, फौज, सभा, प्रजा, टोली, सरकार (शासक समूह), इत्यादि।

अपवाद—"समाज" शब्द का स्त्रीलिङ्ग में अधिक प्रयोग होता है; पर कोई कोई लेखक उसे पुल्लिङ्ग में लिखते हैं।

६—किसी किसी वैयाकरण ने अप्राणिवाचक शब्दों के अर्थ के अनुसार लिङ्ग-निर्णय के कुछ नियम बनाये हैं; परन्तु ये अव्यापक और अपूर्ण हैं। इस प्रकार के कुछ नियम यहाँ दिये जाते हैं—

पुल्लिङ्ग

(अ) शरीर के अवयवों के नाम—बाल, सिर, मस्तक, तालु, ओंठ, दाँत, मुँह, कान, गाल, हाथ, पाँव, नख, इ०।

अप०--आँख, नाक, जीभ, जाँघ, खाल, नस, हड्डी, इ० ।

(आ) धातुओं के नाम--सोना, रूपा, लोहा, ताँबा, सीसा, काँसा, पीतल, टीन, इ० ।

अप०—चाँदी, धातु, इ० ।

(इ) रत्नोंके नाम--हीरा, मोती, माणिक, मूँगा, पन्ना, इ० ।

अप०—मणि, चुन्नी, लालड़ी, इ० ।

पेड़ों के नाम--पीपल, बड़, सागोन, शीशम, देवदार, तमाल, अशोक, इ० ।

अप०—नीम, जामुन, कचनार, इ० ।

(उ) अनाजों के नाम-जौ, गेहूं, चाँवल, बाजरा, मटर, उड़द, चना, तिल, इ० ।

अप०—मक्का, जुआर, मूँग, अरहर, इ० ।

(ऊ) द्रव पदार्थों के नाम—घी, तेल, पानी, दही, मही, शर्बत, सिरका, अतर, आसव, अवलेह इ० ।

अप०—छाछ, स्याही, मसि, इ० ।

(ऋ) जल और थल के विभागों के नाम—देश, नगर, पर्वत, द्वीप, समुद्र, सरोवर, आकाश, पाताल, इ० ।

अप०—पृथ्वी, झील, नदी, घाटी, इ० ।

(ॠ) ग्रहों के नाम—सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, राहु, केतु, शनि, इ० ।

अप०—पृथ्वी ।

स्त्रीलिङ्ग

(अ) नदियों के नाम-गङ्गा, ययुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, इ० ।

(आ) तिथियों के नाम-परिवा, दूज, तीज, चौथ, पञ्चमी, इ० ।

(इ) नक्षत्रों के नाम-अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, इ० ।

(ई) वर्णमाला के अक्षर—इ, ई, ऋ, ए, ऐ, ।

(उ) किराने के नाम—लौंग, इलायची, सुपारी, जावित्री, केशर, दालचीनी, इ० ।

अप०—तेजपात, कपूर, इ०।

(ऊ) भोजनों के नाम—पूरी, कचौरी, खीर, दाल, रोटी, तरकारी, खिचड़ी, कढ़ी, इ०।

अप०—भात, रायता, हलुआ, मोहनभोग, इ०।

रूप के अनुसार लिङ्ग-निर्णय

७—अप्राणिवाचक सञ्ज्ञाओं के लिङ्ग का निर्णय बहुधा शब्द के रूप के अनुसार किया जाता है। हिन्दी में संस्कृत और यावनी (विदेशी) शब्द भी आते हैं; इसलिये इन भाषाओं के शब्दों का अलग अलग विचार करने में सुभीता है।

—:o:—

१—हिन्दी-शब्द

पुल्लिङ्ग

(अ) ऊन-वाचक सञ्ज्ञाओं को छोड़, शेष हिन्दी आकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे—गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, कपड़ा, इ०।

(आ) जिन भाव-वाचक सञ्ज्ञाओं के अन्त में "ना", "आव", "पन" वा "पा" होता है; जैसे, आना, गाना, चढ़ाव, बहाव, बड़प्पन, बुढ़ापा, इ०।

(इ) कृदन्त की नकारान्त सञ्ज्ञाएँ जिनका धातु नकारान्त न हो और जिनका उपान्त्य वर्ण आकारान्त हो; जैसे, लगान, मिलान, खानपान, गान, नहान, उठान, ब्यान, इ०।

अप०—उड़ान, इ०।

स्त्रीलिङ्ग

(अ०) ईकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, नदी, चिट्ठी, रोटी, टोपी, उदासी, चिकनाई, इ०।

अप०—पानी, घी, जी, मोती, दही, मही, ।

(आ) ऊन-वाचक आकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, फुड़िया, खटिया, डिबिया, पुड़िया, ठिलिया, इ०।

(इ) तकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, रात, बात, लात, छत, पत, इ०।

अप०—भात, खेत, सूत, दाँत, गात, इ०।

(ई) ऊकान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, बालू, लू, दारू, ब्यालू, झाफू, झाड़ू, इ०।

अप०—आलू, आँसू, रतालू, टेसू, इ०।

(उ) अनुस्वारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, सरसों, जोखों, खड़ाऊं, गौं, दौं, चूं, इ०।

अप०—कोदों, गेहूँ,।

(ऊ) सकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, प्यास, मिठास, रास (लगाम), बास, घास, साँस, इ०।

अप०—निकास, काँस, रास (नृत्य)।

(ऋ) कृदन्त की नकारान्त सञ्ज्ञाएँ जिनका उपान्त्य वर्ण अकारान्त हो अथवा जिनका धातु नकारान्त हो; जैसे, सूजन, जलन, सिमटन, रहन-सहन, उलझन, छान, जान-पहचान, इ०।

अ०—चलन और चाल-चलन, उभय लिङ्ग हैं।

सू—मारण, मोहन, पालन, पोषण, आदि शब्दों के लिये आगे संस्कृत शब्द देखो।

(ॠ) कृदन्त की अकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, लूट, मार, समझ, दौड़, सम्हाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार, इ०।

अप०—खेल, नाच, मेल, बिगाड, बोल, उतार, इ०।

(ए) जिन सञ्ज्ञाओं के अन्त में "ख" होता है; जैसे, ऊख, (ईख), दाख, सीख, भीख, राख, आँख, काँख, कोख, परख, साख, लाख, (लाक्षा), चीख, देख-रेख, इ०।

अप०—पाख, रूख, इ०।

(ऐ) जिन भाववाचक सञ्ज्ञाओं के अन्त में वट वा हट होता है; जैसे, सजावट, चिल्लाहट, बनावट, घबराहट, इ०।

—:o:—

२—संस्कृत-शब्द

पुल्लिङ्ग

(अ) त्रान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, चित्र, चरित्र, पात्र, गोत्र, सूत्र, पत्र, इ० ।

(आ) नान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, पालन, पोषण, दमन, नयन, गमन, इ० ।

अप०—"पवन" उभय-लिङ्ग है ।

(इ) "ज" प्रत्ययान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, जलज, उरोज, इ० ।

(ई) जिन शब्दों के अन्त में त्व, त्य, व, अथवा र्य होता है; जैसे, सतीत्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य, धैर्य, इ० ।

(उ) जिन शब्दों के अन्त में "आर", "आय" वा "आस" हो; जैसे, विकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, उल्लास, विकास, हास, इ० ।

अप०—"सहाय" उभय-लिङ्ग और "आय" स्त्रीलिङ्ग है ।

(ऊ) "अ" प्रत्ययान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, क्रोध, बोध, मोह, भय, लय, स्पर्श, इ० ।

अप०—"जय" स्त्रीलिङ्ग और "विनय" उभय-लिङ्ग है ।

(ऋ) जिनके अन्त में "ख" होता है; जैसे, मुख, नख, सुख, दुःख, लेख, मख, शङ्ख, इ० ।

स्त्रीलिङ्ग

(अ) आकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, दया, माया, कृपा, लज्जा, शोभा, सभा, इच्छा, इ० ।

अप०—स्वाहा (नाश) ।

(आ) नाकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, प्रार्थना, वन्दना, प्रस्तावना, वेदना, रचना, घटना, आदि ।

(इ) उकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, वायु, रेणु, रज्जु, मृत्यु, आयु, जानु, वस्तु, धातु, ऋतु, इ० ।

अप०—मधु, अश्रु, तालु, तरु, मेरु, हेतु, सेतु, इ० ।

(ई) जिनके अन्त में "ति" वा "नि" होती है जैसे, गति, मति, रीति, जाति, भाँति, शान्ति, हानि, ग्लानि, ध्वनि, बुद्धि, ऋद्धि, सिद्धि, इ० ।

सूच०—अन्त के तीन शब्द "ति" प्रत्ययान्त हैं; पर सन्धि के कारण उनका कुछ रूपान्तर हो गया है ।

(उ) "ता" प्रत्ययान्त भाववाचक सङ्ज्ञाएँ; जैसे; नम्रता, लघुता, सुन्दरता, प्रभुता, जड़ता, इ० ।

(ऊ) इकारान्त सङ्ज्ञाएँ; जैसे विधि (रीति), निधि, परिधि, राशि, अग्नि (आग), छवि, केलि, रुचि, इ० ।

अपवाद—वारि, गिरि, जलधि, कृमि, पाणि, आदि, बलि, इ० ।

(ऋ) "इमा" प्रत्ययान्त शब्द; जैसे, महिमा, गरिमा, लालिमा, कालिमा; इ० ।

३—यावनी-शब्द

पुल्लिङ्ग

(अ) जिनके अन्त में "आब" होता है; जैसे, गुलाब, जुलाब, हिसाब, जवाब, कबाब, इ० ।

अप०—शराब, मिहराब, किताब, ताब, कमखाब, इ० ।

(आ) जिनके अन्त में "आर" वा "आन" होता है; जैसे बाजार, इकरार, इज़हार, इश्तिहार, इन्कार, अहसान, मकान, इ० ।

अप०—दूकान, जान, सरकार (शासक-समूह), तकरार, इ० ।

(इ) जिनके अन्त में "ह" होता है । हिन्दी में यह "ह" बहुधा "आ" होकर अन्त्य स्वर में मिल जाता है; जैसे, परदा, गुस्सा, किस्सा, रास्ता, तम्बूरा, चश्मा, तमगा (हिं०–तगमा), इ० ।

अप०—दफा, इ० ।

स्त्रीलिङ्ग

(अ) ईकारान्त भाववाचक सङ्ज्ञाएँ; जैसे, बीमारी, गरीबी, गरमी, चालाकी तैयारी, दूकानदारी, इ० ।

(आ) शकारान्त सङ्ज्ञाएँ; जैसे, नालिश, कोशिश, लाश, तलाश, मालिश, इ० ।

अप०—ताश, होश, इ० ।

(इ) तकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, दौलत, क़सरत, अदालत, हजामत, क़ीमत, मुलाक़ात इ० ।

अप०—दस्तख़त, दरख़्त, इ० ।

(ई) हकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, सुबह, राह, तरह, आह, सतह, सलाह, सुलह, इ० ।

अप०—माह, गुनाह, इ० ।

(उ) आकारान्त सञ्ज्ञाएँ; जैसे, हवा, दवा, सज़ा, जमा, दुनिया, बला (हिं०—बलाय), इ० ।

अप०—"मज़ा" उभयलिङ्ग और "दगा" पुल्लिङ्ग है ।

(ऊ) "तफ़ईल" के वज़न की सञ्ज्ञाएँ; जैसे, तसबीर, तहसील, जागीर, तामील, तफ़सील, इ० ।

अप०—ताबीज़ ।

८—कोई कोई सञ्ज्ञाएँ दोनों लिङ्गों में आती हैं । इनके कुछ उदाहरण पहिले आ चुके हैं; और उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं । इस प्रकार के शब्द उभयलिङ्ग कहाते हैं :—बर्फ़, श्वास, जान (ज्ञान), गड़बड़, गेंद, इ० ।

९—हिन्दी में लगभग तीन-चौथाई शब्द संस्कृत के हैं और तत्सम अथवा तद्भव रूप में आते हैं । संस्कृत के पुल्लिङ्ग और नपुंसक-लिङ्ग शब्द हिन्दी में बहुधा पुल्लिङ्ग होते हैं और स्त्रीलिङ्ग शब्द बहुधा स्त्रीलिङ्ग होते हैं । तथापि कई एक तत्सम और कई एक तद्भव शब्दों का मूल लिङ्ग हिन्दी में बदल गया है; जैसे,

तत्सम शब्द

शब्द	सं० लिङ्ग	हिन्दी लिङ्ग
अग्नि	पु०	स्त्री०
जय	"	"
आत्मा	"	"
महिमा	"	"
देह	"	"

व्यक्ति	स्त्री०	पु०
तारा (नक्षत्र)	"	"
देवता	"	"
वस्तु	न०	स्त्री०
पुस्तक	"	"

तद्भव शब्द

तत्सम	सं० लिं०	तद्भव	हिं० लिं०
औषध	पु०	औषधि	स्त्री०
शपथ	"	सौंह	"
बाहु	"	बाँह	"
विन्दु	"	बूँद	"
तन्तु	"	ताँत	"
अक्षि	न०	आँख	"
इ०	इ०	इ०	इ०

सूचना—तत्सम शब्दों का प्रयोग शास्त्री, पण्डित, आदि विद्वान् बहुधा संस्कृत के लिङ्गानुसार करते हैं।

१०—"अरबी, फारसी, आदि यावनी-भाषाओं के शब्दों में भी इस (हिन्दी) लिङ्गान्तर के कुछ उदाहरण पाये जाते हैं; जैसे अरबी का "मुहावरत" (स्त्रीलिङ्ग) हिन्दुस्थानी में "मुहावरा" (पुल्लिङ्ग) हो गया है"। (प्लाट्सकृत हिन्दुस्थानी ग्रामर)

११—अङ्गरेजी शब्दों के सम्बन्ध में लिङ्ग-निर्णय के लिये बहुधा अर्थ और रूप दोनों का विचार किया जाता है।

(अ) कुछ शब्दों को उसी अर्थ के हिन्दी शब्दों का लिङ्ग प्राप्त हुआ है; जैसे,

कोट—अँगरखा—पुल्लिङ्ग	कम्पनी—मण्डली—स्त्री०
लेक्चर-व्याख्यान- "	फीस—दक्षिणा— "
वारण्ट—चालान- "	कमेटी—सभा— "
लम्प—दिया— "	चेन—साँकल— "
बूट—जूता-- "	स्टिक—छड़ी— "
इ० इ०	इ० इ०

(आ) कई एक शब्द आकारान्त होने के कारण पुल्लिङ्ग और ईकारान्त होने के कारण स्त्रीलिङ्ग हुए हैं; जैसे,

पु०—सोडा, डेल्टा, इ० ।

स्त्री०—चिमनी, गिनी, म्युनीसिपाल्टी, इ० ।

(इ) कई एक शब्द उभय-लिङ्ग हैं; जैसे, स्टेशन, काङ्गरेस, कौंसिल, रिपोर्ट, अपील, प्लेग, इ० ।

१२—अधिकांश सामासिक शब्दों का लिङ्ग अन्त्य शब्द के लिङ्ग के अनुसार होता है; जैसे, रसोई-घर (पु०), धर्म-शाला (स्त्री०), मा-बाप (पु०), आब-हवा (स्त्री०), काञ्जीहौस (पु०), इ० ।

सू०—कई एक हिन्दी व्याकरणों में यह नियम व्यापक माना गया है; परन्तु एक-दो समासों में यह नियम नहीं लगता; जैसे "मन्द-मति" । यह शब्द केवल कर्म-धारय में स्त्रीलिङ्ग विशेष्य के अनुसार होता है; जैसे, "मन्द-मति-बालक", इ० ।

१३—सभा, पत्र, पुस्तक और स्थान के व्यक्तिवाचक नामों का लिङ्ग बहुधा शब्द के रूप के अनुसार होता है; जैसे, महासभा, (स्त्री०), महामण्डल (पु०), मर्यादा (स्त्री०), प्रभा (स्त्री०), प्रताप (पु०), भारत-मित्र (पु०), रघुवंश (पु०), रामकहानी (स्त्री०), आगरा (पु०), मथुरा (स्त्री०), प्रयाग (पु०), दिल्ली (स्त्री०), इत्यादि ।

———

परीक्षासमिति, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कार्यालय, प्रयाग।

परीक्षाक्रम

प्रथमा-परीक्षा सं० १९७३

साहित्य का पहला प्रश्नपत्र	मि० श्रावण शु० ७ रविवार सं० १९७३ ता० ६ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सबेरे से १ बजे दिन तक
साहित्य का दूसरा प्रश्नपत्र	" "	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक
साहित्य का तीसरा प्रश्नपत्र	मि० श्रावण शु० ८ सोमवार सं० १९७३ ता० ७ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे दिन से १ बजे दिन तक
इतिहास	" "	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक
भूगोल	मि० श्रावण शु० ९ मङ्गलवार सं० १९७३ ता० ८ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सबेरे से १ बजे दिन तक
विज्ञान	" "	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक
अङ्कगणित	मि० श्रावण शु० १० बुधवार सं० १९७३ ता० ९ अगस्त सन् १११६ ई०	१० बजे सबेरे से १ बजे दिन तक

मध्यमा-परीक्षा सं० १९७३

साहित्य का पहला प्रश्नपत्र	मि० श्रावण शु० ७ रविवार सं० १९७३ ता० ६ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सबेरे से २ बजे दिन तक
साहित्य का दूसरा प्रश्नपत्र	" "	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक

साहित्य का तीसरा प्रश्नपत्र	मि० श्रावण शु० ८ सोमवार सं १९७३ ता० ७ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सवेरे से १ बजे दिन तक
साहित्य का चौथा प्रश्नपत्र	,, ,,	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक
इतिहास का पहला प्रश्नपत्र	मि० श्रावण शु० ९ मङ्गलवार सं० १९७३ ता० ८ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सवेरे से १ बजे दिन तक
इतिहास का दूसरा प्रश्नपत्र	,, ,,	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक
संस्कृत से अनुवाद	मि० श्रावण शु० १० बुधवार सं० १९७३ ता० ९ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सवेरे से १ बजे दिन तक
अङ्ग्रेजी से अनुवाद	,, ,,	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक
ज्योतिष तथा गणित	मि० श्रावण शु० ११ गुरुवार सं० १९७३ ता० १० अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सवेरे से १ बजे दिन तक
अर्थशास्त्र	,, ,,	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक
धर्मशास्त्र	मि० श्रावण शु० १२ शुक्रवार सं १९७३ ता० ११ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सबेरे से १ बजे दिन तक
दर्शन	,, ,,	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक
विज्ञान	मि० श्रावण शु० १३ शनिवार सं० १९७३ ता० १२ अगस्त सन् १९१६ ई०	१० बजे सवेरे से १ बजे दिन तक
वैद्यक	,, ,,	२ बजे दिन से ५ बजे सन्ध्या तक

उपदेशकीय भ्रमण-वृत्तान्त

(अप्रैल)

ता० ३-४ को हाजीपुर पहुँचा और वहाँ के लोगों से मिल कर वहाँ एक नागरीप्रचारिणी सभा स्थापित करने का उद्योग किया, सफलता की आशा ने २-३ दिन प्रतीक्षा करा कर पश्चात् और भी अपनी अवधि बढ़ा ली।

ता० ६-४ को भागलपुर के लिये रवाना होकर वहाँ १७-४ तक के ११ दिन समय में सम्मेलन के प्रतिनिधि शुल्क के भाग का रुपया जो अभी भागलपुर चतुर्थ-सम्मेलन की स्वागतकारिणी-समिति के ज़िम्मे कुल बाकी था उसके प्राप्ति का प्रबन्ध किया, जिसमें समिति के कोष का प्रस्तुत रुपया मात्र तो प्राप्त किया और शेष को शीघ्र अदाय करने के लिये समिति की एक उपसमिति बनवा कर उद्योग करने का भार दिला शीघ्र अदाय करने का वचन उसके सदस्यों से प्राप्त किया। उक्त समिति ने अपने यहाँ के सम्मेलन कार्य विवरण प्रथम भाग जो अब तक नहीं छपवाया था, उसे उसने छपवा कर तैयार करा लिया। उक्त सम्मेलन के अवसर पर सम्मेलन के पैसा फण्ड में प्रतिज्ञात चन्दे के रुपये को वहाँ के लोगों से यथा सम्भव सङ्ग्रह किया। सम्मेलन पत्रिका और सम्मेलन के कार्य विवरणों के प्रचार तथा परीक्षार्थ विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का उद्योग किया। मारवाड़ी-पाठशाला में विद्या की विशेषता पर व्याख्यान दिया।

ता० १९-४ को मुजफ़्फ़रपुर हिन्दी-भाषा-प्रचारिणी सभा के उद्योग से हिन्दी से लाभ विषय पर व्याख्यान दिया।

ता० २२-४ को दरभङ्गा में व्याख्यान दिया। सम्मेलन-पत्रिका तथा सम्मेलन के कार्यविवरण के प्रचार का उद्योग किया सम्मेलन परीक्षा के लिये छात्रों को उत्साहित किया। वहाँ की हिन्दी-भाषा प्रचारिणी सभा के मन्त्री महोदय के स्थान पर नहीं मिलने से शहर में और अधिक कार्य नहीं हो सका।

ता० २५-४ से कई दिन मुज़फ़्फ़रपुर पैसा फण्ड के दाताओं की प्रतीक्षा में रहा। इत्यादि।

हिन्दी-संसार

(ले० पं० रामकृष्ण सारस्वत स० मन्त्री)

हिन्दी में राजनैतिक साहित्य

प्रत्येक सभ्य देश में लोगों को राजनैतिक शिक्षा दी जाती है जिससे वे शासन-प्रणाली की बारीक से बारीक बातों को समझते हुए देशभक्त तथा राजभक्त नागरिक बनते हैं। पर हमारे देश में यह बात नहीं। इसके जहाँ और अनेक कारण हैं वहां सर्वसाधारण के समझने योग्य भाषा में इस विषय के अच्छे साहित्य का अभाव भी एक है। हर्ष की बात है कि प्रसिद्ध लोकोपकारी संस्था भारत-सेवक-समिति की प्रयाग वाली शाखा ने इस अभाव की पूर्ति करने का बीड़ा उठाया है। हिन्दी में शीघ्र ही इस विषय की पुस्तकों की एक माला निकलने वाली है। विषय होंगे (१) भारतवर्ष में राजनैतिक जागृति (२) उपनिवेशों में प्रजातन्त्र। (३) भारतवर्ष में स्वराज्य। (४) हिन्दुस्थान की साम्पत्तिक दशा। (५) भूमिकर और किसानों का बोझा। (६) सहयोग समितियाँ (७) भारतीय व्यापार और उद्योग धन्धे (८) भारतीय अर्थ नीति (९) प्रान्तिक आर्थिक स्थिति (१०) भारतवर्ष में शिक्षा (११) भारतवासी और सरकारी नौकरियाँ (१२) स्थानिक स्वराज्य (१३) न्यायविभाग का सुधार (१४) पुलीस का सुधार (१५) सरकार और आबकारी (१६) देशी रियासतें (१७) साम्राज्य और हिन्दुस्थानी इत्यादि। हमें विदित हुआ है कि पुस्तकें प्रसिद्ध राजनैतिक विद्वानों द्वारा लिखायी जाँयगी और इनकी प्रस्तावना माननीय मालवीय जी लिखेंगे। जहाँ तक हम समझते हैं हमारे देश के सभी राजनैतिक नेता हिन्दी के अच्छे ज्ञाता नहीं, पर अपने विषय के वे पूरे पण्डित होंगे इसमें सन्देह नहीं। अस्तु, पुस्तकें तो लिखानी चाहिये उन्हीं लोगों से जो अपने विषय के अच्छे ज्ञाता हों पर यदि वे स्वयं हिन्दी में पुस्तकें न लिख सकें तो उनका अच्छा हिन्दी अनुवाद ही समिति को प्रकाशित करना चाहिये; क्योंकि अन्य भाषाओं मे पुस्तकें प्रकाशित करने से लाभ न होगा।

प्रयाग विश्वविद्यालय में देश-भाषा की शिक्षा

प्रयाग विश्वविद्यालय की सीनेट-सभा में डाक्टर गङ्गानाथ झा का यह प्रस्ताव कि मेट्रिकुलेशन परीक्षा में देश-भाषा की शिक्षा अनिवार्य कर दी जावे, अस्वीकृत हुआ। और क्यों? इसलिये कि भूले भटके २५ फी सैकड़ा विद्यार्थियों को, जिन्होंने अपने मन से देशी भाषा नहीं ली है पढ़ने की स्वतन्त्रता देना आवश्यक है, इसलिये कि देशी भाषा कीअपेक्षा विज्ञान पढ़ना बहुमूल्य है और इसलिये कि जो खराबी केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इस नियम के कारण है कि जो विद्यार्थी यूनानी भाषा न पढ़े उसे वे अपने यहाँ नहीं लेते, वही खराबी प्रयाग विश्वविद्यालय में देश-भाषा को बलपूर्वक चलाने से आ जावेगी! ऐसी ही बेढङ्गी बातें विपक्षियों ने कहीं हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि इन सब बातों का क्या मतलब है। क्या ऐसे समय में जब कि किसी प्रकार का दबाव न होने पर भी ७५ फ़ी सैकड़ा विद्यार्थी देश-भाषा पढ़ते हैं यह कहा जा सकता है कि वे २५ फ़ी सैकड़ा भटके हुए नहीं है और उनको ठीक रास्ते पर लाने की आवश्यकता नहीं है? क्या देश-भाषा के बिना जाने विज्ञान का कुछ भी मूल्य हो सकता है, क्या अङ्गरेजी भाषा-भाषी-देश में ग्रीक भाषा का जबर्दस्ती पढ़ाना वही अर्थ रखता है जो भारत के लोगों को उनकी मातृ-भाषा पढ़ाना। ऐसी ही औंधी दलीलों का पक्ष करके विरोधियों ने मैदान जीत लिया। मि० बर्न, मि० मैकेंजी प्रभृति सज्जनों के पक्ष में रहते हुए भी प्रस्ताव पास नहीं हो सका। ये विचार ठीक वैसे ही हैं जो देश में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य्य करने के प्रस्ताव के विरोधी, अनिवार्य्य शिक्षा के सुपरिणाम देखते हुए भी प्रकट करते हैं। कुछ भी हो, यह प्रयाग बिश्वविद्यालय के लिए दुःख और लज्जा की बात है!

श्रीमान् ग्वालियर नरेश का हिन्दी प्रेम

हमें यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि लश्कर की हिन्दी सभा की प्रार्थना पर श्रीमान् ग्वालियर नरेश ने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को आगामी वर्ष ग्वालियर बुलाना स्वीकार करके अपने असीम हिन्दी प्रेम का परिचय दिया है। इस बात पर हर्ष प्रकट करते हुए तथा

महाराज के इस काम पर उन्हें तथा हिन्दी संसार को बधाई देते हुए सहयोगी "प्रताप" ने हिन्दी-संसार के सन्मुख एक प्रस्ताव उपस्थित किया है कि जबलपुर सम्मेलन के सभापति का आसन ग्रहण करने के लिये श्रीमान् ग्वालियर नरेश से प्रार्थना की जाय। सहयोगी लिखता है कि "केवल साहित्यिक दृष्टि से भी, महाराज इस स्थान के लिये बहुत उपयुक्त हैं। उन्हीं के कारण हिन्दी ग्वालियर की राज्य-भाषा हो सकी, उन्हीं के कारण ग्वालियर के स्कूलों में हिन्दी का स्टैण्डर्ड अच्छा ऊँचा और विस्तृत किया जा रहा है, उन्हीं के कारण हिन्दी में "जयाजी प्रताप" ऐसा सुन्दर पत्र निकलता है। और उन्हीं के द्वारा कृषि पर हिन्दी का सर्वोत्तम ग्रन्थ निकल चुका है? ऐसी अवस्था में किसी साहित्य-प्रेमी को भी महाराज के सम्मेलन के सभापति बनाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हमें विश्वास है कि हमारे इस प्रस्ताव पर उचित ध्यान दिया जायगा।"

मध्य भारत हिन्दी-साहित्य-समिति का डेपूटेशन

इन्दौर की मध्य भारत हिन्दी-साहित्य-समिति, उसके उत्साही कार्य्य-कर्त्ताओं के परिश्रम से जो वास्तविक उन्नति करके सम्मान प्राप्त कर रही है उसे देख कर हमारे आनन्द का पारावार नहीं। अभी हाल में समिति का एक डेप्यूटेशन जिसमें समिति की ओर से, रायबहादुर सेठ हुकुमचन्द, रायसाहब डाक्टर सरयूप्रसाद, लाला जगमन्दरलाल जैनी बैरिस्टर एटला तथा श्रीयुक्त भीका जी विलोरे बी० ए० प्रतिनिधि थे। श्रीमान् इन्दौर नरेश की सेवा में राजकुमारी के नामकरण समारम्भ के अवसर पर श्रीमान् को आशीर्वाद देने के निमित्त गया था। समिति की ओर से श्रीयुत बिलोरे ने आशीर्वचनात्मक कविता पढ़ी। श्रीमान् ने कविता की प्रशंसा करके समिति को धन्यवाद दिया। श्रीमान् के यह पूंछने पर कि समिति का उद्देश्य क्या है समिति के सुयोग्य मन्त्री श्रीयुत रायसाहब डा० सरयूप्रसाद ने अत्यन्त नम्रता पूर्वक समिति के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए समिति के उस उद्योग की बात छेड़ी जो समिति अपना निज का भवन बनाने के लिये धन सङ्ग्रह करने में कर रही है, उन्होंने कहा कि समिति के अध्यक्ष सेठ हुकुमचन्दजी ने

इस कार्य्य के लिये २०००) रुपये प्रदान किये हैं और कुल मिलाकर ५०००) रुपया चन्दा हो गया है और श्रीमान् की सेवा में भी प्रार्थना पत्र भेजा गया है। इस पर श्रीमान् ने स्वयं इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने की इच्छा प्रकट की और पान सुपारी आदि से समिति के प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। हम समिति के इस सम्मान पर समिति के कार्य्य-कर्त्ताओं को बधाई देते हैं और आशा करते हैं समिति के भवन के लिये श्रीमान् एक अच्छी रकम प्रदान करेंगे और शीघ्र हमें समिति के उद्योग की सफलता पर समिति को फिर से बधाई देने का अवसर प्राप्त होगा।

हिन्दी व्याकरण सम्बन्धी बातें

दैनिक भारतमित्र ने अपने ता० ३ फरवरी के अङ्क में निम्नलिखित टिप्पणी छापी है।

"जो लोग हिन्दी में प्रकृति से प्रत्यय को मिला कर अथवा सविभक्तिक पद लिखते हैं उन्हें राम के लिये लिखने के समय राम शब्द के साथ "के" मिलाना चाहिये या "के लिये" यह प्रश्न हमारे मित्र पं० गङ्गाप्रसाद अग्निहोत्री ने उठाया है। हम "लिये" शब्द को "के" चिन्ह से अलग लिखते हैं और ऐसा ही उचित है। हमारी सम्मति से "लिये" "वास्ते" "अर्थ" निमित्त आदि स्वतन्त्र शब्द हैं और उन्हें सविभक्तिक पद से अलग लिखना चाहिये। संस्कृत में निमित्तार्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, पर हिन्दी में चतुर्थी विभक्ति नहीं है और द्वितीया ही उसका काम करती है। इस द्वितीया का चिन्ह को है। "मुझ को आम ला देना" वाक्य में "मुझको" पद का अर्थ "मेरे निमित्त" या "लिये" है। लिये, वास्ते, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, पास आदि कितने ही अव्ययों के योग में हिन्दी में "के" और "रे" प्रत्यय आते हैं; जैसे राम के लिये, खुदा के वास्ते, कृष्ण के आगे, शिव के पीछे, पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे, राजा के सामने, मेरे पास आदि प्रचलित प्रयोग हैं। संस्कृत व्याकरण में अव्यय वा अन्य शब्दों के प्रयोग में कुछ विशेष विभक्तियाँ ही लगती हैं, जैसे "सह" योग में तृतीया होती है पर हिन्दी में "के" चिन्ह

आता है इससे लिये अव्यय को "के" चिन्ह से मिलाना ठीक नहीं हैं। हम भारतमित्र की इस टिप्पणी से सहमत हैं।

हिन्दी सामयिक पत्रों में मनोरञ्जन की सामग्री

सरस्वती ने अपनी एक टिप्पणी में इस बात की शिकायत की है कि हिन्दी के पत्रों में मनोरञ्जन की सामग्री का अभाव है वह लिखती है:—उन्नति के शिखर पर पहुँची हुई जाति को भी मनोरञ्जन की सामग्री की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप ब्रिटिश जाति को ही लीजिये अङ्ग्रेजी का हमने कोई भी दैनिक साप्ताहिक व मासिक पत्र नहीं देखा जिसमें मनोरञ्जन की सामग्री न हो। टाइम्स आव इण्डिया को ही देखिये उसमें नियमित रूप से कहानियाँ प्रकाशित करते हैं परन्तु हमारे पत्रों में प्रायः इनका अभाव रहता है। बहुत कम लेखक इन विषयों पर कलम उठाते हैं। वे कहानी लिखना मानों अपने समय का अनुचित व्यवहार करना और श्रेष्ठता में धब्बा लगाना समझते हैं। हिन्दी पत्रों में जो कभी कभी कहानियाँ निकलती हैं वे बहुधा बङ्गला, मराठी आदि भाषाओं की नकल होती हैं। स्वतन्त्रता पूर्वक लिखने वाले हिन्दी में बहुत ही कम हैं। यही कारण ग्राहक-सङ्ख्या न बढ़ने का है। हमारा ध्यान पत्रों के मनोरञ्जक बनाने की ओर बहुत कम है। जिस भाषा में मनोरञ्जक लेख पढ़ने वाले नहीं उसके गम्भीर लेखों को कौन पढ़ेगा।

षष्ठ वर्ष की परीक्षा-समिति का द्वितीय अधिवेशन

परीक्षासमिति का द्वितीय अधिवेशन मि० बैशाख कृ० १० गुरुवार ता० २७ अप्रैल सन् १९१६ को चार बजे सन्ध्या समय सम्मेलन-कार्य्यालय में निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ—

श्रीयुत पं० श्रीकृष्ण जोशी ।
,, पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ।
,, प्रो० ताराचन्द ।
,, पं० चन्द्रमौलि सुकुल !
,, बा० हीरालाल खन्ना ।
,, प्रो० ब्रजराज (संयोजक)

१—अधिक सम्मतियों के न आने के कारण निश्चय हुआ कि विवरण-पत्रिका का संशोधन जुलाई में हो ।

२—फैजाबाद, बिलासपुर, मुजफ्फरपुर, राजनाँद गाँव, शाहजहाँपुर, बहरायच और जयपुर ये ७ नये केन्द्र बनाये गये ।

३—उत्तमा परीक्षा के हिन्दी-साहित्य, अर्थशास्त्र, और इतिहास विषय के परीक्षक नियत किये गये ।

४—परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार हुआ ।

५—निश्चय हुआ कि जिनका प्रमाण-पत्र खो जाय उन्हें खो जाने के प्रमाण सहित १) शुल्क देने पर दूसरा प्रमाण-पत्र तथा उपाधि-पत्र दिया जा सकता है ।

६—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी जी का निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ—समिति का समस्त कार्य्य-विवरण चाहे वह कार्य्य समिति के अधिवेशन में हुआ हो अथवा संयोजक आदि अधिकारियों द्वारा हुआ हो लिपिबद्ध होना चाहिये; क्योंकि ऐसा न होने से समिति के कार्य्यों में भ्रम होने का भय रहता है ।

७—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी जी के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि आय-व्यय का लेखा आगामी अधिवेशन में उपस्थित किया जाय ।

८—सम्मेलन के उपदेशक पं० राजनारायण शुक्ल के इस प्रार्थना-पत्र पर कि वे सम्मेलन के सेवक हैं इसलिये उन्हें मध्यमा परीक्षा में बिना शुल्क दिये हुए बैठने की आज्ञा दी जाय । निश्चय हुआ कि परीक्षा के लिये शुल्क देना आवश्यक होगा ।

९—प्रो० ब्रजराज संयोजक की इस प्रार्थना पर कि किसी आवश्यक कार्य्य के लिये वे बाहर जाते हैं इसलिये उन्हें दो महीने का

अवकाश दिया जाय। निश्चय हुआ कि आपको सहर्ष यह अवकाश दिया जाय और जबतक प्रो० ब्रजराज पुनः कार्य्य का भार अपने ऊपर न ले सकें तबतक प्रो० ताराचन्द एम० ए० उनके स्थान पर परीक्षा-समिति का कार्य्य करें।

१०—परीक्षार्थिनियों के इस प्रार्थना-पत्र पर कि स्त्रियों को परीक्षा में बिना शुल्क दिये हुए बैठने की आज्ञा दी जाय*। निश्चय हुआ कि इनको उत्तर दिया जाय कि यह विषय अभी परीक्षा-समिति के विचाराधीन है और जबतक परीक्षा-समिति इसपर पूर्ण विचार न कर ले तबतक स्त्रियों के लिये कोई विशेष नियम नहीं बनाया जा सकता है।

११—इन्दौर के प्रथमा के परीक्षार्थी कन्हैयालाल लक्ष्मणप्रसाद दीक्षित के इस प्रार्थनापत्र पर कि दाहिना हाथ बेकाम होने से बाँये हाथ से उत्तर-पुस्तकों के लिखने के लिये उन्हें अधिक समय अथवा लेखक की सहायता दी जाय। निश्चय हुआ कि उन्हें लेखक की सहायता दी जायगी परन्तु इसमें जो व्यय होगा वह परीक्षार्थी को देना होगा और इन्दौर केन्द्र के व्यवस्थापक परीक्षा-समिति की अनुमति से लेखक नियत किया जायगा।

समालोचना

विनायकी टीका सहित रामायण

श्री तुलसीदास जी कृत रामायण वा रामचरितमानस की यद्यपि अनेक टीकाएँ अब तक छप चुकी हैं तथापि मुझे विनायकी टीका से बढ़कर दूसरी देखने में नहीं आयी। इस समय मेरे सम्मुख इस टीका के सहित बाल, अयोध्या, आरण्य, किष्किन्धा और सुन्दर ये पाँच काण्ड हैं। बालकाण्ड एक जिल्द में पुरौनी के ५८ पृष्ठों के अतिरिक्त ६९६ पृष्ठों का है। आकार रायल अठपेजी और सजिल्द है। फिर भी मूल्य २) ऐसे ग्रन्थ का बहुत ही उचित

---

*देशी भाषा की मिडिल परीक्षा को फीस सरकार भी उनसे नहीं लेती (सं०)

है। अयोध्याकाण्ड, दूसरी जिल्द में पुरौनी के सहित ५२४ पृष्ठों में समाप्त हुआ है और बालकाण्ड के ही आकार के सजिल्द का मूल्य १।) है। तीसरी जिल्द में आरण्य, किष्किन्धा और सुन्दर ये तीनों काण्ड हैं। क्रम से पृष्ठ सङ्ख्या १४३, ६४ और १२६ है और मूल्य ॥), ।=) और ॥) है। मिलने का पता पण्डित विनायकराव पेन्शनर लार्डगञ्ज-जबलपुर है।

टीका के साथ साथ विस्तृत टिप्पणी भी लगी है जिसमें काव्य के अङ्गों के विस्तृत विवरण तथा तुलसीदास की गीतावली आदि अन्य ग्रन्थों एवं केशवदास, सूरदास, नानक, रसखान, पद्माकर, सुन्दर आदि पुराने और लछिराम, शङ्करललित, ब्रजचन्द आदि नये हिन्दी भाषा के कविरत्नों की कविता के आनन्द के साथ साथ संस्कृत के महाकवि कालिदास आदि विद्वानों की कविता एवं सिद्धान्तों का भी स्वाद मिलता है। टिप्पणी में स्त्री-समाज के लाभ की ओर भी ध्यान दिया गया है। बालकाण्ड की टिप्पणी में पुत्र जन्म के समय के सोहरे आदि, विवाह के समय की जेवनारें, गाली, बनरा आदि अनेक उपयोगी और सभ्यता एवम् उपदेशपूर्ण गीत तथा बर-वधू की प्रतिज्ञा आदि के भजन, ग़ज़ल और रेखता आदि में भी धार्मिक और सामाजिक सिद्धान्तों की कमी नहीं है। सारांश यह कि इस टीका और टिप्पणी द्वारा जितना लाभ विद्यार्थी, हरिभक्त, अध्यापक, देशहितैषी और समाज सुधारक को होगा उससे किसी अंश में कम लाभ स्त्री-समाज और साहित्य एवं सङ्गीत प्रेमियों को न होगा। टीका में मूल के साथ साथ कठिन पदों के अन्वय और साधारण एवं सुबोध भाषा में अर्थ समझा कर आवश्यकतानुसार साहित्य सम्बन्धी अलङ्कार आदि विषयों की सूक्ष्मतर बातें भी बतलायी गयी हैं। शङ्कासमाधान की ओर भी कम ध्यान नहीं दिया गया है। परिशिष्ट रूप से काण्डों के अन्त में पुरौनी लगायी गयी हैं। पुरौनी में भी बड़े बड़े महत्त्व के विषय हैं। बालकाण्ड की पुरौनी में पिङ्गल का सङ्क्षिप्त वर्णन, नवरस और उनके भावों का भली भाँति से वर्णन और दोपक का सङ्ग्रह है। अयोध्याकाण्ड की पुरौनी में साधारण पिङ्गल, शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार और भाषा व्याकरण का वर्णन

है। आरण्यकाण्ड की पुरौनी में भी आवश्यक पिङ्गल की चर्चा करके महर्षि नारद, इन्द्र और सूर्य्य के वृत्तान्त भी लगा दिये गये हैं जो कथा के जानने के लिये उपयोगी हैं। किष्किन्धाकाण्ड की पुरौनी में उसके क्षेपक और वर्षा एवं शरद ऋतु के वर्णन के साथ साथ अनेक उपदेशपूर्ण बातें एवम् अच्छी अच्छी कहावतों का अच्छा सङ्ग्रह है। इसी प्रकार सुन्दरकाण्ड की पुरौनी में भी आवश्यक पिङ्गल की चर्चा करके क्षेपक और प्रसिद्ध कहावतों का सङ्ग्रह है। यदि विचार-दृष्टि से देखा जाय तो आजकल की दृष्टि से साहित्य सम्बन्धी पिङ्गल, रस, भाव और अलङ्कार आदि विषयों के जानने के लिये इस टीका की पुरौनी अत्यन्त उपयोगी है क्योंकि इसके उदाहरण प्रायः प्राचीनकाल के समान अश्लील न होकर उपदेशपूर्ण और धार्मिकभाव को लिये हुए हैं। मेरी राय में तो यह आता है कि इसकी पुरौनी यदि पृथक् से छपा ली जाती तो हमारी हिन्दी-परीक्षा समिति के पाठ्य ग्रन्थों में रख दी जाने योग्य हो जाती। क्योंकि आजकल कन्याएँ भी परीक्षा में आ रही हैं जिनको छन्द, रस और अलङ्कार पढ़ाने के लिये शिष्ट और सभ्यतापूर्ण ग्रन्थ कठिनाई से मिल रहे हैं।

सारांश यह कि पण्डित विनायकराव जी ने इस टीका और टिप्पणी एवं पुरौनी की रचना करके हिन्दी-संसार का जो उपकार किया है उसके लिये समस्त हिन्दी प्रेमी को कृतज्ञ होना चाहिये और यह कृतज्ञता इसी रूप में प्रकट की जा सकती है कि इस पुस्तक की एक एक प्रति समस्त हिन्दी प्रेमी जन खरीद लें जिससे उक्त पण्डित जी का परिश्रम सफल हो और अन्य उपकारी कार्य की ओर ध्यान जाय।

टि० यद्यपि इस टीका की समालोचना भाग ३ सङ्ख्या २–३ में श्रीयुत बाबू रामदासजी गौड़ ने की है तथापि इसकी समालोचना जितनी बार की जाय उतना ही हिन्दी संसार को लाभ होगा अतएव कुछ विषयों को लेकर पुनः समालोचना करने से मैं पुनरुक्ति दोष का भागी नहीं हो सकता।

सम्पादकीय विचार

सप्तम सम्मेलन

सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (जबलपुर) के लिये सन्तोष-जनक उद्योग हो रहा है। स्वागतकारिणी सभा के मन्त्री पण्डित दयाशङ्कर झा बी० एस-सी०, एल-एल० बी० के पत्र से विदित हुआ है कि चैत्र कृष्ण ७ रविवार सं० १९७२ (२६।३।१९१६) को एक सार्वजनिक सभा द्वारा स्वागतगारिणी सभा (जबलपुर) का सङ्गठन हुआ और निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गये—

सभापति—दीवानबहादुर सेठ वल्लभदास।

उपसभापति—राजा रघुनाथराव आवा साहब।

" दीवानबहादुर बिहारीलाल खजानची।

" रायबहादुर सेठ जीवनदास।

" माननीय रायबहादुर पण्डित विष्णुदत्त शुक्ल, बी० ए०।

" व्योहार रघुवीरसिंह।

" रायसाहब जगन्नाथ प्रसाद वकील।

" पण्डित प्यारेलाल मिश्र, बार-एट-ला।

" पण्डित गणपतिलाल चौबे।

" माननीय रायसाहेब सेठ नथमल बी० ए०।

" रायसाहेब पण्डित हीरालाल शुक्ल।

मन्त्री—पण्डित रघुवर प्रसाद द्विवेदी बी० ए०।

" पण्डित मनोहर कृष्ण गोलवेलकर बी० ए०, एल-एल-बी० वकील।

" पण्डित दयाशङ्कर झा बी-एस-सी०, एल-एल० बी०

साधारण सभ्यों की सङ्ख्या अब तक १५० के लगभग हो चुकी है।

हम देखते हैं कि जबलपुर निवासी सज्जन सम्मेलन के नियम २३ के अनुसार अपनी स्वागतकारिणी सभा बना कर आशा दिला रहे हैं कि सप्तम हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्य नियमबद्ध होंगे।

हम आशा करते हैं कि उक्त सज्जनगण यथाशक्य इस बात के लिये उद्योग करेंगे कि लोगों को गतवर्ष की त्रुटियों का स्मरण जाता रहे और हिन्दी-संसार, नियमबद्ध कार्यकर्त्ताओं की श्रेणी से पृथक् न समझा जाय।

स्थायी समिति

स्वागतकारिणी सभा (जबलपुर) के सङ्गठन का समाचार सुन कर स्थायी समिति ने अपने नियम २९ के अनुसार सूचना निकाली है कि "आगामी सप्तम हिन्दी-साहित्यसम्मेलन के सभापति के पद के लिये पाँच नामों की सूची बनाना है अतएव हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के २९ वें नियम के अनुसार समस्त, हिन्दी साहित्य-सम्मेलन से सम्बद्ध सभाओं, पैसाफण्ड-समितियों और स्वागतकारिणी-सभा (जबलपुर) तथा स्थायी-समिति के सदस्यों से निवेदन है कि वे आषाढ़ शुक्ल २ रविवार सं० १९७३ तारीख २ जुलाई सन् १९१६ के प्रथम ही सभापति के आसन के लिये उपयुक्त पाँच पाँच सज्जनों की एक एक सूची बना कर सम्मेलन कार्य्यालय में भेजने की कृपा करें (क्योंकि उक्त तिथि को स्थायी-समिति की दूसरी बैठक होगी)। हम आशा करते हैं कि इस बार सभापति की अड़चन के कारण सम्मेलन के कार्यों में बाधा न पड़े इस बात की ओर स्थायी-समिति तथा स्वागतकारिणी सभा विशेष ध्यान रक्खेंगी और समय के सम्बन्ध में भी दोनों सहमत होकर शीघ्र निर्णय कर लेंगी।

स्थायी-समिति को चाहिये कि वह स्वागतकारिणी सभा को नियम २४ के द्वारा लेखों की विषय सूची बनवाने के लिये अनुरोध करे और नियम २५ का भी स्मरण दिलावे जिसमें नियम का पालन होता रहे और कार्यों में बाधाएँ न उपस्थित हों।

अब तक किसी वर्ष की किसी रिपोर्ट से यह पता नहीं चला है कि नियम २७ के अनुसार अब तक किन किन स्वागतकारिणी सभाओं से कितनी कितनी रकम स्थायी-समिति को प्राप्त हुई हैं और किन किन के ऊपर बक़ाया है। इस विवरण से हमें यह विदित हो जायगा कि स्वागतकारिणी सभाओं के लिये जो धन

सङ्ग्रह होता है उसमें से अब तक सम्मेलन को कितना मिला है और इस बात के लिये प्रत्येक सम्मेलन-हितैषी सज्जन को उद्योग करना चाहिये कि उसका कुछ अंश अवश्य ही स्थायी-समिति को प्राप्त हुआ करे क्योंकि स्थानीय सज्जनों की सहायता स्वागतकारिणी सभाओं को मिल जाने के कारण अधिवेशन के समय पैसा फण्ड या स्थायी-कोष के लिये दान में पुनरुक्ति होना कठिन हो जाता है और इस प्रकार सम्मेलन के आय में कमी पड़ने से उसके उद्देश्यों की पूर्त्ति में कठिनाई उपस्थित होने का भय है।

परीक्षा-समिति

परीक्षा-समिति का कार्य विवरण आप पढ़ कर अनुमान कर सकते हैं कि वह कितनी शीघ्रता से अपने कार्यों को अग्रसर कर रही है। प्रथम वर्ष प्रथमा में २७ परीक्षार्थियों ने शुल्क भेजा था, दूसरे वर्ष प्रथमा में १६६ और मध्यमा में ४७ परीक्षार्थियों ने शुल्क भेजा और इस वर्त्तमान वर्ष की प्रथमा में लगभग ४५० मध्यमा में लगभग १०० और उत्तमा में ३ के शुल्क आये हैं। इस आशातीत उन्नति को देख कर हम उसके कार्यकर्त्ताओं को धन्यवाद देते हुये अपनी गवर्नमेण्ट का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहते हैं कि वह देखे तो कि देश को हिन्दी परीक्षाओं की कितनी अधिक आवश्यकता है और उसकी पूर्त्ति वह योग्यता-परीक्षा को शीघ्र प्रचलित करके कर सकती है।

लिङ्ग-विचार-समिति

इसी अङ्क में लिङ्ग-विचार-समिति के संयोजक जी की रिपोर्ट और लिङ्गानुशासन सम्बन्धी कुछ नियमों को—जो समिति द्वारा सम्मेलन को प्राप्त हुए हैं आप पढ़ेंगे। इस में कोई सन्देह नहीं कि ये नियम अभी सम्पूर्ण नहीं हैं और जनता की सम्मति के लिये प्रकाश किये गये हैं तथा इतना हम कह देना उचित समझते हैं कि हिन्दी व्याकरण की पुस्तकों के साथ इसे परिशिष्ट रूप से लगा देना चाहिये और हम आशा करते हैं कि हिन्दी के विद्वद्गण इस पर अपनी शीघ्र सम्मति देकर सप्तम-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर एक सुन्दर 'लिङ्गानुशासन' तैयार कराके

हिन्दी व्याकरण के आवश्यक अङ्ग की पूर्ति करने में सहायक होंगे। संयोजक जी ने इसके सम्पादन करने में जो परिश्रम किया है उसके लिये हम उनको हिन्दी-संसार की ओर से धन्यवाद देते हैं।

अन्य उपसमितियाँ

एक दर्जन के ऊपर हमारी उपसमितियों की सङ्ख्या है। उनमें से परीक्षा-समिति, वर्णविचार-समिति, लिङ्ग-विचार-समिति, हिन्दीयोग्यता-परीक्षाक्रमनिर्धारिणी-समिति और नियम संशोधनीसमिति ये ५ उपसमितियों के कार्य तो दृष्टिगोचर हुए हैं किन्तु शेष उपसमितियों की सूचना तो कभी मिल जाती है कि कार्य हो रहा है किन्तु जिन आवश्यक कार्यों के लिये वे बनायी गयी हैं उनकी पूर्ति की तो बात ही दूर है उनके लिये कार्यारम्भ भी सुना नहीं गया है। प्रधान मन्त्री जी के पत्र द्वारा हमें ज्ञात हुआ है कि कुछ उपसमितियों के कार्य हो रहे हैं किन्तु हमें खेद है कि 'समालोचक-समिति' जैसी प्रतिदिन काम करने वाली उपसमिति अब तक अपने हाथों में कोई काम नहीं लिया है। हम आशा करते हैं कि उसके संयोजक पण्डित रामजीलाल शर्म्मा इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

उपसमिति और स्थायी-समिति

उपसमितियों से काम लेना स्थायीसमिति का कार्य है किन्तु इस ओर वह क्या कर रही है ज्ञात नहीं है। अब तक हमें यह भी ज्ञात नहीं हुआ कि जो रिपोर्ट वर्णविचार-समिति की तैयार हुई थी उस पर स्थायीसमिति ने क्या कार्य किया है और हम प्रार्थना करते हैं कि वह उपसमितियों के बहुमूल्य परिश्रम से तैयार की हुई रिपोर्ट से लाभ उठाने में विलम्ब न करे और अपने प्रस्तावानुसार उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया करे।

पत्रिका

जिस समय कागज के अकाल से पत्र बन्द हो रहे हैं अथवा अपना रङ्ग बदल रहे हैं उस समय भी सम्मेलन-पत्रिका आपकी

यथापूर्व सेवा करने के लिये प्रस्तुत है किन्तु प्रेस के प्रभाव से उसके सञ्चालकों को लज्जित होकर कहना पड़ता है कि हमें इस बार भी ७-८ की सम्मिलित सङ्ख्या निकालते हैं और अब प्रेस बदल दिया गया है अतएव पूर्ण विश्वास है कि पत्रिका पाठकों की सेवा में अब से ठीक समय पर पहुँचा करेगी।

अभ्युदय कम्पनी लिमिटेड

पत्रिका के पाठकों को भली भाँति विदित है कि बहुत दिनों से यह शुभसमाचार हिन्दी-संसार को सुनाई दे रहा था कि माननीय मालवीय जी ने जो अभ्युदय रूपी कल्पवृक्ष लगाया है उसे वे सर्वसाधारण को सौंपा चाहते हैं। हर्ष की बात है कि यह शुभ समाचार कार्यरूप में परिणत हो गया है और अभ्युदय, एक कम्पनी बना कर उसको दे दिया गया है। कम्पनी की रजिष्ट्री हो गयी। मूल धन २५००) और उसके प्रत्येक शेर १०) के हैं। प्रति शेर ५) प्रथम देना होगा। डाइरेक्टरों में बड़े बड़े विश्वासपात्र और योग्य पुरुष हैं अतएव अन्य कम्पनियों के समान इसमें कोई गड़बड़ी का भय नहीं है। हम आशा करते हैं कि देशहितैषी हिन्दी प्रेमी जन अपने देश के अभ्युदयकारक अभ्युदय के शेर खरीद कर अपना गौरव बढ़ावेंगे।

म्युनिसपेलिटी का प्रमाद

प्रयाग की म्युनिसपेलिटी के हिन्दी-प्रेम का नमूना हमने किसी अङ्क में उसके प्रेस में हिन्दी टाइपों के अभाव द्वारा दिखलाया था; आज हम उसके दूसरे प्रमाद का नमूना दिखलाते हैं। सिविल लैंड्स में सड़कों पर उनके नाम दिये हुए हैं और उनमें हिन्दी (अशुद्ध ही सही) को भी स्थान दिया गया है; क्योंकि साहब लोगों का काम कदाचित् हिन्दी के विना कठिनता से चलता ? परन्तु शहर में जो सड़कों के नाम तख़्तियों पर लगाये गये हैं उनमें सुन्दर अङ्ग्रेजी अक्षरों ही को स्थान मिला है; क्योंकि शहर की जनता कदाचित् अङ्ग्रेजी ही जानती है? उसे तो हिन्दी का ज्ञान ही नहीं है! क्या ही अन्धेर है नहीं नहीं प्रमाद है कि जो तख़्तियाँ सर्वसाधारण की सुविधा के लिये लगाई गई है उनमें सर्वसाधारण के परिचित

नागराक्षरों को स्थान नहीं दिया गया है। हम आशा करते हैं कि हमारे माननीय मालवीय जी के सुपुत्र पण्डित रमाकान्त मालवीय इस प्रश्न को म्युनिसपेलिटी में उठावेंगे और उसके इस प्रमाद को दूर कराने की चेष्टा करेंगे।

राष्ट्रभाषा के लिये राष्ट्रमिति

सं० पत्रिका भाग ३ सं० २–३ में श्रीयुक्त पं० धर्मनारायण द्विवेदी जी का एक विस्तृत लेख राष्ट्रमिति के सम्बन्ध में छपा था। उसके उत्तर में पत्रिका की गत सङ्ख्या में श्रीयुत पं० राधावल्लभ ज्योतिषाध्यापक–कलकत्ता (कालेज) का एक लेख 'सौर मासों की प्रधानता' शीर्षक छपा है और इन अङ्कों में भी श्रीयुत पण्डित रामदत्त ज्योतिर्विद् का "राष्ट्रमिति एवं सौर मास" शीर्षक लेख छपा है। यह आवश्यक और गम्भीर विषय है इसलिये हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे इस पर विचार करें और अपनी अपनी सम्मति पत्रिका में प्रकाश के लिये भेजें। हम आशा करते हैं कि श्रीमान् पं० धर्मनारायण द्विवेदी जी भी पर पुनः विचार करेंगे और इस विषय पर अपनी अन्तिम सम्मति देने की कृपा करेंगे।

———

सम्मेलन-पत्रिका के नियम

१—यह पत्रिका सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग से प्रतिमास प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक मूल्य १) रु० इस लिये रक्खा गया है कि सर्वसाधारण इसके ग्राहक हो सकें।

२—अभी इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे। आवश्यकता होने पर पृष्ठ सङ्ख्या बढ़ा भी दी जाया करेगी। आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्यिकों को रुचिकर हुई, और ग्राहकों की यथोचित सङ्ख्या हो गयी तो अधिकतर पृष्ठ-सङ्ख्याओं में और अधिकतर उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी।

३—प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र और रुपये आदि तथा सम्पादन सम्बन्धी पत्र पुस्तकें परिवर्त्तन के पत्रादि सब "मन्त्री, सम्मेलन कार्य्यालय, प्रयाग" के नाम आने चाहियें।

विज्ञापन छपाई के नियम

६ मास अथवा उससे अधिक दिनों के लिये

	१ पृष्ठ,	आधा पृष्ठ	और चौथाई पृष्ठ के
कवर पेज पर	५)	३)	२)
साधारण पेज पर	४)	२॥)	१॥)

विशेष बातें जाननी हों तो मन्त्री जी से पूछिये

क्रोड़पत्र बँटाई के नियम

आधा तोला तक अथवा इससे कम के लिये ... १०)

१ तोला के विज्ञापन के लिये ... ... १२)

मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

नोट—विज्ञापन के ऊपर यह छपा होना चाहिये कि अमुक मास की "सम्मेलन-पत्रिका" का क्रोड़पत्र और उसमें यथोचित समाचार भी होने चाहियें।

स्वामी सत्यदेव जी

की

प्रथम पुस्तक

मेरी कैलाश-यात्रा

हिमालयल के श्वेतभवन की छटा देखिये
श्री कैलाश जी के भव्यमन्दिर के दर्शन कीजिये
मानसरोवर स्नान का पुराय सञ्चय करिए
तिब्बतियों का रहन सहन जानिये

अपूर्व पुस्तक है। दाम आठ आने।

दूसरी पुस्तक

शिक्षा का आदर्श

शिक्षा सम्बन्धी समस्या को हल करती है
नया जीवन प्रदान करती है

इस पुस्तक का घर घर प्रचार करने की आवश्यकता है। कृपया अपने मित्रों में इसका प्रचार बढ़ाइये। मूल्य पाँच आने।

प्रार्थी—

मैनेजर, सत्य-ग्रन्थ-माला, जानसेनगञ्ज, इलाहाबाद।

पं० सुदर्शनाचार्य्य बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से पं० रामकृष्ण शर्म्मा द्वारा प्रकाशित।

Reg. No. A 629

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

की

मुखपत्रिका

भाग ४ } पौष, संवत् १९७३ { अङ्क ४

विषय-सूची

वा० मू० १)] [मूल्य ।)

सम्पादक—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी।

सम्मेलन के उद्देश्य

(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गों की उन्नति का प्रयत्न करना।

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश-व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना।

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना।

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्व-विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-समूहों तथा व्यापार जमींदारी और अदालतों के कार्य्यों में देवनागरी-लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना।

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारितोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना।

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना।

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्त्तमान संस्थाओं की सहायता करना।

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना।

(९) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी पुस्तकें तैयार कराना।

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जाँय उन्हें काम में लाना।

सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना और साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये सहयोग लेना।

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित

भाग ४ | पौष, संवत् १९७३ | अङ्क ४

राष्ट्रभाषा और संस्कृतज्ञ

(लेखक—शारदा-सम्पादक साहित्याचार्य पं० चन्द्रशेखर शास्त्री)

आवश्यकता ने देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभाषा का महत्व प्रकाशित किया। देशवासियों के हृदयों में जो लहर उठी वह फैली, और समस्त देश को प्लावित करने के लिए वह आगे बढ़ी। देश के समस्त दूरदर्शी विचारवानों ने इस विचार का स्वागत किया। राष्ट्रभाषा की आवश्यकता सब ने स्वीकार की। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि वह पद हमारी मातृभाषा को ही मिला।

इसके लिए कुछ उत्साही विद्वान प्रयत्न करने लगे, इस भाव को भारतीय विद्वानों के हृदयों में भर देने के लिए प्रसन्न करने लगे। उनका उद्देश्य है कि वे इसकी उपयोगिता लोगों को बतलावें, जिससे वे भी राष्ट्रभाषा की सेवा के लिए खड़े हो जायँ, जिससे वे भी अपना ज्ञान राष्ट्रभाषा में भर दें। इसके लिए चारों ओर प्रयत्न हो रहा है और इसीके फल स्वरूप हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष राष्ट्र-भाषा के भाण्डार में नये नये रत्न रखे जाते हैं, नये नये आभूषण रखे जाते हैं। आभूषणों और रत्नों के रखने के लिए नयी नयी

पिटारियां बनवायी जाती हैं। आज भारत का प्रायः समस्त प्रान्त इन पिटारियों से सुशोभित है, और इन पिटारियों में प्रति वर्ष नये नये चमकीले और बहुमूल्य रत्न रखे जाते हैं। जिसे देख हमें और हमारे समान दूसरों को भी आनन्द होता है।

यह है सरस्वती देवी की आराधना। इसमें धनी गरीब का भेद नहीं, और बी० ए० एम्० ए० का बखेड़ा नहीं। जिसके हृदय में भाव है और मातृ प्रेम है, उसीके लिए द्वार खुला है, वह अपना नैवेद्य अर्पण कर सकता है। न तो यहाँ नवीनों से प्रेम है और न प्राचीनों से द्वेष, न धनियों की खुशामद और न गरीबों को दुतकार सभी माता सरस्वती के आराधक हैं, सभी अपना प्रेममय उपहार माता के चरणों में अर्पण करने के लिए आये हैं। सभी का एक लक्ष्य है, सभी का एक स्वार्थ है, यह एक आनन्दमय दशा है जिसका अनुभव हृदय वाले करते हैं।

अतएव जब हम मातृमण्डप में जाते हैं उस समय समस्त बाह्य भावनाओं को भूल कर मातृ-प्रेमियों को गले गले मिलते देखते हैं। हिन्दू मुसलमान पार्सी इत्यादि सभी एक ही राग अलापते हैं, एक ही गान गाते हैं, विहार का शब्द सिन्ध में सुनायी देता है। लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, यह अनहोनी क्यों होती है, इसका उत्तर केवल यही है कि वे अपना कर्तव्य पहचानते हैं। उनको कर्तव्य पालन का महत्त्व मालुम है, कर्तव्य ही की यह सब करामात है।

ऐसी दशा में यह कहना कि अमुक मनुष्य ने मातृसेवा नहीं की, अमुक समाज इस पवित्र कार्य में भाग नहीं लेता, एक प्रकार की अल्पज्ञता से भरी दूकानदारी है। माता की सेवा करना पवित्र कार्य है इसमें सन्देह नहीं ऐसा कौन हतभागी होगा जो मातृसेवा के द्वारा अपने जन्म को सार्थक करना न चाहेगा। तथापि सच-मुच यदि ऐसा कोई मनुष्य है, यदि ऐसा कोई समाज है तो उसके लिए किसी बड़े कारण का होना आवश्यक है। विना किसी बाधक कारण के हुए अपने कल्याण की उपेक्षा करने वाला सम्भवतः मनुष्य जन्म नहीं पाता। फिर उलहना काहे का। ऐसी दशा में

भी यदि कोई उलहना दे तो उसका प्रधान उद्देश्य यही समझा जाता है कि वह दूकानदार की चालें चल रहा है, पर उसमें बुद्धिमानी की मात्रा कम है। वह उस मनुष्य अथवा समाज को जनता की आंखों से गिराना चाहता है, उसका यह प्रयत्न इस लिए नहीं है कि वह मनुष्य या समाज सचमुच हेय है किन्तु वह उसको हेय सिद्ध कर स्वयं उच्च पद पाना चाहता है। ऐसे प्रयत्न को अल्पज्ञता भरी दुकानदारी नहीं कहा जाय तो और क्या कहा जाय।

कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रभाषा की सेवा में संस्कृतज्ञ समाज ने भाग नहीं लिया। इसका उत्तर तार्किक दृष्टि से ऊपर दिया गया है। वह समाज इस पवित्र कार्य में भाग नहीं लेता, जाने दीजिये आपसे मतलब, आप यदि इस कार्य को उत्तम समझते हैं, करते जाइए, फल आपको मिलेगा। माता की प्रसन्नता के पात्र आप बनेंगे, दूसरों से आपका क्या मतलब, दूसरा अच्छा काम करता है उसका फल उसीको मिलेगा और बुरा काम करेगा उसका दुखदायी फल उसीको मिलेगा। पर आप ऐसा क्यों समझें अथवा करें, आपके हृदय में तो कोई और ही भाव काम कर रहा है। आपकी इस बात में केवल दूकानदारी ही होती तो उसे मानसिक विकार समझ कर हम उपेक्षा कर देते, पर अल्पज्ञता भी है। क्योंकि आपकी इन बातों को सुनकर लोग वैसा नहीं समझते जैसा आप समझाना चाहते हैं। लोगों के सामने आपकी आलस्यमूर्ति तथा अहङ्कार का विशाल स्वरूप प्रकट हो जाता है। इस बात को अधिक विस्तृत करना उचित नहीं, समझ लीजिए।

कुछ लोगों को एक रोग होता है, उस रोग का नाम तो कोई वैद्य ही बतला सकता है, पर मैं उसका फल बतलाता हूं। जिस मनुष्य को वह रोग हो जाता है वह मनुष्य देख कर भी नहीं देखता। जो वस्तु सामने रखी रहती है, जिसे वह देखता रहता, पर आश्चर्य है कि वह नहीं देखता। जो लोग कहते हैं कि राष्ट्रभाषा की सेवा संस्कृतज्ञों ने नहीं की—अवश्य ही उनको भी यह रोग हो गया है, अथवा वे राष्ट्रभाषा के मण्डप में कभी आये ही नहीं ये ही

दो कारण हो सकते हैं। मैं कुछ परिडतों का नाम लिख देना चाहता हूं जो आज भी राष्ट्रभाषा की सेवा में लगे हुए हैं।

पं० गोविन्दनारायण मिश्र।

पं० भीमसेन शर्म्मा, (सम्पादक ब्राह्मण सर्वस्व)

पं० सकलनारायण पाण्डेय व्याकरण काव्यतीर्थ व्याकरणाध्यापक संस्कृत कालेज कलकत्ता (शिक्षा सम्पादक)

पं० इन्द्रनारायण जी द्विवेदी (सम्मेलन-पत्रिका सम्पादक)

पं० प्यारेलाल दीक्षित (मनोरमा सम्पादक)

पं० पद्मसिंह जी शर्म्मा (भारतोदय सम्पादक)

पं० गिरिधर शर्म्मा (नवरत्न)

पं० गिरिधर शर्म्मा व्याकरणाचार्य्य न्यायशास्त्री (ब्रह्मचारी-सम्पादक)

पं० जीवानन्द शर्म्मा काव्यतीर्थ (कमला सम्पादक)

पं० जगन्नाथ दास अधिकारी विशारद (श्रीवैष्णव सम्पादक)

मेरे ज्ञान की परिधि में इतने संस्कृतज्ञ आज भी राष्ट्र भाषा की सेवा में दत्त चित्त हैं, इनसे जो कुछ बनता है वह करते जाते हैं। स्वर्गीय भट्ट जी भी संस्कृतज्ञ ही थे, पं० ज्वालाप्रसाद जी भी संस्कृतज्ञ ही थे। हे महाशय, इन सब सज्जनों को देख कर भी यदि आप न देखें तो इसमें संस्कृतज्ञ विचारों का क्या दोष है। आप ही कहें।

संस्कृतज्ञ अपना कर्तव्य समझ कर जो कुछ करते हैं। वे किसी से अपनी बड़ाई सुनने के अभिलाषी नहीं हैं। क्योंकि कर्तव्यशीलों को इन बातों की परवाह ही नहीं होती। पर आप तो अपनी अल्पज्ञता प्रकाशित न करें।

हे संस्कृत के परिडत गण, आप माता की आराधना में लगे रहें, कोई देखे चाहे न देखे, आप वैद्य तो हैं नहीं कि इस रोग की दवा करेंगे। आप अपना काम करते जायँ। जिस प्रकार बने सरस्वती माता के भाण्डार को रत्नों से भर कर समुज्ज्वल बना दीजिए। यही आपका कर्तव्य है। कर्तव्य के लिए पारितोषिक नहीं है।

———

परीक्षा-समिति का वार्षिक विवरण

(सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन जबलपुर में पढ़ा गया)

आज मैं परीक्षा समिति की ओर से परीक्षा समिति का तीसरा वार्षिक विवरण उपस्थित करता हूं। छठे सम्मेलन में द्वितीय वार्षिक विवरण उपस्थित करते हुए जिन जिन कठिनाइयों का वर्णन मैंने किया था वही इस वर्ष भी परीक्षा समिति के सामने रहीं और परीक्षा-सम्बन्धी प्रबन्ध का जो काम इतने दिनों तक किया गया है उसमें त्रुटियाँ अवश्य रही हैं फिर भी सब बातों के ऊपर ध्यान देकर देखने से कहा जा सकता है कि उन्नति सन्तोष जनक रही।

परीक्षा-समिति और उसके अधिवेशन

गत सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास हुआ था कि परीक्षा-समिति में ११ सदस्य रहेंगे जिनमें से कम से कम ७ स्थायी-समिति के सदस्य रहेंगे। इसीके अनुसार इस वर्ष परीक्षा-समिति का निर्वाचन हुआ और ८ स्थायी-समिति के सदस्यों के अतिरिक्त प्रो० ताराचन्द एम्० ए०, प्रो० हीरालाल खन्ना एम्० एस-सी० और श्रीयुत चन्द्रमौलि शुक्ल एम्० ए० परीक्षा-समिति के सदस्य चुने गये। इन तीनों सज्जनों ने परीक्षा-समिति के कार्य में अत्यन्त उत्साह से योग दिया। इनकी विद्वत्ता से समिति को बड़ी सहायता मिली। पं० श्रीकृष्ण जोशी और बाबू श्यामसुन्दरदास बी० ए० का भी परीक्षा-समिति में निर्वाचन हुआ। शेष ६ सदस्य वेही हैं जो गत वर्ष परीक्षा-समिति में थे। परीक्षा-समिति के कुल ८ अधिवेशन हुए प्रत्येक अधिवेशन में प्रयाग के सभी सदस्य उपस्थित रहे परन्तु बाहर के सदस्य एक या दो ही उपस्थित हुए। परन्तु तब भी प्रायः प्रत्येक महत्त्व के विषय में उनकी सम्मति लेख द्वारा आती रही। जैसी आशा की जाती है यदि वैसी ही उन्नति परीक्षाओं में होती रही तो बाहर के सदस्यों का अधिवेशन में बुलाने के लिए एक आध वर्ष में ही रेल खर्च देना पड़ेगा। इन अधिवेशनों में परीक्षा-सम्बन्धी प्रबन्ध कार्यों के अतिरिक्त १९७४, १९७५ की प्रथमा मध्यमा और उत्तमा परीक्षाओं के पाठ्य विषय, पाठ्य पुस्तकें नियत की गयीं। १९७५ के पाठ्य विषय और पाठ्य पुस्तकें नियत करके विवरण पत्रिका में प्रकाशित कर देना इस लिए आवश्यक

समझा गया कि परीक्षार्थियों को पुस्तकें एकत्रित करने और विषय तैयार करने के लिये यथेष्ट समय मिल जाय। पुस्तक प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेताओं को पुस्तकें प्रकाशित करने और बेचने के लिये इकट्ठा करने का समय मिल सकेगा। समिति के नियमों तथा उपनियमों पर विचार करके उपनियमों का यथोचित संशोधन किया और नियमों में संशोधन के लिये प्रस्ताव नियम संशोधनी-समिति को भेज दिया। विभाग तथा वर्ग और वर्गियों के निर्वाचन के लिये नये नियमों का निर्माण किया और उन उपनियमों के अनुसार विभाग-मन्त्री वर्ग-संयोजक और वर्गियों का निर्वाचन किया। ये वर्गी १९७६ और १९७७ की परीक्षाओं के लिये पाठ्य विषय और पाठ्य पुस्तकें और जो अन्य आवश्यक परिवर्तन उचित समझेंगे परीक्षा समिति को प्रस्ताव रूप में सूचना देंगे। इनमें हिन्दी विद्वान् चुने गये हैं जिनसे सहायता की पूरी आशा है।

संवत् १९७४ और १९७५ की प्रथमा के परीक्ष्य विषयों में अरायज़ नवीसी तथा मुनीबी के नियम भी जोड़ दिये गये हैं।

पुस्तकों का चुनाव

परीक्षा-समिति के पास अभी इतना धन नहीं है कि हिन्दी में प्रत्येक विषय की अच्छी अच्छी पुस्तकों का संग्रह करके एक बृहत् पुस्तकालय का निर्माण करे। हिन्दी के अधिकांश पुस्तक-प्रकाशक अभी सम्मेलन पर यह कृपा नहीं करते कि प्रकाशित पुस्तकों की एक प्रति सम्मेलन कार्यालय में भी भेज दें जिससे विना बहुत खर्च के परीक्षा-समिति को पुस्तक चुनते समय अच्छी अच्छी किताबें देखने को मिल जायँ। जब तक परीक्षा-समिति के पास बृहत् पुस्तकालय नहीं होगा तब तक पुस्तकों का चुनाव सर्वथा श्रेष्ठ नहीं हो सकेगा। फिर भी इस कठिनाई से बचने के लिये परीक्षा-समिति ने परीक्ष्य विषयों को (१) विज्ञान (२) साहित्य, इन दो विभागों में बाँट कर प्रत्येक विषय में अलग अलग वर्ग और एक एक विषय का एक एक वर्ग संयोजक चुना है। विभाग मन्त्री अपने विभाग के सम्बन्ध में विभाग के सदस्यों की राय लेकर, जिस नीति का अवलम्बन करना चाहिए उसका परीक्षा-समिति को परामर्श देगा। वर्ग संयोजक

वर्गियों से राय लेकर अपने विषय के लिए पाठ्य-पुस्तकें चुन कर परीक्षा-समिति को देगा इस प्रकार परीक्षा-समिति को अनेक विद्वान् और अनुभवी सज्जनों से सहायता मिलती रहेगी। विभाग-मन्त्री हिन्दी में प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की सूची बनाते रहेंगे। जिसकी प्रतिलिपि परीक्षा को भेजेंगे और समय समय पर परीक्षा-समिति को किताबें मोल लेने का परामर्श देते रहेंगे। इसमें सन्देह नहीं कि जो काम पुस्तकालय से निकल सकता है वह इस प्रकार पूरा न हो सकेगा। फिर भी कुछ सहायता पुस्तक चुनने में अवश्य पहुंचेगी।

उत्तमा परीक्षा के विषयों में हिन्दी भाषा की उपर्युक्त पुस्तकों के न होने के कारण अन्य भाषा की पुस्तकों से परीक्षार्थियों को काम लेना पड़ेगा। कहा जा सकता है कि ऐसे विषयों को उत्तमा परीक्षा में न रखना चाहिए जब तक हिन्दी भाषा में उत्तमा परीक्षा की कोटि की पुस्तकें छप न जायँ परन्तु इस पर पूर्ण विचार करके परीक्षा-समिति ने इस नीति का अवलम्बन किया है। जब तक हिन्दी भाषी सब विषयों को अन्य भाषाओं में पढ़ेंगे नहीं तब तक पुस्तकों का लिखा जाना कठिन है। सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त विद्वानों का इस ओर ध्यान नहीं है। जब हमारे विशारद इन विषयों को पूर्ण रीति से अन्य भाषाओं द्वारा पढ़ लेंगे तब हम आशा कर सकते हैं कि ऊँचे ऊँचे कोटि की और कठिन से कठिन विषय की पुस्तकें लिखी जाने लगेंगी क्योंकि उत्तमा में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्ष्य विषय की २०० पृष्ठ की पुस्तक लिखनी पड़ेगी और उत्तर पुस्तक हिन्दी भाषा द्वारा लिखी जायगी।

गत वर्ष की परीक्षाएँ

सं० १९७३ में पहले पहल उत्तमा परीक्षा हुई, हिन्दी-साहित्य तथा इतिहास में एक एक विशारद सम्मिलित हुए परन्तु १९७३ की विवरण पत्रिका उनकी परीक्षा से केवल छः मास पहले प्रकाशित हुई। इस कारण उनको विषय तैयार करने के लिये बहुत कम समय मिला इस लिए इस वर्ष उत्तमा परीक्षा में कोई परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं हुआ।

१९७३ की मध्यमा परीक्षा में ८६ आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से ४९ परीक्षा में सम्मिलित हुए और ३ प्रथम श्रेणी में तथा २२ द्वितीय श्रेणी में, कुल २५ उत्तीर्ण हुए।

सं० १९७२ में ४६ आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से केवल १७ परीक्षा में सम्मिलित हुए। जिनमें से ९ प्रथम श्रेणी में और ४ द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। संवत् १९७२ में प्रति सैकड़ा ३७ परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और इस वर्ष ५८।

इस वर्ष की प्रथमा में ३७३ आवेदन पत्र आये और २२८ परीक्षार्थी सम्मिलित हुए १२४ उत्तीर्ण हुए प्रथम श्रेणी में ३७, द्वितीय में ५० और तृतीय में ३७।

सं० १९७१ में २८ आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से २० परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। १९७२ में १७३ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिन में ९४ परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। ७२ में प्रति सैकड़ा ५४ सम्मिलित हुए थे और ७३ में ५८ सम्मिलित हुए थे।

इससे प्रतीत होता है कि गत वर्ष से इस वर्ष आवेदन पत्रों की सङ्ख्या लगभग मध्यमा में दुगुनी और प्रथमा में २॥ गुनी हुई यह उन्नति सन्तोष ज़नक है। सं० १९७२ में ५८ उत्तीर्ण हुए। इस रूप से परीक्षाओं में इस वर्ष जो उन्नति हुई वह इस विवरण से मालूम हो जाती है। यह विदित होता है कि परीक्षाएँ दिन पर दिन लोकप्रिय होती जाती हैं।

परीक्षा में देवियाँ

इस वर्ष की मध्यमा परीक्षा में ३ देवियाँ सम्मिलित हुईं जिन में से २ उत्तीर्ण हुईं १ प्रथम श्रेणी और १ द्वितीय श्रेणी में। १९७२ में कोई देवी मध्यमा में सम्मिलित नहीं हुई थी।

इस वर्ष की प्रथमा परीक्षा में १३ देवियाँ सम्मिलित हुईं जिनमें से १० उत्तीर्ण हुईं। प्रयाग की आर्यकन्या-पाठशाला ने हमारी सम्मेलन परीक्षाओं के विषय पढ़ाने का विशेष प्रबन्ध किया है और इसीलिये ९ कन्याएँ आर्यकन्या-पाठशाला प्रयाग से सम्मिलित हुईं। इस प्रबन्ध के लिये मैं परीक्षा-समिति की ओर से पाठशाला के सञ्चालकों को

धन्यवाद देता हूं। दिल्ली में ३ कन्याएँ हमारी परीक्षा में सम्मिलित हुई थीं। हम आशा करते हैं कि प्रयाग की तरह दिल्ली तथा अन्य स्थानों की कन्या पाठशालायें इन परीक्षाओं के लिए उचित प्रबन्ध करेंगी।

परीक्षा में मुसलमान और ईसाई

इस वर्ष २ मुसलमान जिनमें एक उत्तीर्ण हुआ है और एक ईसाई प्रथमा परीक्षा में सम्मिलित हुए थे जिससे आशा होती है कि धीरे धीरे इन जातियों में भी हिन्दी भाषा के ज्ञाता विद्वान हो जाँयगे और रहीम खानखाना जैसे मुसलमान हिन्दी-कवि भारतवर्ष में जन्म लेकर हिन्दी भाषा के सौन्दर्य्य को बढ़ायेंगे।

सम्मेलन का उद्देश्य है कि हिन्दी भारतवर्ष के कोने कोने में इस प्रकार फैला दे जिसमें भावी राष्ट्र के निर्माण में हिन्दी भाषा पूरी तरह से योग दे सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये परीक्षायें ली जाती हैं।

परीक्षा-निरीक्षक तथा व्यवस्थापक

परीक्षा-समिति के पास अभी इतना धन नहीं है कि परीक्षकों निरीक्षकों तथा व्यवस्थापकों को कुछ भी पुरस्कार दे सके। इस वर्ष भी हिन्दी-प्रेमी विद्वानों ने उसी उत्साह तथा योग्यता से परीक्षकों का काम किया जैसे गत वर्ष अतः ये सब परीक्षा-समिति के धन्यवाद के पात्र हैं। विना परीक्षकों की सहायता के परीक्षा-समिति किसी प्रकार भी परीक्षायें नहीं ले सकती थी। परीक्षार्थियों की संख्या इतनी अधिक होने पर भी परीक्षकों ने परीक्षा-फल भेजने में बहुत समय नहीं लगाया। जिस चाल से परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ रही है यदि यही चाल दो वर्ष तक रही तो हमारे परीक्षकों को और भी कष्ट उठाना पड़ेगा। परन्तु विश्वास है कि हिन्दी प्रेमी विद्वान इसी प्रकार समिति की सहायता करते रहेंगे। परीक्षा-शुल्क इतना कम है कि इसमें से परीक्षकों को पुरस्कार देना नितान्त असम्भव है और परीक्षाओं को सर्व साधारण में फैलाने के लिए यह अच्छा होगा कि परीक्षा-शुल्क अधिक न बढ़ाया जाय।

इस वर्ष मध्यमा परीक्षा के लिये १३ नये केन्द्र बनाये गये कुल २३ केन्द्र हुये। प्रथमा के लिए १६ नये केन्द्र बने कुल २६ हुये। जो इतने नये केन्द्र बनाये गये इन के निर्माण से परीथियों को बड़ी सुविधा हुई। परीक्षा-समिति के पास अभी तक कोई निरीक्षक अथवा उपदेशक नहीं है जो स्थान स्थान पर जाकर नये केन्द्रों के खोलने का प्रबन्ध करे। इस काम के लिए परीक्षा-समिति हिन्दी प्रेमियों के ही सहारे है और जहाँ कोई हिन्दी प्रेमी-परीक्षा के प्रबन्ध का भार अपने ऊपर ले लेता है वहाँ केन्द्र बना दिये जाते हैं। केन्द्रों में परीक्षा का पूरा प्रबन्ध व्यवस्थापकों को ही करना पड़ता है। परीक्षा-समिति केन्द्रों के प्रबन्ध में व्यवस्थापकों को कोई सहायता नहीं दे सकती। यह काम हिन्दी प्रेमियों के लिए अभी नया है इस लिए कहीं कहीं पर कुछ त्रुटियों का रह जाना सम्भव है परन्तु एक आध वर्ष के अनुभव के बाद और जब समिति केन्द्रों के निरीक्षण के लिए कुछ प्रबन्ध कर सकेगी तब पूर्ण आशा है कि प्रबन्ध सर्वथा पूर्णतया दोष रहित होगा। व्यवस्थापक और निरीक्षक अपने हिन्दी-प्रेम के कारण ही अवैतनिक काम करते हैं। और परीक्षा-समिति इनको धन्यवाद के अतिरिक्त कोई पुरस्कार नहीं दे सकती। यदि और और स्थानों पर परीक्षा-समिति को परीक्षा प्रबन्ध के लिये हिन्दी-प्रेमी सज्जन व्यवस्थापक मिलते गये तो शीघ्र ही विहार, मध्य प्रदेश और राजपूताने में कम से कम दश दश नये केन्द्र आगामी वर्ष बन सकेंगे। छठें साहित्य-सम्मेलन में जिस प्रकार उपस्थित प्रतिनिधियों से सहायता की प्रार्थना की थी उसी प्रकार इस वर्ष उपस्थित प्रतिनिधियों से प्रार्थना है कि वे अपने अपने नगर में इन परीक्षाओं का केन्द्र बनवा दें जिससे परीक्षार्थियों को सुभीता हो जाय।

उत्तर पुस्तकें

इस वर्ष की उत्तर पुस्तकों पर परीक्षकों ने जो आलोचना की है उसका सारांश यह है। मध्यमा के साहित्य और इतिहास के विषय में कुछ वक्तव्य नहीं है। विज्ञान और गणित में गत वर्ष की अपेक्षा उन्नति हुई है परन्तु अर्थशास्त्र दर्शन और धर्मशास्त्र में

परीक्षकों को असन्तोष रहा। प्रथमा के सब ही विषयों में उन्नति हुई विशेष कर विज्ञान में।

पदक और पुरस्कार

इस वर्ष जो परीक्षार्थी पदक तथा पुरस्कार के अधिकारी हुए हैं उनके नाम परिशिष्ट में दिये हैं।

छठे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में ५० से ऊपर पदकों की प्रतिज्ञा की गई थी इनमें से कुछ उत्तमा परीक्षा के लिये। परीक्षा-समिति के इनमें से अब तक १० ही पदक प्रतिज्ञा करने वालों से प्राप्त हुए हैं। अन्य प्रतिज्ञा करने वालों को कई कई पत्र लिखने पर भी कोई उत्तर न प्राप्त होने से चुप ही रहना पड़ा। पं० बालकृष्ण भट्ट तथा राय देवीप्रसाद स्मारक पदक के लिये अभी तक बहुत थोड़ा ही रुपया इकट्ठा हुआ है। इसी लिये मध्यमा तथा प्रथमा परीक्षाओं के लिये कोई स्वर्ण-पदक इस वर्ष नहीं है। अच्छा होता यदि कुछ स्थायी पदक परीक्षा-समिति के पास हो जाते तो परीक्षा-समिति प्रति वर्ष दिया करती। छोटे छोटे और एक वर्ष के लिये पदक न देकर यदि स्थायी-पदक के निर्माण का प्रबन्ध किया जाता तो अच्छा होता। जिन जिन सज्जनों ने पदक तथा पुरस्कार भेज दिये हैं वे धन्यवाद के भागी हैं।

हिन्दी-संसार की सहायता

परीक्षा-समिति-सम्मेलन के कई उद्देश्यों का ध्यान रखते हुए हिन्दी की जो सेवा कर रही है उसमें हिन्दी-संसार से यदि सहायता न मिलती तो इतनी सफलता भी प्राप्त होना कठिन था। हम विशेषतः हिन्दी के समस्त समाचार पत्रों तथा लेखकों के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने बराबर उदारता पूर्वक हमारी सूचनाओं को स्थान दिया है और अपनी सम्मतियों तथा टीका टिप्पणियों से समय समय पर सहायता की है। समालोचना पक्ष में हो वा विपक्ष में सदैव उन्नति का ही कारण होती है। और हम विशेषतः भूलों और त्रुटियों पर ध्यान न रख कर उनमें सुधार कर सकते हैं। इसी लिए हम अपने समालोचकों के भी उपकृत हैं। ग्रन्थकारों तथा प्रकाशकों को भी समिति के कार्यों का महत्त्व समझ में आने लगा है और ग्रन्थों की

रचना तथा प्रकाशन थोड़ा बहुत आरम्भ हो गया है इसके लिए वे लोग धन्यवादार्ह हैं। साथ ही हम अनेक ऐसे हिन्दी हितैषियों के कृतज्ञ हैं जो बिना हमारे लिये बिना हमारे कहे और बिना हमारे जाने हिन्दी के एक मात्र प्रेम से उत्तेजित होकर स्थान स्थान पर समय पर परीक्षा का प्रचार करते हैं।

इन अज्ञात हितैषियों में अनेक हमारे परीक्षार्थी हैं और बहुतेरे सभाओं, पुस्तकालयों तथा शिक्षालयों से सम्बन्ध रखने वाले सज्जन भी हैं उन सब सज्जनों को हम धन्यवाद का भाजन समझते हैं। इस बार सम्मेलन के सामने नियमों के परिवर्तन में हिन्दी द्वारा शिक्षा देने वाले एक विश्वविद्यालय की रचना भी प्रस्तुत है। यह एक बहुत बड़ा काम है उसके महत्त्व का वर्णन करना इस समय हमारा उद्देश्य नहीं है। परन्तु जिस अङ्कुर से यह विशाल वृक्ष पल्लवित होगा उसके सींचने वाले परीक्षा-समिति के मालियों के निर्बल हाथों से उसका यथेष्ट पालन पोषण हो सकेगा। इसकी आशा हमें कदापि न होती यदि हम यह न देखते कि हिन्दी माता के अनेक सुपुत्र आदि से ही सहायता करने में हमारा हाथ बटाने में उत्साह पूर्वक तत्पर हैं। अब तक इतनी उन्नति जिनके सहारे हुई उनसे अब भी आशा है कि और भी अधिक हमारी सहायता करते रहेंगे और परीक्षाओं को उत्तरोत्तर लोकप्रिय करते रहेंगे।

सप्तम वर्ष की स्थायी-समिति का प्रथम अधिवेशन

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की वर्तमान स्थायी-समिति का प्रथम अधिवेशन सम्मेलन-कार्यालय में मिति पौष कृष्ण १ सं० १९७३ ता० १०-१२-१६ रविवार को सन्ध्या-समय चार बजे निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ—

१ श्रीयुत साहित्याचार्य पं० चन्द्रशेखर शास्त्री प्रयाग
२ " पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल "

३	श्रीयुत	ठाकुर शिवकुमार सिंह	प्रयाग
४	"	पं० कृष्णकान्त मालवीय	"
५	"	पं० रामजीलाल शर्मा	"
६	"	बा० शिवप्रसाद गुप्त	काशी
७	"	पं० लक्ष्मीनारायण नागर	प्रयाग
८	"	बा० नवाब बहादुर	"
९	"	प्रोफेसर ब्रजराज	"
१०	"	बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन	"

सर्वसम्मति से श्रीयुत साहित्याचार्य्य पं० चन्द्रशेखर शास्त्री ने सभापति का आसन ग्रहण किया।

१—पिछले वर्ष की स्थायी-समिति के अन्तिम अधिवेशन का कार्य-विवरण पढ़ा गया और स्वीकार किया गया।

२—इस वर्ष परीक्षा-समिति के लिए निम्नलिखित सज्जन सदस्य चुने गये—

स्थायी-समिति के सभासदों में से

१	श्रीयुत	बा० श्यामसुन्दरदास बी० ए०	लखनऊ
२	"	बा० रामदास गौड़ एम्० ए	काशी
३	"	पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी	प्रयाग
४	"	पं० शुकदेव बिहारी मिश्र	छत्रपुर
५	"	बा० महावीरप्रसाद बी० एस्-सी० एल्० टी०	रायबरेली
६	"	पं० रघुवरप्रसाद द्विवेदी	जबलपुर

अन्य सज्जन

७	"	प्रो० ताराचन्द एम्० ए०	प्रयाग
८	"	श्रीप्रकाश एम्० ए०	काशी
९	"	पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी	कलिकत्ता
१०	"	बा० राजेन्द्रप्रसाद एम्० ए० एम्० एल्०	बाँकीपुर
११	"	बा० दुर्गाप्रसाद रावल एम्० ए०	इन्दौर

३—जबलपुर की मध्य-भारत नागरी-सभा का पत्र हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से सम्बद्ध होने के विषय में उपस्थित किया गया, सर्व-सम्मति से निश्चय हुआ कि सभा का सम्मेलन से सम्बन्ध किया जाय।

४—सम्मेलन के प्रबन्ध-मन्त्री ने निम्नलिखित सज्जनों के पत्र उपस्थित किये, जिनमें इन सज्जनों ने सम्मेलन के सदस्य होने की इच्छा प्रकट की है। निश्चय हुआ कि इन सज्जनों के नियमानुसार शुल्क आ जाने पर वे सम्मेलन के सदस्य समझे जायँ—

१	श्रीयुत	बा० शिवप्रसाद गुप्त, काशी		(स्थायी सदस्य)
२	"	गोविन्ददास, जबलपुर		(साधारण सदस्य)
३	"	पं० मन्नन द्विवेदी गजपुरी		"
४	"	बा० बापूलाल वर्म्मा ट्रेनिङ्ग कालेज, जबलपुर		"
५	सूबेदार	पं० मंगलप्रसाद द्विवेदी, हुशङ्गाबाद		"
६	"	पं० विनायकराव,	जबलपुर	"
७	"	बा० नाथूराम वकील	"	"
८	"	पं० रघुवरप्रसाद द्विवेदी	"	"
९	"	पं० लक्ष्मण कृष्ण पराड़कर	"	"
१०	"	बा० मनोहर कृष्ण गोलबालकर	"	"
११	"	पं० दयाशङ्कर झा वकील	"	"
१२	"	पं० गोबिन्दलाल पुरोहित	"	"
१३	"	पं० कामताप्रसाद गुरु	"	"

४—श्रीयुत गुरुनारायण खन्ना का नाम हितैषियों में सम्मिलित किया गया।

सभापति महोदय को धन्यवाद देकर अधिवेशन का कार्य समाप्त किया गया।

परीक्षा-समिति के प्रथम अधिवेशन का कार्य-विवरण

वर्तमान परीक्षा-समिति का प्रथम अधिवेशन मि० पौ० कृ० ८ सं० १९७३, ता० १७ दिसम्बर सन् १९१६ ई० को सम्मेलन-कार्यालय में सन्ध्या समय ३ बजे से निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ—

१	श्रीयुत	बा० पुरुषोत्तम दास टण्डन	प्रयाग
२	"	पं० लक्ष्मीनारायण नागर	"
३	"	पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी	"
४	"	बा० महावीरप्रसाद	रायबरेली
५	"	प्रो० ब्रजराज	प्रयाग

सङ्क्षिप्त कार्यवाही निम्नलिखित है

१—सुखलाल चवेर (मध्यमा परीक्षार्थी) के परीक्षा-फल पर विचार किया गया और निश्चय हुआ कि वे उत्तीर्ण किये जायँ।

२—निश्चय हुआ कि परीक्षा-समिति परीक्षार्थियों को प्राप्त अङ्क बताने के लिये बाध्य नहीं है।

३—निश्चय हुआ कि व्यवस्थापकों की नियुक्ति का विषय आगामी बैठक में उपस्थित किया जाय।

४—प्रथमा और मध्यमा परीक्षा के लिये निम्नलिखित परीक्षक नियुक्त किये गये।

प्रथमा के परीक्षक

सं० १९७४

साहित्य	१	श्रीयुत	लाला भगवानदीन नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी
"	२	"	पं० कृष्णशङ्कर तिवारी, बी० ए०, बीकानेर।
"	३	"	रामचन्द्र मिश्र, नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी।
इतिहास		"	पं० हरिमङ्गल मिश्र, एम्० ए०, प्रयाग।
भूगोल	१	"	बा० नन्दराम वैश्य, बी० ए०, अध्यापक—देवनागरी हाईस्कूल मेरठ।
	२	"	बा० गोपालनारायण सेन सिंह—प्रयाग।

विज्ञान	,,	विशारद, बा० महावीरप्रसाद, बी० एस्-सी०, एल्० टी०, रायबरेली।
गणित १	,,	प्रो० हीरालाल खन्ना, एम्० एस्-सी०, आगरा।
,, २	,,	बा० सूर्यलाल राय, बी० ए०, ट्रेनिङ्ग कालेज,
मुनीबी १) ,, २)	,,	बा० गौरीशङ्कर, बी० ए०, एल्० एल्० बी०, काशी।
आरायज़-नवीसी कारिन्दगरी		१ श्रीयुत पं० महेशदत्त शुक्ल, वकील, कानपुर।
,,		२ ,, ठाकुर हरपाल सिंह, वकील, बाँदा।

मध्यमा के परीक्षक

साहित्य १	श्रीयुत	बा० श्यामसुन्दरदास, बी० ए०, हेडमास्टर, कालीचरण हाई स्कूल, लखनऊ।
,, २	,,	पं० श्याम बिहारी मिश्र, एम्० ए०, डिप्टी कलेक्टर, बुलन्द शहर।
,, ३	,,	राय साहब रघुवरप्रसादद्विवेदी, बी०ए०, जबलपुर।
,, ४	,,	पं० शुकदेव बिहारी मिश्र, बी० ए०, दीवान, छत्रपुर।
इतिहास १	,,	बा० नरेन्द्रदेव, एम्० ए०, वकील, फैजाबाद।
,, २	,,	प्रो० ताराचन्द, एम्० ए०, प्रयाग।
,, ३	,,	बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन, एम्० ए०, एल्० एल्० बी०, प्रयाग।
गणित	,,	प्रो० ब्रजराज, बी० एस्-सी०, एल० एल्० बी०,
दर्शन	,,	पाण्डेय जगन्नाथप्रसाद वकील, मुजफ्फरपुर।
विज्ञान	,,	बा० गोपाल स्वरूपप भार्गव, प्रयाग।
धर्मशास्त्र	,,	पं० श्रीकृष्ण जोशी, नाभा।
ज्योतिष	,,	पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी, प्रयाग।
अर्थशास्त्र	,,	बा० सङ्गमलाल, एम्० ए०, मुट्ठीगञ्ज, प्रयाग।
संस्कृत से अनुवाद	,,	साहित्याचार्य पं० चन्द्रशेखर शास्त्री, प्रयाग।

अंग्रेज़ी से अनुवाद ,, पं० चन्द्रमौलि शुक्ल, प्रयाग।
वैद्यक ,, पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, आयुर्वेद-पञ्चानन, प्रयाग।

७—श्रीयुत पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ने प्रस्ताव उपस्थित किया कि "सं० १६७३ में जिन परीक्षार्थियों ने विशारद का उपाधि-पत्र सम्मेलन में जाकर नहीं लिया है, उनसे १) अतिरिक्त शुल्क न लिया जाय और यदि किसी से लिया गया है तो लौटा दिया जाय। क्योंकि अतिरिक्त शुल्क का नियम सं० १६७४ के लिये है, न कि सं० १६७३ के परीक्षार्थियों के लिए"। पुराने और नये उपनियमों पर विचार करके निश्चय हुआ कि नयी नियमावली के चतुर्थ नियम के अनुसार अतिरिक्त शुल्क वाले नियम का व्यवहार सं० १६७४ की परीक्षा से होना चाहिए और यदि उपाधि-पत्र का अतिरिक्त शुल्क कुछ परीक्षार्थियों से लिया गया हो तो लौटा दिया जाय।

८—मथुराप्रसाद अध्यापक, रायबरेली तथा बंशगोपाल अध्यापक मार्डल हाई स्कूल प्रयाग के पत्र उपस्थित किये गये और निश्चय हुआ कि दोनों महाशयों को मध्यमा में बैठने की आज्ञा दी जाय।

हिन्दी-संसार

दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

पाठकों को विदित है कि दक्षिण अफ्रीका प्रवासी भारतीय भाइयों ने अपनी मातृभाषा के प्रेम से वहाँ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना की है। उसी सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन धर्मवीर पत्र के प्रवर्तक म० आर० जी० भल्ला के सभापतित्व में लेडी स्मिथ के मेसोनिक हाल में ता० २५ दिसम्बर सन् १६१६ ई० को होने वाला था। एक विज्ञापन धर्मवीर में मुझे पढ़ने को मिला था और पृथक् से भी आया था, जिसमें स्वागतकारिणी के सभापति श्रीमान् रघुनाथसिंह जी और मन्त्रियों में बुद्ध्, भोला, रामावतार और कल्याण टीकम जी के नाम हैं। अवश्य ही हमारे इन प्रवासी भाइयों ने सम्मेलन की स्थापना कर जो राष्ट्र-भाषा के लिये कार्य किये हैं, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं।

हिन्दी पुस्तकों का दान

श्रीमान् ठाकुर रामपालसिंह जी ताल्लुकदार चौड़िया पो० सुधौली जिला सीतापुर ने तीन पुस्तकें—दो भाग घर का वैद्य, रोजगार और स्त्री-शिक्षा—इस लिए खरीदी हैं कि जो महाशय हिन्दी जानते हों और इन पुस्तकों को पढ़ना चाहें वे उक्त ठाकुर साहब से विना मूल्य मँगा लें।

अवश्य ही इस सात्त्विक दान के लिए हम उक्त ठाकुर साहब को धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस दान से हिन्दी-साहित्य को भी विशेष सहायता मिलेगी। अन्य सज्जनों को चाहिये कि ठाकुर साहब के दान का अनुकरण करें।

हिन्दी और कचेहरी

थोड़े ही दिन हुए प्रताप में पं० जगजीवनलाल जी त्रिपाठी मुख़्तार साहब कानपुर का एक पत्र निकला था। पत्र में बाबू अवधविहारी लाल साहब हाकिम परगना बिल्हौर की आज्ञा की बात थी। हाकिम परगना साहब ने उक्त मुख़्तार साहब से कहा था कि "नालिश में मुद्दई व मुद्दालेहुम के नाम हिन्दी लिपि में मय उनकी सकूनत के साफ साफ लिखा जाय" और यह भी कहा था कि इसी आशय का एक रूबकार कलेक्टर साहब कानपुर ने निकाला है। थोड़े ही दिन हुए अलीगढ़ के वकील और हिन्दी हितैषी बाबू मिश्रीलाल जी बी० ए०, एल्-एल्० बी यहाँ आये थे और उन्होंने बतलाया था कि अनेक मुक़द्दमों में नाम की गड़बड़ी से अब उनके यहाँ भी मुद्दई और मुद्दालेहुम के नाम नागराक्षर में भी लिखे जाते हैं। क्या इन उदाहरणों से भी उर्दूभक्त हमारे अधिकारीगण हिन्दी की उपयोगिता को स्वीकार करके कचेहरी भक्तों की कठिनाई दूर करने की कृपा न करेंगे।

सम्पादकीय—विचार

स्थायी-समिति का वार्षिक विवरण

जबलपुर के सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में स्थायी-समिति की जो रिपोर्ट पढ़ी गयी थी उसका सारांश इस प्रकार है—

षष्ठ-वर्ष में सम्मेलन की स्थायी-समिति के ७ अधिवेशन हुए और अनेक महत्त्व के विषय पर विचार किया गया । अदालतों में नागरी-प्रचार का कार्य इस वर्ष बहुत अच्छा रहा और प्रधानतः काशी, कानपुर, बाँदा, बुलन्दशहर, गोरखपुर, देउरिया, मिर्जापुर और प्रयाग में प्रचार का कार्य अधिक हुआ है। इन स्थानों में प्रथम स्थान बुलन्दशहर और दूसरा बाँदा का है। उपर्युक्त स्थानों में अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ सम्मेलन की ओर से वैतनिक लेखक भी नहीं हैं परन्तु कार्य उत्तम हो रहा है। परीक्षा-समिति का विवरण तो आप पूर्ण रूप से इसी अङ्क में पढ़ें होंगे विशेष बात यही थी कि अब इसको शीघ्र ही हिन्दी विश्वविद्यालय का रूप देना होगा। सम्मेलन पुस्तकालय में इस वर्ष में केवल ३०० पुस्तकें विविध विषयों की आयीं और लगभग ८० के समाचारपत्र और पत्रिकायें आती रहीं। सम्मेलन-पत्रिका अनेक संस्थाओं को विना मूल्य, अनेक को अर्ध मूल्य पर दी जाती है। मूल्य भी नाममात्र १) है। पूरा द्रव्य देनेवालों की सङ्ख्या पर्याप्त नहीं है अतएव सारा कार्य उसका अवैतनिक होने पर भी पत्रिका में हानि रहती है। इस ओर हिन्दी हितैषियों को ध्यान देना चाहिये। सम्बद्ध-सभाओं की चर्चा करते हुए कहा गया था कि गत वर्ष २४ सम्बद्ध-सभाएँ थीं और इस वर्ष २६ हैं अर्थात् ५ सभाएँ इस वर्ष सम्बद्ध हुई हैं। अनेक सम्बद्ध-सभाओं के विवरण भी सुनाये गये यह बड़ी उत्तम बात है। सम्मेलन का वार्षिक आय-व्यय भी सुनाया गया।

परीक्षार्थियों की सुविधायें

सम्मेलन की परीक्षाओं का आदर कैसा हो रहा है इसका अनुभव थोड़े ही दिनों में हो जायगा। इस वर्ष की मध्यमा परीक्षा में प्रथम श्रेणी की दूसरी सङ्ख्या में उत्तीर्ण श्रीमती कुन्दनदेवी को जो इस समय आर्यकन्या पाठशाला में द्वितीय अध्यापिका हैं एक स्थान से लगभग दूने वेतन पर बुलाया गया है। कनैली की कन्या-पाठशाला की अध्यापिका श्रीमती गार्गीदेवी जो इस वर्ष प्रथमा परीक्षा की द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं उनके स्कूल के निरीक्षण के समय में कलेक्टर साहब ने परीक्षा का आदर के साथ उल्लेख किया है। फिर भी स्त्रियों के लिए परीक्षा शुल्क न लिया जायगा अब यह नवीन

नियम भी हो गया है अतएव देवियों को विशेषतः कन्या-पाठशालाओं की अध्यापिकाओं और विद्यार्थिनियों को विशेष रूप से परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहिये।

हिन्दी लेकर जो मैट्रिक और स्कूल लीविङ्ग परीक्षा पास किये हैं अथवा हिन्दी नार्मल पास हैं वे प्रथमा परीक्षा से मुक्त किये गये हैं अर्थात् वे सीधे मध्यमा परीक्षा में बैठ सकते हैं। हिन्दी या उर्दू मिडिल पास विद्यार्थी भी प्रथमा के केवल साहित्य के २ पत्रों में परीक्षा देकर मध्यमा में सीधे बैठ सकते हैं। सारांश यह कि जिस योग्यता का प्रमाण परीक्षा-समिति को मिल जायगा उसके लिए किसी परीक्षार्थी को पुनः परीक्षा देकर पृष्ठ पेषण न करना पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि इतनी सुविधाओं के हो जाने पर अब हमारे अध्यापक और विद्यार्थी गण इन परीक्षाओं में सम्मिलित होकर अपनी उन्नति करने में ढिलाई न करेंगे।

सम्मेलन का अधिवेशन

सम्मेलन के अधिवेशन के सम्बन्ध में अनेक पत्र पत्रिकायें और लेखकों ने अनेक प्रकारक की टीका टिप्पणियाँ की हैं किन्तु हमारा कहना केवल यही है कि त्रुटियाँ किसी कार्य में न हों यह असम्भव है और त्रुटियों के दिखलाने वाले मित्रों की अपेक्षा हम उन मित्रों की अधिक प्रशंसा करेंगे जो त्रुटियों के दूर करने में यत्नशील हुए है। दूसरों की त्रुटि दिखला कर या छोटी बात को बढ़ा कर लोग कार्यकर्ताओं को हतोत्साह न करें हमारी यही प्रार्थना है। अस्तु सम्मेलन हो गया उसकी त्रुटियाँ भी हो गयीं अब हम अष्टम सम्मेलन के लिए तैयार हों और अच्छी तरह से तैयार हों क्योंकि इस बार सम्मेलन हमारे सौभाग्य से एक विशाल देशीराज्य की राजधानी इन्दौर में होगा और आशा है कि सम्मेलन–इस बार का सम्मेलन अपूर्व हो।

परीक्षा-समिति

परीक्षा-समिति के फल के सम्बन्ध में हम अगले अङ्क में लिखेंगे इस समय हम केवल यही कहना चाहते हैं कि समय आ गया ३० अप्रैल अब दूर नहीं लोगों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए शीघ्रता करनी चाहिये।

———

सप्तम सम्मेलन में प्रतिज्ञात पुरस्कार का विवरण सं० १९७४ के लिए

सं०	दाता के नाम और पता	पुरस्कार	विवरण
१	बा० नाथूराम वकील, जबलपुर	२५) का पदक	मध्यदेश से मध्यमा में प्रथम आने वाले परीक्षार्थी को।
२	देश हितकारिणी समिति, सदर बाजार जबलपुर	रजत पदक	प्रथमा के परीक्षार्थियों में ईसाइयों में प्रथम आने वाले को।
३	श्री चन्द्रकीर्ति सिंह, कोठी रीवाँ सी० आ० एस०	गीता रहस्य	प्रथमा में प्रथम होने वाले परीक्षार्थी को।
४	मुकुन्दीलाल जी श्रीवास्तव, राजनाँद गाँव	रजत पदक	हिन्दी के अतिरिक्त अन्य देशी भाषायें जिनकी मातृभाषा है उन परीक्षार्थियों में जो मध्यमा में प्रथम उत्तीर्ण होगा उसको।
५	लाल रुद्रनाथ सिंह, धेनुगाँव बेलवा बस्ती	"	मध्यमा के साहित्य में प्रथम होने वाले परीक्षार्थी को।
६	सेठ जगन्नाथ झुनझुनवाला, रानीगञ्ज	स्वर्ण पदक	जिसे स्थायीसमिति देना चाहे।

टि०—गत वर्ष के भी अनेक पुरस्कार अभी शेष हैं जो दाता की प्रतिज्ञा में शर्तबन्धी के कारण इस वर्ष में किसी को नहीं मिल सके हैं।

पुरस्कार प्राप्त उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की नामावली सं० १९७३

सं०	परीक्षार्थी के नाम	पुरस्कार	दाता के नाम	पुरस्कार पाने का कारण
१	मदनलाल जैन	रजत पदक	बा० दयानन्द बी० ए०, लखनऊ	प्रथमा में प्रथम होने के कारण
२	,,	,,	केदारनाथ गुप्त, मिशन हाईस्कूल, प्रयाग	,,
३	,,	,,	परोपकारिणी संस्कृत-पाठशाला, खण्डवा	,,
४	,,	१०) नगद	सेठ वंशीधर ना० प्र० सभा, बुलन्द शहर के सभासद	कमिश्नरी आगरे से स्कूल-लीविङ्ग उत्तीर्ण होने के कारण
५	,,	२०) ,,	बा० नाथूराम जी, बम्बई	प्रथमा में जैन विद्यार्थी होने के कारण
६	मिश्रीलाल	रजत पदक	बा० तुलसीदास, जबलपुर शारदा-भवन पुस्तकालय की ओर से	मध्य-प्रदेश से प्रथमा में प्रथम होने के कारण
७	गोविन्ददास जैन	२०) नगद	बा० नाथूराम जी, बम्बई	प्रथमा में जैन विद्यार्थी होने के कारण
८	नन्दकिशोर जैन	,,	,,	,,
९	मुख़्तार सिंह जैन	,,	,,	,,

९	मुख़ार सिंह जैन	,,	,,	,,
१०	भोलाप्रसाद	५) नगद	दौलतरामजी, नरसिंहपुर	प्रथमा में उत्तीर्ण होने के कारण
११	दिल्लीपति	,,	,,	,,
१२	पार्वती देवी	रजत पदक	आर्य-कन्या-पाठशाला, प्रयाग	प्रथमा के साहित्य में प्रथम होने के कारण
१३	,,	१०) की पुस्तकें	बा० केशवचन्द्र सिंह वकील, प्रयाग	,,
१४	हृदयनारायण मिहरोत्र	स्वर्ण पदक	बा० मनमोहनदास, प्रयाग	खत्री जाति में प्रथमा में प्रथम होने से
१५	गार्गी देवी	रजत पदक	पं० बदरीनारायण चौधरी, मिर्ज़ापुर	सरयूपारीण देवियों में प्रथम होने से
१६	महावीरप्रसाद दीक्षित	,,	बा० अम्बिकाप्रसाद, जबलपुर	मध्य भारत से प्रथमा में प्रथम होने से
१७	रामप्रसाद	रजत पदक	हिम्मतलाल रणछोड़दास ठाकुर, शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर से प्रथमा के विज्ञान में प्रथम होने के कारण
१८	श्यामाचरण	,,	,,	शाहजहाँपुर से प्रथमा के इतिहास में प्रथम होने के कारण
१९	मुस्तफा खाँ	१०) की पुस्तकें	पं० रामजीलाल शर्मा प्रयाग	मुसलमान परीक्षार्थियों में प्रथम होने के कारण
२०	शिवराम रमेश शर्मा	रजत पदक	पं० रामचन्द्र वैद्य, ज्वालापुर	मध्यमा के वैद्यक में सब से प्रथम होने के कारण
२१	शिवराम-रमेश शर्मा	,,	पं० शिवराम ब्रजेश्वर, यू० पी०	मध्यमा के वैद्यक में सब से प्रथम होने से
२२	श्रीमती कुन्दन देवी	,,	बा० वैद्यनाथ गुप्त, मिर्ज़ापुर	मध्यमा के इतिहास में प्रथम होने से
२३	,,	,,	हिम्मतलाल रणछोड़दाश ठाकुर, शाहजहाँपुर	देवियों में सब से प्रथम होने के कारण

सं०	परीक्षार्थी के नाम	पुरस्कार	दाता के नाम	पुरस्कार पाने का कारण
२४	श्रीमती कुन्दन देवी	सोने की चूड़ी	जगन्नाथ झुनझुनवाला, रानीगञ्ज	मध्यमा की देवियों में प्रथम होने से
२५	,,	स्वर्ण पदक	बा० लक्ष्मीनारायण रईश, प्रयाग	,,
२६	ब्रजमोहनलाल	रजत पदक	लाला रुद्रनाथजी, धेनुगाँव–बस्ती	मध्यमा में प्रथम होने के कारण
२७	,,	,,	बा० तुलसीदास, जबलपुर शारदा-भवन पुस्तकालय की ओर से	,,

सम्मेलन-पत्रिका के नियम

१—यह पत्रिका सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग से प्रतिमास प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक मूल्य १) रु० इस लिये रक्खा गया है कि सर्वसाधारण इसके ग्राहक हो सकें।

२—अभी इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे। आवश्यकता होने पर पृष्ठ सङ्ख्या बढ़ा भी दी जाया करेगी। आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्यिकों को रुचिकर हुई, और ग्राहकों की यथोचित सङ्ख्या हो गयी तो अधिकतर पृष्ठ-सङ्ख्याओं में और अधिकतर उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी।

३—प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र और रुपये आदि तथा सम्पादन सम्बन्धी पत्र पुस्तकें परिवर्त्तन के पत्रादि सब "मन्त्री, सम्मेलन कार्य्यालय, प्रयाग" के नाम आने चाहियें।

विज्ञापन छपाई के नियम

६ मास अथवा उससे अधिक दिनों के लिये

	१ पृष्ठ,	आधा पृष्ठ	और चौथाई पृष्ठ के
कवर पेज पर	५)	३)	२)
साधारण पेज पर	४)	२॥)	१॥)

विशेष बातें जाननी हों तो मन्त्री जी से पूछिये

क्रोड़पत्र बँटाई के नियम

आधा तोला तक अथवा इससे कम के लिये ... १०)

१ तोला के विज्ञापन के लिये ... ... १२)

मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

नोट—विज्ञापन के ऊपर यह छपा होना चाहिये कि अमुक मास की "सम्मेलन-पत्रिका" का क्रोड़पत्र और उसमें यथोचित समाचार भी होने चाहियें।

सम्मेलन कार्यालय की नयी और अत्यन्त उपयोगी पुस्तकें

नागरी अङ्क और अक्षर

इस ग्रन्थ में अङ्कों और अक्षरों की उत्पत्ति पर जो बड़े गवेषणा पूर्ण लेख प्रथम और द्वितीय सम्मेलन में पढ़े गये थे, सङ्कलित हैं। हिन्दी में ऐसी दूसरी पुस्तक है ही नहीं। मूल्य ≡)

इतिहास

यह ग्रन्थ पं० विष्णुशास्त्री चिपलूणकर के प्रसिद्ध निबन्ध का अनुवाद है। मध्यमा के पाठ्य ग्रन्थों में होने के अतिरिक्त यह अत्यन्त रोचक भी है। इतिहास का वास्तविक महत्व इससे जाना जा सकता है। मूल्य ≡)

अन्य पुस्तकें

प्रथम वर्ष का विवरण	।)	पञ्चम " "	॥)
द्वितीय वर्ष "	।)	नीतिदर्शन " "	॥।)
तृतीय वर्ष "	।=)	लाजपतराय की जीवनी	१)
चतुर्थ वर्ष "	॥)	हिन्दी का सन्देश	-)
प्रथम सम्मेलन की लेखमाला	॥।)	इतिहास	≡)
द्वितीय " "	१)	नागरी अङ्क और अक्षर	≡)
तृतीय " "	॥।)	सौ अजान और एक सुजान	।=)
चतुर्थ " "	॥।)	पिङ्गल का फलक (प्रथमा के लिये)	-)

मन्त्री—हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कार्यालय,
प्रयाग।

पं० सुदर्शनाचार्य्य बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से पं० रामकृष्ण शर्म्मा द्वारा प्रकाशित।

Reg. No. A-629

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन
की
मुखपत्रिका

भाग ४ } मार्गशीर्ष, संवत् १९७३ { अङ्क ३

विषय-सूची

वा० मू० १)] [मूल्य ।)

सम्पादक—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ।

सम्मेलन के उद्देश्य

(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गों की उन्नति का प्रयत्न करना।

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश-व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना।

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना।

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्व-विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-समूहों तथा व्यापार ज़मींदारी और अदालतों के कार्य्यों में देवनागरी-लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना।

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारितोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना।

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना।

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्त्तमान संस्थाओं की सहायता करना।

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना।

(९) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी पुस्तकें तैयार कराना।

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जाँय उन्हें काम में लाना।

सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना और साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना।

सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति

साहित्याचार्य श्रीमान् पं० रामावतार शर्मा
पाण्डेय एम्० ए०

सुदर्शन प्रेस, प्रयाग ।

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित

भाग ४ } मार्गशीर्ष, संवत् १९७३ { अङ्क २

सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन।

सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन मि० कार्तिक शुक्ल १० (११) १२ और १३ रवि, सोम तथा भौमवार ता० ५, ६ और ७ नवम्बर सन् १९१६ ई० को जबलपुर में हुआ। जबलपुर मध्यप्रान्त के प्रसिद्ध स्थानों में एक है और इस प्रान्त में हिन्दी का कैसा मान है इसके बतलाने की आवश्यकता नहीं। अतएव वहाँ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लिए लोगों में अलौकिक उत्साह का होना आश्चर्य्य नहीं। स्वागतकारिणी सभा के सञ्चालकों और पदाधिकारियों में उस प्रान्त के सभी श्रेणी के और प्रायः सभी समुदाय के लोग थे। श्रीमान् खापर्डे, पं० माधवराव सप्रे, पं० माखनलाल चतुर्वेदी, पं० लक्ष्मीधर बाजपेयी, राय साहब पं० रघुवर प्रसाद द्विवेदी, माननीय पं० विष्णुदत्त शुक्ल बी० ए० राय बहादुर, माननीय ब्यौहार रघुवीरसिंह, बाबू तुलसीदास जी, पं० गोविन्दलाल जी पुरोहित आनरेरी मजिस्ट्रेट, पं० गङ्गाप्रसाद अग्निहोत्री, पं० दयाशङ्कर झा, परांड़कर जी और पं० कामताप्रसाद गुरु जैसे लोगों का एक साथ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के कार्य में संलग्न होना बड़े आनन्द और आशाप्रद भविष्य का विषय है।

स्वागतकारिणी सभा की सहायता में बाबू माणिक्य चन्द्र जी जैन और पं० माखनलाल चतुर्वेदी जी ने खण्डवा की ओर से अनुकरणीय कार्य किया है। और जहाँ तक समाचार मिला है सब से अधिक प्रतिनिधि भी इस पवित्र हिन्दी-प्रेमी नगर (खण्डवा) से ही आये थे। सम्मेलन में उपस्थित होने वाले कुछ स्थानीय प्रसिद्ध पुरुषों के नाम ये हैं—

राजा रघुनाथ राव आबा साहब उ० सभापति स्वा० का० स०।
दीवान बहादुर बिहारीलाल जी खजानची।
माननीय पं० विष्णुदत्त शुक्ल जी।
माननीय व्यौहार रघुबीर जी।
माननीय शिवप्रसाद जी वकील श्रीवास्तव।
राय साहब देवीप्रसाद चौधरी।
पी० सी० दत्त, बार-एट-ला, चेयरमैन म्युनिसपलटी, जबलपुर।
श्रीयुत कुञ्जविहारीलाल गुप्त एम्० ए०, बी० एल्०।
श्रीयुत भगवानदास (ई० ए० सी०) डिप्टी कलेक्टर।
श्रीयुत एस्० आर्० दाते " "
मि० ए० सी० सेल्स, प्रिंसपल, जबलपुर-कालेज।
मि० क्रा डाक इन्स्पेक्टर आफ़ स्कूल्स।
पं० गोविन्दलाल पुरोहित-मुनीम-आनरेरी मैजिस्ट्रेट, जबलपुर
राय बहादुर हनुमान प्रसाद पाण्डेय-विजयराघवगढ़।
राय बहादुर हीरालाल ई० ए० सी०, दमोह।
श्रीयुत घनश्याम प्रसाद (वनविभाग) ई० ए० सी०।

स्वागत

सभापति के स्वागत के लिए माननीय पं० विष्णुदत्त शुक्ल आदि सज्जनों की अभिलाषा थी कि इस प्रान्त के प्रत्येक स्टेशन पर उनका स्वागत किया जाय और इसीलिए उनकी इच्छा थी कि सभापति महोदय बम्बई मेल से न जाकर पैसेंजर गाड़ी से जाँय किन्तु ऐसा नहीं हुआ और मेल से ही जाना हुआ अतएव प्रत्येक स्टेशन पर स्वागत नहीं हो सका' किन्तु फिर भी जहाँ जहाँ गाड़ी ठहरी वहाँ वहाँ अवश्य ही बड़े उत्साह से सभापति महोदय का स्वागत किया गया। मि० कार्तिक शुक्ल ६ शनिवार ता० ४

नवम्बर सन् १९१६ ई० को सन्ध्या समय जबलपुर के स्टेशन पर बम्बई मेल से सभापति जी और भूतपूर्व सभापति बाबू श्याम-सुन्दरदास आदि बहुसङ्ख्यक प्रतिनिधि पहुंचे। स्वागत-कारिणी सभा की ओर से माननीय पं० विष्णुदत्त जी शुक्ल, राजा साहब सागर, दीवान बहादुर खजानची बिहारीलाल आदि अनेक गण्य मान्य सज्जन स्टेशन पर स्वागत के लिए उपस्थित थे। स्वयं सेवकों का उत्साह और प्रेम भी बहुत ही अधिक था। सभापति महोदय के स्वागत के लिए स्टेशन पर एक सुन्दर शामियाना सजाया गया था। और वहाँ ले जाकर सभापति महोदय को इतर, पान, पुष्पमाला आदि से स्वागत किया गया और कुछ गीत भी सुनाये गये। उसके पश्चात् निवास स्थान के लिए सभापति की सवारी चार घोड़े की बग्घी पर निकली और साथ में बहुसङ्ख्यक गाड़ियां और मोटर भी थीं। जिस बङ्गले में सभापति जी का निवास था उसके समीप ही में सम्मेलन का पण्डाल भी था। सभापति की सवारी के साथ में प्रकाश का प्रबन्ध अवश्य था किन्तु बाजा गाजा अथवा अन्य किसी प्रकार का शोर-गुल नहीं होने पाया। चुपचाप सब अपने अपने स्थान को चले जा रहे थे। यह भी एक अद्भुत और सुहावना दृश्य था। सम्मेलन की स्वा० समिति ने पुस्तक-प्रदर्शिनी भी खोली थी जिसमें छपी हुई १३०० और हस्तलिखित लगभग ३०० के पुस्तकें थीं। प्रदर्शिनी का स्थान जैन बोर्डिङ्ग हाउस का बड़ा हाल था।

सम्मेलन का मण्डप

गोला बाजार में सम्मेलन का मण्डप बहुत ही उत्तमता से सजाया गया था। काङ्ग्रेस के या थियेटर के ढङ्ग से सुविस्तृतरूप से मण्डप बनाया गया था और चारों ओर तोरणों तथा झण्डियों से खूब ही सुशोभित था। मण्डप में पश्चिम की ओर एक विशाल मञ्च बनाया गया था जिस पर गण्य-मान्य सज्जनों के बैठने के लिए कुर्सियां लगायी गयी थीं। उसीके समीप अग्र भाग में वक्ताओं के खड़े होनेके लिए उसी ढङ्ग पर स्थान बनाया गया था जैसा काङ्ग्रेसों में होता है। मण्डप के खम्भे रङ्ग बिरङ्गे फूलों और हरी भरी पत्तियों से ऐसे सुन्दर सजाये गये थे कि उनको देखते ही बनता था। मञ्च

की बाईं ओर स्त्रियों के लिए स्थान बनाया गया था जिसमें चिक लगी हुई थी और चौकियों के ऊपर बेञ्चें लगी हुई थीं। मञ्च के पूर्व की ओर पत्र-सम्पादकों वा रिपोर्टरों के लिए टेबुल और कुर्सियां लगायी गयी थीं तथा उनके पीछे प्रतिनिधियों और दर्शकों के लिए स्थान था। इस अधिवेशन में एक बात यह विशेषता की थी कि दर्शकों के लिए एक दिन का ॥) और तीनों दिन के लिए १) का टिकट लगाया गया था जो पीछे से सुना गया है कि उठा दिया गया।

प्रथम दिन

समय १२ बजे से रक्खा गया था परन्तु लगभग ११ बजे ही मण्डप खचाखच भर गया। दर्शकों के लिए सशुल्क टिकट रखने पर भी प्रतिनिधियों और दर्शकों की सङ्ख्या लगभग ५००० के ऊपर थी। १२॥ बजे के लगभग कार्य आरम्भ हुआ। सभापति महोदय के आते ही मण्डप में हर्षपूर्ण करतल-ध्वनि हुई। सब से प्रथम पं० लक्ष्मीप्रसाद शर्मा ने संस्कृत के मनोहर मालिनी छन्द के ५ श्लोकों से आगत प्रतिनिधियों का स्वागत किया तदनन्तर कुछ महाराष्ट्र महिलाओं ने निम्नलिखित गीत गाये।

बन्धुगण स्वागत सब का आज।
आये आप दूर से श्रम कर करने हिन्दी काज ॥ बन्धु० ॥
लेखक, वक्ता, कवि, अनुरागी। श्रोता भक्त सहायक त्यागी ॥
जिन जिनके हिय आशा जागी। उनकी जुड़ी समाज ॥ बन्धु० ॥१॥
आप अकेले कष्ट न पावें। संकट में न कहीं घबड़ावें ॥
इससे हम सब धीर धरावें। यदपि हमें है लाज ॥ बन्धु० ॥ २ ॥
शिक्षित आप अशिक्षित हम हैं। सभी प्रकार आप से कम हैं ॥
पंथ आपके हमें अगम हैं। टूटा है रथ साज ॥ बन्धु० ॥ ३ ॥
शस्त्र सभ्यता लेकर कर में। आप चढ़े हैं जगत समर में ॥
हमें छोड़िये मत अब घर में। अबलापन के व्याज ॥ बन्धु० ॥ ४ ॥

इसके पश्चात् खँड़वा बाल-समाज के कुछ लड़कों ने गीत गाये। गीत देशभक्ति-पूर्ण और ओजस्विनी भाषा में रचे गये थे और उसके रचयिता पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी उपनाम "भारतीय आत्मा" हैं। गान हो जाने के पश्चात् स्वागतकारिणी सभा के सभा-

पति दीवानबहादुर वल्लभ दास जी की अनुपस्थिति में (ज्येष्ठ पुत्र के असामयिक वियोग के कारण वे नहीं आ सके) माननीय पण्डित विष्णुदत्त जी शुक्ल बी० ए० ने उनकी वक्तृता पढ़ सुनायी। वक्तृता में प्रतिनिधियों का स्वागत आदि यथा व्यवहार सभी बातें हैं किन्तु विस्तार भय से यहां उसको हम देना उचित नहीं समझते। वक्तृता में एक बात जानने योग्य है। उसमें बतलाया गया है कि जबलपुर, जाबालिपत्तन शब्द का अपभ्रंश है। यदि इसके लिए कोई प्रमाण भी दे दिया गया होता तो अधिक उत्तम था किन्तु समझ में नहीं आता कि जाबालिपुर से जबलपुर सीधे न बना कर जाबालिपत्तन = जाबलिपट्टन = जौलीपट्टन से जबलपुर बनाने में क्या लाभ समझा गया है? इसके लिये कोई प्रमाण मिला हो तो लोग अधिक निश्चय के साथ सभापति की व्याख्या मान सकते हैं अन्यथा लोगों के मनमें सन्देह ही बना रहेगा। वक्तृता सुनाने के पश्चात् माननीय शुक्ल जी ने मनोनीत सभापति महोदय को सभापति का आसन ग्रहण करने का प्रस्ताव किया और बाबू श्यामसुन्दर दास जी ने अपने शिष्यत्व की कृतज्ञता प्रकट करते हुए अनुमोदन और पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी ने विनोदपूर्ण वक्तृता द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया।

सभापति के आसन पर विराजमान होते ही मण्डप करतल-ध्वनि से गूँज उठा। आसन ग्रहण करने के पश्चात् सभापति महोदय ने अपनी संक्षिप्त किन्तु अनेक अंशों में विचार पूर्ण वक्तृता पढ़ सुनायी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनेक वर्षों से सभापतियों के भाषण जिस प्रकार के होते थे उसी प्रकार के भाषण सुनने की इच्छा रखने वाले अनेक लोग व्याख्यान सुन कर सन्तुष्ट नहीं हुए किन्तु विचार सब के भिन्न होते हैं। वही सच्चा मनुष्य है कि जो अपने हृदयगत विचारों को स्वतन्त्रता से सर्वत्र प्रकट करने के लिए सन्नद्ध रहे। स्थान स्थान पर रूप बदलना नाटक के पात्रों का धर्म है न कि देश के नायकों का। सभापति जी की वक्तृता से कोई मनुष्य अक्षरशः सहमत न हो यह दूसरी बात है परन्तु उनकी वक्तृता में अनेक बातें विचारणीय और ध्यान देने योग्य अवश्य हैं। उसमें सम्मेलन के लिए जो उद्देश्य बनाये गये हैं वास्तव में उसी के सम-

र्थन स्वरूप भारतमित्र ने अनुवादक समिति का प्रस्ताव किया है जो लाभदायक हो सकती है इसमें सन्देह नहीं।

सभापति महोदय के व्याख्यान के पश्चात् पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी ने "शिक्षा का मार्ग" शीर्षक निबन्ध पढ़ा। इस लेख में हिन्दी द्वारा शिक्षा दी जाने की उपयोगिता दिखलाते हुए अङ्गरेजी भाषा और वर्णमाला के अकाट्य दूषण दिखलाये गये थे। लेख सभी उपस्थित लोगों को बहुत ही मनोहर लगा किन्तु फिर भी आवश्यक समझ कर उसके सम्बन्ध में सभापति महोदय ने अधिक समय तक जो कुछ कहा लोगों को अधिक नहीं रुचा। अवश्य ही इस घटना से भी लाभ ही हुआ और लोगों को इस ओर विचारने का अवसर मिला नहीं तो जिस प्रकार सभी व्याख्यानों को सुन कर लोग भुला देते हैं इसे भी भुला देते यदि सभापति महोदय की टीका उस पर न हो गयी होती। तदनन्तर विषय-निर्वाचिनी समिति की सूचना दे कर प्रथम दिनका कार्य समाप्त किया गया और ४॥ बजे से १० बजे रात्रि तक विषय-निर्वाचिनी समिति का कार्य हुआ।

आज भी कुछ कारणों से कार्यारम्भ में विलम्ब हो गया। आरम्भ में महाराष्ट्र महिलाओं के गान के पश्चात् क्रम से पं० सुखराम चौबे के छात्रों, पं० माधव शुक्ल और खँडवा बाल-समाज के बालकों के के गीत हुए। और पश्चात् सभापति द्वारा निम्न लिखित तीन प्रस्ताव उपस्थित किये गये और स्वीकृत हुए।

१—वर्त्तमान् महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार से इस सम्मेलन की पूर्ण सहानुभूति है और वह ईश्वर से प्रार्थना और आशंशा करता है कि हमारे सम्राट को शीघ्र ही विजय हो।

२—(क) यह सम्मेलन स्वागतकारिणी समिति के सभापति दीवान बहादुर सेठ बल्लभदास जी के पुत्र सेठ मन्नूलाल जी की असामयिक मृत्यु पर, तथा स्वागतकारिणी समिति के प्रधान मंत्री पं० रघुबरप्रसाद द्विवेदी रा० सा० जी की माता की मृत्यु पर श्रीमान् सेठ वल्लभदास तथा द्विवेदी जी के साथ समवेदना प्रगट करता है।

(ख) यह सम्मेलन उदयपुर के जोधसिंह मेहता जी, बृन्दाबन के गौरचरन गोस्वामी जी, बाबू रसिक लाल राय तथा बावड़ा के राजा त्रिभुवन देव सच्चिदानन्द जी की शोकजनक मृत्यु पर

अपना आन्तरिक दुःख प्रगट करता है और उनकी हिन्दी-सेवा का स्मरण करता हुआ उनके सम्बन्धियों से अपनी समवेदना प्रगट करता है।

३—यह सम्मेलन भारतीय गवर्नमेंट से सानुरोध प्रार्थना करता है कि वह नोटों, सिक्कों, तथा स्टाम्पों पर शीघ्र नागरी अक्षरों को स्थान दे।

चौथा प्रस्ताव बाबू श्यामसुन्दर दास जी ने उपस्थित किया। प्रस्ताव का स्वरूप इस प्रकार है:—

४—हिन्दूविश्वविद्यालय के सञ्चालकों ने जो विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिन्दी रखने में पूर्ण यत्न नहीं किया उससे यह सम्मेलन अपना असन्तोष प्रगट करता है, और उक्त सञ्चालकों से अनुरोध करता है कि वह उक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिन्दी कराने के लिए शीघ्र उचित यत्न करे। और जब तक ऐसा न हो तब तक वे उक्त विश्व विद्यालय में हिन्दी को एक अनिवा-वार्य्य विषय की भाँति सब कक्षाओं में पढ़ाने का प्रबन्ध करें, तथा अपने प्राच्य शिक्षा-विभाग में शिक्षा का माध्यम हिन्दी को बनावें।

प्रस्ताव को उपस्थिति करते हुए आपने बड़ी ही मर्म स्पर्शिनी वक्तृता दी और इस बात पर खेद प्रकट किया कि हिन्दू विश्वविद्या-लय के सञ्चालकोंने शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई प्रबंन्ध नहीं किया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दू विश्वविद्यालय के सञ्चा-लकों को हिन्दी को माध्यम बनाना इस लिए उचित था कि माध्यम के लिए राष्ट्रभाषा होनी चाहिये और जिस प्रकार अङ्गेजी के द्वारा पढ़ने में सभी प्रान्त के लोगों को कठिनाई होती है उस प्रकार कठिनाई हिन्दी द्वारा पढ़नेमें नहीं होगी और भारत के प्रायः प्रधान प्रधान सभी प्रान्त केविद्वान हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान ही रहे हैं तब फिर हमारे प्रान्तिक भाषाओं के स्वत्त्व को दिखला कर अङ्गेजी को सिंहासन पर बिठलाना ठीक उसी प्रकार का न्याय है कि हिन्दू मुसलमानों के विरोध के कारण इस देश में स्वराज्य नहीं होना चाहिये, अस्तु! इस प्रस्ताव का अनुमोदन बाबू शिवप्रसाद जी ने बड़े ही प्रभावशाली शब्दों और युक्तियों से किया तथा समर्थन में कुँवर हरप्रसाद सिंह—बाँद्रा, बाबू घनश्यामसिंह गुप्त—दुर्ग, और पं० चन्द्रगोपाल मिश्र वकील—हरदा के व्याख्यान हुए। कुँवर हरप्रसाद जी ने कहा कि जब तक हिन्दू

विश्व विद्यालय के सञ्चालक हिन्दी को माध्यम न बनावें तब तक हम लोगों को चाहिए कि उसमें चन्दा न दें। इस पर श्रोताओं में कुछ मत-भेद सा हो रहा था अतएव ठाकुर शिवकुँमारसिंह जी ने सभापति की आज्ञा लेकर श्रोताओं को समझाना चाहा किन्तु कुछ शब्दों के कहते ही उनका व्याख्यान सभापति की आज्ञा से बंद कर दिया गया! और प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

पञ्चम प्रस्ताव को हिन्दी केशरी के जन्मदाता और सुप्रसिद्ध हिन्दी गीता रहस्य के अनुवादक श्रीयुक्त पं० माधवराव सप्रे जी ने उपस्थित किया जो इस प्रकार है—

(५) यह सम्मेलन अपना दृढ़ विश्वास प्रगट करता है कि भारतवर्ष में शिक्षा और विद्या की उन्नति के लिए आवश्यक है कि शिक्षा का माध्यम देशी भाषा रखी जाय और गवर्नमेण्ट से प्रार्थना करता है कि वह इस आवश्यक सुधार की ओर बहुत शीघ्र ध्यान दे।

प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए सप्रे जी ने कहा कि "हमारी शिक्षा का उद्देश्य स्वाभिमान होना चाहिये। जिस शिक्षा से स्वाभिमान वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी काम की नहीं। हमें "स्व" की शिक्षा मिलनी चाहिये। अभी तक हमें स्वशून्य शिक्षा मिली है। जिसमें हमारे बालकों को प्रकृत शिक्षा मिले इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। हमारी शिक्षा किसी दूसरी भाषा में होना कृत्रिम है—अस्वाभाविक है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी शिक्षा विदेशी भाषा में होती है। इससे हमारी मानसिक शक्ति नष्ट होती है; मौलिक बुद्धि उत्पन्न नहीं होने पाती इत्यादि।" प्रस्ताव का अनुमोदन प्रोफेसर श्री प्रकाश एम्० ए०, बी० एल्० ने और समर्थन पं० सूर्यनारायण दीक्षित बी० ए०, एल्० एल्० बी० और पं० लक्ष्मीधर बाजपेयी जी ने किया और सर्व सम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

छठवीं प्रस्ताव सभापति जी ने उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ जो इस प्रकार है—

(६) यह सम्मेलन मध्यप्रदेश के शिक्षा-खाता के डाइरेक्टर साहेब तथा जबलपुर ट्रेनिङ्ग कालेज के प्रिंसपल श्रीमान् स्पेन्स साहेब को इस बात के लिए धन्यवाद देता है कि उन्होंने ट्रेनिङ्ग कालेज के

निम्न विभाग के पाठ्य-क्रम में अन्य भाषाओं के साथ हिन्दी को भी उचित स्थान दिया है।

इसके पश्चात् स्थायी-समिति का वार्षिक विवरण, उसके सहायक मन्त्री पं० रामकृष्ण सारस्वत ने पढ़ सुनाया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ, जिसका सारांश आगामी अङ्क में दिया जायगा।

स्थायी-समिति के विवरण के पश्चात् उसीके अंशभूत परीक्षा-समिति का वार्षिक विवरण, उसके संयोजक प्रो० ब्रजराज जी ने सुनाया और मध्यमा परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में उपस्थित लोगों को उपाधिपत्र और प्रथमा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र दिये गये। अनुपस्थित उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के नाम सुनाये गये और लोगों को पदक एवं पारितोषिक दिये गये। पदक और पारितोषिक प्राप्त परीक्षार्थियों की नामावली आगामी अङ्क में दी जायगी।

सप्तम प्रस्ताव सिन्ध हैदराबाद के श्रीयुक्त नरसिंहदास एम्० ए०, एल्० एल्० बी० ने उपस्थित किया जो इस प्रकार है—

(७) सम्मेलन को इस बात पर बड़ा खेद है कि यद्यपि बम्बई के विश्वविद्यालय के पाठ्य-क्रम में कई देशी भाषाएं रखी गई हैं, तथापि हिन्दी नहीं रखी गई। अतएव बम्बई विश्वविद्यालय से निवेदन है कि वहाँ हिन्दी को भी अवश्य स्थान मिले।

प्रस्ताव का अनुमोदन वी० पी० वरदाचार्य जी—निलपोर ने अङ्गरेजी में किया और समर्थन दुर्ग निवासी पारसी सज्जन बदरुद्दीन फीरोज जी तारापुरवाला बैरिस्टर-एट-ला ने किया। बाबू श्यामसुन्दरदास जी ने कहा कि इसी प्रस्ताव में मद्रास और मैसूर विश्वविद्यालयों के नाम भी जोड़ दिये जायँ किन्तु मैसूर के सम्बन्ध में मत-भेद होने के कारण निश्चय हुआ कि सम्मेलन के प्रधान-मन्त्री को अधिकार दिया जाय कि वे जाँच करें। यदि मैसूर विश्वविद्यालय में वस्तुतः हिन्दी को स्थान न दिया गया हो तो उसके अधिकारियों से इसके सम्बन्ध में लिखा पढ़ी करें। और प्रस्ताव सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ।

इसके उपरान्त रायपुर की कन्या-पाठशाला की अध्यापिका श्रीमती गोदावरी देवी का व्याख्यान हुआ। आपने महाराष्ट्र स्त्री होने पर भी अपनी छोटी सी वक्तृता में जो कुछ कहा उसमें मराठी का

आभास भी नहीं आने दिया। आपने यह भी कहा कि आगामी सम्मेलनों में स्त्रियों को भी निमन्त्रण देना चाहिये।

व्याख्यान के पश्चात् स्थानीय जैन बालकों का मनोहर गाना हुआ और अन्त में बाबू श्यामसुन्दरदास जी ने पैसा फण्ड के लिए अपील की और माननीय पं० विष्णुदत्त शुक्ल जी झोली बना कर सहायता के लिए खड़े हुए। चारों ओर से दान के वचन और द्रव्य आने लगे। थोड़े ही समय में ३५२।=) नगद और १३००॥)। के लिए वचन मिले।

अन्त में पं० लोचनप्रसाद पाण्डेय जी ने छत्तीसगढ़ ज़िले में हिन्दी की हस्तलिखित पुस्तकों के खोज के लिए दो सज्जनों को रौप्य-पदक दिया और अधिवेशन के आज का कार्य समाप्त हुआ। रात्रि में ९ बजे से १ बजे तक विषय-निर्वाचनी-समिति का कार्य हुआ, किन्तु समाप्त न होने के कारण आगामी दिन के अधिवेशन के प्रथम विषय-निर्वाचनी-समिति की बैठक होना निश्चित हुआ।

तीसरा दिन

इस दिन दर्शकों की सङ्ख्या कुछ न्यून थी, फिर भी मण्डप परिपूर्ण था और उत्साह पूर्ववत् ही था। लगभग १२ बजे कार्य आरम्भ हुआ। स्त्रियों और बालकों के गान के पश्चात् तुलसी-स्मारक सभा राजापुर की—जिसका अधिवेशन रीवाँ नरेश की अध्यक्षता में राजापुर में होने वाला है—ओर से उपस्थित सज्जनों को ठाकुर शिवकुमार सिंह जी ने पधारने का निमन्त्रण-पत्र पढ़ सुनाया, जो करुई सब-डिवीज़नल आफ़िसर मि० पन्नालाल जी की ओर से छपा हुआ था। इसके पश्चात् एक सज्जन ने स्वागत-समिति के अध्यक्ष दीवान बहादुर वल्लभदास जी की ओर से उनकी अनुपस्थिति का कारण बतलाते हुए प्रतिनिधियों से इसके लिए क्षमा की प्रार्थना की। इसके पश्चात् प्रस्तावों का समय आया और—

आठवाँ प्रस्ताव, काशी निवासी बाबू वेणीप्रसाद जी ने उपस्थित किया, जो इस प्रकार है—

(८) यह सम्मेलन इस बात पर अपना हार्दिक दुःख प्रगट करता है कि पंजाब और प्रयाग के विश्वविद्यालयों ने युनिवर्सिटी कमीशन

के सम्मति देने और दोनों गवर्नमेंएटों के उस सिद्धान्त से सहमत होने पर भी, अभी तक कालेज विभाग में देशी भाषाओं की उपयुक्त और पूर्ण शिक्षा के लिए उचित प्रबन्ध नहीं किया है। इस सम्मेलन की सम्मति में इन दोनों विश्व-विद्यालयों को शीघ्र ही अन्य विषयों की भाँति देशी भाषाओं के साथ हिन्दी की पढ़ाई को भी उपयुक्त स्थान देकर इस अभाव को दूर करना चाहिए।

आपकी वक्तृता सरस एवं भाव-पूर्ण बड़ी ही उत्तम हुई। प्रस्ताव का अनुमोदन पं० लक्ष्मीधर जी वाजपेयी और समर्थन बाबू दयालुचन्द बी० ए० (गोयलीय) तथा विशारद पं० भागीरथ जी दीक्षित (कोटा) ने किया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नवम प्रस्ताव, काशी के प्रो० लक्ष्मीचन्द जी एम्० ए० ने उपस्थित किया, जो इस प्रकार है—

(९) इस सम्मेलन की राय में देश की उन्नति के लिये मातृ-भाषा द्वारा शिक्षा देने वाली एक युनिवर्सिटी (विश्व-विद्यालय) की नितान्त आवश्यकता है, जिसमें उच्च प्रकार की विज्ञान तथा शिल्प-सम्बन्धिनी शिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध हो, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिन्दी के समस्त प्रेमियों से यह सम्मेलन अनुरोध करता है कि वे कम से कम एक छोटा वैज्ञानिक स्कूल अपने अपने नगरों में स्थापित कराने का प्रयत्न करें, जिससे आगे चल कर इस विश्व-विद्यालय की नींव सुदृढ़ हो जाय।

इस प्रस्ताव का अनुमोदन पं० नन्दलाल जी और समर्थन पं० सरयूप्रसाद जी डाकूर इन्दौर, तथा सुहागपुर के पं० काशीराम जी तिवारी ने किया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात् निम्न-लिखित दो प्रस्ताव सभापति द्वारा उपस्थित किये गये और स्वीकृत हुए—

(१०) यह सम्मेलन शिक्षित हिन्दुस्थानियों से निवेदन करता है कि वे अपने अपने नगरों में हिन्दी-नाटक-समितियाँ स्थापित करें। यह सम्मेलन व्यवसायी नाटक-कम्पनियों का ध्यान देश के प्रति उनके इस कर्तव्य की ओर आकर्षित करता है कि वे विचारवान् लोगों से हिन्दी में नाटक लिखवा कर दर्शकों को उच्च-आदर्श सम-

भावें, और नाट्य-कला का उद्देश्य केवल धन कमाना ही न समझें।

(११) यह सम्मेलन भारतवर्षीय हिन्दी-भाषा-भाषियों की धार्मिक, जातीय, राष्ट्रीय आदि जितनी संस्थाएँ हों उनके सञ्चालकों से प्रार्थना करता है कि वे अपनी अपनी सभाओं का काम हिन्दी-भाषा में करें और अपने सामयिक-पत्र हिन्दी-भाषा तथा नागरी अक्षरों में निकालें। यह सम्मेलन विशेष कर निम्नलिखित संस्थाओं का ध्यान इस प्रस्ताव की ओर आकर्षित करता है—

(१) प्रान्तीय कान्फ्रेंसें, (२) भारत-धर्म-महामण्डल, (३) हिन्दू-विश्व-विद्यालय, (४) कायस्थ कान्फ्रेंस, (५) खत्री कान्फ्रेंस, (६) पञ्जाब आर्य-समाज, (७) भार्गव कान्फ्रेंस।

बारहवाँ प्रस्ताव छिन्दवाड़ा के पं० प्यारेलाल मिश्र बैरिस्टर-ऐट-ला ने उपस्थित किया, जो इस प्रकार है—

(१२) यह सम्मेलन मध्य-प्रदेश और बिहार के भावी विश्व-विद्यालयों के सञ्चालकों से सानुरोध आग्रह करता है कि कालेज विभाग के पाठ्य-क्रम में हिन्दी और दूसरी देशी भाषाओं को उचित स्थान दिया जाना चाहिए।

प्रस्ताव का अनुमोदन हुशङ्गाबाद निवासी पं० शालग्राम जी द्विवेदी एम्० ए०, एल्० एल्० बी० ने किया और समर्थन पटना के प्रोफेसर बाबू बद्रीनारायण वर्मा ने किया, तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तेरहवाँ प्रस्ताव, रायपुर निवासी पं० गणपतिलाल जी चौबे ने उपस्थित किया, जो इस प्रकार है—

(१३) यह देख कर कि शिक्षा-विभाग के पाठ्य-क्रम में कभी कभी हिन्दी की ऐसी पुस्तकें भी स्वीकृत की जाती हैं, जिनकी भाषा केवल भद्दी ही नहीं, किन्तु अशुद्ध भी रहती है। यह सम्मेलन पञ्जाब, संयुक्त-प्रदेश, मध्य-प्रदेश और बिहार के शिक्षा-विभाग के अधिकारियों से निवेदन करता है कि वे अपनी अपनी टेक्स्ट-बुक-कमेटियों के हिन्दी जानने वाले सभासदों की सङ्ख्या में से कम से कम तृतीयांश सभासद उन उन प्रान्तों की प्रधान हिन्दी-सभाओं के प्रतिनिधि लिया करें, जिससे उक्त कमेटियों को उत्तम, उपयोगी और यथा सम्भव निर्दोष पुस्तकें चुनने में सहायता मिले।

इस प्रस्ताव का अनुमोदन लखीमपुर के वकील पं० मुरलीधर मिश्र बी० ए०, एल्० एल्० बी० ने किया और समर्थन, इलाहाबाद के पं० हरिकृष्ण शास्त्री तैलङ्ग एम्० ए० ने किया, तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चौदहवाँ प्रस्ताव, खण्डवा के वकील श्रीयुत कालूराम जी गङ्गराडे ने उपस्थित किया, जो इस प्रकार है—

(१४) यह देख कर कि मध्य-प्रदेश की सरकार की ओर से सर्व साधारण के लाभ के लिए जो सरक्यूलर, गजट और दूसरे कागज़-पत्र हिन्दी में प्रकाशित होते हैं, उनकी भाषा प्रायः भद्दी और अशुद्ध रहती है, अथवा अन्य भाषा के दुर्बोध शब्दोंसे भरी रहती है, यह सम्मेलन मध्य-प्रदेश की सरकार से सानुरोध निवेदन करता है कि वह शुद्ध और सरल हिन्दी में उन्हें लिखवाने का प्रबन्ध करे और अपने अनुवाद-विभाग में योग्य हिन्दी-ज्ञाता अनुवादक रखे।

प्रस्ताव का अनुमोदन खण्डवा के बाबू माणिक्य चन्द्र जैन वकील और समर्थन, गिरगाँव बम्बई के बाबू नाथूराम जी वकील ने किया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पन्द्रहवाँ प्रस्ताव भी श्रीयुत कालूराम जी गङ्गराडे ने उपस्थित किया, जो इस प्रकार है—

(१५) इस सम्मेलन को इस बात पर खेद है कि भारतवर्षीय राजाओं के दरबार में राज के उत्सवों का वर्णन करने और प्राचीन लेखों को प्रकाशित करने तथा राज का इतिहास आदि लिखने के लिए हिन्दी के कवि और लेखक नियुक्त करने की प्राचीन प्रथा कम हो गई है। अतएव यह सम्मेलन समस्त भारतवर्षीय राजाओं से प्रार्थना करता है कि वे राज-कवि और राज-लेखकों की संस्था स्थापित कर अपना और अपनी मातृ-भाषा का गौरव बढ़ावें।

इस प्रस्ताव का अनुमोदन नाँदगाँव के बाबू अज़ियरलाल जी सकसेना ने किया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सोलहवाँ प्रस्ताव, रायपुर के वकील पं० रविशङ्कर जी शुक्ल ने उपस्थित किया, जो इस प्रकार है—

(१६) बरार कमिश्नरी तथा नागपुर की कमिश्नरी में हिन्दी की शिक्षा देने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है, जिससे हिन्दी-भाषा-भाषियों

को अपने बालकों की शिक्षा में कठिनाई होती है। अतः यह सम्मेलन मध्य-प्रदेशीय सरकार से प्रार्थना करता है कि वह वहां इस भाषा की शिक्षा का प्रबन्ध करे।

इस प्रस्ताव का अनुमोदन बुरहानपुर के वकील पं० कृष्णप्रसाद जी मिश्र ने किया और समर्थन, नागपुर के पं० दीनदयालु जी तिवारी ने किया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सत्रहवाँ प्रस्ताव, हरदा के वकील पं० चन्द्रगोपाल जी मिश्र ने उपस्थित किया, और उसका रुप इस प्रकार है—

(१७) यह सम्मेलन संस्कृत शिक्षा-सञ्चालक समितियों, सञ्चालकों तथा संस्कृत विद्वानों से सानुरोध प्रार्थना करता है कि वे संस्कृत शिक्षा-क्रम में हिन्दी-भाषा को उचित स्थान देवें और उसकी उन्नति के लिए पूर्ण प्रयत्न करें।

इस प्रस्ताव का समर्थन खण्डवा के पं० बिहारीलाल जी दाधीच ने किया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस समय ३॥ बज गये थे और किसी कार्यवश सभापति महोदय को दूसरे ही दिन बाँकीपुर पहुंचना आवश्यक था। अतएव उन्होंने विदायी माँगी और माननीय पं० विष्णुदत्त शुक्ल जी ने पुष्पमाला आदि से सत्कार कर तथा स्वागत-कारिणी सभा की ओर से धन्यवाद देकर सभापति को विदा किया और उन्हीं की आज्ञा से सभापति का शेष कार्य भूतपूर्व सभापति बाबू श्यामसुन्दरदास जी ने किया। सभापति जी के पधारते समय प्रेम-पूर्ण भाव से उपस्थित जन-समुदाय ने उनका स्वागत किया और करतल-ध्वनि से मण्डप प्रतिध्वनित हो उठा।

बाबू श्यामसुन्दरदास जी के सभापतित्व में पुनः कार्य प्रारम्भ हुआ और खण्डवा नाटक-मण्डली के दो बालकों ने कुछ गीत गाये जिसको सुन कर प्रयाग के पं० रामजीलाल शर्मा ने ५) की पुस्तकें और खण्डवा के बाबू माणिक्यचन्द्र जैन ने एक रजत-पदक देने का वचन दिया।

अठारहवाँ प्रस्ताव, बाँदा के वकील कुंवर हरप्रसाद सिंह ने किया, जो इस प्रकार है—

(१८) यह सम्मेलन अत्यन्त दुःख के साथ प्रकट करता है कि युक्त-प्रान्त की गवर्नमेण्ट की जो आज्ञा, समन इत्यादि को नागरी में

भी कार्य्यालयों से निकाले जाने तथा नागरी में अभ्यस्त कार्य-कर्त्ताओं के नियत किये जाने के सम्बन्ध में प्रदान की गयी है, उसका पालन नहीं हो रहा है; इसलिए यह सम्मेलन उस प्रान्त की गवर्नमेण्ट तथा हाईकोर्ट से सानुरोध निवेदन करता है कि हिन्दी के पूर्ण ज्ञाता विशेष अधिकारी द्वारा समय समय पर इसकी जाँच कराकर रिपोर्ट प्रकाशित किया करे, तथा कार्य-कर्त्ताओं की परीक्षा लिया करे।

इसका समर्थन काशी के वकील बाबू गौरीशङ्करप्रसाद जी ने किया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

१९वाँ प्रस्ताव, बाबू गौरीशङ्करप्रसाद जी ने किया, जो इस प्रकार है—

(१९) कोई कानूनी आपत्ति न रहते हुए गवाहों की साक्षी नागरी अक्षरों में लिखने पर बिसौली के मुंसिफ के विरुद्ध जो अन्याय-पूर्ण आन्दोलन उठाया गया और अधिकारी वर्ग ने जो इनकी सहायता नहीं की उस पर यह सम्मेलन घोर असन्तोष प्रकट करता है।

इस प्रस्ताव का समर्थन प्रयाग के वकील बाबू नवाब बहादुर जी ने किया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

बीसवाँ प्रस्ताव, स्वयं बाबू श्यामसुन्दरदास जी ने सभापति की योग्यता से उपस्थित किया, जो इस प्रकार है—

(२०) यह सम्मेलन उन प्रान्तों की गवर्नमेण्टों से, जहाँ हिन्दी-भाषा का प्राधान्य है, सानुरोध निवेदन करता है कि नार्मल-स्कूलों तथा ट्रेनिङ्ग कालेजों में हिन्दी के विद्यार्थियों को हिन्दी-साहित्य, व्याकरण तथा छन्दादि अलङ्कार के विषय की भी यथार्थ शिक्षा दी जाया करे।

यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। प्रस्तावों का कार्य समाप्त होने पर आगामी वर्ष की परीक्षा में मध्यमा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के लिए कुछ लोगों ने पदक देने का वचन दिया, जिसका विवरण पृथक् दिया जायगा।

जैन रत्नाकर कार्य्यालय की ओर से ५००) का पुरस्कार उस पुरुष को देने का वचन दिया गया जो जैन-तत्त्व पर एक ग्रन्थ लिखेगा। पैसा-फण्ड में भी कुछ लोगों के दान हुए।

श्रीयुत सन्तमान सिंह जी ने सिख लोगों की हिन्दी-सेवा पर एक निबन्ध का कुछ अंश पढ़ा, जो बहुत ही खोज के साथ लिखा गया था। इसके अनन्तर एक छोटे से लड़के ने छड़ी पर एक अति रोचक

कविता गाकर सुनायी; जिसको सुनकर अनेक प्रतिनिधियों ने एक एक दो दो रुपये दिये और काशी के बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने १०) का एक नोट दिया। इस लड़के ने अपनी ओर से हिन्दी-पैसा-फण्ड में २) दान किये। किसी सज्जन ने एक साफा भी भेजने का वचन दिया है।

तदनन्तर प्रधानमन्त्री—बाबू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन ने सम्मेलन की नियमावली सुनायी, जिसमें बाबू शिवप्रसाद गुप्त जी ने निम्न लिखित नियम कराना चाहा—

"स्वागत-समिति का यह कर्तव्य होगा कि प्रतिनिधियों के ठहरने इत्यादि तथा भोजन का उचित प्रबन्ध करे। भोजन के प्रबन्ध के लिए **मूल्य लेना आवश्यक होगा** जो प्रति दिन १) से किसी दशा में अधिक न होगा। किन्तु प्रत्येक प्रतिनिधि को अधिकार होगा कि वह भोजन का स्वयं प्रबन्ध कर ले और न स्वागत-समिति से प्रबन्ध करावे और न उसे मूल्य दे।"

पं० रामजीलाल शर्मा के विरोध करने पर नियमानुसार सम्मति ली गयीं और पृथक् पृथक् प्रतिनिधियों को खड़े करके सम्मति की गणना करके निश्चय हुआ कि "मूल्य लेना आवश्यक होगा" यह न रख कर "वह मूल्य ले सकेगी" ऐसा रक्खा जाय। नियमावली के शेष नियम ज्यों के त्यों स्वीकृत हुए।

इसके पश्चात् स्थायी-समिति का सङ्गठन हुआ, (देखो पृष्ठ ३३) अन्त में बाबू श्यामसुन्दरदास जी ने एक छोटी सी वक्तृता में बड़ी ही उत्साह-वर्द्धक और भाव-पूर्ण बातें कहीं, तथा स्वागत-समिति को उसके प्रेम-पूर्ण आदर आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और स्वयं सेवकों को आशीर्वाद के साथ धन्यवाद दिया।

अष्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को इन्दौर की मध्य-भारत हिन्दी-साहित्य-समिति की ओर से डाक्टर पं० सरयूप्रसाद जी ने इन्दौर के लिए निमन्त्रण दिया, जो सहर्ष स्वीकृत हुआ। अन्त में माननीय पं० विष्णुदत्त शुक्ल जी ने सभापति को तथा उपस्थित प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और राष्ट्रभाषा हिन्दी की जय-ध्वनि के साथ सम्मेलन का अधिवेशन विसर्जित किया गया। उसी समय कुछ उत्साही स्वयं सेवकों ने अग्निमय बनेठी की कसरत दिखलायी, जो बहुत ही उत्तम हुई। इस प्रकार तीसरे दिन का कार्य समाप्त हुआ।

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की नियमावली

[जो सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में संवत् १९७२ में स्वीकृत हुई]

१—उद्देश्य

१—हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के निम्न-लिखित उद्देश्य हैं—

(क) हिन्दी-साहित्य के सब अङ्गों की पुष्टि और उन्नति का प्रयत्न करना।

(ख) देशव्यापी व्यवहारों और कार्य्यों को सुलभ करने के लिए राष्ट्रलिपि देवनागरी और राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार बढ़ाने का प्रयत्न करना।

(ग) हिन्दी भाषाको अधिक सुगम, मनोरम और लाभ-दायक बनाने के लिए समय समय पर उसके अभावों को पूरा करने और उसकी शैली और त्रुटियों के संशोधन का प्रयत्न करना।

(घ) सरकारी प्रवन्ध, देशी राज्यों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्वविद्यालयों, म्युनिसिपलिटियों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जनसमूहों तथा व्यापार, ज़मीं-दारी और अदालत के कार्य्यों में देवनागरी-लिपि और हिन्दी-भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना।

(च) हिन्दी के ग्रन्थकारों, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिए पारितोषिक प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना।

(छ) उच्च-शिक्षा-प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना।

(ज) हिन्दी-भाषा द्वारा परमोच्च शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करना।

(झ) हिन्दी-भाषा द्वारा उच्च परीक्षाएँ लेने का प्रवन्ध करना।

(ट) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्त्तमान संस्थाओं की सहायता करना।

(ठ) हिन्दी-साहित्य की वृद्धि के लिए उपयोगी पुस्तकें लिखवाना और प्रकाशित करना।

(ड) उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिए जो अन्य उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जावँ, उन्हें काम में लाना।

२—हिन्दी-साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति और प्रचार से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों के अतिरिक्त सम्मेलन में राजनैतिक, सामाजिक अथवा मतमतान्तर सम्बन्धी विषयों पर विचार न किया जायगा।

२—संरक्षक

३—जो नृपतिगण सम्मेलन के उद्देश्यों में विशेष सहायता करेंगे वे सम्मेलन के संरक्षक होने के अधिकारी होंगे। संरक्षकों का निर्वाचन सम्मेलन अथवा स्थायी-समिति के अधिवेशन में हो सकेगा। जब किसी नृपति के संरक्षक बनाने का प्रस्ताव स्थायी-समिति के अधिवेशन में किया जाय तो उसकी स्वीकृति के लिए यह आवश्यक होगा कि उपस्थित सभासदों में से कम से कम तीन चौथाई उसके पक्ष में हों।

४—स्थायी-सदस्यों के कुल अधिकार संरक्षकों को प्राप्त होंगे।

३—सदस्य

५—सम्मेलन के सदस्य दो प्रकार के होंगे—(१) स्थायी-सदस्य और (२) साधारण-सदस्य। स्थायी-सदस्यों से एक साथ २५०) और साधारण-सदस्यों से १२) वार्षिक शुल्क लिया जायगा।

९—दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या मिल कर ३०० से अधिक न होगी।

७—प्रत्येक सदस्य को स्थायी-समिति के विचारार्थ प्रस्ताव भेजने का तथा सम्मेलन द्वारा प्रकाशित समस्त पुस्तकों, लेखों और पत्रों को बिना मूल्य पाने का अधिकार होगा।

८—कोई भी हिन्दी-साहित्य-सेवी वा हिन्दी का प्रेमी उस समय सदस्य हो सकेगा जब उसकी लिखी हुई इच्छा के आधार पर स्थायी-समिति के किसी अधिवेशन में किसी सदस्य द्वारा उसके निर्वाचन के लिए प्रस्ताव होगा और उसके अनुमोदन तथा समर्थन में उपस्थित सदस्यों में से कम से कम तीन चौथाई सहमत होंगे।

९—जो साधारण सदस्य अपना किसी वर्ष का शुल्क वर्ष के आरम्भ होने से छः मास के भीतर नहीं भेज देगा उसको जब तक वह शुल्क भेज न देवे सदस्य के अधिकार प्राप्त न होंगे।

१०—यदि कोई सदस्य सम्मेलन के उद्देश्यों वा नियमों के विरुद्ध आचरण करे वा दो वर्ष का शुल्क उसके ऊपर शेष रहे और रजिस्ट्री पत्र द्वारा सूचना देने पर भी शुल्क न आवे तो स्थायी-समिति को अधिकार होगा कि मन्तव्य द्वारा उसका नाम सूची से निकाल दे।

११—स्थायी-समिति को अधिकार होगा कि किसी हिन्दी-सेवी सज्जन को बिना शुल्क लिये ही स्थायी वा साधारण-सदस्य बना ले। ऐसे सदस्यों के अधिकार अन्य सदस्यों के समान ही होंगे; परन्तु उनकी संख्या शुल्क देनेवाले सदस्यों के दसवें अंश से अधिक न होगी।

४—हितैषी

१२—जो सज्जन ३) वार्षिक शुल्क सम्मेलन को देंगे वे सम्मेलन के हितैषी कहलावेंगे।

१३—हितैषियों को वार्षिक शुल्क देने पर सम्मेलन-पत्रिका और सम्मेलन के अधिवेशन के सम्पूर्ण कार्य्य-विवरण पाने का अधिकार होगा।

५—सम्मेलन-पुस्तकालय

१४—सम्मेलन की ओर से हिन्दी का एक वृहत् पुस्तकालय रखने का प्रबन्ध किया जायगा।

६—सम्मेलन-पत्रिका

१५—सम्मेलन के उद्देश्यों के प्रचार के हेतु उसकी एक मुख पत्रिका प्रकाशित हुआ करेगी जिसका नाम सम्मेलन-पत्रिका रहेगा।

७—स्थायी-समिति

१६—सम्मेलन के अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्तावों और उद्देश्यों के अनुसार अगले सम्मेलन तक बराबर कार्य्य करने के लिये सम्मेलन की प्रतिनिधि रूप एक समिति होगी जो सम्मेलन की "स्थायी-समिति" कहलावेगी।

१७—सम्मेलन का मुख्य स्थान प्रयाग होगा।

१८—(अ) स्थायी-समिति में एक सभापति, दो उपसभापति, एक प्रधानमन्त्री, चार मन्त्री (अर्थात् प्रवन्ध-मन्त्री, प्रचार-मन्त्री, परीक्षा-मन्त्री और अर्थ-मन्त्री) एक सहायक-मन्त्री, एक आयव्यय-परीक्षक, पिछले सब अधिवेशनों के सभापति, स्थायी-समिति के पिछले सब प्रधानमन्त्री, सदस्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि जो उनकी संख्या के दशमांश होंगे, आगामी सम्मेलन की स्वागतकारिणी समिति के संगठन के पश्चात् उसके दो प्रतिनिधि, और इनके अतिरिक्त ६७ सभासद होंगे।

सदस्यों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में दशमांश में यदि भिन्न संख्या आवे, तो वह भिन्न संख्या पूरी एक समझी जायगी।

सभापति, सहायक-मन्त्री और सदस्यों के प्रतिनिधियों को छोड़ कर इन सब पदाधिकारियों और सभासदों का चुनाव सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशनमें होगा। सहायक-मन्त्री की नियुक्ति स्थायी-समिति के अधीन होगी और वह साधारण रीति से वैतनिक होगा।

(इ) प्रत्येक आगामी सम्मेलन में नियुक्त होनेवाली स्थायी-समिति के सभासद होने के लिये सदस्यों के प्रतिनिधि

इस प्रकार निर्वाचित किये जायँगे। पिछले सम्मेलन के छः मास के पश्चात् और आठ मास के भीतर सम्मेलन-कार्य्यालय से प्रत्येक सदस्य के पास सदस्योंकी पूरी सूची भेजी जायगी और उससे प्रार्थना की जायगी कि इस धारा के उपर्युक्त नियम (अ) के अनुसार वह सदस्यों में से दशमांश संख्या उनके प्रतिनिधि होने के लिये निर्वाचित करके भेज दे। आई हुई सम्मतियाँ स्थायी-समिति के सामने उपस्थित की जायँगी और उनमें से अधिक सम्मति के अनुसार सदस्यों के प्रतिनिधि निर्वाचित समझे जायँगे। उनकी सूची सम्मेलन-पत्रिका में प्रकाशित की जायगी और आगामी सम्मेलन के समय स्थायी-समिति के निर्वाचनके पूर्व पढ़ कर सुना दी जायगी।

१९—सम्मेलनके उपस्थित प्रतिनिधि नीचे दी हुई संख्याके अनुसार स्थायी-समिति के लिए सभासद चुनेंगे—

संयुक्त-प्रान्त	२१
विहार और उड़ीसा	१०
मध्य-प्रदेश और बरार	८
वङ्गाल	८
राजपूताना और मध्यभारत	७
दिल्ली, पंजाब और पश्चिमोत्तरसीमा-प्रदेश	५
बम्बई, गुजरात और सिन्ध ...	४
मद्रास	१
विशेष	३
	६७

पूर्वोक्त प्रतिनिधियों में कम से कम ८ उस नगर के होंगे जहाँ सम्मेलन का स्थायी कार्यालय होगा।

२०—प्रत्येक सम्मेलन के सभापति आगामी सम्मेलन के समय तक इस समिति के सभापति रहेंगे। उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति उनका काम करेंगे। उपसभापति भी न हों तो समिति

को अधिकार होगा कि उपस्थित सभासदों में से किसीको सभापति निर्वाचित कर ले।

२१—यदि समिति के किसी पदाधिकारी वा सभासद् का स्थान रिक्त हो जाय तो समिति को अधिकार होगा कि उसके स्थान पर, यदि वह स्वागत-समिति का प्रतिनिधि नहीं था, कोई अन्य पदाधिकारी वा सभासद चुन ले। यदि वह सभासद जिसका स्थान रिक्त हुआ है किसी विशेष प्रान्त का प्रतिनिधि था तो उसके स्थान पर उसी प्रान्त से सभासद चुना जायगा। यदि वह सदस्यों का प्रतिनिधि था तो नया सभासद सदस्यों में से चुना जायगा। यदि वह स्वागत-समिति का प्रतिनिधि था तो स्वागत-समिति स्वयम् उसके स्थान पर दूसरा प्रतिनिधि निर्वाचित करेगी।

२२—इस समिति के अधिवेशनों के करने का अधिकार साधारण रीति से सभापति अथवा प्रधानमंत्री को होगा और समिति का अधिवेशन साधारणतः सम्मेलन के मुख्य-स्थान में होगा। आवश्यकता पड़ने पर समिति के बारह सभासदों को अधिकार होगा कि प्रधानमन्त्री को लिखें कि किसी विशेष समय पर समिति का अधिवेशन करें। ऐसा लेख आने पर प्रधान मन्त्री को उस समय समिति का अधिवेशन करना आवश्यक होगा।

२३—यह आवश्यक होगा कि स्थायी-समिति के सब अधिवेशनों की सूचना कार्यक्रम के सहित कम से कम १५ दिन पहिले समिति के सब सभासदों को दे दी जाय और कम से कम चार हिन्दी-समाचार-पत्रों में छपने के लिए भेज दी जाय।

२४—स्थायी-समिति के किसी अधिवेशन का काम कम से कम ७ सभासदों की उपस्थिति बिना न होगा।

२५—स्थायी-समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वर्षभर का (१) कार्य-विवरण (२) आय-व्यय का हिसाब (जो आय-व्यय-परीक्षक से परीक्षित हुआ हो) और (३) आगामी वर्ष के लिए आय-व्यय का अनुमानपत्र सम्मेलन के अधिवेशन में प्रधानमन्त्री द्वारा उपस्थित करे।

२६—स्थायी-समितिका यह काम होगा कि सम्मेलन की तिथि से कम से कम एक मास पहिले सम्मेलन में उपस्थित किये जाने वाले प्रस्तावों का मसौदा समाचारपत्रों में प्रकाशित कर दे।

८—पदाधिकारियों के अधिकार और कर्त्तव्य

२७—पदाधिकारियों के अधिकार और कर्त्तव्य नीचे लिखे अनुसार होंगे—

(१) सभापति

(क) सम्मेलन के अधिवेशन तथा स्थायी-समिति के अधिवेशनोंकी अध्यक्षता।

(ख) अधिवेशनों में मताधिक्य तथा नियम के अनुसार आज्ञा करना।

(ग) आवश्यक होने पर स्थायी-समिति के अधिवेशन करने की आज्ञा देना तथा अन्य कोई आकस्मिक महत्त्व के कार्य आ पड़ें तो उनके विषय में आज्ञा देना।

(२) उपसभापति

(क) कार्य्यालय के कार्यों का निरीक्षण।

(ख) सभापति की अनुपस्थिति में उनके सभी कर्तव्यों का पालन करना।

(३) प्रधान-मन्त्री

(क) कार्य्यालय के कार्यों का निरीक्षण।

(ख) सहायक-मन्त्री के अतिरिक्त वैतनिक कर्मचारियों को नियुक्त करना और अलग करना।

(ग) आवश्यक होने पर यदि मन्त्रियों की अधिकांश सम्मति उसके विचार के अनुकूल हो तो वैतनिक सहायक-मन्त्री को पदच्युत करना तथा नया सहायक-मन्त्री नियुक्त करना किन्तु यह पदच्युति और नियुक्ति स्थायी-समिति के विचाराधीन होगा।

(घ) मन्त्रियों में यथायोग्य कार्य्यालय के कार्य्यदायित्व का वितरण।

(च) स्थायी-समिति के कार्य्य का वार्षिक-विवरण तथा आय-व्यय का चिट्ठा और आगामी वर्ष के लिये अनु-

मान-पत्र, सम्मेलनसे पूर्व, स्थायी-समितिके किसी अधिवेशनमें उपस्थित करना।

(छ) सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति और उनके प्रतिरोधक कारणों के निवारण का उचित प्रबन्ध करना।

(४) प्रबन्ध-मन्त्री

(क) कार्यालय के काम का यथोचित प्रबन्ध, कर्मचारियों में कार्य का वितरण और उनका निरीक्षण।

(ख) प्रबन्ध-सम्बन्धी कागज-पत्र, बही आदि का रखना।

(ग) कार्यालय-सम्बन्धी सब निष्पन्न पत्रावली, बही आदि का रखना और समयानुसार उपस्थित करना।

(घ) प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उसके सभी कर्तव्यों का पालन।

(च) वर्ष की समाप्ति से एक मास पहिले अपने विभाग का आगामी वर्ष के लिये अनुमान-पत्र प्रधान-मन्त्री को देना।

(छ) वर्ष की समाप्ति से १५ दिन के भीतर अपने विभाग का वार्षिक-विवरण प्रधान-मन्त्री को देना।

(ज) सम्मेलन-पुस्तकालय का प्रबन्ध।

(५) अर्थमन्त्री

(क) आय-व्यय का पूरा हिसाब रखना और उसे स्थायी-समिति के अधिवेशनों में उपस्थित करना।

(ख) आय का पूरा प्रबन्ध करना, उसके बढ़ाने के लिये उपाय करते रहना और रुपये की वसूली की व्यवस्था उचित रीति पर करते रहना।

(ग) वर्ष की समाप्ति से एक मास पूर्व अपने विभाग का आगामी वर्ष के लिये अनुमानपत्र प्रधान मन्त्री को देना।

(घ) वर्ष की समाप्ति से १५ दिन के भीतर अपने विभाग का वार्षिक-विवरण प्रधान-मन्त्री को देना।

(च) प्रधान-मन्त्री को अगले वर्ष के लिये अनुमान-पत्र बनाने में सहायता देना।

(छ) सम्मेलन के अधिवेशनों में आये हुए प्रतिनिधियों के नियमित शुल्क का आधा भाग स्वागत-कारिणी समिति से हिसाब समझ कर लेना।

(६) परीक्षा मन्त्री

(क) परीक्षा समिति के अधिवेशनों के कार्य का विवरण रखना।

(ख) परीक्षाओं का प्रबन्ध करना तथा धारा १ में गिनाए हुए उद्देश्य (ग) (च) (झ) और (ठ) की पूर्ति के लिये उपाय तथा उचित व्यवस्था करते रहना।

(ग) सम्मेलन में सभापति से उपाधि आदि का वितरण कराना।

(घ) यथा समय परीक्षा सम्बन्धी सूचनाएँ प्रकाशित करते रहना।

(च) विवरण पत्रिका तथा सम्मेलन-पञ्चाङ्ग का सम्पादन करना।

(छ) वर्ष की समाप्ति से एक मास पहिले अपने विभाग का आगामी वर्ष के लिए अनुमान-पत्र प्रधान मंत्री को देना।

(ज) वर्ष की समाप्ति से १५ दिन के भीतर अपने विभाग का वार्षिक विवरण प्रधान मन्त्री को देना।

(७) प्रचार मन्त्री

(क) धारा १ में गिनाए हुए (ख), (घ), (छ), (ज) और (ट) उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपाय तथा उचित व्यवस्था करते रहना।

(ख) उपदेशकों के कार्य की व्यवस्था और उसका निरीक्षण।

(ग) अर्थ मन्त्री की सम्मति से उपदेशकों द्वारा सम्मेलन की आयवृद्धि में सहायता करना।

(घ) सम्मेलन-पत्रिका का प्रबन्ध।

(च) सम्बद्ध सभाओं की उन्नति का ध्यान रखते हुए उनके कार्य का निरीक्षण करना और उन्हें उत्साहित करना।

(छ) अगले वर्ष के लिये अपने विभाग का अनुमानपत्र वर्ष की समाप्ति से एक मास पहिले प्रधान मन्त्री को देना।

(ज) वर्ष की समाप्ति से १५ दिन पहिले प्रधान मन्त्री को अपने विभाग का वार्षिक विवरण देना।

(८) आयव्यय परीक्षक

(क) सम्मेलन सम्बन्धी कार्यों के आय-व्यय का हिसाब रखने की प्रणाली निर्धारित करने में मन्त्रियों को सहायता देना।

(ख) सम्मेलन सम्बन्धी आय-व्यय का कुल हिसाब समय समय पर जांचते रहना। आगामी सम्मेलन के अधिवेशन से पूर्व पिछले वर्ष का सब हिसाब जांच लेना।

९—सम्बद्ध संस्थाएँ

२८—(अ) यदि भिन्न भिन्न प्रान्तों में सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रान्तीय सम्मेलन स्थापित हों और वे अपनी स्थायी समिति बनावें तो उनका सम्मेलन से सम्बन्ध हो सकेगा।

(इ) हिन्दी और नागरी प्रचार का उद्देश्य रखनेवाली अन्य संस्थाएँ भी सम्मेलन से सम्बद्ध हो सकेंगी।

२९—सम्बद्ध होने की इच्छा रखने वाली संस्थाओं को ५) सम्बन्ध-शुल्क देना होगा।

३०—ऐसी संस्थाओं को सम्बन्ध-शुल्क के साथ निम्न लिखित पत्र और नियम ३१ में उल्लिखित विवरण भेजना होगा—

"श्रीयुत प्रधान मन्त्री,
हिन्दी साहित्य सम्मेलन स्थायी समिति।

महाशय,

... ... (संस्था का नाम) ने मिति......को अपने नियमों के अनुसार निम्न लिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है—

'यह समिति/सभा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके उद्देश्यों से पूर्ण सहानुभूति रखती है और उस से सम्बन्ध करना चाहती है। समिति/सभा सम्मेलनके नियमों को स्वीकार करती है और यथाशक्ति उनका पालन करेगी।

समिति/सभा की ओर से मैं सम्मेलन का सम्बन्ध-शुल्क ५) भेजता हूँ।"

३१—सम्बद्ध संस्थाओं को नीचे लिखी तालिका के अनुसार अपने आवेदनपत्र के साथ अपना पूरा विवरण देना होगा।

[१] संस्थाका नाम।
[२] संस्थाका स्थापन-काल।
[३] स्थान और पूरा पता।
[४] पदाधिकारियों की तथा सभासदों की नामावली।
[५] संस्था के उद्देश्य और नियमावली की एक प्रति।
[६] संस्था की आर्थिक स्थिति।
[७] संस्था का साधारण कार्य्यक्रम।
[८] पिछले विवरण यदि छपे हों अथवा पिछले कार्य्य का संक्षिप्त वृत्तान्त।

मिति———— } हस्ताक्षर————

पद————

३२—प्रत्येक सम्बद्ध संस्था को सम्मेलन के एक मास पूर्व अपने पिछले वर्ष के कार्य्य का संक्षिप्त वृत्तान्त प्रधान मन्त्री के पास भेजना उचित होगा।

३३—स्थायी समिति को अधिकार होगा कि यदि उचित समझे तो सम्बद्ध संस्थाओं को सम्मेलन-पत्रिका विना मूल्य दिया करे।

१०-सम्मेलन की सम्पत्ति और स्थायी कोष

३४—सम्मेलन की सब सम्पत्ति स्थायी-समिति के अधीन होगी।

३५—सम्मेलन का एक स्थायी कोष होगा जिसका मूल-धन सम्मेलन की आज्ञा बिना व्यय न किया जायगा। मूल-धन को व्यय करने का प्रस्ताव बिना स्थायी समिति की स्वीकृति के सम्मेलन में उपस्थित न किया जायगा।

३६—निम्नलिखित धन स्थायी कोषमें जमा होगा।

(क) स्थायी सदस्यों का शुल्क।

(ख) स्थायी कोष के लिये दान।

(ग) जो द्रव्य स्थायी समिति स्थायी कोष में जमा करना चाहे।

११-सम्मेलन का वर्ष

३७—सम्मेलन का वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदा से आरम्भ हो कर श्रावणी पूर्णिमा को पूर्ण हुआ करेगा।

१२-सम्मेलन के अधिवेशन

३८—हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन साधारणतः प्रति वर्ष उस स्थान और समय पर होगा जो सम्मेलन के पिछले अधिवेशन में निश्चित किया गया हो। यदि अधिवेशन के समय इन बातों का निश्चय न हुआ हो तो सम्मेलन की स्थायी समिति उनका निर्णय करेगी।

३९—यदि वार्षिक अधिवेशन के अतिरिक्त सम्मेलन के विशेष अधिवेशन की आवश्यकता हो तो स्थायी-समिति को अधिकार होगा कि उसका प्रबन्ध करे।

४०—यदि किसी कारण से स्थान वा समय परिवर्त्तन करने की आवश्यकता हो तो स्थायी समिति को अधिकार होगा कि उसका निर्णय करे।

४१—यदि किसी वर्ष किसी विशेष परिस्थिति में स्वयं स्थायी समिति को सम्मेलन के अधिवेशन का प्रबन्ध करना पड़े और यदि

स्वागत समिति का सङ्गठन न हो सके तो उस वर्ष के लिये स्थायी समिति ही स्वागत समिति समझी जावेगी और उसे अधिकार होगा कि अपने मुख्य स्थान में अथवा किसी अन्य स्थान में सम्मेलन का अधिवेशन करे।

१३-स्वागत समिति

४२—प्रत्येक स्थान में जहाँ सम्मेलन का होना निश्चित हुआ हो एक स्वागत समिति गत वर्ष के सम्मेलन से तीन मास के भीतर बनायी जायगी, जिसका कर्त्तव्य होगा कि अपने यहाँ के होनेवाले सम्मेलन सम्बन्धी सब प्रबन्ध करे।

४३—स्वागत समिति के सभापति अथवा मन्त्री का कर्त्तव्य होगा कि स्वागत समिति के बनने की सूचना स्थायी समिति के मन्त्री को तुरन्त दे दें।

४४—इस समिति का यह भी कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी समाचारपत्रों में सूचना द्वारा सर्वसाधारण की सम्मति आमंत्रित और उपलब्ध कर सम्मेलन की स्थायी समिति की सम्मति से सम्मेलन के समय से कम से कम छः मास पहिले एक विषय-सूची बनावे और उन पर हिन्दी के अच्छे लेखकों से लेख लिखाने का प्रयत्न करे। इन लेखों को छपवाना और उस वर्ष के सम्मेलन का विवरण छपा कर प्रकाशित करना इसी समिति का काम होगा।

४५—जो कुछ प्रतिनिधियों के शुल्क से धन आवेगा उसमें से आधा स्वागत-समिति सम्मेलन की स्थायी समिति को देगी और शेष आधे पर उसका अधिकार होगा।

४६—प्रत्येक अधिवेशन के व्यय के बाद जो कुछ सम्पत्ति बचे उसके सम्बन्ध में स्वागत-समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह कुल बचत में से आधा, आगामी अधिवेशन के कम से कम एक मास पहिले स्थायी-समिति को सौंप दे और शेष आधे के सम्बन्ध में उसे अधिकार होगा कि किसी स्थानीय सम्बद्ध संस्था को दे दे। यदि वहाँ कोई स्थानीय सम्बद्ध संस्था न हो तो कुल धन स्थायी-समिति को सौंप देना होगा।

४७—स्वागत-समिति के सम्पूर्ण कार्य्य समाप्त होने पर उसके

मंत्री का कर्तव्य होगा कि स्वागत-समिति सम्बन्धी कुल काग़ज़-पत्र, बही इत्यादि सम्मेलन-कार्य्यालय में भेज दे।

४८—स्वागत-समिति का यह कर्तव्य होगा कि प्रतिनिधियों के ठहरने इत्यादि तथा भोजन का उचित प्रवन्ध करे। भोजन के प्रवन्ध के लिए वह मूल्य ले सकेगी जो प्रतिदिन १) से किसी दशा में अधिक न होगा। किन्तु प्रत्येक प्रतिनिधि को अधिकार होगा कि वह भोजन का स्वयं प्रवन्ध कर ले और न स्वागत समिति से प्रवन्ध करावे और न उसे मूल्य दे।

१४—सभापति का चुनाव

४९—स्वागत-समिति के बनने की सूचना मिलने पर स्थायी-समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सम्मेलन के आगामी अधिवेशन के सभापति के आसन के लिए ऐसे पाँच सज्जनों की एक सूची बनावे जो उसके विचार में उस आसन के लिए उपयुक्त हों। यह सूची निम्नलिखित रीति से बनाई जायगी—

प्रधान मंत्री को सूची बनाने के लिए एक तिथि नियत कर उसके दो मास पहले समाचारपत्रों में उसकी सूचना देनी होगी और सम्बद्ध-संस्थाओं और स्वागत-समिति से ऐसे ५ सज्जनों की सूची मँगानी होगी जो उनके विचार में सभापति के आसन के लिए उपयुक्त हों। ये सूचियाँ, आने पर, समिति के अधिवेशन में उपस्थित की जायँगी। प्रान्तीय सम्बद्ध-संस्थाओं और स्वागत-समिति की सम्मति, तथा उन सम्बद्ध-संस्थाओं की सम्मति जिनके सभासदों की संख्या २०० से अधिक हो, स्थायी-समिति के दो सभासदों की सम्मतियों के बराबर समझी जायगी। अन्य सम्बद्ध-संस्थाओं की सम्मति स्थायी-समिति के एक सभासद की सम्मति के बराबर समझी जायगी। जिन पाँच सज्जनों के लिए अधिकांश सम्मति हो उन्हीं के नामों की सूची बनाई जायगी।

५०—यह सूची स्वागत-समिति के पास भेज दी जायगी, किन्तु समाचारपत्रों में अथवा अन्य किसी प्रकार प्रकाशित न की जायगी। इस सूची के मिलने पर स्वागत-समिति का कर्त्तव्य होगा कि वह सूची में नामाङ्कित किसी सज्जन को सभापति के आसन के लिए

निर्वाचित करे और उनकी स्वीकृति मँगा कर उनका नाम प्रकाशित कर दे। यही सज्जन सम्मेलन में स्वागत-समिति के सभापति के प्रार्थना करने पर सभापति का आसन ग्रहण करेंगे।

१५—प्रतिनिधि

५१—निम्नलिखित संस्थाओं को सम्मेलन के अधिवेशन में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा—

(क) सम्बद्ध संस्थाएँ।

(ख) अन्य स्थापित संस्थाएँ जिनमें कम से कम १५ सभासद हों।

(ग) साधारण सार्वजनिक सभाएँ जो केवल सम्मेलन के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने के लिए की जायँ, किन्तु इन सभाओं में कम से कम १५ मनुष्य उपस्थित होने चाहिएँ।

५२—सम्मेलन के सदस्य, स्थायी-समिति के सभासद और सम्मेलन के विशारद-उपाधिधारी, सम्मेलन के अधिवेशन में प्रतिनिधि समझे जायँगे।

५३—प्रत्येक प्रतिनिधि को ३) शुल्क देना होगा। शुल्क देने पर स्वागत-समिति से प्रतिनिधि-प्रमाणपत्र मिलेगा, जिसके विना किसी को भी सम्मेलन के कार्य्यों में भाग लेने और सम्मति देने का अधिकार न होगा।

५४—स्वागत-समिति को अधिकार होगा कि किसी विशेष प्रतिनिधि से शुल्क न ले।

५५—प्रत्येक प्रतिनिधि को उस अधिवेशन का सम्पूर्ण कार्य्य-विवरण बिना मूल्य दिया जायगा।

१६—विषय-निर्वाचिनी समिति

५६—सम्मेलन के प्रत्येक अधिवेशन में सभापति की वक्तृता के पश्चात् एक विषय-निर्वाचिनी समिति बनाई जायगी जो सम्मेलन का कार्य्य-क्रम तथा मन्तव्यों का रूप निश्चित करेगी। इस समिति में अधिक से अधिक १०० सभासद होंगे, जिनका निर्वाचन

भिन्न भिन्न प्रान्तों से आये हुए प्रतिनिधिगण करेंगे। प्रत्येक प्रान्त के सभासदों की संख्या अधिक से अधिक निम्नलिखित होगी—

संयुक्त प्रान्त	३५
बिहार और उड़ीसा	१५
मध्य-प्रदेश और बरार	१०
राजपूताना व मध्य-भारत	८
दिल्ली, पञ्जाब और पश्चिमोत्तर प्रदेश	८
बम्बई, गुजरात और सिंध, ...	८
बङ्गाल	५
मद्रास	१
जिस प्रान्त में सम्मेलन हो वहाँ से उपर्युक्त संख्या के अतिरिक्त	१०

समिति के कार्य्य के समय कम से कम २० सभासद अवश्य उपस्थित रहेंगे।

स्थायी-समिति के सदस्य भी इस समिति के सभासद समझे जायँगे।

समिति में जो प्रस्ताव उपस्थित किये जायँगे उन पर विचार करने के पहले किसी के समर्थन की आवश्यकता न होगी।

१७—सम्मेलन के अधिवेशन का कार्य-क्रम

५७—विषय-निर्वाचिनी समिति के निश्चय के अनुसार सम्मेलन के सामने कार्य्य उपस्थित किये जायँगे और सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधि उन पर विचार करेंगे।

५८—कोई प्रस्ताव बिना विषय-निर्वाचिनी समिति के स्वीकार किये सम्मेलन के सामने उपस्थित न किया जायगा, किन्तु सम्मेलन में २० प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर से किसी प्रस्ताव के आने पर सभापति उसके उपस्थित करने की आज्ञा देंगे।

५९—उपस्थित किये हुए प्रस्तावों पर सभापति को सूचना देने के बाद टिप्पणी करने और उनमें परिवर्तन अथवा उनके विरोध का प्रस्ताव करने का अधिकार प्रत्येक प्रतिनिधि को होगा।

१८—सम्मति-ग्रहण का क्रम

६०—सम्मेलन और उसके अन्तर्गत समितियों में सब कार्य्य उपस्थित सभ्यों की अधिकांश सम्मति से होंगे। केवल उपर्युक्त नियम ४९ के अनुसार सभापति-निर्वाचन के सम्बन्ध में सम्मति भेजने का जिन्हें अधिकार है उनकी तथा नियम ८५ के अनुसार परीक्षा-सम्बन्धी नियम-परिवर्त्तन के विषय में स्थायी-समिति के सभासदों की, पत्र-द्वारा भेजी हुई सम्मतियों की भी गणना की जायगी।

६१—यह बात सभापति निश्चय करेंगे कि किस विचार की ओर अधिक सम्मति है। परन्तु विषय-निर्वाचिनी समिति में प्रत्येक सदस्य और सम्मेलन में २० प्रतिनिधियों को अधिकार होगा कि किसी विवाद-ग्रस्त विषय के निर्णय के लिए दोनों पक्षों के समर्थन-कर्त्ताओं की संख्या अलग अलग कर गिनवावें।

इस नियम के अनुसार सम्मेलन सम्बन्धी अंश के कार्य्य करने के लिए सम्मेलन में किसी एक प्रतिनिधि के प्रस्ताव करने पर सभापति महाशय उपस्थित प्रतिनिधियों से पूंछ लेंगे कि २० प्रतिनिधि अलग अलग संख्या गिनवाना चाहते हैं या नहीं।

६२—सब अधिवेशनों में किसी विषय में दो पक्ष होने पर और दोनों पक्षों में बराबर सम्मतियाँ होने पर सभापति की सम्मति से मत निश्चय किया जायगा।

१९—परीक्षाएँ और परीक्षा-समिति

६३—सम्मेलन की ओर से प्रति वर्ष हिन्दी में तीन परीक्षाएँ ली जायँगी—प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा।

६४—इन परीक्षाओं का प्रबन्ध स्थायी-समिति के अधीन होगा। स्थायी-समिति परीक्षा के प्रबन्ध के लिए ग्यारह सज्जनों की एक परीक्षा-समिति नियत किया करेगी, जिनमें से ६ स्थायी-समिति के सभासद अवश्य होंगे। सम्मेलन के सभापति, उपसभापति, प्रधान मन्त्री और चारों मन्त्री उपर्युक्त ११ सदस्यों के अतिरिक्त परीक्षा-समिति के सदस्य होंगे। परीक्षा-समिति का कार्य्य तीन सदस्यों तक की उपस्थिति में हो सकेगा।

६५—परीक्षा-समिति को अधिकार होगा कि यदि आवश्यकता समझे तो अपनी ओर से समिति के लिए दो और सदस्य निर्वाचित कर ले।

६६—परीक्षाओं के केन्द्र, समय, ग्रन्थों का निर्धारण, परीक्षकों की नियुक्ति, परीक्षाओं के फल का विवरण और परीक्षा सम्बन्धी अन्य विषयों का प्रबन्ध परीक्षा-समिति करेगी। इन कामों के सम्बन्ध में विषयों का विभाग करके प्रत्येक वर्ग के वर्गी नियुक्त करने का अधिकार उसे होगा।

६७—परीक्षा-समिति का मुख्य-स्थान सम्मेलन-कार्य्यालय होगा।

६८—सभी देश, जाति और अवस्थाओं के परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकेंगे।

६९—प्रथमा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी मध्यमा परीक्षा में बैठ सकेगा। परीक्षा-समिति को अधिकार होगा कि किसी विशेष परीक्षार्थी को बिना प्रथमा में उत्तीर्ण हुए ही मध्यमा में सम्मिलित होने की अनुमति दे।

७०—मध्यमा परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को "विशारद" की उपाधि दी जायगी।

७१—विशारद-उपाधि-धारी ही परीक्षा-समिति द्वारा निर्धारित विषयों में से किसी एक विषय में उत्तमा परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।

७२—उत्तमा में उत्तीर्ण विशारद को उसके विषय में "रत्न" की उपाधि दी जायगी।

७३—प्रथमा में उत्तीर्ण व्यक्ति को प्रमाण-पत्र और उपाधि-परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति को उपाधि-पत्र मिलेगा, जिस पर सम्मेलन की मुद्रा की छाप के अतिरिक्त सभापति, प्रधानमन्त्री और परीक्षा-मन्त्री के हस्ताक्षर होंगे।

७४—इन परीक्षाओं में हिन्दी-भाषा और देवनागरी-लिपि का व्यवहार होगा।

७५—परीक्षा के समय स्थानादि की सूचना परीक्षा-समय से कम से कम चार मास पूर्व सम्मेलन-पत्रिका और समाचारपत्रों द्वारा दी जायगी।

७६—यदि कोई परीक्षार्थी किसी विषय वा विषयों में उत्तीर्ण न हो तो उसे अगले वर्ष उसी विषय वा विषयों में परीक्षा देने का अधिकार होगा।

७७—परीक्षार्थियों को सम्मेलन के छपे आवेदन-पत्र के फ़ार्म को भर कर समिति द्वारा नियत तिथि पर वा उससे पहले ही सम्मेलन-कार्य्यालय में भेज देना होगा। आवेदनपत्र के साथ नीचे लिखी रीति से शुल्क आना चाहिए—

प्रथमा परीक्षा	२)
मध्यमा परीक्षा	५)
उत्तमा परीक्षा	१०)

शुल्क सहित आवेदन-पत्र ठीक समय से न आने पर कोई परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित न हो सकेगा।

स्त्रियों से शुल्क नहीं लिया जायगा।

७८—आवेदन-पत्र का रूप परीक्षा-समिति निश्चित करेगी।

७९—सम्मेलन के प्रत्येक अधिवेशन में पिछली परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्तियों को सभापति प्रमाण-पत्र, उपाधियाँ, पदक, पारितोषिक आदि प्रदान करेंगे।

८०—परीक्षा-समिति को अधिकार होगा कि अरायज़-नवीसी और मुनीमी की विशेष परीक्षाएँ स्थापित करे।

८१—परीक्षा-समिति को अधिकार होगा कि परीक्षाओं के सम्बन्ध में ऐसे उपनियम बनावे जो उपर्युक्त नियमों के विरुद्ध न हों।

२०—विशेष अवस्था में कार्य

८२—यदि किसी समय कोई ऐसी अवस्था उपस्थित हो जाय जो नियमावली की किसी धारा के अन्तर्गत न हो तो स्थायी-समिति को अधिकार होगा कि अपने एक विशेष अधिवेशन में उस सम्बन्ध में निश्चय करके कार्य्य करे, परन्तु इसकी सूचना सम्मेलन के आगामी अधिवेशन में देनी होगी और भविष्य में सम्मेलन के निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार कार्य्य होगा।

२१—उपनियम

८३—स्थायी-समिति को अधिकार होगा कि सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे उपनियम बनावे जो उपर्युक्त नियमों के प्रतिकूल न हों।

२२—नियमों में परिवर्त्तन

८४—(क) इन नियमों में परिवर्त्तन करने का अधिकार सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों को होगा। परिवर्त्तन के प्रस्ताव करने का अधिकार सम्मेलन के सदस्यों, स्थायी-समिति के सभासदों तथा सम्बद्ध-संस्थाओं को होगा और ऐसे प्रस्ताव सम्मेलन के अधिवेशन से कम से कम दो मास पहिले स्वागत-समिति के मन्त्री और सम्मेलन के प्रधानमन्त्री के पास आ जाने चाहिएँ। प्रधानमन्त्री का कर्त्तव्य होगा कि नियमों के परिवर्त्तन के प्रस्ताव को समाचारपत्रों में प्रकाशित कर दें और स्थायी-समिति का विशेष अधिवेशन कर उसके सामने उपस्थित करें।

(ख) नियमों के परिवर्त्तन का प्रस्ताव अन्य प्रस्तावों की भाँति सम्मेलन में विषय-निर्वाचिनी-समिति द्वारा उपस्थित किया जायगा और अन्य प्रस्तावों की भाँति प्रतिनिधियों की अधिकांश सम्मति से स्वीकृत वा अस्वीकृत होगा। केवल मुख्य स्थान के बदलने के लिए यह आवश्यक होगा कि उस नगर के रहने वाले प्रतिनिधियों को छोड़ कर, जहाँ सम्मेलन का अधिवेशन हो, शेष उपस्थित प्रतिनिधियों में से दो तिहाई स्थान बदलने के प्रस्ताव का समर्थन करें।

८५—परीक्षा-सम्बन्धी नियमों में परिवर्त्तन करने का अधिकार स्थायी-समिति को भी होगा, किन्तु बिना आधे सभासदों की सम्मति के कोई परिवर्त्तन स्वीकृत न होगा।

सप्तम वर्ष की स्थायी-समिति के पदाधिकारी और सभासद

पदाधिकारी (६)

सभापति श्रीमान् साहित्याचार्य्य पं० रामावतार शर्मा पाण्डेय एम्० ए०, संस्कृत प्रोफेसर, पटना कालेज।
उपसभापति माननीय राय बहादुर पं० विष्णुदत्त शुक्ल, बी० ए०, सिहोरा रोड–जबलपुर।
" बाबू गौरीशङ्कर प्रसाद बी० ए०, एल-एल० बी० काशी।
प्रधान-मन्त्री बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन एम्० ए०, एल्-एल्० बी०।
अर्थ-मन्त्री बाबू शिवप्रसाद गुप्त काशी।
शिक्षा-मन्त्री प्रोफेसर व्रजराज बी० एस्-सी०, एल्० एल्० बी० प्रयाग।
प्रचार-मन्त्री बा० नवाब बहादुर, बी० ए०, एल्-एल्० बी०, प्रयाग।
प्रबन्ध-मन्त्री पं० लक्ष्मीनारायण नागर, बी०ए०, एल्-एल्०बी०, प्रयाग।
आय-व्यय-परीक्षक राय बहादुर बाबू लाल बिहारी लाल, बी० ए०, वकील, सतना।

श्रीमान् माननीय पण्डित मदनमोहन मालवीय, प्रयाग।
" " गोविन्द नारायण मिश्र गर्मेठ, काशी।
" " बद्रीनारायण चौधरी, मिरजापुर।
" महात्मा मुन्शीराम जी गुरुकुल, काङ्गड़ी।
" पण्डित श्रीधर पाठक, लूकरगंज, प्रयाग।
" बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० ए०, कालीचरण हाई स्कूल, लखनऊ।

सभासद ६७

संयुक्त-प्रान्त २१

प्रयाग (८)

चतुर्वेदी पं० द्वारकाप्रसाद शर्मा
पं० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल
साहित्याचार्य पं० चन्द्रशेखर शास्त्री
बा० रामदास गौड़

पं० रामजी लाल शर्मा
पं० कृष्णाकान्त मालवीय
पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी
ठा० शिवकुमार सिंह

गोरखपुर (१)

पं० राजमणि त्रिपाठी ।

कानपुर (२)

पं० महेशदत्त शुक्ल, बी० ए०, एल्-एल्० बी० ।
पं० गणेशशङ्कर विद्यार्थी, सम्पादक प्रताप ।

मिरजापुर (१)

पं० बद्रीनाथ शर्मा वैद्य, चौमुहानी ।

काशी (२)

प्रोफेसर श्रीप्रकाश, एम्० ए०, सेन्ट्रल हिन्दू कालेज ।
बा० बालमुकुन्द वर्मा, नैपाली खपरा ।

आगरा (२)

पं० केदारनाथ भट्ट, एम्० ए०, एल्-एल्० बी० वकील ।
श्रीयुत् पं० रामरत्न जी, नागरी-प्रचारिणी सभा ।

रायबरेली (१)

विशारद—बा० महावीर प्रसाद, बी० ए०, एल्० एल्० टी०, टीचर गवर्नमेण्ट स्कूल, बेलीगञ्ज ।

लखनऊ (१)

विशारद—बा० पुत्तनलाल विद्यार्थी ।

बुलन्दशहर (१)

सेठ मदनमोहन मुन्सिफ ।

ज्वालापुर (१)

पं० पद्मसिंह शर्मा ।

खीरी (१)

पं० मुरलीधर मिश्र बी० ए०, एल्-एल्० बी० वकील ।

विशेष (३)

श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, सम्पादिका स्त्री-दर्पण, जार्जटाउन, प्रयाग।
सैय्यद अमीर अली (मीर) धर्म जयगढ़ स्टेट।
पं० चन्द्रपाल वाजपेयी तालुकेदार, कन्धी उन्नाव।

बिहार-उड़ीसा १०

पं० रामलोचन पाण्डेय।
बा० अवध विहारी शरण, एम्० ए०, बी० एल्०।
बा० जगन्नाथप्रसाद पाण्डेय, एम्० ए०, बी० एल्०, नेशनल कालेज बाँकीपुर।
बा० राजेन्द्रप्रसाद, एम्० ए० एल्-एल्० बी०।
पाण्डेय सोना चौधरी, सम्पादक पाटली पुत्र।
बा० योगानन्द कुमार, सम्पादक मिथिलामिहिर।
बा० गोकुलानन्द वर्मा, सम्पादक विहारी।
श्रीकृष्णचैतन्य गोस्वामी, पटना।
बा० लक्ष्मीनारायण गुप्त, बी० ए० बी० एल्०।
पं० काशीनाथदास विद्याविनोद, प्रोफेसर राविंसन कालेज, कटक।

मध्य-प्रदेश और बरार ८

रायसाहब पं० रघुवरप्रसाद द्विवेदी, बी० ए०, जबलपुर।
रायबहादुर पं० हनुमानप्रसाद पाण्डेय, विजय राघवगढ़।
बा० माणिक्य चन्द जैन, बी० ए०, एल्-एल्० बी० वकील, खण्डवा।
पं० गोविन्दलाल पुरोहित, जबलपुर।
पं० प्यारेलाल बैरिस्टर ऐटला, छिन्दवाड़ा।
पं० माधव राव सप्रे, बी० ए०, तात्यापारा, रायपुर।
पं० रविशंकर शुक्ल, बी० ए०, रायपुर।
बा० घनश्याम सिंह गुप्त, बी० एस्-सी०, एल-एल्० बी०, दुर्ग।

राजपूताना और मध्य भारत ७

राय साहब पं० सरयूप्रसाद इन्दौर।
लाल सूर्य्यबली सिंह जू देव, दरबार रीवाँ।

पं० गणपति जानकीराम दुबे, हिन्दी-साहित्य सभा लशकर ग्वालियर।
पं० कृष्णशङ्कर तिवारी बीकानेर।
श्रीमान् माधव राव विनायक किबे एम्० ए० इन्दौर।
राय बहादुर गौरी शङ्कर हीराचन्द्र ओझा, अजमेर।
अधिकारी जगन्नाथप्रसाद जी विरक्त-मन्दिर, भरतपुर।

बङ्गाल ८

पं० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी—भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता।
सेठ जगन्नाथ प्रसाद झुनझुन वाला—रानीगञ्ज।
झावरमल शर्मा कलकत्ता समाचार।
पं० सकलनारायण शर्मा, संस्कृत कालेज—कलकत्ता।
पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता।
बाबू राधामोहन गोकुल जी।
बाबू युगुलकिशोर बिड़ला C/o बलदेवदास युगुलकिशोर, कलकत्ता।
पं० छोटूलाल मिश्र, भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता।

दिल्ली, पञ्जाब और पश्चिमोत्तर, सीमा-प्रदेश ५

पं० हरनारायण शास्त्री, प्रोफेसर हिन्दू कालेज, दिल्ली।
पं० जगन्नाथ पुच्छरत, अमृतसर।
प्रोफेसर गोवर्धन जी बी० ए०, दिल्ली।
लाला हंसराज जी, लाहौर।
दीवान मंगलसेन जी, लाहौर।

बम्बई गुजरात और सिन्ध ४

वाड़ीलाल मोतीलाल शाह।
हरिरामचन्द्र दिवेकर एम्० ए० महिलाश्रम, पूना।
नाथूराम प्रेमी रत्नाकर कार्यालय, गिरगाँव बम्बई।
नरसिंहदास खेमचन्द, ज़ावेरी हैदराबाद (सिन्ध)

मद्रास १

श्रीमान् स्वामी अनन्ताचार्य्य जी, काञ्चीवरम्।

(सभापति-सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन)

साहित्याचार्य्य पं० रामावतार शर्मा पाण्डेय एम्० ए०

पाण्डेय जी का जन्म सं० १९३४ में हुआ था। आपका गोत्र भारद्वाज है और आप सरयूपारीण ब्राह्मण हैं। आपके पूर्वज बहुत दिनों से सरयू नदी के उत्तर तट पर सारङ्गारण्य (सारन) के मुख्य नगर छपरा में रहते आये हैं। आपके पिता पण्डित देवनारायण शर्मा जी संस्कृत के विद्वान और बड़े बुद्धिमान थे। आपकी माता श्रीमती गोविन्द देवी भी विदुषी थीं। अतएव आपकी पाँच ही वर्ष की अवस्था से आपका विद्यारम्भ हुआ। बारह वर्ष की अवस्था में आपने बाँकीपुर में प्रथम वर्ग में प्रथम परीक्षा पास की और छात्र-वृत्ति पायी। प्रायः २० वर्ष की अवस्था में काशी की साहित्याचार्य परीक्षा में आप प्रथम वर्ग में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी बीच में आपने एन्ट्रेन्स तथा अन्य कई परीक्षायें पास कीं और बराबर छात्र वृत्तियाँ पायीं। धनाभाव के कारण आपके विद्वान पिता को आपकी शिक्षा जारी रखने के लिए बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी थीं। प्रायः २० वर्ष की अवस्था में ही आपके पिता का शरीरान्त हो गया। उस समय आपकी विदुषी माता सब प्रकार का आर्थिक कष्ट सह कर भी आपकी शिक्षा का यथेष्ट प्रबन्ध करती रहीं। सं० १९५५ में एफ़० ए०, सं० १९५७ में बी०ए० और सं० १९५८ में कलकत्ता विश्व-विद्यालय से एम्० ए० में आप उत्तीर्ण हुए। सभी परीक्षाओं में आप प्रथम वर्ग में प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण हुए। इसके पश्चात् आप काशी के हिन्दू कालेज में अध्यापक और प्रयाग विश्व-विद्यालय के परीक्षक हुए। सं० १९६३ में पटना के सरकारी कालेज में अध्यापक हुए और फिर वहाँ से दो वर्ष की छुट्टी लेकर आप कलकत्ते गये। वहाँ विश्व-विद्यालय में अध्यापक तथा वसुमल्लिक वेदान्त-व्याख्याता नियुक्त हुए। सं० १९६६ में आपको कलकत्ता विश्व-विद्यालय ने अपना सीनेट का सदस्य बनाया और आजकल आप पटना कालेज में अध्यापक हैं। आप बाल्यावस्था से ही स्वतन्त्र विचार के हैं। धार्मिक, सामाजिक आदि सभी विषयों में आपके विचार स्वतन्त्र हैं। शास्त्रार्थ में आप ऐसी ऐसी नवीन युक्तियों के प्रयोग करते हैं कि

पुराने और नये दोनों विचार के विद्वान चकित हो जाते हैं। एक ओर आप सरयूपारीण ब्राह्मण सभा के सभापति हुए हैं तो दूसरी ओर सोसल कान्फ्रेन्स के भी सभापति बनाये गये हैं। आपको विद्याभ्यास का बहुत बड़ा व्यसन है। आप बड़े से बड़ा कोई भी अधिकार नहीं चाहते यदि उसके कारण पठन-पाठन में विघ्न पड़े। आप बड़े ही मिलनसार हैं और छोटे बड़े सभी से प्रेम पूर्वक मिलते हैं।

हिन्दी की भी आपने बहुत कुछ सेवा की है और इस समय भी आप कुछ न कुछ करते ही हैं। प्रारम्भ से ही आपको लेख आदि लिखने का व्यसन था। अब तक आपके अनेक विद्वत्ता-पूर्ण लेख, निबन्ध और ग्रन्थ आदि प्रकाशित हो चुके हैं। पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर आपके लेख, पुरातत्व, विज्ञान और इतिहास आदि विषयों पर निकला करते हैं। आपने हिन्दी और संस्कृत में यों तो अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, किन्तु "परमार्थ-दर्शन" नाम का जो ग्रन्थ आपने लिखा है उससे आपकी अधिक ख्याति हुई है। उक्त दर्शन से चाहे कोई सहमत न हों, परन्तु उसके देखने से आपकी विद्वत्ता का भली भाँति परिचय मिलता है। आप स्वर्गवासी महामहोपाध्याय पं० गङ्गाधर शास्त्री जी के सुयोग्य शिष्य हैं। आप जिस प्रकार संस्कृत की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं उसी प्रकार हिन्दी से भी आपका प्रेम है। हम ऐसे अङ्ग्रेजी तथा संस्कृत के सुयोग्य विद्वान को आज हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति के आसन पर सुशोभित देख कर अतीव हर्षित और आशान्वित हैं कि इनका अनुकरण करके हमारे अन्य संस्कृत के तथा अङ्ग्रेज़ी के विद्वान भी अपना कर्तव्य समझ कर हिन्दी के प्रति अधिक प्रेम करने की कृपा करेंगे।

परीक्षा-समिति के सप्तम अधिवेशन का कार्य-विवरण

परीक्षा-समिति का सप्तम अधिवेशन रविवार मि० आश्विन कृ० १२, ता० २४ सितम्बर सन् १९१६ ई० को सम्मेल-कार्यालय में निम्न लिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ।

१ श्रीयुत बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन एम० ए०, एल० एल० बी०
२ " प्रो० रामदास गौड़ एम० ए०
३ " प्रो० तारा चन्द एम०ए०
४ " पं० चन्द्रमौलि शुक्ल एम० ए०, एल० टी०
५ " प्रो० ब्रजराज बी० एस-सी०, एल० एल० बी०
६ " प्रो० हीरालाल खन्ना एम० एस-सी०

संक्षिप्त कार्य-विवरण निम्नलिखित है

१—संयोजक ने श्रीयुत शांतिधर देसाई प्रो० मेल ट्रेनिंग कालिज बड़ौदा का ता० १२-६-१६ का पत्र उपस्थित किया जिसका सारांश यह है कि "जिन लोगों की मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है उन्हें हिन्दी जानने को उत्साहित करने के लिये कुछ सरल अभ्यास-क्रम हिन्दीसाहित्य मात्र का रखना और परीक्षा सम्भवतः एप्रिल में लेनी अवश्यक है।" एक मसौदा संयोजक ने उपस्थित किया, निश्चय हुआ कि विशेष परीक्षा लेने का अधिकार परीक्षा-समिति को न होने के कारण स्थायी-समिति के पास इसके लिये संयोजक निम्न लिखित रूप में मसौदा बना कर भेजदें।

(१) जिन लोगों की मातृ-भाषा गुजराती, मराठी, बंगला, उड़ियां, तामिल, तैलंगू कर्नाटकी वा मालायली हो उनके लिये एक विशेष परीक्षा हिन्दी-भाषा मात्र की ली आया करे।

(२) इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को १) शुल्क नियत तिथि पर वा उससे पहले देना होगा।

(३) इस परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाणपत्र दिया जायगा।

२—निश्चय हुआ कि अभी परीक्षकों को पत्र की जँचवाई नहीं दी जा सकती।

३—निश्चय हुआ कि मसौदा बनाकर वर्गियों के पास भेजा जाय और प्रार्थना की जाय कि अपनी सम्मति लिख करके भेजें।

४—कानपुर केन्द्र के मध्यमा के परीक्षार्थी रघुवर दयाल का प्रार्थना-पत्र इस आशयका, कि उनके लिए फिर से गणित में परीक्षा ली जाय उपस्थित किया गया। संयोजक की रिपोर्ट पर विचार करके निश्चय हुआ कि यह प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती।

परीक्षा-समिति के अष्टम अधिवेशन का कार्य-विवरण

परीक्षा समिति का अष्टम अधिवेशन बुधवार मिति कार्त्तिक कृष्ण ८, ता० १८ अक्टूबर सन् १९१६ ई० को सम्मेलन कार्यालय में निम्नलिखित सदस्यों के उपस्थिति में हुआ।

(१) बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन एम० ए०, एल० एल० बी०, प्रयाग
(२) बा० ताराचन्द्र एम० ए०, प्रयाग
(३) बा० हीरालाल खन्ना एम० एस-सी०, प्रयाग
(४) प्रो० ब्रजराज बी० एस-सी०, एल० एल० बी०, प्रयाग

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्न-लिखित है।

१—श्रीमती पार्वती देवी, आर्यकन्या पाठशाला, देहली का प्रार्थना पत्र उपस्थित किया गया। निश्चय हुआ कि पार्वती देवी जी तथा उनकी भगिनी प्रेमलता देवी को मध्यमा परीक्षा में बैठने की आज्ञा दीजाय।

२—प्रथमा और मध्यमा परीक्षा के परीक्षा-फल का निश्चय हुआ।

स्थायी-समितिका सातवां अधिवेशन

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की वर्तमान स्थायी समिति का सातवां अधिवेशन सम्मेलन कार्यालय में मि० का० शु० ६ सं० १९७३ ता० १ नवम्बर सन् १९१६ ई० बुधवार को सन्ध्या समय पांच बजे निम्न लिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ।

१ श्रीयुत परिडत केदार नाथ भट्ट आगरा
२ " " राजमणि त्रिपाठी गोरखपुर
३ " " चन्द्रशेखर शास्त्री प्रयाग
४ " " रामजी लाल शर्म्मा "
५ " ठाकुर शिवकुमार सिंह "
६ " प्रो० ब्रजराज "
७ " बा० नवाब बहादुर "
८ " बा० पुरुषोत्तम दास टण्डन "
९ " पं० लक्ष्मीनारायण नागर "

सर्व सम्मति से पं० केदारनाथ भट्ट ने सभापति का आसन ग्रहण किया।

१—आयव्यय-परीक्षक द्वारा परीक्षित २७ अक्टूबर सं० १९१६ तक का षष्ठ वर्ष का आयव्यय उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।

२—षष्ठ सम्मेलन सम्बन्धी आय-व्यय उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि स्वीकृत किया जाय और सम्मेलन की वहियों में समावेश कर दिया जाय।

३— राजिम के मन्नूलाल-स्मारक-वाचक-मन्दिर के मंत्री का प्रस्ताव उपस्थित किया गया जिसका आशय इस प्रकार है।

(१) [क] हिन्दी-साहित्य सेवियों को जिन्होंने सब से उपयोगी और गवेषणा-पूर्ण मौलिक ग्रन्थ की रचना की हो प्रथम १२००) द्वितीय ६००) तृतीय ३००) का उनकी श्रेणी के अनुसार पुरस्कार दिया जाय।

पच्चीस पुरस्कार एक दुशाला और २५) नकद उन महाशयों के लिये निश्चित किया जाय जो उत्तम कवि और वक्ता हों।

[ख] उन उपयोगी पत्रों वा मासिक पुस्तकों को जिनकी दशा अच्छी न हो अथवा अर्थाभाव से वन्द हो गयी हों द्रव्य से सहायता दी जाय।

(२) इस कार्य के लिये एक संयोजक समित और एक परीक्षक समिति बनायी जाय।

(३) इसके लिये सम्मेलन अपने दूसरे खर्चों में से कांट कसर करके द्रव्य बचावे अथवा अलग फंड द्वारा द्रव्य इकट्ठा करे।

सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि उनको लिखा जाय कि आपके विचार प्रशंसनीय हैं। उपयुक्त धन होने पर इस विषय पर विचार हो सकेगा। अभी धनाभाव से यह कार्य नहीं हो सकता। यदि कोई हिन्दी प्रेमी वा संस्था इस कार्य के लिये धन से सहायता करें तो इस विषय पर विचार हो सकता है।

४—गोरखपुर के पं० राजमणि त्रिपाठी ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि स्थान स्थान पर अदालती फार्मों को सम्मेलन द्वारा रखने का प्रबन्ध किया जाय। यह निश्चय हुआ कि आगामी सम्मेलन के बाद यह प्रस्ताव स्थायी-समिति के अधिवेशन में उपस्थित किया जाय।

५—सम्मेलन के कार्य-विवरण का मसौदा उपस्थित हुआ। हिसाब के सम्बन्ध में भी विचार हुआ कि २७ अक्टूबर के बाद ४ नम्बर तक का हिसाब किस प्रकार सम्मेलन में उपस्थित किया जाय। निश्चय हुआ कि स्थायी-समिति की यह बैठक स्थगित करके जबलपुर में ४ नवम्बर को ८ बजे रात्रि के समय सप्तम सम्मेलन के स्थान पर की जाय। वहां इन दोनों विषयों और अन्य आवश्यक विषयों पर विचार हों।

स्थायी-समिति का सातवां स्थगित अधिवेशन

स्थायी-समिति का स्थगित अधिवेशन जबलपुर में सप्तम सम्मेलन के स्थान पर मि० कार्त्तिक शु० १३ सं० १९७३ ता० ७ नवम्बर सन् १९१६ मंगलवार को प्रातःकाल आठ बजे निम्न लिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ।

श्रीयुत ठाकुर सरयू प्रसाद जी	इन्दौर
" बा० श्यामसुन्दर दास बी० ए०,	लखनऊ
" पं० गणेश विहारी मिश्र,	"
" बा० गौरीशङ्कर प्रसाद बी० ए०,	काशी
" पं० केदार नाथ भट्ट	आगरा
" पं० राजमणि त्रिपाठी	गोरखपुर
" ठाकुर शिवकुमार सिंह	प्रयाग
" पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी	"
" " रामजीलाल शर्म्मा	"

श्रीयुत पं० चन्द्र शेखर शास्त्री — प्रयाग
" प्रो० ब्रजराज जी — "
" बा० नवाब बहादुर — "
" " पुरुषोत्तम दास टण्डन — "

सर्व सम्मति से डाक्टर सरयू प्रसाद जी ने सभापति का आसन ग्रहण किया।

१—आय-व्यय-परीक्षक द्वारा परीक्षित कार्त्तिक सुदी २ सं० १९७२ ता० २८ अक्टूबर १९१६ से कार्तिक सुदी ९ सं० १९७३ ता० ४ नवम्बर सन् १९१६ तक का षष्ठ वर्ष का आय-व्यय उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।

२—सम्मेलन के सहायक मंत्री पण्डित रामकृष्ण सारस्वत जी ने षष्ठ वर्ष का वार्षिक विवरण पढ़ कर सुनाया और सर्व सम्मति से कुछ संशोधन के बाद स्वीकृत हुआ।

३—परीक्षा-समिति के संयोजक प्रोफेसर ब्रजराज जी ने परीक्षा समिति का वार्षिक विवरण पढ़ कर सुनाया और सर्व-सम्मतिसे स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय को धन्यवाद देकर अधिवेशन का कार्य्य समाप्त हुआ।

सम्पादकीय-विचार

प्रतिज्ञाता और पदक

गत वर्ष के सम्मेलन के अवसर पर ५६ सज्जनों ने परीक्षार्थियों को पुरस्कार देनेकी प्रतिज्ञा की थी। जिनमें से इस वर्ष के पुरस्कार प्रदाताओं में हमको केवल २७ नाम मिलते हैं। शेष महाशयों में कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा में ऐसे बन्धन लगाये हैं, जिनके कारण इस वर्ष उनका पुरस्कार किसी को नहीं मिल सकता था; किन्तु फिर भी १७ सज्जन ऐसे अभी शेष हैं जिनकी प्रतिज्ञानुसार परीक्षार्थियोंको पारितोषिक मिलना चाहिये, परन्तु अब तक उन लोगों ने देने की कृपा नहीं की है। हम आशा करते हैं कि वे सज्जन अब भी अपनी प्रतिज्ञा का महत्व समझ कर पारितोषिक भेजने की

उदारता दिखा कर प्रतिज्ञाताओं को अपकीर्ति से बचाने की कृपा करेंगे।

परीक्षा-फल

इस वर्ष उत्तमा में केवल परीक्षार्थी पहले पहल बैठे थे, किन्तु कोई उत्तीर्ण नहीं हुए और मध्यमा में ८६ आवेदन-पत्र आये, ४६ बैठे और केवल २५ उत्तीर्ण हुए सो भी ३ प्रथम श्रेणी में शेष २२ द्वितीय श्रेणी में; प्रथमा में ३७३ आवेदन-पत्र आये, २२८ बैठे और केवल १२३ उत्तीर्ण हुए। प्रथम श्रेणी में ३७, द्वितीय में ५० और शेष ३६ तृतीय श्रेणी में। गत वर्ष मध्यमा में १७ में १० उत्तीर्ण हुए, किन्तु इस वर्ष में ४६ में केवल २५; इसी प्रकार गत वर्ष की प्रथमा में ७७ में से ५५ उत्तीर्ण हुए थे, किन्तु इस वर्ष में २२८ में से केवल १२३ ही उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें सन्देह नहीं कि प्रथम वर्ष से दूसरे वर्ष का फल खराब था और दूसरे से इस वर्ष का और भी अधिक खराब फल है। दिनोंदिन परीक्षा-फल में न्यूनता क्यों हो रही है और अधिकतर किन विषयों में परीक्षार्थियों को असफलता हुई है, और इसका निवारण क्योंकर हो सकता है, इस पर हम अगली सङ्ख्या में विचार करेंगे। इस समय केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि परीक्षार्थियों ने अपनी तैयारी में असावधानी की है। ऐसा करने से उनकी और परीक्षा-समिति की भी हानि है। उनका तो समय व्यर्थ जाता है, और बिना जाने लोग परीक्षकों की कड़ाई की निन्दा करते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वर्ष परीक्षार्थी अधिक परिश्रम से अपनी तैयारी करके अधिक सफलता प्राप्त करेंगे।

परीक्षा और देवियां

इस वर्ष मध्यमा परीक्षा में ३ देवियाँ बैठीं, जिनमें से २ उत्तीर्ण हुई हैं। एक उत्तम श्रेणी में दूसरी सङ्ख्या में और दूसरी द्वितीय श्रेणी में। प्रथमा में १३ बैठी थीं, जिनमें से १० उत्तीर्ण हुई हैं। हर्ष की बस्त है कि उत्तीर्णों में देवियों की सङ्ख्या सन्तोषप्रद और पुरुषों के ध्यान देने योग्य है। २७ पुरस्कारों में से ७ पुरस्कार भी देवियों को मिले हैं, जिनमें सब से बड़ा पुरस्कार सेठ जगन्नाथ झुनझुन वाला का ६३) की स्वर्ण की चूड़ियों का था।

परीक्षा-सम्बन्धी अन्य बातें अगली सङ्ख्या में संयोजक जी की रिपोर्ट से विदित होंगी।

सम्मेलन-पत्रिका के नियम

१—यह पत्रिका सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग से प्रतिमास प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक मूल्य १) रु० इस लिये रक्खा गया है कि सर्वसाधारण इसके ग्राहक हो सकें।

२—अभी इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे। आवश्यकता होने पर पृष्ठ सङ्ख्या बढ़ा भी दी जाया करेगी। आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्यिकों को रुचिकर हुई, और ग्राहकों की यथोचित सङ्ख्या हो गयी तो अधिकतर पृष्ठ-सङ्ख्याओं में और अधिकतर उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी।

३—प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र और रुपये आदि तथा सम्पादन सम्बन्धी पत्र पुस्तकें परिवर्त्तन के पत्रादि सब "मन्त्री, सम्मेलन कार्य्यालय, प्रयाग" के नाम आने चाहियें।

विज्ञापन छपाई के नियम

६ मास अथवा उससे अधिक दिनों के लिये

	१ पृष्ठ,	आधा पृष्ठ	और चौथाई पृष्ठ के
कवर पेज पर	५)	३)	२)
साधारण पेज पर	४)	२॥)	१॥)

विशेष बातें जाननी हों तो मन्त्री जी से पूछिये

क्रोड़पत्र बँटाई के नियम

आधा तोला तक अथवा इससे कम के लिये ... १०)

१ तोला के विज्ञापन के लिये ... ... १२)

मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

नोट—विज्ञापन के ऊपर यह छपा होना चाहिये कि अमुक मास की "सम्मेलन-पत्रिका" का क्रोड़पत्र और उसमें यथोचित समाचार भी होने चाहियें।

सम्मेलन कार्यालय को नयी और अत्यन्त उपयोगी पुस्तकें

नागरी अङ्क और अक्षर

इस ग्रन्थ में अङ्कों और अक्षरों की उत्पत्ति पर जो बड़े गवेषणा पूर्ण लेख प्रथम और द्वितीय सम्मेलन में पढ़े गये थे, सङ्कलित हैं। हिन्दी में ऐसी दूसरी पुस्तक है ही नहीं। मूल्य ≡)

इतिहास

यह ग्रन्थ पं० विष्णुशास्त्री चिपलूणकर के प्रसिद्ध निबन्ध का अनुवाद है। मध्यमा के पाठ्य ग्रन्थों में होने के अतिरिक्त यह अत्यन्त रोचक भी है। इतिहास का वास्तविक महत्व इससे जाना जा सकता है। मूल्य ≡)

अन्य पुस्तकें

प्रथम वर्ष का विवरण	।)	पञ्चम " "	॥)
द्वितीय वर्ष "	।)	नीतिदर्शन " "	॥।)
तृतीय वर्ष "	।=)	लाजपतराय की जीवनी	१)
चतुर्थ वर्ष "	॥)	हिन्दी का सन्देश	-)
प्रथम सम्मेलन की लेखमाला	॥।)	इतिहास	≡)
द्वितीय " "	१)	नागरी अङ्क और अक्षर	≡)
तृतीय " "	॥।)	सौ अजान और एक सुजान	।=)
चतुर्थ " "	॥।)	पिङ्गल का फलक (प्रथमा के लिये)	-)

मन्त्री-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कार्यालय,

प्रयाग।

पं० सुदर्शनाचार्य्य बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से पं० रामकृष्ण शर्म्मा द्वारा प्रकाशित।

Reg. No. A-629

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

की

मुखपत्रिका

भाग ४ } चैत्र, संवत् १९७४ { अङ्क ७

विषय-सूची

वा० मू० १)] [मूल्य ।)

सम्पादक—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी।

सम्मेलन के उद्देश्य

(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गों की उन्नति का प्रयत्न करना।

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश-व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना।

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना।

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्व-विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-समूहों तथा व्यापार ज़मींदारी और अदालतों के कार्य्यों में देवनागरी-लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना।

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारितोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना।

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना।

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्तमान संस्थाओं की सहायता करना।

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना।

(९) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी पुस्तकें तैयार कराना।

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जाँय उन्हें काम में लाना।

सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना और साहित्य-प्रेमियों को उन्हीं के लिये उपदेश देना।

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित

भाग ४ } चैत्र, संवत् १९७४ { अङ्क ७

युक्त-प्रदेश में हिन्दी

हिन्दी कोई भाषा नहीं है, यह बात युक्त-प्रदेश की व्यवस्थापिका सभा में कही जा सकती है, यह युक्त-प्रदेश के बाहर के लोगों की समझ में नहीं आ सकती। पर २६ फरवरी को मि० चिन्तामणि के प्रस्ताव पर कौन्सिल के कुछ मुसलमान सदस्यों ने यही बात कही है। मि० चिन्तामणि ने प्रस्ताव किया था कि, मैनुअल आफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स के १४३ ए (बी) पैरे में जहाँ सब-जजों और मुन्सिफों के लिए फारसी अक्षरों में हिन्दुस्तानी का (उर्दू का) ज्ञान आवश्यक समझा था, वहाँ नागरी अक्षरों में हिन्दी का भी आवश्यक कर दिया जाय। प्रस्ताव के समर्थन में मि० चिन्तामणि ने कहा कि, जब डिप्टी कलेक्टरों, सिविलियनों और पुलिस वालों के लिए हिन्दी और उर्दू का जानना आवश्यक समझा जाता है, तब सब-जजों और मुन्सिफों के लिए क्यों न समझा जाय। इसके साथ ही सर ऐण्टनी मैकडनेल ने हिन्दी के सम्बन्ध में जो कारखाई की थी, उसकी चर्चा करते हुए मि० चिन्तामणि ने कहा कि, डा० ग्रियर्सन के मत से युक्त-प्रदेश के ४,७०,००,००० मनुष्यों में ४॥ करोड़ हिन्दी बोलते हैं। मि० चिन्तामणि के प्रस्ताव और समर्थन में अनुचित कोई बात नहीं थी, तोभी हमारे मुसलमान भाइयों ने इसका विरोध किया

और विरोध ही नहीं किया, बल्कि हिन्दी के पक्षपातियों को उर्दू का शत्रु बताया और बहुत सी ऐसी बातें कहीं, जो अनुचित ही नहीं, बल्कि असत्य भी थीं।

नवाब अब्दुल मजीद ने इस प्रस्ताव को हिन्दू मुसलमान प्रश्न का रूप देकर बड़े भारी दुःसाहस की यह बात कह डाली कि, उर्दू भारत की राष्ट्र-भाषा है! उर्दू की गिनती भारत की मुख्य भाषाओं में होती है सही, पर जो उर्दू भाषा अदालती काग़ज़ों और पुस्तकों में लिखी जाती है, वह भारत की तो किसी प्रकार हो ही नहीं सकती, अशिक्षित मुसलमानों की भी भाषा नहीं हैं। युक्त-प्रदेश के अशिक्षित मुसलमान—जिन्होंने उर्दू फारसी की शिक्षा नहीं पायी है—वह उर्दू नहीं बोलते। इसलिए उर्दू समस्त भारत की तो क्या, समस्त मुसलमानों की भी भाषा नहीं है; पर नवाब अब्दुल मजीद कहते हैं कि, भारत के गाँव का आदमी भी उर्दू समझता है, हिन्दी नहीं? जो लोग गूलर के कीड़े की तरह युक्त-प्रदेश को ही भारत समझ रहे हैं, वे जानते हैं कि प्रत्येक प्रदेश के मुसलमान उस प्रदेश की भाषा नहीं बोलते हैं; जैसे—पञ्जाब के पञ्जाबी, बङ्गाल के बंङ्गला, उड़ीसे के उड़िया, मद्रास के तामील, तेलगू और मलायलम, बम्बई के मराठी, गुजराती, कानड़ी और सिन्धी। पर युक्त-प्रदेश में जिस उर्दू में पुस्तकें लिखी जाती हैं, वह उर्दू बिना सीखे अन्य प्रदेशों के मुसलमान नहीं समझ सकते; इसलिए उर्दू राष्ट्र-भाषा वा सामान्य भाषा कैसे हो सकती है? हाँ, सरल उर्दू, जिसका दूसरा नाम हिन्दी है, थोड़ी बहुत सब प्रदेशों के हिन्दू मुसलमान समझ सकते हैं।

नवाब साहब की दूसरी बात यह है कि, अङ्ग्रेज़ी शासन के प्रारम्भ में किसी ने हिन्दी-भाषा का नाम नहीं सुना। हिन्दी अक्षर रहे हों, उन्हें वे लोग लिखते थे, जो कभी सभ्य वा शिक्षित नहीं कहे जा सकते। नवाब अब्दुल मजीद को भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास का कितना ज्ञान है, यह उनकी इसी बात से जान पड़ता है। क्या ही अच्छा होता कि वे पहले कुछ खोज कर लेते, फिर ऐसी बे सिर पैर की बातें कहते। उन्हें जानना चाहिये कि, लल्लू लाल जी ने जान गिल-क्राईस्ट साहब की आज्ञा से १८०० ई०

में प्रेमसागर की रचना की थी और इसके पहले भी गद्य-पद्य की अनेक पुस्तकें बनी थीं। यह सच है कि, मुसलमानी राज्य में उर्दू फ़ारसी की चर्चा बहुत थी और जिस प्रकार आज अङ्ग्रेज़ी न जानने वाले की पूछ कम होती है, उसी प्रकार उन दिनों हिन्दी संस्कृत के परिडतों की थी। पर इतना होने पर भी हिन्दी भाषा का लोप नहीं हुआ और जातीयता के रक्षक हिन्दुओं ने उसकी भी रक्षा की। हिन्दी कवियों का आदर तो मुगलों के दरबार में भी था और मुसलमान कवियों की कभी भी नहीं थी; इसलिए यह कहना कि, हिन्दी कोई भाषा ही नहीं थी, सत्य की हत्या करना है।

किसी समय उर्दू और हिन्दी में कुछ भी अन्तर न था। एक ही भाषा नागराक्षरों में जब लिखी जाती थी, तब हिन्दी कहाती थी और फ़ारसी अक्षरों में लिखी जाती थी, तब उर्दू। एक ओर अरबी फ़ारसी के मौलवियों ने उसमें उन भाषाओं के शब्द और वाक्य-विन्यास का बहुत प्रयोग प्रारम्भ किया और दूसरी ओर संस्कृत के परिडतों ने हिन्दी में संस्कृत शब्दों का प्रवेश कराया; इसलिए यद्यपि आज भी ढाँचा हिन्दी उर्दू का प्रायः एक ही है, तथापि दोनों में बहुत अन्तर आ गया है और उन्हें स्वतन्त्र भाषा मानना ही पड़ता है। हिन्दी में संस्कृत शब्द इसी कारण बढ़े हैं कि, उर्दू में अरबी फारसी शब्दों की भरमार होने के कारण उससे केवल हिन्दी जानने वालों का सम्बन्ध टूट रहा है। हिन्दी के प्रति लोगों के कुसंस्कार कैसे बद्धमूल हैं कि, नवाब अब्दुल मजीद को यह कहने में भी संकोच न हुआ कि, हिन्दी लिखने वाले ही उसे सहज में नहीं पढ़ सकते और उसे लिखने में भी बड़ी देर लगती है। यह तो सभी समझ सकते हैं कि, जिस भाषा के लिखने में देर लगती है, उसके पढ़ने में कठिनाई नहीं हो सकती; क्योंकि वह स्पष्ट लिखी जाती है। युक्त-प्रदेश की सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी मि० बर्न हिन्दी को किस दृष्टि से देखते हैं, यह इतनी प्रसिद्ध बात है कि इसका उल्लेख व्यर्थ है। पर नवाब अब्दुल मजीद की तरह उनकी भूलें क्षन्तव्य नहीं हैं।

मि० बर्न ने हाईकोर्ट के एक भारतीय जज का यह वक्तव्य पढ़ सुनाया कि, युक्त-प्रदेश के शिक्षितों को हिन्दी अक्षर पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है। मि० बर्न को यह समझना चाहिए कि, यदि हाई-

कोर्ट का कोई जज दिन को रात कह दे, तोभी लोग उसे रात न मानेंगे। हाईकोर्ट के जज की दुहाई देने से ही काम नहीं चल सकता। प्रश्न यह है कि, जो लोग हिन्दी सीख चुके हैं, उन्हें उसे पढ़ने में कठिनाई होती है या उन्हें, जिन्होंने कभी उसका कक-हरा भी नहीं पढ़ा। यदि हिन्दी न जानने वाले हिन्दी नहीं पढ़ सकते, तो उसमें हिन्दी का क्या दोष है? क्या उर्दू अथवा संसार की कोई भाषा बिना सीखे भी कोई मनुष्य पढ़ सकता है? यदि हिन्दी अक्षर सीख कर कोई उसे न पढ़ सके तो अवश्य ही हिन्दी अक्षरों का दोष है, पर ऐसा नहीं होता। मि० बर्न ने कौन्सिल में उपस्थित वकीलों की दुहाई देकर कहा कि, जो हिन्दी अदालतों में आती है, उसे पढ़ने में उन लोगों को भी कठिनाई होती है। यह बात ठीक नहीं जान पड़ती। नागरी अक्षरों में लिखी हिन्दी के विषय में कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि, उसका जानने वाला भी उसे नहीं पढ़ सकता। हम मि० बर्न को चैलेञ्ज देते हैं कि, आप इसे सिद्ध करें। हाईकोर्ट के जज वा वकीलों की दुहाई देने से काम नहीं चल सकता। मि० बर्न का यह कथन सर्वथा निराधार है कि, नागरी अक्षरों में लिखी हिन्दी पढ़ने में देर लगती है।

युक्त-प्रदेश के अधिकांश मुसलमान नेता हिन्दू नेताओं को तो उर्दू का विरोधी कहते हैं, पर आप हिन्दी का अस्तित्व ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसका प्रमाण मि० रज़ा अली का प्रस्ताव और व्याख्यान है। मि० चिन्तामणि ने कहा था कि, सब-जजों और मुन्सिफों को नागरी अक्षरों में हिन्दी का लिखना पढ़ना भी आना चाहिए, पर मि० रज़ा अली ने कहा कि, "नागरी अक्षरों में हिन्दी का" पद के बदले "फ्रेञ्च, रशियन, इटालियन और फ़ारसी" भाषाएँ रखी जायँ। इससे क्या सिद्ध होता है? यही तो कि, मि० रज़ा अली हिन्दी का प्रचार होने देना नहीं चाहते। मि० रज़ा अली ने कहा कि, हिन्दी कोई भाषा नहीं है; इसलिए आप लोगों को फ्रेञ्च, रशि-यन, इटालियन और फ़ारसी भाषाओं के प्रयोग का समर्थन करना चाहिए और मैं समझता हूं कि, उनके व्यवहार से उन शक्तियों से हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध हो जायगा, जो हमारे साथ मिल कर समर में लड़ रही हैं। फ़ारसी मैंने इसलिए जोड़ दी है कि, उससे मन

उन्नत होता है। हमें आश्चर्य है कि, कौन्सिल में इस प्रकार की वे सिर पैर की बातें भी कही जा सकती हैं। भला, फ्रेञ्च, रशियन और इटालियन से युक्त-प्रदेश वा भारत के न्यायालयों का क्या सम्बन्ध है? रही फ़ारसी, सो वह तो बहुत समय तक अदालती भाषा रह चुकी है और देश-भाषा न होने के कारण ही उसका बहिष्कार हुआ है। पर मि० रज़ा अली को तो हिन्दी का विरोध करना था और वह उन्होंने इस तरह किया।

नवाब अब्दुल मजीद और मि० रज़ा अली ने अपने भाषणों में इधर उधर की इतनी अनावश्यक बातें कहनी आरम्भ की थीं कि, कई बार तो अध्यक्ष ने उन्हें सावधान किया और मि० रज़ा अली को बैठा ही दिया। इनके व्याख्यानों की तुलना पं० तारादत्त गैरोला, पं० राधाकृष्णदास और लाला सुखवीर सिंह के व्याख्यानों से जब करते हैं, तब मालूम होता है कि, उनके मूल में क्रोध और द्वेष है और इनके शान्ति। मि० वज़ीर हसन ने भी प्रस्ताव का विरोध किया था, पर इस विरोध और उस विरोध में बड़ा अन्तर था। जो हो, यदि विरोधी सदस्य वाद-ग्रस्त प्रस्ताव कह कर इसका विरोध करते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी; पर उन्होंने इसमें बड़ी कटुता उत्पन्न कर दी और संसार को यह दिखाने की चेष्टा की कि, हिन्दू नेता उर्दू की जड़ काटना चाहते हैं; पर ऐसी कोई बात नहीं है। हिन्दू नेता यही चाहते हैं कि, हिन्दी को उसका प्राप्य स्थान मिले। हिन्दुओं का कहना है कि, हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है; इसलिए राज-काज में जिस प्रकार उर्दू का व्यवहार होता है, उसी प्रकार आवश्यकतानुसार हिन्दी का भी हुआ करे। पर हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि, हिन्दुओं की भाषा तो उर्दू है, वे व्यर्थ ही हिन्दी, हिन्दी चिल्ला कर उर्दू को नष्ट करना चाहते हैं। यह विचित्र बात है कि, हिन्दू अपनी भाषा, जो मुसलमानों के मतानुसार उर्दू है, छोड़ कर दूसरी भाषा हिन्दी को अपना रहे हैं!

यह बात कही गयी कि, हिन्दी कोई भाषा नहीं है और हो भी तो सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया है। इस विषय में विचारणीय बात यह है कि, क्या सरकार के स्वीकार करने न करने पर किसी

भाषा का अस्तित्व निर्भर रहता है। यदि वास्तव में कोई भाषा प्रचलित हो तो हमारी समझ में सरकार के उसे न स्वीकार करने पर भी लोग उसका व्यवहार करेंगे और वह भाषा मानी जायगी। पर हिन्दी को सरकार ने नहीं स्वीकार किया है, यह भी तो नहीं कह सकते। प्राथमिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों को हिन्दी और उर्दू में शिक्षा दी जाती है। अङ्ग्रेज़ी स्कूलों में उर्दू की तरह ही हिन्दी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ायी जाती है और विश्वविद्यालय भी हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकें नियत करते हैं; इसलिए हिन्दी के सरकार के स्वीकार न करने की बात सच नहीं है। 'प्रेमसागर' बनने के समय से आज तक शिक्षा-विभागों ने हिन्दी को भाषा स्वीकार किया है। गदर के पहले और बाद हिन्दी स्कूलों में पढ़ायी जाती थी और है तथा अनेक पाठ्य-पुस्तकें और ग्रन्थ इस भाषा में हैं। १८८४ के शिक्षा कमीशन में मि० जस्टिस महमूद ने कहा था कि, इस प्रदेश के लोग हिन्दी द्वारा शिक्षा पसन्द करते हैं। यदि हिन्दी कोई भाषा न होती तो ३३ वर्ष पहले मि० महमूद ऐसी बात क्यों कहते ? इससे सिद्ध है कि, जो लोग कहते हैं कि, हिन्दी कोई भाषा नहीं है, वे सच नहीं बोलते। हिन्दी अपनी सब बोलियों समेत, कुछ थोड़े से हिन्दुओं को छोड़, सब हिन्दुओं की भाषा है। इस वादानुवाद में सब से आश्चर्य-जनक बात यह देखने में आयी कि, खां बहादुर सैयद आले नबी जैसे मुसलमान सज्जनों की यह समझ है कि, हिन्दू अपने घरों में उर्दू बोलते हैं !

युक्त-प्रदेश के शिक्षित मुसलमान हिन्दी के नाम से कितना चिढ़ते हैं—इसका दूसरा प्रमाण प्रयाग-विश्वविद्यालय की सेनेट के १० मार्च के अधिवेशन से मिलता है। आजकल उक्त विश्वविद्यालय में देश-भाषाओं के पाठ्य-विषयों पर विचार करने और मत देने के लिए एक ही बोर्ड है; पर उक्त विश्वविद्यालय कई ऐसी देश-भाषाओं में भी परीक्षा लेता है, जिनके जानने वाले बोर्ड में नहीं हैं। इसलिए पं० इक़बाल नारायण गुर्टू ने प्रस्ताव किया कि, देश-भाषाओं के लिए एक के बदले तीन बोर्ड बनाये जायँ। इनमें एक हिन्दी का, दूसरा उर्दू का और तीसरा अन्य भाषाओं का हो। "फैकलटी आफ आर्ट्स" ने यह प्रस्ताव पसन्द किया था, पर सेनेट में एक के बाद

दूसरे मुसलमान फेलो ने इसका विरोध करना आरम्भ किया और अन्त को इस प्रस्ताव पर विचार नहीं हुआ। सैयद करामत हुसैन ने कहा कि, बोर्ड का काम मज़े में चल रहा है और यह समय, ख़र्च घटाने का है, पर इस प्रस्ताव से ख़र्च बढ़ेगा। साथ ही यह भी कठिनाई है कि, एक बोर्ड किसी भाषा में सरल पुस्तक नियत करेगा और दूसरी भाषा में वैसी सरल पुस्तक न मिलेगी तथा यदि दोनों को समान अवस्था में रखने वाले न रहे तो परीक्षक सरल पुस्तकों की ओर प्रवृत्त होंगे। मि० अब्दुर्रऊफ़ ने कहा कि, यदि हिन्दी और उर्दू के लिए अलग अलग बोर्ड रहे तो शिक्षा का मान घटाने में कठिनाई होगी। मि० मैकेंजी ने कहा कि, वादानुवाद से मुझे जान पड़ता है कि, हिन्दी-उर्दू प्रश्न उठेगा। डा० ज़िया उद्दीन अहमद ने भी यही बात कही। डा० गङ्गानाथ झा और पं० गोकर्णनाथ मिश्र ने बहुतेरा समझाया कि, इससे हिन्दी-उर्दू के झगड़े का कोई सम्बन्ध नहीं है, पर लोगों की समझ में यह बात नहीं आयी। पं० इकबाल नारायण गुर्टू हिन्दी की अपेक्षा उर्दू बहुत अच्छी जानते हैं और प्रस्ताव के अनुमोदक रा० ब० ज्ञानेन्द्रनाथ चक्रवर्ती बङ्गला-भाषी हैं, इससे इनपर उर्दू के विरोध का अभियोग नहीं लग सकता, तथापि मुसलमान भाइयों ने इसका विरोध किया, यह अत्यन्त खेद का विषय है।

मि० चिन्तामणि के प्रस्ताव के वादग्रस्त होने में मत-भेद हो सकता है, पर गुर्टू जी का प्रस्ताव सर्वथा निर्दोष था इसपर विरोध कितना प्रबल था, यह उल्लिखित बातों से पाठक समझ सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि, युक्त-प्रदेश में हिन्दी का जो यह विरोध हो रहा है, उसे शान्त करने का क्या कोई उपाय नहीं है? यह प्रश्न हम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति से कर रहे हैं। मुसलमानों से मिल कर यह काम हो सकता है या नहीं? हम उर्दू के विरोधी नहीं हैं और न उसे दबाना ही चाहते है, पर हम यह भी नहीं चाहते कि, हिन्दी की उन्नति में इस प्रकार बाधा खड़ी की जाय। आशा है, स्थायी-समिति शान्त चित्त से इस विषय पर विचार करेगी।

(दैनिक भारत-मित्र से)

नवम मराठी साहित्य-सम्मेलन इन्दौर

इन्दौर के मराठी-भाषा-प्रेमियों ने थोड़े ही दिनों की अवधि में जिस व्यवस्था तथा कर्तव्य-तत्परता के साथ साहित्य-सम्मेलन को यशस्वी करने का प्रयत्न किया है, उसके लिए उनकी प्रशंसा करना अवश्य है। मालव देशी नगरों में, विद्या तथा कार्य-तत्परता के विषय में इन्दौर के लोग प्रसिद्ध हैं; तथापि हमको यह शंका थी कि और प्रान्तों की तरह हमारे मालव देशस्थ साहित्य-सेवी इस सम्मेलन को सफलता-पूर्वक न चला सकेंगे; परन्तु अत्यन्त हर्ष का विषय है कि मालवा ने अपनी कीर्ति को मलीन नहीं होने दिया। जिस मालव देशीय नरपुंगवों की राज-सभा में कालिदास जैसे साहित्य-कार सूर्य चमक गये हैं, उसी मालवीय इन्दौरस्थ महाराष्ट्र साहित्य-सेवियों ने अगर इस विद्वज्जन भूमि की कीर्ति को कलङ्कित न होने दिया तो उसमें आश्चर्य ही क्या?

प्रथम दिवस

सम्मेलन का कार्य तारीख ९ मार्च सन् १९१७ ई० को ठीक ४ बजे प्रारम्भ किया गया। इन्दौर के "लेडीज क्लब" के पास ही एक विशाल पण्डाल तैयार किया गया था, जिसमें कोई ६ या ७ सहस्र मनुष्यों के लिये स्थान था। नियत समय के पूर्व ही सभा-स्थान साहित्य-सेवी प्रतिनिधियों तथा प्रेक्षकों से ठसाठस भर गया था। साहित्य-सेवियों में मराठी उपन्यास जगत के स्काट श्रीयुत हरिनारायण आपटे, श्रीयुत केलकर सम्पादक केसरी व मराठा, इतिहास लेखन में कुशल बड़ौदा के श्रीयुत गोविन्दराव सरदेसाई, प्रो० पाटणकर, डा० ताम्बे, मि० पोतदार, प्रो० कानेटकर (जबलपुर), प्रो० भानु, श्रीमती सौ० सरलाबाई नाइक, एम० ए०, श्रीमती सौ० काशीबाई कानिटकर, श्रीमती सौ० कमलाबाई साहब किबे इत्यादि अनेक स्त्री पुरुष सरस्वती देवी की उपासना के निमित्त इस होलकर-राजधानी में उपस्थित थे। इनके अतिरिक्त कई साहित्य-सेवी स्त्री-पुरुष और भी थे, जिनका नामोल्लेख स्थानाभव से नहीं किया जाता है।

साहित्य के उन्नति का प्रयत्न राजाश्रय तथा धनाश्रय न होने से भली भाँति फलप्रद नहीं हो सकता, यह बात यहाँ के साहित्य-सेवियों को अच्छी तरह मालूम थी। इसी लिए सम्मेलन को निमन्त्रित करने के पहिले श्रीमान् सवाई तुकोजीराव महाराज होलकर साहब से इस विषय में आज्ञा ले ली गयी थी। अत्यन्त हर्ष का विषय है कि पूजनीय महाराजा साहब बहादुर ने केवल आज्ञा ही नहीं, वरन् सम्मेलन की सफलता के लिए हर तरह से सहायता देने की उदारता प्रकट की। इतना ही नहीं, वरन् इन्दौर राज्य के वर्तमान चीफ़ मिनिस्टर दुबे साहब ने भी सम्मेलन को सहायता देने की इच्छा प्रकट की। श्रीमान् महाराजा साहब की विद्या-प्रियता तथा सुजनता के कारण ही सम्मेलन यशस्वी हो सका, अन्यथा मालवा में किसे इतनी आशा थी।

स्वागत-मण्डल के अध्यक्ष श्रीयुत रा० बा० जनरल गोविन्दराव मतकर थे। आपके समान उत्साही तथा स्वभाषा हितरत नेता की अध्यक्षता में स्वागत-मण्डल ने यदि सन्तोष-पूर्ण काम किया तो उसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं। ठीक चार बजे सम्मेलन के सभापति श्री० गणेश जनार्दन आगाशे, बी० ए०, सभा-मण्डप में पधारे। आपका स्वागत सब दर्शकों ने करतल-ध्वनि से किया। आपके आगमन के पश्चात् थोड़े ही देर से श्रीमन्त महाराजा सवाई तुकोजीराव होलकर का आगमन हुआ। आपके शुभ आगमन के समय सभा-मण्डप के द्वार पर होलकर स्टेट बैण्ड ने दरबार का राष्ट्र गीत बजाया। श्रीमन्त महारानी साहबा भी स्त्रियों के लिए जो परदे की जगह थी, वहाँ आकर विराजमान हुईं। बड़ोदा के श्रीमन्त सम्पतराव गायकवाड़ भी आ उपस्थित हुए। साहित्य-चर्चा के लिए आये हुए इन महानुभावों का स्वागत पाँच बालिकाओं ने अपने सुमधुर गायन से किया। वाग्देवी की उपासना के हेतु जिन्होंने अपना तन, मन, धन दे रक्खा है, ऐसे सरस्वती-भक्तों का स्वागत बालिकाओं ने किया, यह यथायोग्य ही हुआ। थोड़े ही समय के पूर्व जो जन-समूह गड़बड़ कर रहा था, वह अब बिलकुल स्तब्ध हो गया।

स्वागत गीत होने के पश्चात् श्रीमान् लेले शास्त्री जी ने एक

कविता पढ़ी। आपके बाद स्वागत-मण्डल के अध्यक्ष श्रीयुत जनरल मतकर साहब ने एक सुदीर्घ वक्तृता दी। आपने आये हुए प्रतिनिधियों का प्रेम-पूर्वक स्वागत करते हुए श्रीमन्त महाराजा होलकर के कृपा-छत्र के नीचे विद्योन्नति किस तरह हो रही है, इसका वर्णन किया। आपने यह भी कहा कि इस रियासत के सौभाग्य से राजकुलोचित गुण समुदायों से सम्पन्न इन्दौर को दोनों महारानी साहबा, श्रीमती पूज्यपाद देवी अहिल्या के इस इतिहास प्रसिद्ध राज्य को समृद्धशाली तथा विद्या-सम्पन्न करने के लिए सयत्न रहती हैं। श्रीमन्त महाराजा साहब की विद्याभिरुचि के उदाहरण स्वरूप आपने हिन्दी तथा मराठी भाषा के ग्रन्थों के लिए महाराजा साहब ने जो दान दिया है, उसका सादर उल्लेख किया। हिन्दी और मराठी भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध बतलाते हुए आपने कहा कि यह दोनों भाषायें एक माता की कन्याएँ हैं। अतएव जहाँ जहाँ इन दोनों भाषाओं का संगम हुआ हो, वहाँ उनका भगिनी-प्रेम बढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात् आपने आजतक इन्दौर के साहित्य-क्षेत्र में जो कुछ किया है, उसका संक्षिप्त इतिहास कहा। तत्पश्चात् आपने श्रीमान् महाराजा साहब होलकर को सम्मेलन का कार्य प्रारम्भ करने के लिए अत्यन्त विनय और नम्रता के साथ प्रार्थना की। जनरल मतकर साहब की वक्तृता लोगों को बहुत पसंद आई।

इसके बाद प्रचण्ड करतल-ध्वनि में श्रीमन्त महाराजा होलकर भाषण करने को खड़े हुए। आपने अपने गम्भीर, सुविचार पूरित, तथा योग्य शब्दान्वित वक्तृता में कहा कि मराठी भाषा के सुधार के लिए आज यहाँ आप उपस्थित हुए हैं, यह देख कर मुझे बहुत आनन्द होता है। हमारे प्रजा-जनों ने आपको निमन्त्रित किया तथा आप उस निमन्त्रण को स्वीकार कर यहाँ पधारे हैं; अतएव हम दोनों का अभिनन्दन करते हैं। शिक्षा का माध्यम देशी भाषा होने से कितनी सरलता से शिक्षा-कार्य-सम्पादन हो सकता है, इसका आपने वर्णन किया। सुयोग्य और उत्तमोत्तम ग्रन्थ निर्माण करने के सम्बन्ध में आपने कहा कि जिस प्रकार शेक्सपियर के नाट्य-ग्रन्थों को पढ़ने के लिए लोग लालायित होते हैं और केवल इन्हीं ग्रन्थों का रसास्वादन करने के लिए अंग्रेज़ी भाषा पढ़ते हैं,

उसी प्रकार देशी भाषाओं में ग्रन्थ सम्पत्ति होने की आशा क्यों न करना चाहिए। विज्ञान सम्बन्धी शब्दों के लिए आपने कहा कि मराठी, हिन्दी, बङ्गाली, गुजराती इत्यादि साहित्य-परिषद एक मत होकर विज्ञान कोष तैयार करें, जिससे वैज्ञानिक विषयों के लिखने तथा समझने में असुविधा उपस्थित न हो। अन्त में आपने इस बात पर खेद प्रकट किया कि सम्मेलन का आरम्भ श्रीमन्त सयाजीराव गायकवाड़, बड़ौदा-नरेश के कर-कमलों से करने की व्यवस्था की गई थी; परन्तु आप कारणवशात् आ न सके।

श्रीमन्त होलकर नरेश का भाषण होने के पश्चात् सम्मेलन के सभापति का आसन श्रीयुक्त राव साहब गणेश जनार्दन आगाशे बी० ए० को देने का प्रस्ताव किया गया। वह अनुमोदित होकर स्वीकृत हुआ और अध्यक्ष स्थान पर राव साहब विराजमान हुए। आप वयोवृद्ध साहित्य-सेवक हैं। आपकी विद्वत्ता की महाराष्ट्र में बड़ी कीर्ति है। आपके सम्बन्ध में श्रीयुत नरसिंह चिन्तामन केलकर, बी० ए०, एल० एल० बी०, ने कहा कि आज जो महाशय सभापति बनाये जा रहे हैं, उनकी पहिली कविता कलाशवासी बड़े तुकोजीराव महाराज के सम्बन्ध में थी। यह एक विचित्र योग है कि होलकर राजधानी में होने वाले सम्मेलन के सभापति वही सज्जन हों, जिनको प्रथम काव्य-स्फूर्ति इसी राज्य के सुविख्यात शासनकर्ता के गुणों पर हुई थी।

अध्यक्ष महाराज अपने स्थान पर विराजे और श्रीमन्त होलकर सरकार के गुण-ग्राहकता तथा विद्या-प्रियता की प्रशंसा करके अपना सार-गर्भित, सुललित शब्दों से भरा हुआ, विद्वत्ता-पूर्ण भाषण पढ़ सुनाया। आपकी वक्तृता एक घण्टे तक होती रही।

अध्यक्ष महाराज की वक्तृता होने के पश्चात् यह ज़ाहिर किया गया कि श्रीमान् महाराजा साहब ने मराठी साहित्य-सम्मेलन के लिए दश सहस्र रुपये देने की उदारता प्रकट की है। यह शुभ सम्वाद सुन कर लोगों को बहुत हर्ष हुआ।

इसके पश्चात् जिन महाशयों ने सम्मेलन से सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए तार भेजे थे, उनके नाम पढ़ सुनाये गये। इन नामों में ग्वालियर के प्रो० आपटे साहब तथा डा० यशवन्त राव आपटे साहब के भी नाम थे।

अन्त में विषय-निर्वाचिनी-समिति के सभासदों की नामावली पढ़ी जाकर सम्मेलन का प्रथम दिवस का कार्य समाप्त हुआ।

द्वितीय दिवस, ता० १०-३-१७ ई०

आज प्रातःकाल के ८ बजे सभा का कार्य प्रारम्भ हुआ। सभा-मण्डप श्रोताओं तथा प्रतिनिधियों से भरा हुआ था। प्रारम्भ में कतिपय बालकों ने सुस्वर से एक गीत गाया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महाशय ने प्रथम प्रस्ताव किया, वह यह कि "ब्रिटिश साम्राज्य और मित्र दल को विजय-प्राप्ति के लिए यह सभा ईश्वर से प्रार्थना करती है।"

द्वितीय प्रस्ताव—"साहित्य-सम्मेलन के ४ उप-विभाग किये जायँ और प्रत्येक विभाग अपने अपने विषय के आये हुए लेखों की समालोचना करे और यह भी निश्चय करे कि यह उप-विभाग कायम किये जायँ अथवा नहीं। उप-विभागों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) ललित साहित्य, (२) आधिभौतिक शास्त्र, (३) आध्यात्मिक शास्त्र और (४) समाज शास्त्र।"

तृतीय प्रस्ताव सेकन्डरी शिक्षा का माध्यम तथा परीक्षाओं का माध्यम देशी भाषाएँ नियत की जाने के सम्बन्ध में था। यह प्रस्ताव प्रो० भाटे ने उपस्थित किया। आपने अपने विनोद प्रचुर वक्तृता में यह बतलाया कि परदेशी भाषाओं द्वारा शिक्षा देने में कितनी असुविधा होती है, और किस प्रकार पाठकों तथा विद्यार्थियों के शक्ति का नाश होता है। आपने यह कहा कि संसार के किसी देश में परदेशी भाषा द्वारा शिक्षा नहीं दी जाती। परदेशी भाषा द्वारा शिक्षा न देने से बालक केवल "रटाई" की ओर ही ध्यान देते हैं, विषय समझने की ओर नहीं। यह आपने एक दो उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया। आपकी वक्तृता का लोगों पर अच्छा असर पड़ा। आपके भाषण को श्रीयुत दत्तोपन्त पोतदार, बी० ए०, ने ज़ोर के शब्दों से अनुमोदन दिया। आपके पश्चात् एक दो और सज्जनों के भाषण हुए। अन्त में विदुषी सौभाग्यवती काशीबाई कानिटकर ने भी एक सुललित वक्तृता देकर इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया। प्रस्ताव सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् "भारतीय विश्वविद्यालयों के आर्ट्स परीक्षाओं में देशी भाषा आवश्यक विषय" रक्खा जाने के सम्बन्ध में चतुर्थ प्रस्ताव, श्रीयुत पाटणकर (नाशिक) ने उपस्थित किया। आपकी आवाज़ साफ़ और स्पष्ट होने से या भाषा प्रभुत्व और विषय के महत्व के कारण, वक्तृता बहुत ही सुन्दर हुई। आपने उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध किया कि अङ्गरेज़ी साहित्य के स्काट तथा मेकॉले इत्यादि के साथ तुलना करने के लिये हमारी भाषा में भी ग्रन्थ मौजूद हैं। श्रीयुक्त हरिभाऊ आपटे के उपन्यास स्काट के उपन्यासों से जरा भी कम नहीं हैं। मराठी भाषा के प्रख्यात जीव दाता चिपलूनकर महाशय की निवन्ध माला मेकॉले के लेखों से किसी हालत में कम नहीं है। यदि साहित्य पढ़ाने का उद्देश्य यही हो कि विद्यार्थियों के हृदय में उच्च विचारों का प्रादुर्भाव हो तो उनको अपनी मातृभाषा से ही विचारामृत ग्रहण करना चाहिये। आपने और भी कहा मैं परदेशी भाषाओं के अध्ययन के विरुद्ध नहीं हूं वरन् मेरा मत यह है कि "सर्वेषाम अनुरोधेन ब्रह्मकर्म समारभेत्"। मैसूर युनिवर्सिटी ने उच्च शिक्षा का माध्यम देशी भाषा को हीं रक्खा है। अङ्गरेज़ी विश्वविद्यालयों में भी अङ्गरेज़ी का ही साहित्य पढ़ाया जाता है, ग्रीक या लैटिन का नहीं। ग्रीक या लैटिन केवल ऐच्छिक विषय हैं। मातृस्तन के दुग्ध की समता किसी दूसरे दुग्ध से नहीं हो सकती। अगर कोई कहे कि क्षय रोग में गर्दभी का दुग्ध गुणकारी होता है, अतएव तुम मातृदुग्ध को त्याग कर नित्य प्रति गर्दभी स्तनासक्त होते जाओ, तो हम उसको अवश्य मूर्ख समझेंगे। अतएव हमको चाहिये कि उच्च शिक्षा का माध्यम भी देशी भाषाओं को ही रखना चाहिये। वक्ता के भाषण को सब लोग मुग्ध होकर सुन रहे थे। भाषण में बार बार करतल ध्वनि होती थी। वक्तृता समाप्त होने पर भी कोई एक मिनट तक करतलध्वनि होती रही। यह भी ध्यान देने की बात है कि वक्ता ने "देशी भाषा" इस शब्द का ही अपने व्याख्यान में प्रयोग किया था किसी विशिष्ट देशी भाषा का नहीं।

इस प्रस्ताव को श्रीयुत प्रोफेसर देव, श्रीमती सौभाग्यवंती सरला बाई नाइक और प्रोफेसर कानिटकर के प्रस्ताव को अनुमोदन देनेवाले भाषण होने पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् गत वर्ष जिन लेखकों तथा कवियों की मृत्यु हुई उस पर शोक प्रदर्शित किया।

छटा प्रस्ताव इस आशय का था। "भारतीय देशी भाषाओं के साथ, यह परिषद, देशी भाषाओं के उन्नति के लिये प्रयत्न करने में हाथ बटाने को तैयार है।

अन्त के दोनों प्रस्ताव सभापति महाशय ने उपस्थित किये थे अतएव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुए। प्रस्ताओं के हो जाने पर सम्मेलन का दूसरे दिन का कार्य समाप्त हुआ।

तृतीय दिवस

तृतीय दिवस का कार्यारम्भ प्रातःकाल ८ बज कर ३० मिनिट पर हुआ। आज भी सभा स्थान में खासी भीड़ थी। कुछ बालकों के गीत होने पश्चात् साहित्य सम्मेलन के लिये जो निबन्ध आये उनमें से कुछ पढ़े गये। पहिला निबन्ध श्रीमती सौभाग्यवती कमलाबाई साहब किबे का था। श्रीमती जी ने अपने लेख में बालकोपयोगी साहित्य की आवश्यकता बतलाते हुए यह आशा प्रदर्शित की कि साहित्य सेवियों के प्रयत्न से आगामी सम्मेलन के पूर्व ही एक आध बालकोपयोगी साप्ताहिक पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित होने लगेगा। आपके पश्चात् बड़ौदा के श्रीयुत कुडालकर एम० ए०, एल-एल० बी० का निबन्ध पढ़ा गया। आपका विषय भी बालकोपयोगी साहित्य के सम्बन्ध में था। आपने उन किस्से कहानियों के पुस्तकों की आवश्यकता बतलाई, जो कि अङ्गरेज़ी में फेयरी टेल्स, नर्सरी राइम्स इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपका निबन्ध बड़ी गवेषणा से लिखा हुआ था। उसे छपाने के लिये श्रीयुत भांडरकर महाशय ने ५०) रुपये की सहायता देने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद बड़ौदा के श्रीयुत सर देसाई महाशय ने एक ऐतिहासिक निबन्ध पढ़ा, जो ऐतिहासिक खोज और विद्वत्ता से भरा हुआ था।

इसके पश्चात् पहिला प्रस्ताव मोड़ी लिपी का जिस जगह सरकारी दफ्तरों से उच्चाटन किया गया है, उस जगह उसे फिर से अपना न्याय स्थान प्राप्त करा देने के सम्बन्ध में था सम्मेलन ने इस काम के लिये एक कमेटी स्थापित की है, वह कमेटी इस विषय में

प्रयत्न करेगी। यह प्रस्ताव श्रीयुत घारपुरे वकील ने उपस्थित किया तथा श्रीयुत विष्णुपंत लेले और श्रीमान् मुले साहब से अनुमोदित होकर स्वीकृत हुआ।

अन्त में यह प्रस्ताव किया गया कि श्रीमन्त महाराजाधिराज राज राजेश्वर श्री सवाई तुकोजी राव महाराज होलकर ने जिस उदारता का परिचय दिया है उसके लिये सम्मेलन आपका अत्यन्त ऋणी है। यह प्रस्ताव सुप्रसिद्ध केसरी और मराठा साप्ताहिकों के सम्पादक नरसिंह चिन्तामन केलकर महाशय ने उपस्थित किया।

इसके पश्चात् श्रीयुत लक्ष्मण शास्त्री लेले महाराज ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया। आपकी वक्तृता भी सरस और विनोद प्रचुर थी। आपके पश्चात् मराठी साहित्य के स्काट श्रीयुत हरिनारायण आपटे महाशय और श्री जाभेकर महाशय ने अनुमोदन किया। इन सब वक्ताओं के भाषणों में श्रीमान् होलकर नरेश के लिये उत्कट आदर तथा भक्ति का भाव झलकता था। अन्त में श्रीमान् होलकर महाराज की जय मनाते हुए सम्मेलन का कार्य दिन के १२ बजे समाप्त हुआ।

सम्मेलन को सफलता पूर्वक सम्पादन करने में इन्दौर के डा. तांबे साहब स्टेट सर्जन, श्रीयुत जनरल गोविन्दराव मतकर साहब, मेजर रामप्रसाद दुबे चीफ मिनिस्टर साहब तथा श्री० वासुदेव गोविन्द आपटे बी० ए०, सम्पादक "आनन्द" व मल्लारि मार्तंडविजय, सरदार किबे साहब इत्यादि महानुभावों के परिश्रम कारण हुए। कहना नहीं होगा कि ये सब शाखायें जिस जड़ से अपनी वृत्ति को प्राप्त कर रही हैं, उन्हीं श्रीमंत महाराजा सवाई तुकोजीराव साहब की कृपा से ही सम्मेलन इस प्रकार सम्पादन हो सका। जिन उत्साही युवकों ने अपने विविध कार्यों को सम्हाल कर और स्वयं सेवक बन कर सम्मेलन कार्य में सहयोग दिया, उनके कार्य की सराहना करना भी आवश्यक है।

सम्मेलन का कार्य समाप्त होने के पूर्व मराठी भाषा के निबन्धों के लिये आगामी सम्मेलन में १,०४६) रुपया देना अनेक सज्जनों ने स्वीकृत किया। (जयाजी प्रताप से)

प्रान्तिक कौंसिल में हिन्दी

माननीय मिस्टर चिन्तामणि ने कौंसिल में प्रस्ताव किया था कि मुन्सिफ़ और सदराला के पद पर वेही नियुक्त किये जायँ जो उर्दू की तरह हिन्दी भी पढ़ लिख सकते हैं। कौंसिल के वर्तमान संगठन से ऐसी न्याययुक्त बात की मंजूरी की आशा तो किसी को भी न थी, लेकिन इसकी भी आशा न थी कि मुसलमान मेम्बर हिन्दी के नाम ही से बेतरह जामे से बाहर हो जायंगे। मान० नवाब अबदुल मजीद ने तो सत्य का इतना साथ दिया कि ब्रिटिश शासन के पहिले हिन्दी भाषा के अस्तित्व ही पर उन्होंने हरताल फेर दी। माननीय मिस्टर बर्न तो हिन्दी के पुराने प्रेमी हैं, अतएव उनकी ज़बानेशरीफ़ से हमें यह सुनकर अत्यन्त हर्ष हुआ कि हिन्दी लिखी भी देर में जाती है और पढ़ने में भी अधिक समय लगता है। नवाब साहब के अज्ञान को दूर करने की कोशिश हम नहीं करना चाहते क्योंकि इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अपनी मूर्खता का बड़ा भारी अभिमान होता है। फिर उनकी राय में हिन्दी, अनपढ़ों और गंवारों की भाषा है। ऐसी दशा में इस जवनपुरी काज़ी को सूर या तुलसी की याद दिलाना उलटे इन्हीं महापुरुषों का अपमान करना है। लेकिन मिस्टर बर्न की दलील यद्यपि एक बार नहीं अनेक बार काटी जा चुकी है परन्तु हम विनम्रता के साथ उन्हें 'चैलैंज' करते हैं कि यदि वे यह साबित कर दें कि हिन्दी उर्दू से अधिक देर में पढ़ी जा सकती है तो हम से अभ्युदय को हिन्दी से उर्दू में फौरन परिवर्तित कर देंगे। और क्या मिस्टर बर्न इसका भी निश्चय करना चाहते हैं कि लिखने में कौन जल्दी लिखी जा सकती है? मध्यप्रदेश और संयुक्त-प्रान्त में हज़ारों ऐसे आदमी मौजूद हैं जो इस इसको साबित कर सकते हैं कि उनका कथन कितना निरर्थक है। हमें आशा है कि हिन्दी-सभाएँ इसका घोर प्रतिवाद करेंगी।

(अभ्युदय से)

प्रलाप का प्रतिवाद

इटावा

नागरी-प्रचारिणी-सभा इटावा का प्रथम वार्षिकोत्सव बाबू बद्रीप्रसाद जी की धर्मशाला में ता० १९ तथा २० मार्च को हुआ। व्याख्यान वाचस्पति पं० दीनदयालु जी, बा० राजबहादुर लम्गोरा एम० ए० एल० एल० बी, पं० वेंकटेश नारायण तिवारी एम० ए०, तथा सभा के कुछ स्थानीय सदस्यों के व्याख्यान हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरित मानस पर बा० राजबहादुर लम्गोरा का व्याख्यान बहुत उत्तम हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से महात्मा तुलसीदास जी के काम की उत्कृष्टता दिखलाई। ता० २० को सभा के लिए करीब ३००) का चन्दा हुआ। नीचे लिखा प्रस्ताव भी सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया।

यह सभा श्रीयुत सी० वाई० चिन्तामणि जी के युक्त प्रांत की कौंसिल में नागरी विषयक प्रस्ताव के फल पर तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सेनेट की सभा में पं० इकबालनारायण गुर्टू द्वारा उपस्थित किए गए प्रांतिक भाषाओं की कमेटियों के प्रस्ताव के विवेचन पर, अपना असन्तोष प्रकट करती हुई, हिन्दी भाषा-भाषी सब सज्जनों का और विशेष कर वकीलों तथा कचहरियों से सम्बन्ध रखने वालों का ध्यान इस ओर दिलाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि वे अपनी मातृ-भाषा हिन्दी तथा नागरी लिपि के प्रचार के लिए भरसक प्रयत्न करें।

रायबरेली

मिति चैत्र कृष्ण ७ गुरुवार को रायबरेली में पं० गुरुदयाल जी त्रिपाठी बी० ए०, एल-एल० बी० के सभापतित्व में एक सभा हुई जिसमें २६ फरवरी की प्रान्तीय कौंसिल में जो हिन्दी के प्रति कटु वचन कहे गये थे उनका विरोध किया गया।

परीक्षार्थियों की सुविधा

नागरी प्रचारिणी सभा—गोरखपुर ने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं के लिए पढ़ाने का प्रबन्ध किया है। निम्न लिखित

विद्वान अवैतनिक रूप से पढ़ाने के लिए कटिवद्ध हुए हैं और बाहर के परीक्षार्थियों को ठहरने आदि का भी प्रबन्ध किया जायगा।

मध्यमा के अध्यापक

श्रीयुत बा० नरसिंहदास एम्० ए०, एल-एल० बी०	अङ्गरेज़ी
" पं० कमलाप्रसाद शुक्ल एम्० ए०, एल-एल० बी०	गणित
" पं० जोखूदत्त शास्त्री, जगन्नाथपुर	धर्मशास्त्र
" पं० नन्दकुमार शुक्ल (हाई स्कूल)	संस्कृत
" पं० वंशीधर शर्मा प्रोफ़ेसर मिशन कालेज	ज्योतिष
" पं० सूर्यवली पाण्डेय और " पं० दूधनाथ जी वैद्य	वैद्यक
" पं० बलदेव प्रसाद शुक्ल (प्रथमा को भी)	साहित्य
" बा० गोकुलप्रसाद एम्० एस्-सी० (प्रथमा को भी)	विज्ञान
" "	अर्थशास्त्र
" पं० बालमुकुन्द पाण्डेय (प्रथमा को भी)	पिङ्गल
" " (प्रथमा को भी)	अलङ्कार

प्रथमा के अध्यापक

श्रीयुत पं० मङ्गलप्रसाद द्विवेदी	अरायज़ नवीसी
" बा० महावीर प्रसाद पोद्दार	मुनीबी
" पं० राजमणि त्रिपाठी	भूगोल

अन्य प्रथमा के विषय मध्यमा के अध्यापक पढ़ावेंगे।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि गोरखपुर निवासी सज्जनों ने अनुकरणीय और प्रसंशनीय उद्योग किया है। यदि इसी प्रकार स्थान स्थान पर—विशेष कर जहाँ जहाँ ना० प्र० सभायें हैं उद्योग किया जाय तो परीक्षार्थियों को अधिक सुविधा हो और जो उनकी सफलता में बाधा पड़ती हैं वह मिट जाय। इस उद्योग के लिए हम गोरखपुर निवासी बन्धुओं को हृदय से धन्यवाद देते हैं।

सूचना

मध्य भारत हिन्दी-साहित्य-समिति सूचित करती है कि—"हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा में मध्य भारत के परीक्षार्थियों में से जो प्रथम उत्तीर्ण होगा उसे वह एक रौप्य पदक देगी।"

मध्य भारत के परीक्षार्थियों को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

सम्पादकीय-विचार

स्वागतकारिणी समिति

अष्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-इन्दौर के लिए मध्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति इन्दौर ने अपने फा० शु० ११ सं० १९७३ रविवार ता० ४ मार्च सन् १९१७ के अधिवेशन में स्वागतसमिति का सङ्गठन कर लिया है। समिति के मन्त्री जी के पत्र से ज्ञात हुआ है कि स्वा० समिति के सभ्यों में निम्नलिखित महानुभावों के नाम लिखे जा चुके हैं।

श्रीमान् रायबहादुर दानवीर सेठ हुकमचन्द जी –सभापति
" रायबहादुर सिरेमल जी बापना बी० ए०, बी० एस-सी०, एल्-एल्० बी० होम मिनिष्टर–इन्दौर–उपसभापति
" रायसाहब पं० सरयू प्रसाद जी त्रिपाठी असिस्टेण्ट सर्जन किङ्ग एडवर्ड हास्पिटल–इन्दौर–मन्त्री
" ठाकुर रामसिंह जी एम्० ए० वकील उपमन्त्री

कोषाध्यक्ष

" रायसाहब सेठ गङ्गासहाय जी मैजिष्ट्रेट–इन्दौर छावनी
" नथमल जी चोथरा अ० एकौण्टेण्ट जनरल–इन्दौर
" बाबू रामलाल जी

सभ्य

" रायबहादुर सेठ कल्याणमल जी
" रायबहादुर सेठ हीराचन्द जी कोठारी

श्रीमान् सम्पूर्णानन्द जी बी० एस्-सी०, एल० टी० प्रोफेसर डेली कालेज-इन्दौर

" पं० गिरिधर शर्मा-इन्दौर

" पं० बनारसीदास चतुर्वेदी; प्रोफेसर डेली कालेज इन्दौर

" द्वारकाप्रसाद जी सेवक, सम्पादक नवजीवन-इन्दौर

" रायबहादुर पं० श्यामनाथ जी चीफ़ इञ्जीनियर-इन्दौर

" मन्मथनाथ जी मुखोपाध्याय असिस्टेण्ट इञ्जीनियर इन्दौर

" परिडत शङ्करप्रसाद जी दुबे

" रायबहादुर लालबिहारी लाल, सतना (रीवाँ)

" रायबहादुर सरदार माधव राव जी किबे एम० ए०

इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश की हिन्दी सभाओं में मध्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति ने थोड़े दिनों में बहुत बड़ा काम कर दिखाया है इसका मुख्य कारण उसकी सङ्गठन नीति ही है। उसी नीति का आदर्श स्वागत समिति में देख कर हमें आशापूर्ण आनन्द होता है और विश्वास है कि इस बार का सम्मेलन अपूर्व सम्मेलन होगा।

प्रान्तीय कौन्सिल में हिन्दी-उर्दू का प्रश्न

यह तो हमारे पाठकों को मालूम ही है कि संयुक्त-प्रान्त की अदालतों और कचहरियों में लोगों को अपनी नालिशें, दावे, प्रार्थना पत्र इत्यादि हिन्दी-भाषा और देवनागरी अक्षरों में उपस्थित करने का पूर्ण अधिकार है। सर एएटनी मेकडानल के समय में गवर्नमेण्ट की आज्ञा द्वारा सन् १९०० ई० में संयुक्त-प्रान्त की प्रजा को यह अधिकार स्पष्ट रूप से दिया गया था। जब हिन्दी में काग़ज़-पत्र उपस्थित करने का अधिकार प्रजा को दिया गया तो यह भी आवश्यक ही था कि उन सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी जानना अनिवार्य किया जाय, जिनका सम्बन्ध उन अदालतों और कचहरियों से रहता है, जहाँ देश की भाषा द्वारा काम होता है। इसी कारण से मेकडानल साहब ने जिस मन्तव्य द्वारा हिन्दी में प्रार्थना-पत्र इत्यादि उपस्थित

करने का अधिकार दिया उसके साथ ही साथ निम्नलिखित आज्ञा भी भारतवर्षीय गवर्नमेण्ट की अनुमति से प्रचारित की—

"इस मन्तव्य (अर्थात् नागरी में काम करने के अधिकार-सम्बन्धी मन्तव्य) की तिथि से एक वर्ष के भीतर सिवाय अङ्ग्रेज़ी कचहरियों में कोई मनुष्य जो हिन्दी और उर्दू दोनों नहीं जानता किसी प्रबन्ध सम्बन्धी पद पर नियुक्त न किया जायगा और इस बीच में यदि कोई मनुष्य ऐसा नियुक्त किया गया जो केवल एक भाषा जानता है तो उसको अपनी नियुक्ति से एक वर्ष के भीतर ही उस दूसरी भाषा को भी जानना पड़ेगा, जिसे वह नहीं जानता।"

किन्तु न जाने किस कारण से (सम्भवतः भूल से) मुन्सिफ़ों और सदरालाओं की नियुक्ति सम्बन्धी नियमों में उनके भाषा-ज्ञान के सम्बन्ध में केवल यह लिखा हुआ है कि उनको हिन्दुस्तानी (उर्दू के रूप में) फ़ारसी अक्षरों में जानना आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि यह भाषा सम्बन्धी आज्ञा सन् १६०० की उस आज्ञा के अनुकूल नहीं है, जिसके द्वारा अदालतों में हिन्दी में काग़ज़-पत्र दाख़िल करने का अधिकार दिया गया है; क्योंकि यदि हिन्दी में काग़ज़-पत्र दाख़िल होते हैं तो मुन्सिफ़ और सदरालाओं को ठीक न्याय करने के लिए यह आवश्यक है कि उनको हिन्दी-भाषा और नागरी अक्षरों का ज्ञान हो। यह बात इतनी स्पष्ट है कि इसमें कोई दलील की आवश्यकता नहीं है और कोई भी मनुष्य, जो स्वार्थ अथवा पक्षपात से विवेक-हीन नहीं है, इसका विरोध नहीं करेगा। इन्हीं विचारों से प्रेरित हो और एक स्पष्ट भूल के संशोधन के लिए २६ फ़रवरी को प्रान्तीय छोटे लाट की कौन्सिल (व्यवस्थापिका सभा) में माननीय पं० सी० वाई० चिन्तामणि जी ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि—"यह कौन्सिल छोटे लाट को सम्मति देती है कि सरकारी आज्ञा-संग्रह के पैराग्राफ़ १४३ ए (बी) में मुन्सिफ़ों और सदरालाओं की सीधी नियुक्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार से परिवर्तन किया जाय कि पदाभिलाषियों में यह योग्यता हो कि वे न केवल फ़ारसी अक्षरों में लिखी हुई हिन्दुस्तानी का उर्दू रूप, वरन् नागरी अक्षरों में हिन्दी भी लिख पढ़ सकें।" इस प्रस्ताव को उपस्थित करने के लिए बहुत दलीलों की आवश्यकता न थी, तो भी चिन्तामणि जी ने गवर्नमेण्ट

की अन्य आज्ञाओं से तुलना करते हुए दिखाया कि जिस प्रकार से डिप्टी कलेक्टरों और सिविलियनों के लिए भी नागरी जानना आवश्यक है, उसी प्रकार मुन्सिफों और सदरालाओं को भी अपना काम ठीक रीति से करने के लिए नागरी जानना चाहिए। इस प्रस्ताव में कोई भी बात ऐसी न थी जिससे मुसलमान सज्जन चिढ़ते, किन्तु कौन्सिल में उपस्थित मुसलमान सदस्यों ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया और इसको हिन्दू-मुसलमान और हिन्दी-उर्दू के झगड़े का एक प्रश्न बना दिया। नवाब अब्दुल मजीद और सैयद रज़ा अली ने तो हिन्दी के सम्बन्ध में ऐसी ऐसी बातें कहीं, जिनको पढ़ कर उनकी बुद्धि और उनके हृदय की संकीर्णता पर दया आती है।

वास्तव में जो मनुष्य स्वार्थ और पक्षपात से ग्रसित होता है, उसको अपने भाइयों और देश का भला बुरा तो क्या अपना भला बुरा तक नहीं सूझता। यहाँ तक तो इन सज्जनों ने कह डाला कि हिन्दी कोई भाषा ही नहीं है और नागरी अक्षर ऐसे बेडौल हैं कि वे ठीक पढ़े लिखे तक नहीं जा सकते। नवाब अब्दुल मजीद को तो अपने मानसिक अन्धकार में इतने दूर की सूझी कि वे अङ्गरेज़ों के भारतवर्ष से चले जाने पर इस देश की क्या राजनैतिक स्थिति होगी—इस तर्क का स्वप्न देखने लगे! अस्तु, इन सज्जनों की तुच्छ बातों पर ध्यान देने का न हमारे पास समय है न स्थान है। किन्तु प्रान्तीय गवर्नमेण्ट के मुख्य मन्त्री बर्न साहब ने जो वक्तृता दी, उसको पढ़ कर बहुत तो नहीं, किन्तु कुछ आश्चर्य हमें अवश्य हुआ। बहुत आश्चर्य तो इस कारण से नहीं हुआ कि बर्न साहब की नीति से हम पहले से परिचित हैं। किन्तु हमने कुछ लोगों से सुन रक्खा था कि बर्न साहब हिन्दी के विषय में कुछ 'दख़ल' रखने का दम भरते हैं, इससे उन्होंने जब इस प्रस्ताव के विरोध में इस दलील की शरण ली कि हिन्दी जल्दी पढ़ी नहीं जा सकती और हिन्दी कई भाँति से लिखी जाती है, तब हमें कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ; क्योंकि हम यह नहीं समझते थे कि बर्न साहब ऐसी बातों को कह डालेंगे, जिनको उनकी भी बुद्धि शान्तावस्था में स्वीकार नहीं कर सकती। उर्दू की अपेक्षा हिन्दी देर से पढ़ी जाती है—यह ऐसी

नवीन युक्ति है कि इसको पढ़ कर सचमुच हिन्दी-संसार चकित हो जायगा ! पहले तो हिन्दी पर यही दोष लगाया जाता था कि वह उर्दू की अपेक्षा देर से लिखी जाती है, किन्तु कदाचित यह देख कर कि हिन्दी के प्रेमी इतने मूर्ख हैं कि इस दलील का महत्व उनकी बुद्धि में न धँस सका वर्न साहब ने उनकी जड़ता दूर करने के लिए यह एक नयी युक्ति बतलायी, जिससे अब भी वे हिन्दी को तिलाञ्जलि दे दें !

चिन्तामणि जी का प्रस्ताव इतना युक्ति-युक्त था कि कोई भी पक्षपात रहित मनुष्य हमारे विचार में उसका विरोध नहीं कर सकता था। यदि आज हम बीस नालिशें नागरी में लिखी हुई ऐसे मुन्सिफ़ की अदालत में उपस्थित करें, जो नागरी नहीं जानता, तो इसका क्या परिणाम होगा ? या तो वह हीला हवाला करेगा और यह चाहेगा कि ये फ़ारसी अक्षरों में लिख कर आवें, या उनके पढ़ने के लिए दूसरों का मुहताज रहेगा। दोनों ही दशा में न्याय के ऊपर कुठाराघात होता है। इस बात को वर्न साहब ने यह कह कर टालने का उद्योग किया कि बहुत थोड़े वकील ऐसे हैं, जो नागरी अक्षर लिख सकते हैं या इसके लिखने के लिए तत्पर हैं। यह दलील पोच है; क्योंकि जब प्रान्त के अधिकांश मनुष्यों की भाषा हिन्दी है और विद्यार्थियों में भी हिन्दी जानने वालों की सङ्ख्या उर्दू जानने वालों की सङ्ख्या से कहीं अधिक रहती है और उन सब को प्रार्थना करने का हिन्दी में अधिकार है तो यह कैसे न्याय संगत हो सकता है कि न्यायकर्ता ही इस प्रान्त की मुख्य भाषा और अक्षर से अपरिचित हों। उनके हिन्दी से अपरिचित होने के कारण ही हज़ारों और लाखों आदमियों को विवश होकर उनको अप्रसन्न न करने के अभिप्राय से उर्दू में काग़ज़ दाख़िल करने पड़ते हैं; किन्तु इस कठिनाई के होते हुए भी इसमें सन्देह नहीं कि यदि हिन्दी जानने वाले वकील अपना काम हिन्दी में करें और अदालतों में उपस्थित होने वाले पत्र हिन्दी में लिखें तो उनको कोई रोक नहीं सकता और मुन्सिफ़ों को झख मार कर हिन्दी स्वयं सीखना पड़े। हमारे पाठक सम्मेलन की नीति से परिचित हैं। सम्मेलन का पक्ष राष्ट्रीयता की दृष्टि से भाषा का है, किसी जाति का नहीं।

सम्मेलन का यह पक्ष है कि हिन्दी हिन्दुओं ही की नहीं, किन्तु भारतवर्ष में रहने वाले मुसलमान और ईसाइयों की भी भाषा है। यह ऐसी भाषा है, जिसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रान्त और जातियाँ एक सूत्र में बँध सकती हैं। यही हमारी राष्ट्र-भाषा है और नागरी लिपि हमारी राष्ट्र-लिपि है। हमारा सम्बन्ध भारतवासियों मात्र से है, केवल संयुक्त-प्रान्त निवासियों से ही नहीं; किन्तु संयुक्त-प्रान्त उन प्रान्तों में से है, जहाँ हिन्दी भाषा ही सार्वजनिक भाषा है, इसलिए इस प्रान्त के हिन्दी-प्रेमियों से और इस अवसर पर विशेष कर हिन्दी जानने वाले वकीलों से हमारा यह दुःख भरा निवेदन है कि वे अपनी हँसी न करावें और अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दें। क्या नवाब अब्दुल मजीद और बन साहब के वाक्यों को सुन कर हिन्दी जानने वाले वकीलों को कुछ लज्जा नहीं आयी? सच पूँछिये तो यह काम अपने हाथ का है, कौन्सिल में प्रस्ताव करने की आवश्यकता नहीं। वे लोग, जो राष्ट्रीयता के भावों को समझते हैं, अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दें और अपने अदालती काम हिन्दी में करना आरम्भ करें तो दो ही वर्ष में देखिये इसका क्या परिणाम होता है। हम देखते हैं कि कौन्सिल में जो कटु बातें कही गयीं, उनका विरोध करने के लिए बहुत सी सभाएँ हुई हैं; परन्तु हमारे विचार में वास्तविक काम यह है कि हिन्दी जानने वाले लोग दृढ़-प्रतिज्ञ हो अपना अदालती काम हिन्दी में करें। फिर आपको गवर्नमेण्ट से कहने की कोई आवश्यकता न पड़ेगी और न आपको कौन्सिलों में हिन्दी के सम्बन्ध में कड़वी बातें ही सुननी पड़ेंगी। भाषा का प्रश्न जातीयता का प्रश्न है। यदि आप इसका महत्व नहीं समझे तो आपकी देश-भक्ति केवल वाक-चातुरी है और आपकी राजनैतिक सभाएँ और सोसाइटियें दिखावा मात्र हैं।

सम्मेलन-पत्रिका के नियम

१—यह पत्रिका सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग से प्रतिमास प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक मूल्य १) रु० इस लिये रक्खा गया है कि सर्वसाधारण इसके ग्राहक हो सकें।

२—अभी इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे। आवश्यकता होने पर पृष्ठ सङ्ख्या बढ़ा भी दी जाया करेगी। आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्यिकों को रुचिकर हुई, और ग्राहकों की यथोचित सङ्ख्या हो गयी तो अधिकतर पृष्ठ-सङ्ख्याओं में और अधिकतर उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी।

३—प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र और रुपये आदि तथा सम्पादन सम्बन्धी पत्र पुस्तकें परिवर्त्तन के पत्रादि सब "मन्त्री, सम्मेलन कार्य्यालय, प्रयाग" के नाम आने चाहियें।

विज्ञापन छपाई के नियम

६ मास अथवा उससे अधिक दिनों के लिये

	१ पृष्ठ,	आधा पृष्ठ	और चौथाई पृष्ठ के
कवर पेज पर	५)	३)	२)-
साधारण पेज पर	४)	२॥)	१॥)

विशेष बातें जाननी हों तो मन्त्री जी से पूछिये

क्रोड़पत्र बँटाई के नियम

आधा तोला तक अथवा इससे कम के लिये ... १०)

१ तोला के विज्ञापन के लिये ... ... १२)

मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

नोट—विज्ञापन के ऊपर यह छपा होना चाहिये कि अमुक मास की "सम्मेलन-पत्रिका" का क्रोड़पत्र और उसमें यथोचित समाचार भी होने चाहियें।

पं० सुदर्शनाचार्य्य बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से पं० रामकृष्ण शर्म्मा द्वारा प्रकाशित।

Reg. No. A-620

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन
की
मुखपत्रिका

भाग ४ } फाल्गुन, संवत् १९७३ { अङ्क ६

विषय-सूची

वा० मू० १)] [मूल्य ।)

सम्पादक—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ।

सम्मेलन के उद्देश्य

(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गों की उन्नति का प्रयत्न करना।

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश-व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना।

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना।

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्व-विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-समूहों तथा व्यापार ज़मींदारी और अदालतों के कार्य्यों में देवनागरी-लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना।

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारितोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना।

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना।

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्त्तमान संस्थाओं की सहायता करना।

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना।

(९) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी पुस्तकें तैयार कराना।

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जाँय उन्हें काम में लाना।

सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना और साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना।

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित

भाग ४ } फाल्गुन, संवत् १९७३ { अङ्क ६

"प्रवासी" और हिन्दी

बङ्गला का 'प्रवासी' पत्र हिन्दी का स्मरण प्रायः किया करता है। पटने में वङ्गीय साहित्य-सम्मेलन होने वाला है। उसके 'कर्म्म-कर्त्ता' बङ्गाली ही हैं बिहारी नहीं, इस पर उक्त पत्र बहुत खिन्न होकर कहता है—"यदि बाँकीपुर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन होता तो वहाँ के शिक्षित बिहारी पूरा उद्योग करते, क्योंकि बिहार की किताबी भाषा हिन्दी है।" इस पर काशी की नागरी प्रचारिणी पत्रिका कहती है—

अपनी इसी खिन्नता में उसने "बङ्गाल और बिहार की भाषा" के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ विचार कर डाला है। वह कहता है कि "यद्यपि बिहार की साधु भाषा हिन्दी है पर वहाँ की बोल चाल की भाषा हिन्दी की अपेक्षा बङ्गला से अधिक मिलती है।" अपने इस कथन की पुष्टि में उसने बङ्गाल की मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट के कुछ वाक्य उद्धृत किये हैं जिनका अभिप्राय यह है कि बिहारी के प्रत्यय बँगला के अनुरूप अधिक हैं और बिहारी भी उसी मागधी से निकली है जिससे बँगला, आसामी और उड़िया। पर सम्पादक महाशय को समझना चाहिये कि साहित्य के लिये भाषा का ग्रहण

स्थानिक भाषा के मूल के विचार से नहीं होता बल्कि उसके प्राप्त रूप के अनुसार होता है। किसी स्थान की बोली के अधिकांश शब्द (केवल प्रत्यय आदि व्याकरण की विशेषताएँ नहीं) जिस दूसरी बोली के अधिकांश शब्दों से मिलेंगे वही उस स्थान की साहित्य की भाषा हो सकती है। 'ल' आदि प्रत्यय जिन्हें डाकृर ग्रियर्सन ने आर्य्य भाषा के पूर्वीय वर्ग की भाषाओं का लक्षण माना है, बनारस के और पश्चिम तक पाये जाते हैं। पर बनारस, गोरख-पुर आदि की बोलियों को हिन्दी के अतिरिक्त और कुछ कहने का पागलपन आज तक किसीने नहीं किया है। भाषा एक व्यवहार की वस्तु है, अतः उसका विचार व्यवहार की दृष्टि से ही होता है, किसी सिद्धान्त या काल्पनिक निरूपण की दृष्टि से नहीं। पटने की बोली वर्तमान किस भाषा के अन्तर्गत है इसकी परीक्षा यदि करनी हो तो एक आदमी रोहतक जिले से बुलाइये और एक ढाके से, दोनों को पटने की गली में छोड़ दीजिये। देखिये तो किसकी बोली अधिक समझी जाती है। यदि रोहतक वाले की, तो निश्चय पटने की बोली हिन्दी है चाहे उसमें कुछ विलक्षणताएँ भी हों जो प्राचीन भाषा-तत्व के अन्वेषकों के काम की हों। किसीसे पूछ देखिये कि विहार में तुलसीदास की रामायण अधिक पढ़ी जाती है कि कृत्तिवास की। हम तो समझते हैं कि बिहार के अधिकांश लोग कृत्तिवास का नाम तक न जानते होंगे। प्रवासी ने अपनी धुन में एक बड़ी भारी बात की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। उसने बिहार के मुसलमानों का कुछ विचार ही नहीं किया है जिनकी भाषा अवधी हिन्दी है (दे० Linguistie Survey of India Vol. V.) बङ्गाललियों ने अपनी साहित्य-भाषा के रहने में मुसलमानों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा है। इस बात की शिकायत बराबर सुनी जाती है, पर केवल बँगला पत्रों में ही। हाल की साहित्य-परिषद् पत्रिका (भाग २३ सङ्ख्या २) में डाकृर अब्दुल गफूर सिद्दीकी का "मुसलमान ओ वंग-साहित्य" नामक लेख देखिये।

बिहारी और बँगला भाषा का मेल दिखा कर प्रवासी फिर साहित्य की उत्कृष्टता की दुहाई देकर कहता है—"यदि कोई

भूखण्ड अपनी भाषा में साहित्य की सृष्टि करे तो अच्छी बात है नहीं तो उसे अपने पड़ोसी के साहित्य को लेकर अपनाना चाहिये।...पर विहार की अदालतों में भी अवध और आगरे की भाषा का व्यवहार होता है और साहित्य में भी बोल चाल की भाषा का बँगला से अधिक हेलमेल होने से और आधुनिक हिन्दी-साहित्य की अपेक्षा आधुनिक बङ्गलासाहिन्य के अधिक उत्कृष्ट होने से बिहार के लिये स्वाभाविक यही था कि वह बँगला साहित्य को अपना साहित्य बनाता। ऐसा क्यों नहीं हुआ इस पर किसी योग्य बिहार-प्रवासी बङ्गाली को पटने के सम्मेलन में कुछ कहना चाहिये।"

हम भी कहते हैं कि कहना चाहिये, और खूब कहना चाहिये। कहने में कोई कोर कसर न रखना चाहिये कि बिहार जिसको अपना पड़ोसी क्या, बिलकुल अपना समझता है उसकी भाषा और साहित्य क्या, उसका आचार, विचार, रीति व्यवहार सब कुछ ग्रहण किये हुए है। यह बात न तो सरकार या मिशनरियों के कारण हुई है और न बिहारियों के असन्तोष, ईर्ष्या, विरक्ति आदि के कारण, बल्कि आपसे आप स्वभावतः, बिना किसी प्रकार की दैवी या मानुषी प्रेरणा के हुई है। जहाँ तक हम जानते हैं, बिहारी बङ्गालियों से किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं रखते। बङ्गाली ही अपने मिथ्याभिमान में उन्मत्त होकर अनेक प्रकार के अनर्गल प्रलाप और व्यवहार किया करते हैं। बङ्गाली ही बैठे बैठे गिनती लगाया करते हैं कि कितने बङ्गालियों को सरकारी नौकरियाँ मिलीं, कितने मलेरिया में मरे, कितने बङ्गाली पागलखाने में गये। इत्यादि इत्यादि।

अब रही बङ्गालियों को 'भीरु' आदि समझना सो अपने अपने विश्वास की बात है। यह विश्वास धीरे धीरे विरुद्ध प्रमाण पाते पाते हट सकता है, गाली गलौज से नहीं। गाली तो भीरुता का ही एक चिह्न समझी जाती है। 'खोट्टा' कहने वाले 'भीरु' भतखौओं को हिन्दुस्थानी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं दया और सहानुभूति की दृष्टि से देखते हैं।

बड़े ही दुःख का विषय है कि आज कल के बङ्गाली आधुनिक

हिन्दी की वृद्धि और उन्नति देख कर सन्तुष्ट नहीं होते। हिन्दी के प्रति सब से पहला कोप उर्दू वालों का और उसके बाद दूसरा कोप बङ्गला वालों का है। गुजराती और महाराष्ट्र साहित्य-सेवी सज्जन कभी हिन्दी पर कटाक्ष करते नहीं देखे गये और न कभी उन्होंने इस प्रकार हिन्दी को दबाने का ही प्रयत्न किया।

बङ्गाली एक तो बात का बतङ्गड़ बनाना खूब जानते हैं, ज़रा सी बात को झगडे पर चढ़ाने में बड़े सिद्ध-हस्त होते हैं। दूसरे अन्य प्रान्त वालों को वे प्रायः तुच्छ और उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उनका यह दोष अभी हाल में बहुत बढ़ गया है। बङ्किमकाल के बङ्गाली साहित्य-सेवी ऐसे नहीं थे। हिन्दी के प्रति उनकी नीति बहुत ही उदार थी। राष्ट्र-भाषा के पद के लिये वे हिन्दी को ही सब से अधिक उपयुक्त समझते थे। बँगला को राष्ट्र-भाषा बनाने का स्वप्न तो आज ही कल के बङ्गाली देखने लगे हैं! स्वर्गीय राजेन्द्रलाल मित्र, राजा राममोहनराय, परिडत ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, मि० आर० सी० दत्त आदि सभी, हिन्दी के बड़े पक्षपाती और पोषक थे। वे यह कभी नहीं चाहते थे कि बँगला उचित और अनुचित सभी रूपों से हिन्दी को हड़प कर जाय। आजकल की बात तो नहीं कह सकते; पर हाँ, किसी समय प्रवासी-सम्पादक रामानन्द बाबू के हिन्दी-सम्बन्धी विचार भी बहुत अच्छे थे। नागरी-प्रचारिणी-सभा के गृह-प्रवेशोत्सव के समय आपने काशी में अपने नागरी और हिन्दी-प्रेम का अच्छा परिचय दिया था। उस समय आपने एक चतुर्भाषी पत्र निकालने का भी विचार किया था और उसका सम्पादन बा० राधाकृष्णदास करने वाले थे। अतः अब क्या यह मान लिया जाय कि रामानन्द बाबू के विचार बदल गये अथवा वह नोट प्रवासी में बिना उनकी जानकारी के निकल गया?

बङ्गला वाले हिन्दी से द्वेष रखते और उसे तुच्छ समझते हैं, इस बात का बहुत अच्छा प्रमाण अभी हाल में सरस्वती ने दिया है। प्रयाग के पाणिनि आफ़िस से साहित्य-सम्बन्धी डाइरेक्टरी निकलती है। उसकी भूमिका में कई बातें ऐसी हैं, जो बहुत खटकने वाली हैं। पर सरस्वती-सम्पादक ने उन सब का उत्तर बहुत अच्छी तरह दे दिया है। आशा है उससे बङ्गालियों की आँखें खुलने में बहुत कुछ

सहायता मिलेगी। साथ ही इस अवसर पर हम यह भी कह देना चाहते हैं कि भारतवर्ष और गृहस्थ आदि कई ऐसे बङ्गला पत्र भी हैं, जिनके हिन्दी-सम्बन्धी विचार बहुत ही उदार हैं और जिनके कारण बङ्गला तथा हिन्दी वालों में बहुत कुछ सद्भाव फैलने की सम्भावना है।

हिन्दी का प्रचार अब अच्छी तरह आरम्भ तो हो ही गया है, वह किसी के रोके रुक नहीं सकता। ऐसे समझदारों की गिनती बहुत ही कम होगी, जो हिन्दी के अतिरिक्त किसी दूसरी देशी भाषा के राष्ट्र-भाषा होने की आशा रखते हों। ऐसी दशा में व्यर्थ आपस में वैमनस्य उत्पन्न करना ठीक नहीं है। सच पूछिये तो बङ्गला वालों को हिन्दी का बहुत ही उपकृत और कृतज्ञ होना चाहिए। जिन रवीन्द्र बाबू को वे "साहित्य-सम्राट" कहते हैं, उनकी कीर्ति का कारण वास्तव में हिन्दी-काव्य ही है। गीताञ्जलि वैष्णव कवियों के हिन्दी-काव्य की ही कृपा का फल है और कबीर-कसौटी तो हिन्दी की सम्पत्ति है। तुलसीकृत रामायण के बङ्गला में तीन तीन अनुवाद निकल चुके हैं, जिनसे बङ्गला-साहित्य की शोभा बढ़ती है। हिन्दी में अनुवादित अपने जिन थोड़े से बङ्गला उपन्यासों का बङ्गालियों को बड़ा अभिमान है, उनसे हिन्दी की कोई विशेष शोभा नहीं बढ़ी; और फिर कोई पूछे कि उनमें से कितने ग्रन्थ बङ्गालियों ने केवल अपने ही मस्तिष्क से निकाले हैं? अजी साहब, यह तो साहित्य का काम है, यह खूब मिल जुल कर होना चाहिए। अपनी अपनी भाषा की उन्नति सब लोग करें और एक दूसरे का साहित्य बढ़ाने में सहायक हों। अन्याय और बल-पूर्वक दूसरी भाषा का गला घोंटना और उसका स्थान हड़पने का प्रयत्न करना प्रशंसनीय नहीं है।

नागरी-प्रचारिणी-सभा अथवा नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका का किसी दूसरी भाषा या साहित्य के साथ किसी प्रकार का वैमनस्य, द्वेष या ईर्ष्या आदि नहीं है, और न किसी के साथ लड़ना भिड़ना या वादाविवाद करना ही उसका उद्देश्य है। सभा या पत्रिका का ही क्या, किसी हिन्दी-सेवी का भी कभी ऐसा उद्देश्य नहीं रहा है, और न किसी सभ्य मनुष्य, संस्था या समाज का कभी ऐसा उद्देश्य होना

चाहिए। हिन्दी वाले जितनी शान्ति और नम्रता-पूर्वक अपना काम करते हैं, वह किसी से छिपा नहीं है; पर शायद अपनी इसी सिधाई के कारण वे समय समय पर दूसरों से ऐसी वैसी बातें भी सुनते हैं। अभी हाल ही में, गत वर्ष जब कि बर्द्दवान में वङ्गीय साहित्य-सम्मेलन हुआ था, तब हिन्दी वालों के लिए बहुत कुछ कहने सुनने का अवसर था; क्योंकि यह बात प्रायः सभी लोग स्वीकार करेंगे कि महाराज बर्द्दवान से सहायता पाने का बँगला की अपेक्षा न्यायतः हिन्दी का ही अधिक अधिकार था; पर हिन्दी वालों ने उस समय चूँ तक न की। यदि किसी बँगला भाषी श्रीमान् की सन्तान कलकत्ते के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की उससे आधी भी सहायता करती, जितनी कि महाराज बर्द्दवान ने बङ्गीय साहित्य-सम्मेलन की की थी, तो बहुत से बङ्गाली ज़मीन सिर पर उठा लेते; बल्कि यदि उसके सहायता करने से पहले ही बहुत से बङ्गाली उनकी सेवा में डेपुटेशन लेकर पहुँच जाते और उसे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की सहायता करने से रोकने का प्रयत्न करते, तौभी कोई आश्चर्य न था; पर हिन्दी वालों को स्वप्न में भी ऐसी बातों का ध्यान ही न आया। अस्तु, इस लेख के लिखने से हमारा अभिप्राय केवल यही है कि बङ्गाली लोग और विशेषतः प्रवासी-सम्पादक की कोटि के लोग आगे से कुछ उदार हो जायँ और व्यर्थ बैठे बैठाये बेचारी हिन्दी से छेड़छाड़ न किया करें।

(दैनिक श्रीवेङ्कटेश्वर से)

परीक्षा-समिति का तृतीय अधिवेशन

परीक्षा-समिति का तृतीय अधिवेशन रविवार मिति फाल्गुन शुक्ल ४, ता० २५ फरवरी सन् १९१७ ई० को ३ बजे सम्मेलन-कार्यालय में निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ—

१ श्रीयुत बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन
२ " पं० लक्ष्मीनारायण नागर
३ " प्रो० ब्रजराज

कार्यवाही का सङ्क्षिप्त विवरण निम्नलिखित है—

१—गत अधिवेशन का कार्य-विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ।

२—परीक्षा-मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि सं० १६७४ की परीक्षाओं के लिए संशोधक नियुक्त किये जायँ—निश्चय हुआ कि सब प्रश्न-पत्र बन कर आ जाने पर परीक्षा-मन्त्री परीक्षा-समिति में उपस्थित करें, उस समय इस प्रस्ताव पर विचार किया जायगा।

३—नये केन्द्र बनाये जाने के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि अभी राठ और देवरिया केन्द्र नहीं बनाये जा सकते, फिरोजाबाद परीक्षा का केन्द्र बना दिया जाय और छपरा, रायपुर, बस्ती स्थानों के लिए परीक्षार्थियों की सङ्ख्या परीक्षा-स्थान तथा व्यवस्थापक के प्रबन्ध के लिए परीक्षा-मन्त्री पत्र-व्यवहार करें और तब यह प्रस्ताव उपस्थित किया जाय।

४—परीक्षा-मन्त्री की इस सूचना पर कि परीक्षा-समिति के प्रथम अधिवेशन में सुखलाल चवरे मध्यमा परीक्षा में उत्तीर्ण किये गये थे—निश्चय हुआ कि परीक्षा-मन्त्री इनको उपाधि-पत्र सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति से हस्ताक्षर करा के दे दें।

५—परीक्षा-मन्त्री ने सूचना दी कि प्रथमा परीक्षा के माधवप्रसाद की साहित्य १ विषय की उत्तर-पुस्तक बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन जी ने जाँची है। वे उत्तीर्ण हैं और प्रमाण-पत्र पाने के अधिकारी हुए—निश्चय हुआ कि परीक्षा-मन्त्री यथोचित हस्ताक्षर सहित प्रमाण-पत्र दे दें।

६—परीक्षा-मन्त्री के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि सं० १६७४ की मध्यमा परीक्षा में भगवानदीन पाठक को बिना शुल्क परीक्षा देने का अधिकार दिया जाय।

७—परीक्षा-मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि आरायज़-नवीसी और मुनीबी के लिए प्रथमा परीक्षा से अलग प्रमाण-पत्र दिया जाय—निश्चय हुआ कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

८—परीक्षा-मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि ठा० शिवकुमारसिंह सं० १९७४ की परीक्षाओं के लिए गणक चुने जायँ, और सूचना दी कि ठा० शिवकुमार सिंह जी को यह पद स्वीकार है—निश्चय हुआ कि ठा० शिवकुमार सिंह जी गणक नियुक्त किये जायँ।

९—निम्नलिखित परीक्षार्थियों को, जो प्रथमा परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हैं, सं० १९७४ की मध्यमा परीक्षा में परीक्षा देने का अधिकार परीक्षा-मन्त्री प्रमाण-पत्रों को देख कर (यदि सन्तोष-जनक समझें) दे दें।

(१) महाबीरप्रसाद—भगवन्त नगर, उन्नाव।

(२) गङ्गाचरण शर्मा—आयुर्वेदाचार्य, आरा।

१०—वैद्यनाथ मिश्र प्रयाग का आवेदन-पत्र मध्यमा में बैठने का अधिकार प्राप्त करने के लिए उपस्थित किया गया—निश्चय हुआ कि वे प्रथमा परीक्षा से मुक्त नहीं किये जा सकते।

११—मन्नालाल अवस्थी मैनेजर वैश्य—अनाथालय, कानपुर के आवेदन-पत्र पर, कि मध्यमा परीक्षा देने का अधिकार दिया जाय—निश्चय हुआ कि वे अपनी योग्यता का प्रमाण-पत्र कानपुर के व्यवस्थापक पं० महेशदत्त शुक्ल जी से लिखा कर भेजें।

१२—परीक्षा-मन्त्री ने गद्य हिन्दी-भाषा-सार भाग १ के सम्पूर्ण छपे हुए फार्म फ़ायल सहित उपस्थित किये—निश्चय हुआ कि यह पुस्तक परीक्षा-समिति की ओर से प्रकाशित की जाय, और प्रो० रामदास गौड़ तथा लाला भगवानदीन जी को परिश्रम के लिए धन्यवाद दिया जाय तथा १५०/० तक रायल्टी परीक्षा-मन्त्री उनको दे दें।

१३—परीक्षा-मन्त्री ने शिवा बावनी की फ़ायल उपस्थित की और सूचना दी कि लाला भगवानदीन जी ने पत्र भेजा है, जिसमें वे लिखते हैं कि टिप्पणी सहित शिवा बावनी का शुद्ध संस्करण १५०/० रायल्टी पर परीक्षा-समिति के लिए तैयार कर देंगे—निश्चय हुआ कि लाला भगवानदीन की टिप्पणी सहित शिवा बावनी का संस्करण छपाया जाय और श्रीयुत प्रो० रामदास गौड़ जी से सम्मति लेकर परीक्षा-मन्त्री इनकी शर्त स्वीकार करें।

१४—प्रो० रामदास गौड़ जी के प्रस्ताव पर, कि मौलिक लेखक को २५०/० सम्पादक को १५०/० और अनुवादक को १८०/० रायल्टी

देनी स्वीकार की जाय—निश्चय हुआ कि प्रस्ताव उचित है, किन्तु प्रत्येक पुस्तक के लिये उसको देख कर ही पुरस्कार निश्चय हो सकता है।

१५—पं० राजमणि त्रिपाठी का पत्र समयाभाव से उपस्थित नहीं हो सका।

भिन्न भिन्न भाषा-भाषी
और
राष्ट्र-भाषा हिन्दी

राष्ट्र-भाषा बनाने योग्य कौन सी भाषा है, इस विषय में भिन्न भिन्न प्रान्तों के भिन्न भिन्न भाषा-भाषी जो अपनी सम्मति प्रकाशित कर चुके हैं, उसका सूक्ष्म उल्लेख हम यहाँ करते हैं—

(१) श्रीमान् महाराजा गायकवाड़ बड़ोदा अपनी राय आम तौर पर प्रकाशित कर चुके हैं कि हिन्दी-भाषा राष्ट्र-भाषा बनाने योग्य है— Hindu Patriot Calcutta.

(२) भिन्न भिन्न प्रदेशों की एक सामान्य भाषा बनाने का सम्मान हिन्दी को ही मिलना चाहिए। हिन्दी ही राष्ट्र-भाषा होनी चाहिए— डाक्टर सर रामकृष्ण भाण्डारकर।

(३) देवनागरी-लिपि तथा हिन्दी-भाषा का सर्वत्र प्रचार किया जावे—पाँचवें गुजराती साहित्य-परिषद् का ६–१० वाँ प्रस्ताव; प्रस्तावकर्त्ता रणछोड़लाल लल्लू भाई।

(४) यह मेरे लिये शोक की बात है कि मैं आपकी मातृ-भाषा (हिन्दी) में व्याख्यान नहीं दे सकता, जो कि राष्ट्र-भाषा कहाने योग्य है। मुझे विश्वास है कि हिन्दी ही राष्ट्र-भाषा होगी—लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक।

(५) हिन्दी-भाषा में जब तक सार्वजनिक कार्य न होगा, तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती।...जहाँ राष्ट्रीय प्रश्न हो, वहाँ राष्ट्र-भाषा (हिन्दी) ही में उसका विचार होना चाहिए।...आगामी कांग्रेस में अगर कोई बिना हिन्दी जाने आवेगा तो मेरे व्याख्यान से उसे कुछ भी लाभ न होगा—कर्मवीर गान्धी।

(६) इस सभा की सम्मति में देश में एकता की वृद्धि और राष्ट्रीय भावों के प्रचार के लिए यह अति आवश्यक है कि देश-व्यापी व्यवहारों और कार्यों में एक राष्ट्र-लिपि और भाषा का प्रयोग किया जाय—इसके लिये देवनागरी-लिपि और हिन्दी-भाषा ही उपयुक्त है। राष्ट्र-भाषा सभा (सम्मेलन) लखनऊ; प्रस्तावकर्त्ता लाला मुन्शीराम जी, अनुमोदन तथा समर्थनकर्त्ता माननीय पं० मदनमोहन जी मालवीय, मिस्टर रामस्वामी ऐयङ्गार तथा मिसेज एनी बिसेण्ट।

(७) समस्त भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी-लिपि सर्वोत्तम है और प्रत्येक प्रान्त की प्रत्येक पाठशाला में अङ्ग्रेज़ी तथा प्रान्तिक-भाषा के साथ हिन्दी पढ़ायी जावे—आठवाँ मराठी साहित्य सम्मेलन का, जो सर गङ्गाधर राव राजा साहब मिरजा की अध्यक्षता में हुआ था, प्रस्ताव–प्रस्तावकर्त्ता रा० ब० सरदार माधवराव किवे, समर्थक श्री राजाराम बोडस एम० ए०, एल० एल० बी०।

(८) ऐसे शुभ समय में राष्ट्र-भाषा स्थिर करके उसके प्रचार में बहुत ही निरुत्साह ज्ञात होता है, यह ठीक नहीं। राष्ट्र-भाषा कौन सी होनी चाहिए, यह ठहर चुका है और वह भाषा हिन्दी ही है। गत मराठी साहित्य-सम्मेलन में यह बात ठहर चुकी है कि राष्ट्र-भाषा हिन्दी ही होनी चाहिए और हिन्दी ही राष्ट्र-भाषा होने योग्य है। इस ठहराव को मराठी पाठक भूले न होंगे, गुजराती सम्मेलन के समय यही प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है। बङ्गाली इस प्रस्ताव का विरोध कदापि नहीं कर सकते—मराठी भाषा का पत्र सन्देश।

(९) पूना नगर महाराष्ट्र की राजधानी है।...यहाँ के महाराष्ट्र बन्धु हिन्दी से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं, उन्हें सोलह आना विश्वास हो गया है कि यदि कोई राष्ट्रीय भाषा सारे भारत की हो सकती है तो वह हिन्दी ही है। फल यह हुआ है कि अब यहाँ कोई सार्वजनिक सभा होती है तो उसमें हिन्दी-भाषा का प्रवेश अवश्य रहता है।...फरवरी के अन्तिम सप्ताह में जो यहाँ वैद्य-सम्मेलन होने वाला है, उसकी भी यहाँ अधिकांश हलचल हिन्दी में ही हो रही है और उक्त अधिवेशन के अवसर पर यहाँ के महाराष्ट्र भाइयों के अनेक भाषण राष्ट्रीय भाषा में ही सुनाई देंगे।...महाराष्ट्र की राजधानी में राष्ट्र-भाषा हिन्दी के प्रचार का जो अत्यन्त महत्व-पूर्ण हर्ष-समा-

चार हम पाठकों को सुनाते हैं, वह यह है कि यहाँ की दक्षिण शिक्षा-समिति की प्रारम्भिक मराठी पाठशाला में हिन्दी की श्रेणी खुल गयी है और वहाँ के विद्यार्थियों को हिन्दी भी दूसरी भाषा के तौर पर मराठी के साथ साथ पढ़ायी जाने लगी है।

(चित्रमय जगत् दिसम्बर १६१६)

(श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार से)

मैथिल सभा में हिन्दी का निरादर

मैथिल महासभा आठ वर्ष से स्थापित है, और श्रीमान् महाराज दरभङ्गा के सभापतित्व में सुचारु रूप से उसका कार्य भी सञ्चालन होता है। दुःख की बात है कि जहाँ सम्पूर्ण भारतवासी हिन्दी-भाषा को राष्ट्र-भाषा करने के लिए दृढ़ प्रयत्न और आन्दोलन कर रहे हैं, वहाँ हमारे कतिपय सङ्कीर्ण-हृदय मैथिल हिन्दी का बहिष्कार कर रहे हैं। इस बार अष्टम अधिवेशन तीन दिन तक पूर्नियाँ में हुआ था। शोक कि उसमें बँगला भाषा तथा अङ्ग्रेज़ी भाषा द्वारा दो दिन तक व्याख्यान हुए, किन्तु भारत-धर्म महामण्डल के भेजे हुए एक मैथिल उपदेशक को व्याख्यान-स्थल से हटा दिया; क्योंकि उन्होंने "हिन्दी" में अपना व्याख्यान देना चाहा था! जहाँ तक मुझे मालूम हुआ था, महाराज ने उपदेशक जी को हिन्दी में बोलने की अनुमति दे दी थी। फिर भी महासभा के मन्त्री जी ने उन्हें लौटा दिया! मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें उन लोगों ने क्या लाभ सोचा है? क्या बँगला का व्याख्यान, जो चाय की खेती के विषय में हुआ था, जन-साधारण समझे थे? मैंने उसी समय कितने ही मैथिल वर्गों से पूँछा तो उन लोगों ने साफ साफ बताय दिया कि हम लोग केवल "चाय-चाय" समझते थे! मैं यह नहीं कहता कि मिथिला भाषा की उन्नति की चेष्टा न की जाय। मैं स्वयं उसका पुष्ट-पोषक हूँ, तथापि मैं यह नहीं चाहता कि मैथिल सभा "हिन्दी" को अपनी सभा में स्थान न दे। हिन्दी अवश्य राष्ट्र-भाषा होगी और होगी क्या, है ही। फिर मुट्ठी भर मैथिल लोग क्यों अयश उठा रहे हैं? हिन्दी-हितैषी तथा हिन्दी-सम्मेलन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए।

—एक "मैथिल"।

(प्रताप कानपुर से)

महाराष्ट्रों की राजधानी में राष्ट्र-भाषा का मान

महाराष्ट्र की राजधानी में राष्ट्रीय भाषा हिन्दी के प्रचार का जो अत्यन्त महत्व-पूर्ण हर्ष-समाचार आज हम अपने पाठकों को सुनाते हैं, वह यह है कि यहाँ की "डेक्कन-एज्युकेशन-सोसायटी" (दक्षिण-शिक्षा-समिति) की प्रारम्भिक मराठी पाठशाला में भी हिन्दी की श्रेणी खुल गई है और अब वहाँ के विद्यार्थियों को मराठी के साथ साथ हिन्दी भी, दूसरी भाषा के तौर पर, पढ़ाई जाने लगी है। उपर्युक्त सोसायटी इस प्रान्त में स्वावलम्बन-पूर्वक शिक्षा का कैसा प्रचार कर रही है, सो प्रत्येक सुशिक्षित भारतवासी जानता है। प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का कार्य यह सोसायटी अनेक वर्षों से कर रही है। जैसे इसकी मराठी प्रारम्भिक पाठशाला है, वैसे ही इसका हाईस्कूल "न्यू इङ्गलिश स्कूल" है और उच्च शिक्षा देने वाला प्रसिद्ध "फर्ग्युसन कालेज" इसी का है।

लाहौर का द० ए० वै० कालेज और पूना का फर्ग्युसन कालेज—ये दो ही कालेज भारत में ऐसे हैं, जो स्वावलम्बन-पूर्वक हज़ारों विद्यार्थियों को अब तक उच्च शिक्षा दे चुके और दे रहे हैं। उपर्युक्त सोसायटी यह भी विचार कर रही है कि अगले 'नववर्ष' से "न्यू इङ्गलिश (हाई) स्कूल" में भी हिन्दी का क्लास खोल दिया जाय। हम सोसायटी के सञ्चालकों की इस दूरदर्शिता और राष्ट्र-प्रेम की जहाँ तक प्रशंसा करें, थोड़ी ही है। आशा है कि इसका आदर्श लेकर पूने के अन्यान्य स्कूलों में भी हिन्दी भाषा की श्रेणियाँ खोली जायँगी। इधर प्रो० कर्वे के महिला-विद्यालय में भी हिन्दी-भाषा के अध्ययन का अच्छा प्रबन्ध है; क्योंकि हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान् लेखक पं० हरि रामचन्द्र दिवेकर एम०ए० इसी विद्यालय में महोपाध्याय (प्रोफेसर) हैं। इस प्रकार पुण्य नगरी में राष्ट्र-भाषा हिन्दी का प्रचार बढ़ते हुए देख कर किस देश-हितैषी का हृदय हर्षोत्फुल्ल न होगा ?

(चित्रमय जगत से)

विदेशों में हिन्दी का प्रचार

आजकल पट्टे की कुलीगीरी अर्थात् पट्टा लिख कर हिन्दुस्थानी मजदूरों के विदेश भेजे जाने का बड़ा विरोध किया जा रहा है। यह विरोध सर्वथा उचित है; क्योंकि ऐसी कुलीगीरी और प्राचीन गुलामी की प्रथा में विशेष अन्तर नहीं है और इसकी बुराइयाँ अब ऐसी खटकने लगी हैं, कि सही नहीं जातीं। इसलिए जितना शीघ्र सरकार इस प्रथा को उठा दे, उतना ही भारत और इङ्गलैंड के मान मर्यादा के लिए अच्छा है।

परन्तु आप जानिये, सभी बुराइयों में कुछ न कुछ भलाई का अंश भी होना सम्भव है। कुलीगीरी की जहाँ इतनी बुराइयाँ देखी सुनी गयी हैं, वहाँ उनके साथ साथ एक यह भलाई भी हुई है, कि हमारे इन्हीं देश-भाइयों द्वारा ब्रिटिश गायना, फीजी और दक्षिण अफ्रीका तक हिन्दी-भाषा और हिन्दी-सभ्यता भी जा पहुँची है। ब्रिटिश गायना में हिन्दी बोलने वाले हिन्दू मुसलमानों की खासी सङ्ख्या मौजूद है। फीजी में भी हिन्दी लिखी और बोली जाती है; परन्तु वहाँ के हिन्दुस्थानियों की दशा हीन होने के कारण वे अपनी भाषा की कुछ उन्नति नहीं कर सके। इन स्थानों से जो चिट्ठियाँ हमारे पास आती हैं, वे सब हिन्दी में लिखी होती हैं, जिससे मालूम होता है, कि उन स्थानों में हिन्दी की चर्चा होती अवश्य है।

परन्तु अपनी भाषा और सभ्यता की रक्षा और प्रचार विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में ही हो रहा है। ट्रांसवाल और नेटाल के हिन्दुस्तानी अपने अपने प्रान्त में अपनी मातृ-भाषा के प्रचारार्थ कैसा उद्योग कर रहे हैं, इसका कुछ विवरण समय समय पर इस पत्र में प्रकाशित होता रहा है। हाल में वहाँ का यह समाचार पाकर बड़ा सन्तोष हुआ कि हमारे देश-भाइयों ने वहाँ प्रथम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन भी बड़े उत्साह और सफलता के साथ कर लिया। यह सम्मेलन वहाँ के लेडीस्मिथ नगर में गत २६ दिसम्बर को हुआ था। श्रीयुत आर० जी० भल्ला ने प्रधान का आसन सुशोभित किया था। स्वागतकारी-मण्डल के प्रधान थे श्रीयुत रघुनाथ सिंह जी। हिन्दी-सेवियों ने सभापति का स्वागत बड़े उत्साह से किया।

सभापति का भाषण बहुत प्रभावशाली हुआ, जिसके फल से आशा है कि दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी के प्रचार में बड़ी सहायता मिलेगी।

सम्मेलन के कुछ प्रस्ताव विशेष ध्यान देने योग्य हैं; क्योंकि इनसे वहाँ के भारतवासियों की मुश्किलों का भी कुछ पता मालूम होता है। प्रथम प्रस्ताव में दक्षिण अफ्रीका सरकार से प्रार्थना की है कि जिन सरकारी या सरकारी सहायता से चलने वाले स्कूलों में हिन्दुस्थानी लड़के पढ़ते हैं, उनमें हिन्दी-भाषा पढ़ाने का भी प्रबन्ध किया जाय और हिन्दी स्कूलों को सरकार उसी तरह सहायता दे, जैसी कि वह ईसाई पादरियों के स्कूलों को देती है। इस देश में हिन्दी-अध्यापक भारत से बुलाने की मञ्जूरी दे। प्रिटोरिया के इमिग्रेसन आफिस में एक हिन्दी जानने वाला भारतवासी रखा जाय। सरकारी विज्ञापन हिन्दी में भी छापे जाया करें। अन्त में भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से प्रार्थना की है, कि अपनी नियमावली आदि उक्त सम्मेलन को भेजने की कृपा करे। आशा है कि सम्मेलन के कार्यकर्ता इस प्रार्थना पर शीघ्र ध्यान देकर हमारे दक्षिण अफ्रीका-प्रवासी भाइयों को उत्साहित करेंगे।

(श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार से)

पुस्तक लेखक को पुरस्कार

यू० पी० मण्डल के महामन्त्री बाबू अवध विहारीलाल जी, बी० ए०, एल-एल० बी०, वकील हाईकोर्ट, मेरठ सूचित करते हैं कि संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध के व्रत और सम्पूर्ण त्योहारों पर जो महाशय सर्वोत्तम पुस्तक लिखेंगे, उनको दो सौ रुपये नक्द और एक सुवर्ण पदक पुरस्कार में दिया जायगा। इस पुस्तक में व्रत और सम्पूर्ण त्योहारों का लौकिक और शास्त्रीय कर्तव्य, तिथि, उत्पत्ति का समय और कारण तथा विज्ञान सरल हिन्दी भाषा में लिखना चाहिये। पहिले भाग में व्रत, दूसरे में सार्वदेशिक त्योहार और तीसरे में भिन्न भिन्न नगरों में लौकिक रीति से होने वाले त्यौहार और उत्सवों का वर्णन रहेगा। उक्त पुरस्कार सर्वोत्तम पुस्तक लेखक को पंडितों की कमेटी से निश्चय होने पर दिया

जायगा। सिटी के डिप्टी कलेकृर बाबू आनन्दस्वरूप और कलकत्ते के साहित्य सम्मेलन ने यह पुरस्कार देना स्वीकार किया है।

नागरी प्रचारिणी सभा-काशी के पुरस्कार और पदक

जयपुर के स्वर्गवासी कु० जोधसिंह जी मेहता ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा को १,०००) रु० दान दिया था। सभा ने निश्चय किया है कि इस रकम के ब्याज से होने वाली आय में कुछ द्रव्य अपने पास से मिला कर प्रति तीसरे वर्ष २००) रु० नक्द पुरस्कार उस ग्रन्थकर्ता को दिया जाया करे जिसका ग्रन्थ गत तीन वर्षों में हिन्दी में निकले हुए सब ग्रन्थों में श्रेष्ठ हो। पहिला पुरस्कार १ जनवरी सन् १९१७ से ३१ दिसम्बर सन् १९१९ तक प्रकाशित होने वाले ग्रन्थों में से सर्वोत्तम ग्रन्थ के लेखक को दिया जायगा।

इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष के नियमानुसार इस वर्ष भी निम्न लिखित लेखों के लिये इस प्रकार पदक दिये जावेंगेः--

१--डाकृर छन्नूलाल स्वर्ण पदक।

विषय-(Town planning) नगरों का निर्माण।

२--राधाकृष्णदास रजत पदक।

विषय-भारतवर्ष की शासन प्रणाली।

३--रेडिये रजत पदक।

विषय-मनुष्यों का भोजन।

पदकों के लिये ३१ दिसम्बर सन् १९१७ तक मन्त्री नागरी प्रचारिणी सभा काशी के पास आ जाने चाहिये।

समालोचना

(लेखक—श्रीयुत पं० रामनरेश जी त्रिपाठी)

(१) हमारे शरीर की रचना

(पहला भाग)

लेखक और प्रकाशक—डाकृर त्रिलोकीनाथ वर्मा, बी० एस-सी० एम० बी०, बी० एस०, डिमौन्स्ट्रेटर एनाटौमी, किङ्गजार्ज मेडिकल

कौलेज, लखनऊ। पृष्ठ सङ्ख्या २६८; मूल्य, पुस्तक पर लिखा नहीं है। कागज, छपाई, सफाई उत्तम है। पुस्तक सजिल्द है।

शरीर सम्बन्धी जानने योग्य प्रायः सब बातों का वर्णन इस पुस्तक में आ गया है। मांस, रुधिर, अस्थि, मज्जा आदि की उत्पत्ति, शरीर के अङ्गों की बनावट आदि विषय बड़ी सरल भाषा में समझा कर लिखे गये हैं। इस पुस्तक के पढ़ने से शरीर के भीतर की बातों का ज्ञान बड़ी सुगमता से हो सकता है। विषय को अच्छी तरह समझाने के लिये चित्र भी दे दिये गये हैं। ऐसे ५८ चित्र इस पुस्तक में हैं। अपने शरीर की रचना का रहस्य तो हर एक मनुष्य को जानना चाहिये। परन्तु हिन्दी में ऐसी पुस्तकों की कमी से केवल हिन्दी जानने वाले इस ज्ञान से वञ्चित ही रह जाते थे, डाक्टर साहब ने यह पुस्तक लिख कर हिन्दी जानने वालों का बड़ा उपकार किया है।

पुस्तक १४ अध्यायों में समाप्त हुई है। अन्त में परिभाषा रूप में हिन्दी शब्दों का अङ्गरेजी नाम भी दे दिया गया है। पुस्तक को उपयोगी बनाने में कोई बात उठा नहीं रक्खी गयी है। पुस्तक उपादेय है।

(२) भारत विनय

लेखक—पं० श्यामविहारी मिश्र एम० ए० और पं० शुकदेव बिहारी मिश्र बी० ए०।

प्रकाशक—श्री मध्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति, इन्दौर।

पृष्ठ सङ्ख्या १४७; मूल्य दश आना।

पुस्तक सजिल्द है, कागज, छपाई, सफाई उत्तम है।

पुस्तक कविता में है। कविता की भाषा खिचड़ी है न विशुद्ध ब्रज भाषा ही है न खड़ी बोली ही। शब्दों का रूप बदलने में पूरी स्वतन्त्रता से काम लिया गया है; जैसे अवश्य का अवस्य औसि आदि।

कविताएँ ५४ विषयों पर हैं। भूमिका, ग्रन्थ निर्माण कारण और

ग्रन्थ भावोद्दीपन एवं रचना काल भी पद्य में हैं। किसी किसी विषय पर कविता अच्छी हुई है।

शब्दों का अशुद्ध उपयोग हमें बहुत खटकता है। परमेसुर, ईसुर, उसका, जस, जोतिष, दुरजोधन आदि लिखने से कविता में क्या लालित्य आ गया, और इनका शुद्ध रूप लिखने में क्या कटुता आ जाती; मिश्र बन्धुओं का विचार कुछ समझ में नहीं आता।

कविता में कभी कभी शब्दों के रूप में कुछ परिवर्त्तन करने की आवश्यकता पड़ती है जैसे नैन, बैन आदि, परन्तु अनावश्यक उनका रूप बिगाड़ना बुरा लगता है। आज कल शब्दों का शुद्ध प्रयोग करके भी सरस और भावपूर्ण कविता हो रही हैं।

प्रकाशक से प्राप्य।

(३) प्रेम पुष्पाञ्जलि

सम्पादक और प्रकाशक—कुमार देवेन्द्रप्रसाद, प्रेम मन्दिर, आरा। मूल्य पुस्तक पर लिखा नहीं है। पृष्ठ सङ्ख्या १०० के लगभग है। कागज चिकना और मोटा है। पुस्तक इण्डियन प्रेस में छपी है इसलिये उसकी छपाई सफाई की सुन्दरता का तो कहना ही क्या है?

इस पुस्तक में वर्तमान खड़ी बोली के कवियों की प्रेम रसाप्लुता और मर्मस्पर्शिनी कविताओं का सङ्ग्रह किया गया है। सङ्ग्रह अच्छा हुआ है। प्रेमियों के पढ़ने लायक है।

(४) स्त्री-जीवन

लेखक—श्रीयुत सूरजमल्ल जैन, सम्पादक-जैनप्रभात।

प्रकाशक—श्री मध्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति इन्दौर।

पृष्ठ सङ्ख्या १४०, मूल्य सजिल्द का छः आने और पेपर कवर चार आने। स्त्रियों, बालकों और बालिकाओं तथा मुफ़ बाँटने वालों को पेपर कवर की पुस्तक दो ही आने में मिलेगी।

पुस्तक स्त्रियों के लिये बहुत उपयोगी है। प्रत्येक पढ़ी लिखी स्त्री को इसे पढ़ कर लाभ उठाना चाहिये। स्त्री-जीवन का महत्त्व,

वाल्यकाल, स्त्री-शिक्षा, स्त्री जाति के गुण, विवाह, गृहिणी जीवन, गृह व्यवस्था, मातृ जीवन और गृह शासन आदि विषयों पर बड़े लाभदायक विचार प्रकट किये गये हैं। अन्त में स्त्री उपयोगी कुछ शिक्षाएँ बड़े काम की हैं।

पुस्तक के लेखक जैन मतानुयायी हैं। अतएव धार्मिक बातों में अन्य धर्मवालों से कुछ भेद आ गया है। ९९ वें पृष्ठ पर परमात्मा के विषय में लिखा है—"किसी समय परमात्मा भी हमारे समान थे।" अन्य धर्म वाले परमात्मा को ऐसा नहीं समझते। अतएव सर्वोपयोगी पुस्तकों में धार्मिक बातें उतनी ही लिखनी चाहिये, जितनी सर्वमान्य हों। पुस्तक उपादेय है।

हिन्दू विश्वविद्यालय और हिन्दी

सन् १९१९ के दिसम्बर की 'सरस्वती में' एक लेख छपा है जिसका शीर्षक "बनारस के हिन्दू विश्वविद्यालय के नियम" है। लेखक का नाम नहीं दिया है। इससे अनुमान होता है कि सम्भव है यह लेख स्वयं सम्पादक महोदय का लिखा हो।

मुझे इस लेख को पढ़ कर बड़ा आश्चर्य और दुःख भी हुआ। दुःख इस बात से हुआ कि लेखक महोदय ने शिष्ट भाषा का उपयोग करना भी लेख में आवश्यक नहीं समझा है। जैसे, "वहुत से लोग "हल्ला" मचा रहे हैं कि इस विद्यालय ने हिन्दी में शिक्षा देने का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं किया।" क्या मैं लेखक महाशय से यह सविनय पूँछ सकता हूँ कि "हल्ला" शब्द का प्रयोग उन्होंने किसके प्रति किया है? और यदि वे "हल्ला" मचा भी रहे हैं तो इसमें बेजा क्या है?

इस विषय में मैंने भी बहुत "हल्ला" मचाया है। ५।६ पत्र भारत-मित्र में छपाये हैं और झाँसी के प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलन में तथा जबलपुर के भारतीय साहित्य-सम्मेलन में इस विषय के प्रस्तावों पर बोलने की भी इसी साल में धृष्टता की है। सं० १९६९ या १९७० के काङ्गड़ी गुरुकुल के वार्षिकोत्सव पर भी मैंने इसी

सम्बन्ध में एक प्रस्ताव उपस्थित किया था। मैंने थोड़े दिनों से यह समझ कर कि इस विषय में आन्दोलन करना व्यर्थ है, इसपर कुछ लिखना इधर छोड़ दिया था; किन्तु "सरस्वती" जैसी सम्मानित पत्रिका में यदि कोई लेख ऐसा निकले जिसको मैं कम से कम ठीक न समझता होऊं तो उसका प्रतिवाद करना मैं आवश्यक समझता इसलिए मैं ये कतिपय बातें नीचे लिखता हूँ—

लेखक ने लिखा है "पर प्रश्न यह है कि, क्या यह विश्वविद्यालय केवल हिन्दी बोलने वालों का है? यह तो सारे भारतवर्ष का है। मुसलमानों, पार्सियों और क्रिश्चियनों तक ने इसके लिए चन्दा दिया है। सभी चन्दा देने वालों की मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है। फिर कैसे सम्भव था कि, बङ्गला, मराठी और तामिल बोलने वालों की भाषाओं का अतिक्रमण करके हिन्दी को ही प्रधानता दी जाती? क्या अन्य भाषाएँ बोलने वाले प्रान्तों के निवासी छात्र इसमें अध्ययन करने न आवेंगे या न आ सकेंगे।

अवतरण में जो प्रश्न किये गये हैं, उनका उत्तर मैं अपनी अल्प बुद्धि से यह दिया चाहता हूं कि, हिन्दू-विश्वविद्यालय मुसलमानों, पार्सियों और क्रिश्चियनों का विश्व-विद्यालय अवश्य है। यह भी ठीक है कि, सभी चन्दा देने वालों की मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है, पर इसका दायित्व प्रयाग विश्व-विद्यालय से इन भाषाओं के प्रति अधिक नहीं है। भारतवर्ष का कहना तो दूर रहा, यह संयुक्त-प्रान्त का भी विश्व-विद्यालय नहीं कहा जा सकता; यह केवल 'बनारस' का विश्व-विद्यालय है। हाँ, यदि केम्ब्रिज, आक्सफोर्ड, हार्वर्ड इत्यादि अन्य देशों के विश्व-विद्यालय संसार के विश्व-विद्यालय कहे जा सकते हों तो यह विश्व-विद्यालय भी भारतवर्ष का विश्व-विद्यालय कहा जा सकता है। पर लेखक तथा पाठकों को यह बताने की आवश्यकता न होगी कि केम्ब्रिज, आक्सफर्ड और हार्वर्ड इत्यादि विश्व-विद्यालयों में, संसार के भिन्न भिन्न देशों से भिन्न भिन्न भाषा-भाषी आकर सरस्वती रूपी गङ्गा में स्नान करते हैं और इन विश्व-विद्यालयों में विद्या रूपी गङ्गा केवल एक ही भाषा की धारा से बहती है। केवल इसी लिए कि वहाँ अफ्रीका और

चीन के लोग भी पढ़ने जाते हैं, इससे यहाँ अफ्रिकन और चीनी भाषा द्वारा शिक्षा दी जाय, यदि ऐसा कोई सोचे या कहने की धृष्टता करे तो वहाँ के लोग उसे क्या उत्तर देंगे, यह कहने से न कहना ही अच्छा है।

मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। प्रश्न यहाँ पर यह नहीं है जैसा कि लेखक महाशय ने जनता को समझाने का यत्न किया है कि देश की भिन्न भिन्न भाषाओं में पढ़ाना या कार्य करना कठिन है, किन्तु वास्तव में प्रश्न यह है कि भारतवर्ष में शिक्षा का द्वार वा मार्ग क्या होना चाहिए, विदेशी भाषा अङ्ग्रेज़ी या कोई स्वदेशी भाषा। यह तो है प्रधान प्रश्न। किन्तु गौण रूप से यह भी पूँछा जा सकता है कि संयुक्त प्रान्त में प्रयाग-विश्वविद्यालय के अन्तर्गत क्या तामिल, मद्रासी, मराठी, बङ्गाली, मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं हैं? क्या इनके लिए प्रयाग-विश्वविद्यालय ने किसी विशेष प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध किया है? नीचे के दर्जों में जहाँ देशी भाषाओं का पढ़ाना आवश्यक है, क्या वहाँ भी हिन्दी के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा पढ़ाने का प्रबन्ध है? (मैं उर्दू को भी अरबी अक्षरों में लिखी हुई हिन्दी ही कहता हूँ।) यदि ऐसा नहीं है तो हिन्दू-विश्व-विद्यालय जो काशी में स्थापित है और जिसे न तो काशी के बाहर किसी कालेज के बनाने की आज्ञा है और न स्कूल की, उसके प्रति यदि कुछ लोग यह आन्दोलन मचाते हैं कि उसमें शिक्षा का द्वार अङ्ग्रेज़ी की जगह हिन्दी रखा जाय तो क्या अनुचित करते हैं? कृपा कर लेखक महाशय उनकी भूल बताने का कष्ट उठावें।

(अपूर्ण)

शिवप्रसाद गुप्त, काशी।

बङ्ग-साहित्य-सम्मेलन के सभापति के वक्तव्य की कुछ बातें

अभी हाल में, बाँकीपुर में, बङ्ग-साहित्य-सम्मेलन का दसवाँ अधिवेशन हुआ। उसके सभापति माननीय न्यायमूर्ति सर आशुतोष मुखोपाध्याय सरस्वती का अभिभाषण बड़े महत्त्व का है। उसके कुछ अंशों का आशय कुछ नीचे दिया जाता है—

जिस भाषा में जितनी ही अधिक सम्पदा है और जो भाषा सुचिन्ता प्रसूत विषयों से जितनी ही अधिक अलङ्कृत है, उस भाषा का प्रसार संसार में उतना ही अधिक है। वह भाषा चाहे जिस देश की हो, विदेशी विद्वान् यत्न पूर्वक उसकी सेवा करके अपने को धन्य मानते हैं। इस प्रकार के संस्कार को हृदय में दृढ़ करके बङ्गभूमि की सच्चे सन्तान की तरह, यदि हम भी बङ्ग-भाषा में आलोचना कर सकें, तो किसी समय हमारी भाषा भी संसार में शिक्षणीय भाषा हो जाय। बङ्ग गौरव डाकृर रवीन्द्रनाथ की तरह, यदि आचार्य जगदीशचन्द्र, प्रफुल्लचन्द्र आदि बङ्गदेश के वर्तमान मनस्वी अपनी ज्ञानगरिमा की सम्पदा बङ्गभाषा ही में उपनिवद्ध करें, तथा भविष्यत् में जिन लोगों के ऊपर बङ्गला के सारस्वत राज्य का भार अर्पित हो, वे भी यदि अपने अपने ज्ञान का चरमफल बङ्गला-भाषा में ही लिपिवद्ध कर जायँ—यदि इसी तरह यह काम बहुत दिनों तक जारी रहे—तो एक दिन अवश्य ऐसा आवेगा जब अनेक विदेशी विद्वानों को भी आग्रह पूर्वक बङ्ग-भाषा सीखनी पड़ेगी। बङ्गदेश में जो महाशय किसी विषय-विशेष में प्रावीण्य प्राप्त करें—किसी विषय में विशेषज्ञता लाभ करें—वे यदि अपने आविष्कारों और चिन्ता तरङ्गों को किसी अन्य भाषा में न लिख कर जन्मभूमि तथा जननी मातृ-भाषा की गौरव-वृद्धि करें, तो संसार के अपरापर शिक्षित जन-समुदाय, लाचार होकर, बङ्गभाषा का अवश्य ही अध्ययन करेंगे। इससे बङ्गभाषा सारे संसार पर आधिपत्य न कर सकेगी, यह सच है। किन्तु रूसी, ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, अँगरेजी, फ्रेंच आदि भाषाओं की तरह

बङ्गभाषा भी, पृथ्वी के शिक्षा केन्द्रों के विशेषज्ञ जनों द्वारा, अवश्य ही अध्ययन-योग्य मानी जायगी।

यह बात दस-पाँच वर्षों में सम्भव नहीं। आरम्भ में ही इससे फल-लाभ की आशा भी नहीं। किन्तु यदि सच्ची देश हितैषणा से प्रेरित होकर और बङ्गभाषा को अक्षय कर देने की वासना हृदय में बद्धमूल करके बङ्गाली अपने ज्ञान विज्ञान का फल अपनी ही भाषा में प्रकाशित करेंगे—आपात मनोहर यशस्तृष्णा के वशवर्त्ती न होकर, स्वदेश और स्वजाति की कल्याण-कामना को ही सब कुछ समझ कर, बङ्ग-भाषा की ही सेवा करेंगे—तो जो काम इस समय दुरूह मालूम होता है वही सुकर हो जायगा; जो बात आज असम्भव मालूम होती है वही कल सम्भव हो जायगी।

* * * * * *

हमारे पास जो कुछ उत्तम है—जो कुछ सत्, उदार, अपूर्व और अनुपम है--उसे बङ्गला में ही लिपिबद्ध करना चाहिये; बङ्गाल की सम्पत्ति बङ्गला-भाषा के ही भाण्डार में सञ्चित रखनी चाहिये; अपने देश के धन को अपने ही हाँथ से विदेश में विनष्ट न करना चाहिये। हमें अपने धन का इस प्रकार उपचय करना चाहिये जिससे, सागर के सलिल की तरह हमारी मातृ-भाषा के भाण्डार से जो जितना धन चाहे ले जाय, पर वह कम न हो।

यही माननीय आशुतोष मुखोपाध्याय के कथन का सारांश है। इस पर टीका टिप्पणी की ज़रूरत नहीं। आशा है इसे पढ़ कर हिन्दी-भाषा-भाषी भूले हुए शिक्षित शिरोमणि, ठीक राह पर आ जायँगे और अपनी भाषा में ज्ञान-सञ्चय की चेष्टा आरम्भ कर देंगे।

(सरस्वती)

सम्पादकीय-विचार

नये नियम का प्रभाव

अनेक वर्षों के पश्चात् इस वर्ष सम्मेलन के नये नियम स्वीकृत हो गये यह हर्ष की बात है। इन नियमों में अनेक बड़े ही महत्त्व के हैं और उनका यदि ठीक ठीक उपयोग हुआ तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि इन नियमों के मसौदे पर दैनिक भारतमित्र के सुयोग्य सम्पादक ने जो सम्मति दी थी वह समयानुसार उचित थी तथापि कुछ थोड़े से नियमों के ही अधीन रह कर किसी बढ़ते हुए कार्य क्षेत्र में कठिनाई होने का भय होता ही है अतएव-नियमों का परिवर्तन और परिवर्द्धन उचित और आवश्यकता के अनुसार ही हुआ है। निम्न-लिखित नियम अधिक महत्त्व बनाये गये हैं और इनका प्रभाव अधिक उत्तम पड़ेगा।

(१) तीसरा नियम जिसमें संरक्षक बनाने की बात है।

(२) पाँच से ग्यारह तक सदस्य सम्बन्धी नियम।

(३) बारह और तेरह नियम हितैषी के सम्बन्ध के।

(४) अठारहवें (अ) नियम में सदस्यों के प्रतिनिधि और स्वागतकारिणी के प्रतिनिधि की बात बड़े ही महत्त्व की और आवश्यक है।

(५) प्रबन्ध, अर्थ, परीक्षा और प्रचार नाम के जो विभाग किये गये हैं वे बहुत ही लाभदायक होंगे। यदि नियमानुसार कार्य हुआ तो थोड़े ही दिनों में सम्मेलन अपने उद्देश्यों में अधिक सफल हो सकेगा।

(६) उनचासवें नियम में २०० से अधिक सभासदों वाली सभाओं को जो दो सभासदों के समान अधिकार दिया गया है यह भी आवश्यक और उचित ही हुआ है।

(७) बावनवाँ नियम प्रतिनिधियों के सम्बन्ध का अधिक महत्त्व का है जिससे सम्मेलन के परीक्षोत्तीर्ण विशारद सम्मेलन के प्रतिनिधि समझे जायँगे।

(८) छप्पनवाँ नियम भी अधिक आवश्यक था। क्योंकि विषय निर्वाचन-समिति में समस्त प्रतिनिधियों के रहने से न तो उसका महत्त्व ही रहता था और न कार्य में ही सरलता होती थी।

(९) परीक्षा-समिति के नियम भी सम्मेलन ही के नियम हैं अतएव उनका नियमावली में रहना आवश्यक ही था। परीक्षा सम्बन्धी नियम ७७ में "स्त्रियों से शुल्क नहीं लिया जायगा।" यह बहुत ही उपयुक्त नियम बनाया गया है।

इस समय इतना ही लिख कर विश्राम लेते हैं किसी समय हम अन्य नियमों पर विचार करेंगे।

सूचना

सं० १९७४ में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की प्रथमा तथा मध्यमा परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों में होगी। परीक्षार्थियों को चाहिये कि शुल्क तथा आवेदनपत्र भेजने की अन्तिम तिथि ३० अप्रैल सन् १९१७ ई० के पहले ही सशुल्क आवेदन पत्र परीक्षा-मन्त्री हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग के पास भेज दें। स्त्रियों को शुल्क न देना होगा।

अजमेर, अल्मोड़ा, अलवर, अलीगढ़, आगरा, आरा, इन्दौर, एटा, कलकत्ता, कानपुर, काशी, कोटा, खण्डवा, गोरखपुर, जबलपुर, जयपुर, झांसी, दिल्ली, नरसिंहपुर, प्रयाग, फ़िरोज़ाबाद, फ़ैज़ाबाद, ब्यावर, बड़ौदा, बाँकीपुर, विलासपुर, बीकानेर, बुलन्दशहर, भरतपुर, मुजफ़्फ़रपुर, मेरठ, राजनाँदगाँव, रायबरेली, लखनऊ, लश्कर, शाहजहाँपुर, हरदोई और हरिद्वार।

सम्मेलन-पत्रिका के नियम

१—यह पत्रिका सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग से प्रतिमास प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक मूल्य १) रु० इस लिये रक्खा गया है कि सर्वसाधारण इसके ग्राहक हो सकें।

२—अभी इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे। आवश्यकता होने पर पृष्ठ सङ्ख्या बढ़ा भी दी जाया करेगी। आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्यिकों को रुचिकर हुई, और ग्राहकों की यथोचित सङ्ख्या हो गयी तो अधिकतर पृष्ठ-सङ्ख्याओं में और अधिकतर उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी।

३—प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र और रुपये आदि तथा सम्पादन सम्बन्धी पत्र पुस्तकें परिवर्त्तन के पत्रादि सब "मन्त्री, सम्मेलन कार्य्यालय, प्रयाग" के नाम आने चाहियें।

विज्ञापन छपाई के नियम

६ मास अथवा उससे अधिक दिनों के लिये

	१ पृष्ठ,	आधा पृष्ठ	और चौथाई पृष्ठ के
कवर पेज पर	५)	३)	२)
साधारण पेज पर	४)	२॥)	१॥)

विशेष बातें जाननी हों तो मन्त्री जी से पूछिये

क्रोड़पत्र बँटाई के नियम

आधा तोला तक अथवा इससे कम के लिये ... १०)

१ तोला के विज्ञापन के लिये ... ... १२)

मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

नोट—विज्ञापन के ऊपर यह छपा होना चाहिये कि अमुक मास की "सम्मेलन-पत्रिका" का क्रोड़पत्र और उसमें यथोचित समाचार भी होने चाहियें।

पं० सुदर्शनाचार्य बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से पं० रामकृष्ण शर्मा द्वारा प्रकाशित।

~~Reg. No. A-629~~

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

की

मुखपत्रिका

भाग ४ } वैशाख, संवत १९७४ { अङ्क ८

विषय-सूची

वा० मू० १)] [मूल्य ।)

सम्पादक—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ।

सम्मेलन के उद्देश्य

(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गों की उन्नति का प्रयत्न करना।

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश-व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना।

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना।

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्व-विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-समूहों तथा व्यापार ज़मींदारी और अदालतों के कार्य्यों में देवनागरी-लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना।

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारितोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना।

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना।

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्त्तमान संस्थाओं की सहायता करना।

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना।

(९) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी पुस्तकें तैयार कराना।

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जाँय उन्हें काम में लाना।

सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना और साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना।

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित

भाग ४ | वैशाख, संवत् १९७४ | अङ्क ८

साहित्य-चर्चा

—०—

चन्द-जयचन्द-सम्वाद

"पृथ्वीराज रासो" का कर्त्ता चन्द एक प्रतिभाशाली कवि था। रासो में, स्थान स्थान पर उसकी कविता चमत्कार और विलक्षणता से भरी मिलती है। यद्यपि डिंगल भाषा के शब्द विशेष मधुर नहीं होते, उसमें संयुक्ताक्षरों और टवर्ग की भरमार होती है, पढ़ते समय ऐसा मालूम होता है, मानो जीभ ऊबड़ खाबड़ मार्ग में झाल-झंखाड़ को पार करती हुई जा रही है; परन्तु चतुर कवि ने उन्हीं शब्दों को ऐसे सुन्दर क्रम से जँचा दिया है कि उनसे निकले हुए भाव बड़े ही मनोहर हो गये हैं। वसन्त के आगमन में जैसे झाल-झंखाड़ में भी फूल निकल आते हैं, और उनकी सोंधी सोंधी सुगन्ध, वन-पथ में फैल कर, उन बटोहियों का मन प्रसन्न कर देती है, जो ऊबड़-खाबड़ मार्ग में चलने से व्यथित हुए रहते हैं। उसी प्रकार डिङ्गल भाषा की अनगढ़ पत्थरों वाली सड़क पर चलने में जीभ को थकावट तो मालूम होती है; परन्तु वह चन्द की सरस भावमयी मनोमोहक कविता की सुगन्ध से दूर हो जाती है।

कवि की कोई बात चमत्कार से खाली नहीं होनी चाहिए। जो कुछ वह कहे, साधारण बात से उसमें कुछ विशेषता ज़रूर होनी

चाहिए। जिसमें कुछ विलक्षणता न हुई, कुछ चमत्कार न हुआ, वह कविता ही क्या? गोस्वामी तुलसीदास ने रावण से अङ्गद की जो बात-चीत कराई है, यद्यपि रावण ऐसे महाप्रतापी राजा के सन्मुख वैसी बातें नहीं कही जा सकतीं, और जो बातें रावण के मुख से कहलायी गयी हैं, वे बातें रावण के कहने योग्य भी नहीं हैं; परन्तु कवि रावण को नीचा दिखाना चाहता था, उसे लज्जित करना चाहता था, उसने बातों के उलट पलट में अपनी इच्छा प्रकट कर दी। कवि चाहता था कि रावण को सब लोग बेशर्म, नीच और बुराइयों से भरा हुआ समझें; अङ्गद और रावण का सम्वाद पढ़ कर लोग ऐसा समझते ही हैं। इसमें कवि की प्रतिभा झलकती है।

ऐसा ही एक प्रसङ्ग पृथ्वीराज रासो में भी आया है। यद्यपि रावण और अङ्गद के सम्वाद की तरह यहाँ भी वही बात आती है कि बुद्धिमान चंद और अभिमानी जयचन्द के बीच ऐसा तिरस्कार युक्त सम्वाद होना असम्भव था, परन्तु सम्भव असम्भव का विचार छोड़ कर यदि तर्क और युक्तियों पर ध्यान दिया जाय तो तुलसीकृत अङ्गद-रावण सम्वाद की तरह इस चंद-जयचंद सम्वाद में भी बड़ा आनन्द प्राप्त होगा। पत्रिका के पाठकों के मनोरञ्जनार्थ हम उक्त सम्वाद को पृथ्वीराज रासो से ज्यों का त्यों, यहाँ उद्धृत करते हैं छंदों के नीचे उनका भावार्थ भी दे दिया गया है, जिनसे आशय समझने में सहायता मिलेगी।

जयचन्द का दरबार देखने की लालसा से एक बार पृथ्वीराज चन्द का सेवक बन कर कन्नौज गये। यद्यपि पृथ्वीराज और जयचन्द में घोर शत्रुता थी, और चन्द पृथ्वीराज का राज-कवि और सामन्त था; परन्तु कवि होने के कारण चन्द को किसी राजा के भी दरबार में जाने की रोक टोक नहीं थी। राज-दरबारों में उन दिनों कवियों का बड़ा सम्मान होता था। और चन्द तो उस समय के कवियों का शिरोमणि समझा जाता था; इसलिए उसे शत्रु मित्र सब के दरबार में बहुत मान दान मिलता था। चन्द ने जयचन्द के सामने पहुँच कर यह छन्द पढ़ा—

जहाँ आसनैं सूर ठट्टे सनाहं।
जिनैं जीति छिति राइ किय एक राहं॥

धरा ध्रम्म दिगपाल धर-धरनि खण्डं।
धरै छत्र छिति सोभ द्युति कनक डण्डं ॥ १ ॥
जिनैं साजतें सिंधु गाहे सुपंगा।
उनै तिमिर तजि तेज भाजै कुरंगा ॥
जिनैं हेम परवत्त से सव्व ढाहे।
जिनें एक दिन अट्ठ सुरतान साहे ॥ २ ॥
असं जंपियं सव्व सो चन्द चण्डं।
जिनै थप्पियं जाय तिरहुत पिण्डं ॥
जिनै दक्खिनी देश अप्पै विचारैं।
जिनैं उत्तरयो सेतुबन्धं पहारैं ॥ ३ ॥
जिनैं करन डाहाल दुअ बार वेध्यो।
जिनैं सिद्ध चालुक्क कय बार खेध्यो ॥
तिनं दिम्म युद्धं भिरै भूमि रुण्डं।
बरं तोरि तिल्लङ्ग गोआल कुण्डं ॥ ४ ॥
जिनै छिंडियो बन्धि इक गुण्ड जीरा।
ग्रहे सिद्ध वैरागरे सव्व हीरा ॥
जिने गज्जने सूर साहाब साही।
तिने मोकल्यो सेव निसुरत्ति भाही ॥ ५ ॥
बरं भुल्लि भष्षी षनं जोव रोरै।
तहाँ रोस कै सोस दरिया हिलोरै ॥
जिनै बन्धि खुरसान किय मीर बन्दा।
इसौ रट्ठवर राय विजपाल नन्दा ॥ ६ ॥
जहाँ बंस छत्तीस आवैं हकारे।
परं एक चहुआन खुमान टारे ॥ ७ ॥

भावार्थ—जिसके सिंहासन के आस पास सन्नाह से सुसज्जित शूरवीर ठट के ठट बैठे हैं, उनके द्वारा जिसने राजाओं को और धरती के भागों को जीत लिया, और धर्म के बल से जिसने दिग्पालों को जीत लिया। जिसके सिर पर चमकदार सोने के दण्ड वाला छत्र शोभायमान है, जिसने एक दिन सुलतान के सहित अन्यान्य राजाओं को जीत कर उन्हें स्वर्ण-पर्वत से नीचे ढकेल दिया,

अर्थात् श्रीहीन कर दिया; उन पर अपना आतंक जमा लिया; जिसके यश का वर्णन चन्द कर रहा है, जिसने तिरहुत में अपना थाना बैठा दिया, जिसने सेतबंध तक समस्त दक्षिणी देश अपना लिया, जिसने कर्णदाहल को दो बार बाँधा और सिद्ध चालुक्क, को कई बार परास्त किया; जिसने तीन दिन युद्ध करके तैलङ्ग देश और गोलकुंडा का बल तोड़ दिया; जिसने गुंडजीरा को बाँध कर छोड़ दिया; जिसने बैरागर को ले लिया, गजनी का शाह सहाबुद्दीन जिसके दरबार में अपने भाई निसुरत खाँ को दूत बना कर रखता है, जिसके प्रकोप से सारा जहान काँपता है, जिसने खुरासान के मीर को बाँध कर सेवक बना लिया है—राठौड़ राज विजयपाल का पुत्र जयचन्द ऐसा प्रतापी है। उसके बुलाने पर छत्तीसो वंश के राजपूत चले आते हैं; परन्तु एक पृथ्वीराज ही ऐसा है, जो उसे कुछ नहीं समझता।

अब तक जो जयचन्द अपनी प्रशंसा सुन कर खुशी के मारे फूला नहीं समाता था; परन्तु अन्त में अपने शत्रु के प्रताप की प्रशंसा सुन कर उसका सब हर्ष जाता रहा। क्रोध से उसके नेत्र लाल हो आये और होंठ फड़कने लगे। उसने कहा—

(सुनत नृपति रिपु कौ बयन, तन, मन, नयन सु रत्त।)
दिय दरिद्र मंगन घरहु को मेटै विधि यत्त ॥ १ ॥

अर्थात्—जिसे ईश्वर ने ही दरिद्र मंगन के घर में उत्पन्न किया है, उसकी दरिद्रता कौन मेट सकता है।

रतन बुंद बरषै नृपति, हय, गय, हेम सु हद्द।
लग्गि न बुंद सु मग्ग तन, सिर पर छत्र दरिद्द ॥ २ ॥

अर्थात्—राजा लोग सदा दान द्वारा हाथी, घोड़ा, सोना और रत्नों की वर्षा किया करते हैं; परन्तु जिसके सिर पर दरिद्रता का छाता तना हुआ है, उसके शरीर पर एक बूंद भी नहीं पड़ती।

इतना तो जयचन्द क्रोध में आप ही आप भुनभुनाता रहा, इसके पश्चात् उसने चन्द से ताना मारते हुए पूँछा—

मुँह दरिद्र अरु तुच्छ तन जंगल राव सु हद्द।
बन उजार पशु अन चरन, क्यों दूबरौ बरद्द ॥

अर्थात्—मुँह का दरिद्री, तुच्छ शरीर वाला, बन का उजाड़ने वाला और घास खाने वाला पशु बैल जंगल के राव अर्थात् भिल्ल की शरण में रह कर भी दुबला क्यों है? चन्द को बरदाई की उपाधि मिली थी। उपरोक्त दोहा उसी बरद शब्द को लक्ष्य करके कहा गया है। दोहा दो अर्थों का द्यौतक है। यथा—बरद शब्द बरदायी और बैल दोनों का अर्थ देता है। मुँह दरिद्र=बैल विष्ठा खाता है चन्द ने शत्रु की प्रशंसा करके जयचन्द को असंतुष्ट किया था, यह भाव यहाँ घटता है। बन उजार=बना कर बिगाड़ने अथवा जंगल का उजाड़ने वाला। जंगल राव=जंगल का राजा भील, दूसरे अर्थ में यहाँ पृथ्वीराज से तात्पर्य है। अर्थात् पृथ्वीराज के यहाँ क्या पेट नहीं भरता जो दुर्बल होकर इधर उधर दरिद्र की तरह मुँह मारता फिरता है।

इस पर आशु कवि चन्द ने जयचंद को यह मुँह तोड़ जवाब दिया—

चढ़ि तुरंग चहुआन आन फेरीत परद्धर।
तासु युद्ध मंडयौ जास जानयौ सबर बर॥
केइक तकि गहि पात केइ गहि डार मूरतरु।
केइत दन्त तुछ त्रिन्न गए दस दिसनि भाजिडर॥
भुअ लोकत दिन अचिरिज भयौ मान सबर बरमरद्दिया।
प्रथिराज खलन षद्धौ जुषर सुयौ दुब्बरो बरद्दिया॥

भावार्थ यह है कि, पृथ्वीराज चौहान ने घोड़े पर चढ़ कर शत्रुओं के देशों में अपनी दुहाई फेर दी। उससे युद्ध करके अबल और सबल सब उसके बल को जान गये; सब पर उसका आतंक छा गया, उनमें से कितने ही तो वृक्षों की डाल, जड़ और पत्तों को लेकर डर के मारे दसों दिशाओं में भाग गये और कुछ दाँतों में घास दबा कर आगे आये। पृथ्वीराज ने सबल निर्बल सब के मान को मर्दन कर दिया। उसके शत्रुओं ने सब घास उखाड़ कर दांतों के तले दबा ली; इसी से बैल दुर्बल हो गया। जब घास ही नहीं रह गयी तो वह क्या खाय?

इस पर जयचन्द ने कहा—

हंस न्याय दुब्बरौ। मुत्ति लभ्भै न चुनंतह ॥
सिंह न्याय दुब्बरौ। करी चंपे न कंठ कह ॥
म्रगग न्याय दुब्बरौ। नाद बंधियै सु बंधन ॥
छैल छक दुब्बरौ। त्रिया दुब्बरी मीत मन ॥
आषाढ़ गाढ़ बंधन धुरा एकहि गहिह हरद्दिया।
जंगर जुरारि, उज्जर बरन। क्यों दुब्बरो बरद्दिया ॥ १ ॥

पुरँ न लग्गी आरि:। भारि लद्यो न पिट्ठ पर।
गज्ज दार गंमार। गही गट्ठी न नथ्थ कर।
भ्रम्यौ न कूप भावरी। कबहुंक सब सेन रुत्तौ ॥
पञ्चधार ललकारि। रथ्थ सथ्था नहिं जुत्तौ ॥
आषाढ़ मास बरषा समै। कंध न कहौं हरद्दिया ॥
कमधज्ज राव इम उच्चरै। सु क्यों दुब्बरो बरद्दिया ॥ २ ॥

भावार्थ—मोती चुनने को न मिलने से हंस, हाथी के कण्ठ का रक्त न पाने से सिंह, नाद के कारण बन्धन में पड़ा हुआ मृग, मन की मौज न पूरी न होने से छैला लोग दुर्बल हो जाते हैं और मन चाहा मीत न पाने से स्त्री दुबरी हो जाती है; परन्तु बैल के दूबर होने का तो कोई कारण नहीं है। न तो आषाढ़ का महीना है कि सूखी घास खाने को मिले और रात दिन हल में जुता रहना पड़े ॥१॥

न तो रात दिन पुर खींचना पड़ता है न पीठ पर बोझ लादना पड़ता है न किसी गंवार के पाले पड़ा है कि पीठ पर बोझ लाद कर नाथ पकड़ कर खींचता हो और न रहट पर चलाया जाता है और न रथ में जोता जाता है और न आषाढ़ के महीने में वर्षा होने के समय कंधे पर हल रक्खा जाता है फिर बैल दुबला क्यों ? ॥२॥

चंद कवि जवाब देता है—

पुनि जंपै कवि चंद सुनौ जै चंदराज वर।
पुरै आर किम सहै भार किमि सहै पिट्ठ पर ॥
नथ्थ हथ्थ किमि सहै कूप भांव्रिरि किमि मंडै।
है गै सुर बर सुघर स्वामि रथ भारथ तंडै ॥
बरषा समान चहुँ आन कै अरि उर बरह हरद्दिया।
प्रथिराज पलनि पद्धौ सुपर छुइमैं दुब्बरो बरद्दिया ॥१॥

प्रथम नगर नागौर बंधि साहाब चरिगतिन।
सोभंत्ते भर भीम सीम सोधती सकल बन ॥

मेवाती मुगल महीप सब्ब पत्रज्जु षद्धा।
ठट्ठा कर ठिल्लिया सरस संभूर न लद्धा ॥

सामंत नाथ हथ्थां सु कहि लरिकै मान मरद्दिया।
प्रथिराज षलन षद्धौ सुषर यौं दुब्बरौ बरद्दिया ॥२॥

भावार्थ—कवि चंद ने कहा कि हे महाराज जयचंद सुनिये—जिसके स्वामी के पास हजारों हाथी घोड़े हों वह पुर का कष्ट क्यों सहे, पीठ पर बोझा क्यों उठावे, रहट में क्यों जोता जाय और रथ में कंधा क्यों दे? वह तो रात दिन पृथ्वीराज के शत्रुओं का हृदय रन के सुयश रूपी हल से जोतता रहता है उधर वे लोग सब घास खा लेते हैं इससे बैल दुबला है। नागौर में पहले सहाबुद्दीन गोरी बाँधा गया, साँभत्ती में भीमदेव सोलंकी परास्त किया गया फिर मेवाती मुग़ल राजाओं का मुँह मोड़ा गया, वीर पृथ्वीराज ने शत्रुओं से लड़ कर उनका मान मर्दन कर दिया, बस इन सब विजित शत्रुओं ने दाँतों में तृण दाब दाब कर सब घास चौपट कर दिया इसीसे बैल दुबला है।

इस पर जयचंद बहुत विगड़ा उसके नेत्र लाल हो गये, मुँह पर सुर्खी छा गयी, भौंहें टेढ़ी हो गयीं, ओठ फड़कने लगे, और वह ज़ोर ज़ोर से साँस लेने लगा। शत्रु के विक्रम की बात सुन कर कवि चंद की ओर आँखें तरेर कर जयचंद ने एड़ाई ली और आप ही आप कहने लगा। हाँ, यदि पृथ्वीराज मेरे सामने आवे तो जान पड़े।

कवि लोग मनुष्य के हृदय के भावों को अच्छी तरह जानते हैं वे शब्दों के मर्म को भी जानते हैं, किस शब्द से हृदय में कैसा और कितना भाव उत्पन्न हो सकता है इसे भी वे जानते हैं और शब्द और हृदय में जो सम्बन्ध है इसका भी ज्ञान उनको होता है। इस लिये शब्दों के द्वारा किसी हृदय को उत्तेजित कर देना और फिर उसे शान्त कर देना यह उनके लिये कुछ कठिन नहीं है। चंद ने देखा कि इस समय जयचंद क्रोध में अधीर हो रहा है सम्भव है

इसके क्रोध का दुष्परिणाम कहीं हमलोगों को भोगना पड़े इसलिये उसका क्रोध शान्त करने के लिये चंद ने यह कविता पढ़ी—

जिहि बरद्द चढ्ढि कै गंग सिर धरिय गवरिहर।
सहस मुष्ष संपेषि हार किन्नौ भुजंग गर॥
तिहि भुजंग फन जोर झोलि रष्यो वसुमत्तिय।
बसुमत्ती उप्परै मेर गिरि सिन्धु सपत्तिय॥
ब्रहमंड मंड मंडिय सकल धवल कंध करता पुरस।
गरु अत्त बिरद पहुपेग दिय क्रपा करिय भट्ठह सरिस॥

भावार्थ—जिस बरद पर चढ़ के शिव सिर पर गंगा को धारण किये हुए हैं और सहसमुखी शेषनाग को गले में हार की तरह पहने हुए हैं उस साँप के फन पर पृथ्वी स्थिर है और पृथ्वी पर सुमेरु सिन्धु सप्तपुरी ब्रह्मांड और सफेद कंधों वाला कर्त्ता पुरुष शोभित है। मेरा अहोभाग्य है कि महाराज ने मुझे कृपा करके बरद की पदवी प्रदान की।

जयचंद तो चंद को बरद (बैल) कहता ही था झगड़ा मिटाने के लिये चंद ने अपने को बरद (बैल) स्वीकार कर लिया परन्तु ऐसी युक्ति से बैल बना कि फिर भी उसका महत्व कम नहीं हुआ बल्कि अत्यन्त बढ़ गया। उसने अपने को सारे सृष्टि का आधार ही साबित कर दिया। जयचंद ने समझा कि चलो अपनी बात तो रह गयी। वह उसे बैल कहता था और उसने भी बैल होना स्वीकार कर लिया इससे जयचंद का क्रोध शान्त हो गया और उसने कहा—

(आदर किय नृप तास कौ कह्यौं चंद कवि आउ।)
मिले मोहि ढिल्लिय* धनी सुवत कहिग समझाउ॥

---

* ढिल्लिय = दिल्ली।

सामयिक-स्रोत

—-०—-

अकर्मण्यता का प्रतिवाद

२६ फरवरी को प्रान्तीय छोटे लाट की कौंसिल (व्यवस्थापिका सभा) में हिन्दी के विरुद्ध जो अनुचित और कुतर्क पूर्ण बातें कही गई थीं, उनसे हिन्दी-संसार में बड़ा विक्षोभ उत्पन्न हुआ है। स्थान स्थान पर लोग सभाएँ करके उसके विरुद्ध प्रस्ताव पास कर रहे हैं और अपनी पूर्ण अप्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। वह बात ही ऐसी थी, उसे पढ़ कर किस हिन्दी-प्रेमी का हृदय व्यथित न हुआ होगा?

परन्तु जब हम प्रतिवाद सभाओं और उनके प्रस्तावों के प्रभाव पर विचार करते हैं तो हमको उनमें कुछ आशा की झलक नहीं दिखाई पड़ती। फूँक मारने से कहीं पहाड़ उड़ सकता है? कहने और करने में बड़ा अन्तर है। जो शक्ति "कहने" में ख़र्च की जाती है यदि उसका उपयोग "करने" में किया जाय तो किसी काम में सफलता प्राप्त करना बड़ा आसान हो जाता है। अतएव जब तक लोग अपने अदालती काम-काज हिन्दी में न करने लग जायँगे, तब तक उनकी बातों का—उनके प्रस्तावों का अरण्य रोदन के समान कुछ फल न होगा। प्रायः प्रस्तावों में प्रतिवाद ही प्रतिवाद सुनाई पड़ता है। हमने किसी सभा में यह प्रस्ताव होते नहीं देखा कि उसके सब सभासदों ने हिन्दी ही में अपने काम-काज करने की प्रतिज्ञा की हो। प्रतिवाद से तो यह प्रतिज्ञा कहीं उत्तम, लाभदायक और प्रभावोत्पादक है।

मि० बर्न तथा मुसलमान मेम्बरों को चैलेंज

गत २६ फरवरी को लखनऊ में संयुक्त प्रान्त की लेजिस्लेटिव कौंसिल में मि० बर्न तथा कुछ मुसलमान मेम्बरों ने कहा था कि देवनागरी लिखने में उर्दू की अपेक्षा अधिक विलम्ब लगता है। यदि वे लोग यह जानना चाहते हों कि, देवनागरी कितनी शीघ्रता से लिखी जा सकती है तो वे मेरे मुकाबले में उर्दू के किसी तेज

लिखने वाले को कौंसिल में बुलावें और किसी अच्छे बोलने वाले से हिन्दी या उर्दू में व्याख्यान दिलावें। मैं विना किसी प्रकार की सङ्क्षेप लिपि की सहायता के सारा व्याख्यान नागरी में अक्षरशः लिख दूँगा। वे लोग देखें कि, उर्दू लिखने वाला पूरा व्याख्यान लिख सकता है या नहीं। मैंने इसी प्रकार बा० श्यामसुन्दरदास बी० ए० के दो व्याख्यान लिखे हैं जिनमें से पहला फरवरी १९१६ की नागरी प्रचारिणी पत्रिका में और दूसरा जनवरी फरवरी १९१७ की नागरी प्रचारिणी पत्रिका में छपा है।

रामचन्द्र वर्मा,
लाहोरी टोला, काशी।

सनातन धर्म सभा सिलचर के प्रस्ताव

२७ मार्च को, सिलचर की सनातन धर्म सभा का जो अधिवेशन हुआ उसमें वर्त्तमान यूरोपीय समर में सम्राट् पञ्चमजार्ज की शीघ्र विजय होने के लिये परमात्मा से प्रार्थना करने के बाद निम्नखिलित प्रस्ताव पास हुए।

(१) युक्त-प्रदेश के छोटे लाट साहब की व्यवस्थापिका सभा में मि० सी० वाई० चिन्तामणि के हिन्दी सम्बन्धी प्रस्ताव के विरुद्ध उक्त सभा के कुछ मेम्बरों ने जो कहा है कि, हिन्दी असभ्यों की भाषा तथा लिपि है और थोड़े दिनों से उर्दू के कुछ शत्रुओं ने इसको बनाया है, उस पर यह सभा घोर विरोध और असंतोष प्रकट करती है और मत प्रकाश करती है कि, हिन्दी भाषा बहुत पुरानी और संसार की सभ्य श्रेष्ठ भाषाओं में है। उसका प्रचुर प्रमाण है; मि० सी० वाई० चिन्तामणि के इस प्रस्ताव के विरोधियों के विचार निर्मूल हैं और सभा आशा करती है कि ऐसे अनुचित शब्द फिर कभी प्रयोग न किये जाया करेंगे।

(२) यह सभा मि० सी० वाई० चिन्तामणि और अन्य माननीय समर्थक मेम्बरों को उनके सत्य विचार के लिये अन्तःकरण से धन्यवाद देती है और आशा करती है कि, वे सर्वदा सत्यपथ दृढ़ता से ग्रहण करेंगे।

(३) यह सभा प्रस्ताव करती है कि, इस सभा के सेक्रेटरी जी को अधिकार दिया जाय कि वे इन तीनों प्रस्तावों की एक एक प्रति

चीफ़ सेक्रेटरी साहब, मि० सी० वाई० चिन्तामणि तथा प्रेस को भेज दें।

कस्मंडा में हिन्दीका स्वागत

सीतापुर कमलापुरस्थ श्रीजवाहिर सिंह पाठशाला के छात्रोंकी प्रार्थना पर कस्मंडा के राजा सूर्यबख़्शसिंह जी ने रियासत का कुल काम हिन्दी में करनेकी आज्ञा दे दी। इसके लिये उक्त पाठशालाके छात्र राजा साहब को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। देवेश्वरदत्त विद्यार्थी।

प्रांतीय हिन्दी कान्फ्रेंस

इस वर्ष प्रान्तीय राजनैतिक कान्फरेंस का अधिवेशन सीतापुर में होगा। इस कारण प्रान्तीय हिन्दी कान्फ्रेंस भी उन्हीं दिनों में करने के लिये बाबू अक्षयकुमार बोस के सभापतित्व में एक सभा ३१ मार्च सन् १९१७ ई० को नगर निवासियों की हुई थी। उस में राजनैतिक कान्फरेन्स के साथ साथ हिन्दी कान्फरेन्स का प्रातःकाल अधिवेशन करने तथा उसके लिए स्वागत समिति संगठित करने के प्रस्ताव पास हुए। सर्व सम्मति से राजा सूर्यबख़्श सिंह जी स्वागत समिति के सभापति बनाये गये। अब हिन्दी कान्फरेन्स का भी काम प्रारम्भ कर दिया गया है।

—निवेदक, मन्त्री

सीतावर्दी में हिन्दी पुस्तकालय

हर्ष के साथ लिखना पड़ता है कि सीतावर्दी (नागपुर) के युवकों ने गत २५ मार्च को सेठ शिवनारायण जी राठी की अध्यक्षता में एक हिन्दी पुस्तकालय खोला। प्रथम मङ्गलाचरण तत्पश्चात् पण्डित गोवर्द्धन शर्म्मा तथा पण्डित प्रयाग दत्त शुक्ल के व्याख्यान हुए। वाचनालय के पदाधिकारियों का चुनाव होकर पुस्तकालय के सहायतार्थ चन्दा भी हुआ। कई श्रीमानों ने मासिक सहायता देने का वचन भी दिया। उपमन्त्री।

रियासत काशीपुर और हिन्दी लिपि

(गढ़वाली से)

हमारे श्रीमान् महाराजा उदयराज सिंह जी महोदय काशीपुर नरेश बड़े उदार चित्त तथा हिन्दी प्रेमी हैं। वे संस्कृत पढ़े हैं। उनके

परसनल असिस्टेंट पंडित जगन्नाथ जोशी जी भी हिन्दी प्रेमी हैं। उन्हें हिन्दी तथा संस्कृत ग्रन्थों के अवलोकन का बड़ा अनुराग है। प्राइवेट सेक्रेटरी बाबू नवीन गोपाल घोष महोदय भी हिन्दी की श्रेष्ठता पूर्णरूप से कबूल करते हैं परन्तु आश्चर्य है कि इस समय जब कि रियासत शेर कोट में भी कार्य हिन्दी में ही हो गया रियासत काशीपुर तथा जागीर बढ़ापुरा में दफ़्तर इत्यादि का कार्य उर्दू में ही हो रहा है। क्या हम आशा कर सकते हैं कि हमारे काशीपुर नरेश अपनी रियासत में मातृ-भाषा हिंदी को आदर प्रदान करके समस्त कार्य हिन्दी में होने की आज्ञा प्रदान करेंगे।

—दुर्गादत्त पांडे

सिन्ध में हिन्दी कान्फ्रेंस

ठट्टे के श्रीयुत नरसिंहलाल जी के सभापतित्व में शिकारपुर में, सिन्ध की प्रान्तीय सभा के अधिवेशन के बाद, उसी पंडाल में हिन्दी कान्फ्रेंस का अधिवेशन हुआ। पहले दिन सभापति ने हिन्दी भाषा और नागरी लिपि की विशेषताओं पर बड़ा मार्मिक व्याख्यान दिया। दूसरे दिन की बैठक में पाँच प्रस्ताव पास हुए जिनका सारांश यह है—

(१) हिन्दी सारे देश की राष्ट्र-भाषा स्वीकार की जाय।

(२) हिन्दी के प्रचार में उद्योग करने वाली सभाओं को धन्यवाद दिया जाय।

(३) स्कूलों में हिन्दी दूसरी भाषा के तौर पर पढ़ाई जाय।

(४) शिक्षा विभाग स्कूलों में हिन्दी की शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता दे।

(५) धार्मिक संस्थाएँ हिन्दी भाषा में ही अपना चिट्ठी पत्री का काम किया करें।

गुरुकुल काङ्गड़ी में आर्यभाषा सम्मेलन

इस बार गत ७ अप्रेल को गुरुकुल काङ्गड़ी के वार्षिकोत्सव के साथ आर्यभाषा (हिन्दी) सम्मेलन पण्डित श्रीधर पाठक के सभापतित्व में हुआ। सभापति ने भारत की उन्नति में हिन्दी राष्ट्रभाषा की बड़ी आवश्यकता बताई। भाषण बड़ा मनोहर हुआ था। इसके अनन्तर निम्न लिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए—

१—इस सम्मेलन की सम्मति है कि जातीय एकता के लिए भाषा की एकता आवश्यक है। सारे भारत की एक भाषा होने के योग्य केवल आर्य-भाषा ही है।

२—देवनागरी लिपि अन्य लिपियों से अधिक सुबोध और भारतीय भाषाओं के लिये उपयोगिनी है। भारतवासी मात्र को अपनी भाषा लिखने में उसी लिपि का प्रयोग करना चाहिए।

३—यह सम्मेलन सामान्यतया आर्यजनता से और विशेषतया आर्यसमाजों से आशा रखता है कि वे अपने सर्व व्यवहार आर्य-भाषा से ही रक्खेंगे और अपने धर्ममन्दिरों के साथ आर्यभाषा के पुस्तकालय और वाचनालयादि खोल कर भाषा के प्रचार में सहायक होंगे।

४—(क) यह सम्मेलन समझता है कि सब भारतीय बालकों की शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा ही होना चाहिये। ऐसा होना असम्भव नहीं है।

(ख) इस सम्मेलन की सम्मति है कि देश में जितनी राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, उनकी सारी कार्यवाही राष्ट्रभाषा द्वारा ही होनी चाहिये।

काशी में विराट सभा

गत ५वीं अप्रैल को नागरी-प्रचारिणी सभा के स्थान पर एक सभा हुई जिसमें मा० चिन्तामणि के हिन्दी के व्यवहार सम्बन्धिनी सूचनाओं से मतभेद दिखाते हुए संयुक्त प्रान्तीय कौंसिल के अन्य कई सभासदों के उद्गारों पर खेद प्रकट किया गया।

हरदोई में सभा

गत २५ मार्च को स्थानीय पार्क में प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा में किये हुए हिन्दी पर के आक्षेपों का विरोध करने के लिये श्रीयुत भगवानदास गुप्त के सभापतित्व में एक महती सभा हुई। सभा में कई प्रभावशाली व्याख्यान हुए और निम्न लिखित प्रस्ताव पास हुए—

१—हरदोई की जनता को इस बात का बड़ा शोक है कि माननीय सी० वाई० चिन्तामणि महोदय का प्रस्ताव कि, "मुंसिफ़ों व

सब जजों को हिन्दी जानना आवश्यक किया जाय, जो कि सरकार की सन् १९०० की आज्ञा का अनुमान मात्र था", अस्वीकृत हुआ।

२—हरदोई की जनता बल पूर्वक माननीय सेक्रेटरी गवर्नमेंट के उन विचारों का कि, "हिन्दी देर में लिखी व पढ़ी जाती है तथा मुंसिफों और सब जजों का नागरी जानना आवश्यक किये बिना भी अदालतों का काम ठीक चल रहा है" अत्यन्त विरोध करती है।

३—इस प्रान्त के लाट महोदय की कौंसिल में कुछ सदस्यों ने जो कहा कि, "हिन्दी कोई भाषा नहीं है, तथा यह असभ्यों की भाषा व लिपि थी और थोड़े दिनों से उर्दू के शत्रुओं ने इसको बनाया है", इस पर यह सभा घोर असन्तोष प्रकट करती है और प्रकाशित करती है कि यह लाञ्छन नितान्त निर्मूल तथा विचार शून्य है।

४—हरदोई की जनता अनुरोध पूर्वक प्रस्ताव करती है कि कौंसिल में इस प्रस्ताव पर शीघ्र पुनः विचार किया जाय।

५—यह सभा माननीय सी० वाई० चिन्तामणि जी तथा इस विषय के सहायक माननीय सभासदों को हार्दिक धन्यवाद देती हुई आशा करती है कि ऐसे सत्यपक्ष के वे सदा सहायक रहेंगे।

सम्मेलन-समाचार

—o—

सप्तम वर्ष की स्थायी-समिति का द्वितीय अधिवेशन

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की वर्तमान स्थायी-समिति का द्वितीय अधिवेशन सम्मेलन कार्यालय में मिति चैत्र शुक्ल १४ शुक्रवार संवत् १९७४, तारीख ६ अप्रैल १९१७ को सन्ध्या समय चार बजे निम्न लिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ—

१ श्रीयुत बाबू गौरीशङ्कर प्रसाद, काशी
२ " पंडित मन्नन द्विवेदी गजपुरी
३ " पण्डित राजमणि त्रिपाठी, गोरखपुर
४ " " रामजीलाल शर्मा, प्रयाग

५ श्रीयुत पण्डित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, प्रयाग
६ " ठाकुर शिवकुमार सिंह, "
७ " पण्डित लक्ष्मीनारायण नागर, "
८ " बाबू नवाब बहादुर, "
९ " प्रोफ़ेसर ब्रजराज, "
१० " बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन, "

(१) सर्व सम्मति से श्रीयुत बाबू गौरीशङ्कर प्रसाद जी ने सभापति का आसन ग्रहण किया।

(२) वर्तमान स्थायी-समिति के गत अधिवेशन का कार्य-विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ।

(३) श्रीयुत पण्डित श्रीधर जी पाठक का प्रस्ताव कि स्वर्गीय पण्डित सुधाकर द्विवेदी कृत "राम कहानी" नामक पुस्तक एलाहाबाद युनिवर्सिटी की पाठ्य पुस्तकों में से हटा दी जाय उपस्थित किया गया। सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि "स्वर्गीय पण्डित सुधाकर द्विवेदी कृत "राम कहानी" नामक पुस्तक इस योग्य नहीं है कि पाठ्य क्रम में रक्खी जाय, सभा के विचार में इस पुस्तक की भाषा शैली इस प्रकार की रक्खी गयी है कि उससे विद्यार्थियों को भाषा का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता और उनकी लेखन शैली पर उससे बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। अतः यह सभा प्रयाग विश्वविद्यालय से सानुरोध प्रार्थना करती है कि जहाँ तक शीघ्र हो सके उक्त पुस्तक को पाठ्य क्रम से निकाल दे।"

(४) परीक्षा मंत्री जी ने अपना प्रस्ताव कि "५००) परीक्षा-समिति को इस वर्ष व्यय के लिए दिये जायँ" अनुमान पत्र देखने के उपरान्त लौटा लिया।

(५) परीक्षा-मन्त्री जी का यह प्रस्ताव कि "पुस्तक प्रकाशन के लिए एक कोष होना चाहिए जिसकी सहायता से परीक्षा-मन्त्री पुस्तकें प्रकाशित कर सकें, इस कोष का रुपया पुस्तक प्रकाशन के अतिरिक्त किसी और काम में न व्यय किया जाय और अब तक जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं वह इसी कोष के अन्तर्गत हों" उपस्थित किया गया। वाद विवाद के उपरान्त निश्चय हुआ कि इस प्रस्ताव पर अभी विचार न किया जाय।

(६) परीक्षा-मन्त्री ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि "सम्मेलन-पत्रिका के सम्पादन, प्रकाशन और तत्सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिए उचित प्रबन्ध किया जाय और इसके लिए एक पत्रिकासमिति का निर्माण हो। सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि पत्रिकासमिति के निर्माण की आवश्यकता नहीं;किन्तु भविष्य में पत्रिका के सम्पादन के लिये पण्डित रामनरेश त्रिपाठी से निवेदन किया जाय कि वे पण्डित इन्द्रनारायण द्विवेदी जी के साथ काम करें।

(७) परीक्षा-मन्त्री जी का यह प्रस्ताव कि "सम्मेलन पञ्चाङ्ग का रूप स्थायी-समिति द्वारा निश्चय किया जाय" उपस्थित किया गया। निश्चय हुआ कि परीक्षा-मन्त्री महोदय उसका ढाँचा तय्यार करके समिति के विचार के लिए किसी आगामी अधिवेशन में उपस्थित करें।

(८) श्रीयुत पण्डित इन्द्रनारायण जी द्विवेदी का प्रस्ताव कि "प्रान्तीय कौंसिल में माननीय मिस्टर सी० वाई० चिन्तामणि के हिन्दी सम्बन्धी प्रस्ताव पर जो वाद विवाद हुआ था उस पर स्थायी-समिति विचार करे" उपस्थित किया गया। बहुत विचार के उपरान्त निम्न लिखित मन्तव्य स्वीकृत किया गया और निश्चय हुआ कि उसकी एक प्रति युक्त प्रान्तीय गवर्नमेण्ट के पास भेजी जाय—

गत २६ फरवरी की प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा (लेजिस्लेटिव कौंसिल) में माननीय मिस्टर बर्न और कुछ मुसलमान मेम्बरों ने माननीय पण्डित सी० वाई० चिन्तामणि के प्रस्ताव का विरोध करते हुए हिन्दी भाषा और नागरी लिपि के प्रति जो विचार और भाव प्रकट किये उन पर इस समिति को बहुत आश्चर्य है। और यह समिति उनका विरोध करती है। कम से कम मिस्टर बर्न से इस समिति को यह आशा थी कि वे हिन्दी भाषा और नागरी अक्षरों के उस ज्ञान की अपेक्षा जो उन्होंने कौंसिल में प्रकट किया, अधिक ज्ञान का परिचय देंगे।

इस समिति के विचार में माननीय मिस्टर चिन्तामणि का यह प्रस्ताव कि मुंसिफों और सदरालाओं के लिये फ़ारसी अक्षर में लिखी हुई उर्दू के साथ साथ नागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी का

ज्ञान आवश्यक हो, उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के वर्त्तमान नियमों में एक स्पष्ट त्रुटि के दूर करने के निमित्त किया गया था। न्याय की दृष्टि से और इस प्रान्त के उन करोड़ों मनुष्यों की जन-सङ्ख्या की सुविधा की ओर ध्यान रखते हुए जो केवल नागरी अक्षरों में लिखी हुई हिन्दी जानते हैं गवर्नमेण्ट को उसका स्वीकार करना उचित था।

यह समिति गवर्नमेण्ट का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करती है कि नियुक्ति सम्बन्धी वर्तमान नियमों की त्रुटि के कारण से उन प्रार्थियों और वकीलों को जो अपनी नालिशों और प्रार्थनापत्रों को नागरी अक्षरों में उपस्थित किया चाहते हैं उन मुंसिफों और सदरालाओं की अदालत में जो नागरी लिपि से अनभिज्ञ हैं बहुत असुविधा उठानी पड़ती है। और अदालत के साथ नित्य का रगड़ा दूर करने के अभिप्राय से उन्हें अपनी सुविधा और इच्छा दोनों के विरुद्ध अपनी नालिशें और प्रार्थनापत्र फ़ारसी अक्षरों में दाखिल करने पड़ते हैं।

(९) आय-व्यय परीक्षक द्वारा परीक्षित मिति कार्तिक शुक्ल ११ संवत् १९७३, तारीख ५ नवम्बर, १९१६ से मिति पौष शुक्ल ५ संवत् १९७३, तारीख २८ दिसम्बर, १९१६ तक का आय-व्यय प्रबन्ध-मन्त्री द्वारा उपस्थित किया गया तथा सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ।

(१०) प्रबन्ध मन्त्री जी ने निम्न-लिखित सज्जनों के पत्र, जिनमें उन्होंने सम्मेलन के सदस्य होने की इच्छा प्रगट की है उपस्थित किया। निश्चित हुआ कि नियमानुसार शुल्क आ जाने पर वे सम्मेलन के सदस्य समझे जावें—

१—श्रीयुत रायकृष्ण जी	काशी	(स्थायी सदस्य)
२— " बाबू रामदास जी गौड़	"	साधारण सदस्य
३— " बाबू बेणी प्रसाद जी	"	"
४— " बाबू ज्ञानेन्द्रनाथ वसु	"	"
५— " बाबू सीताराम जी साह	"	"
६— " बाबू छोट्टेलाल जी	"	"

७—श्रीयुत राय साहब ए० सी० मुकर्जी काशी साधारण सदस्य
८— " बाबू दुर्गाप्रसाद जी " "
९— " बाबू हरिप्रसाद जी पालीध्र " "
१०— " राव गोपालदास जी शाहपुरी " "
११— " राव बैजनाथदासजी " "
१२— " ठाकूर शोभाराम जी " "
१३— " बाबू गौरीशङ्कर प्रसाद जी " "
१४— " ठाकुर मथुरा सिंह जी सिरसा-प्रयाग "
१५— " ठाकुर शिवकुमार सिंह जी प्रयाग "
१६— " बाबू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन " "
१७— " पं० रामजी लाल शर्मा " "
१८— " पं० जगन्नाथ प्रसाद जी शुक्ल " "
१९— " पं० राजमणि जी त्रिपाठी गोरखपुर "
२०— " बाबू नवाब बहादुर जी प्रयाग "

(११) प्रबन्ध-मन्त्री ने पण्डित रामनारायण जी मिश्र तथा श्रीयुत भगवान प्रसाद जी के पत्र जिनमें उन सज्जनों ने सम्मेलन के "हितैषी" होने की इच्छा प्रगट की है उपस्थित किये।

सर्व-सम्मति से निश्चित हुआ कि उनके नाम हितैषियों में सम्मिलित किये जायँ।

(१२) सभापति महोदय को धन्यवाद देने के उपरान्त अधिवेशन का कार्य समाप्त हुआ।

१—सूचना

हिन्दी-साहित्य की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा-समिति कुछ विषयों पर शृङ्खलाबद्ध व्याख्यानों के दिये जाने का प्रबन्ध कर रही है। अब तक निम्न-लिखित सज्जनों ने व्याख्यान देना स्वीकार किया है।

श्रीयुत प्रो० ताराचन्द एम० ए० — यूरोप का इतिहास
" बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन एम० ए०, एल-एल० बी० — भारतवर्ष का इतिहास

श्रीयुत पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी	ज्योतिष
" प्रो० गोपाल स्वरूप भार्गव एम० एस० सी०	विज्ञान
" प्रो० व्रजराज बी० एस-सी० एल-एल० बी०	गणित
" पं० वेङ्कटेश नारायण तिवारी एम० ए०	अर्थशास्त्र
" पं० गणेशदीन त्रिपाठी	हिन्दीसाहित्य

अन्यान्य विषयों पर व्याख्यानदाताओं से भी परामर्श हो रहा है—निश्चय हो जाने पर व्याख्याता महोदयों के नाम प्रकट किये जायँगे। प्रत्येक विषय लगभग आठ व्याख्यानों में समाप्त किया जायगा। परीक्षार्थियों के लिये यह सौभाग्य की बात है कि उपर्युक्त सज्जनों ने अपना इतना समय उनके लाभ के लिये देना स्वीकार किया है। परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अन्य विद्याभिलाषी सज्जन भी व्याख्यानों में आ सकेंगे। व्याख्यानों में आने के लिये टिकट होगा जो बिना मूल्य सम्मेलन कार्य्यालय से प्राप्त हो सकेगा। स्थान तिथियाँ आदि पीछे प्रकाशित की जायँगी। जो विद्यार्थी व्याख्यानों से लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें अपना नाम तुरन्त परीक्षा-मन्त्री के पास भेज देना चाहिए और यह भी लिख देना चाहिए कि किन विषयों के व्याख्यानों के लिये वे टिकट चाहते हैं।

२—सूचना

सं० १९७४ की मध्यमा परीक्षा दर्शन विषय के पाठ्य-ग्रन्थों में तर्क शास्त्र के स्थान पर पश्चिमी तर्क होना चाहिए।

व्रजराज—परीक्षा-मन्त्री

आवश्यक निवेदन

हिन्दी प्रेमियों से यह बात छिपी नहीं है कि, अष्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मध्यभारत इन्दोर में होगा। सम्मेलन को सफल बनाने के लिये किन उपायों का अवलम्बन आवश्यक है, किन किन विषयों पर इस वर्ष के सम्मेलन में पढ़े जाने के लिये लेख लिखे जाने चाहिये आदि बातों पर, आशा है, हिन्दी प्रेमी और विद्वान् अपनी सम्मति भेजने का अनुग्रह करेंगे।

मन्त्री—स्वागतकारिणी-समिति, अष्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन।

अष्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन इन्दौर

गत ता० १५ को स्वागत-कारिणी-समिति का साधारण अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में कितने ही आवश्यक नियम बनाये गये। नियमानुसार राजे-महाराजे संरक्षक निर्वाचित किये जायँगे। स्वागत-कारिणी-समिति के सदस्य का चन्दा कम से कम बीस रुपया रक्खा गया है। पचास रुपया या इससे अधिक चन्दा देने वाले सहायक माने जायँगे। महिलायें कम से कम पाँच रुपया चन्दा देने पर स्वागत-कारिणी-समिति की सदस्या हो सकेंगी। दो रुपये से अधिक और बीस रुपये से कम चन्दा देने वाले हितैषी कहे जायँगे। दर्शकों का टिकट तीन दिन के लिए दो रुपया और एक दिन के लिए एक रुपया रक्खा जायगा। महिलाओं को प्रवेशाधिकारपत्र निःशुल्क दिया जायगा। सम्मेलन के नियमानुसार प्रतिनिधि शुल्क तीन रुपया रक्खा गया है। सम्मेलन सम्बन्धी भिन्न भिन्न कार्यों के सम्पादन के लिए भिन्न भिन्न समितियाँ सङ्गठित की गयी हैं और उनके नाम ये हैं—चन्दा-समिति, साहित्य-समित, मण्डप-समिति और सेवा-समिति। महिलाओं का स्वागत महिलाओं के द्वारा सम्पन्न होगा। सम्मेलन के समय अनुसन्धान कार्यालय भी खोला जायगा। पुस्तक प्रदर्शिनी और नाटक की भी व्यवस्था होगी।

सरजू प्रसाद
प्रधान मन्त्री।

पुरस्कार

मन्त्री नागरी प्रचारिणी सभा-गोरखपुर सूचित करते हैं कि आगामी हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को निम्न-लिखित पुरस्कार दिये जावेंगे—

(१) नगद १५) का पुरस्कार श्रीयुत पं० कमला प्रसाद जी शुक्ल एम्० ए०, एल्-एल्० बी महोदय उस विशारद को देंगे जो समस्त केन्द्रों के परीक्षार्थियों में से गणित विषय में सर्वोत्तम होगा।

(२) नगद १०) का पुरस्कार भी उक्त शुक्ल जी महोदय उस परीक्षार्थी को देंगे जो गोरखपुर केन्द्र से प्रथमा के गणित में सर्वोत्तम अङ्क पाकर उत्तीर्ण होगा।

(३) नगद १०) का पुरस्कार श्रीयुत बाबू नरसिंहदास जी एम० ए०, एल्-एल्० बी० महोदय उस परीक्षार्थी को देंगे जो गोरखपुर केन्द्र के विशारदों में सर्वोत्तम होगा।

(४) नगद ५) का पुरस्कार श्रीयुत बाबा रणछोड़दास जी (मैनेजर संस्कृत-पाठशाला-कबीर चौरा मगहर) महोदय उस परीक्षार्थी को देंगे जो गोरखपुर विभाग की संस्कृत पाठशालाओं का विद्यार्थी हो और प्रथमा में सर्व प्रथम होगा तथा गोरखपुर केन्द्र में ही परीक्षा देगा।

(५) नगद ५) का पुरस्कार नागरी-प्रचारिणी-सभा-गोरखपुर उस मुसलमान परीक्षार्थी को देगी जो गोरखपुर केन्द्र में परीक्षा देगा और प्रथमा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा।

स्थायीसमिति

स्थायीसमिति के लिए अष्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्वागत समिति ने अपने दो प्रतिनिधि, नियम १८ (अ) के अनुसार निम्न-लिखित महाशयों को अपना प्रतिनिधि निर्वाचित किया है—

(१) श्रीमान् ठाकुर रामसिंह जी, एम० ए०, वकील—इन्दौर

(२) श्रीमान् वैष्णवदास जी, बी० ए०, एकाउण्टट जनरल—इन्दौर

समालोचना

(लेखक—श्रीयुत पं० रामनरेश जी त्रिपाठी)

(१) शकुन्तला की कथा

लेखक—साहित्याचार्य पं० चन्द्रशेखर शास्त्री; प्रकाशक—लाला रामदयालु अगरवाल, बुकसेलर, कटरा-प्रयाग। पुस्तक की पृष्ठ सङ्ख्या ५६; मूल्य चार आना; प्रकाशक से प्राप्य।

संस्कृत में, महाकवि कालिदास की लिखी हुई, शकुन्तला की कथा नाटक रूप में है। शिक्षित समाज में उसका बहुत आदर है। भारतीय ही नहीं, विदेशी विद्वान भी उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं।

उसी कथा को शास्त्री जी ने सरस और सरल हिन्दी भाषा में लिख कर हिन्दी जानने वालों का बड़ा उपकार किया है।

कथा प्रारम्भ करने के पहले "कालिदास और शकुन्तला" शीर्षक देकर आपने अपने कुछ विचार प्रकट किये हैं। ये बड़े महत्त्व के हैं। कालिदास का समय निरूपण करने में आजकल जो युक्तियाँ काम में लाई जाती हैं आप ने उनकी अच्छी आलोचना की है। आप कहते हैं—कालिदास भारतवासी थे; उनके विषय में हमारा कहना सब से अधिक प्रमाणिक होना चाहिये, क्योंकि हम भारतवासी हैं।" ठीक है; अपने देश की बातें जितनी हम जान सकते हैं उतनी विदेशी नहीं। आपने कालिदास को शकारि विक्रमादित्य का समकालीन और उसका सभा-पण्डित माना है। आपने उसका प्रमाण भी दिया है। जो लोग कालिदास को पाँचवीं सदी में हुआ मानते हैं, उनको आपकी युक्तियाँ भी पढ़नी चाहिये।

कालिदास के नाटकों में शकुन्तला का आदर अधिक क्यों हुआ? इसका उत्तर शास्त्री जी यों देते हैं - शकुन्तला के आदर का कारण यह है कि भारतवासी उसमें अपना आदर्श देखते हैं, अपने समाज का चित्र देखते हैं साथ ही उसमें काव्य के गुण हैं, बस, इन्हीं कारणों से शकुन्तला का आदर है। * * * " जिस ग्रन्थ की कविता चाहे कितनी अच्छी हो, पर यदि उस ग्रन्थ में उस जाति का आदर्श नहीं है जिस जाति के लिये वह पुस्तक लिखी गई है तो उस समाज में उस पुस्तक का आदर नहीं हो सकता।"

आगे चल कर आपने दुष्यन्त के चरित्र की आलोचना स्पष्ट शब्दों में की है। आप लिखते हैं—राजा को शकुन्तला का दर्शन पहले तपोवन में हुआ। उस समय राजा का हृदय राज्य के अहङ्कार से भरा था, उनको धन का उन्माद था। विलासिता के पंजे में फँस कर उन्होंने शकुन्तला का पाणि-ग्रहण किया। यह सब काम यौवनोन्माद के कारण हुए थे। इसका भूल जाना राजा के लिये असम्भव नहीं था पर कालिदास ने दुर्वासा को बुला कर उस दोष से राजा को बचाया। पुनः अँगूठी के देखने से राजा को ज्ञान हुआ। हृदय से विलास के भाव दूर हुए निष्काम प्रेम की दीक्षा मिली। यही इस कथा का मूल है।"

कथा भाग बड़ी रोचकता से लिखा गया है। आलोचना आपने निष्पक्ष भाव से की है। स्थान स्थान पर शकुन्तला के उत्तम श्लोक भी उद्धृत कर दिये गये हैं। पुस्तक पढ़ने लायक है। एक तो शकुन्तला की कथा योंही रोचक और चित्ताकर्षक है दूसरे वह लिखी भी बड़े मनोहर ढङ्ग से गई है; अतएव इसे पढ़ने से पाठकों को मनोरञ्जन के साथ बड़ा लाभ भी होगा।

शास्त्री जी संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान होकर भी हिन्दी में पुस्तकें लिखते हैं, यह हिन्दी का परम सौभाग्य है।

सम्पादकीय-विचार

नियम और उसका पालन

नियम बना कर यदि हम उसका पालन न करें तो यह अधिक अच्छा हो कि हम नियम ही न बनावें; क्योंकि नियम भङ्ग करने का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है। अतएव मेरी विनीत प्रार्थना है कि जिन नियमों को हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लिए हिन्दी-संसार ने रचा है और स्वीकार किया है, उनका पालन यथोचित रूप से किया जाय।

नियम ३७ के अनुसार सम्मेलन का वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारम्भ होता है। इस वर्ष भाद्र में अधिमास है—यदि दूसरे भाद्र को ही हम वर्षारम्भ का भाद्र मानें तोभी वर्षारम्भ के लिए केवल चार मास शेष हैं। नियम ६ के अनुसार हमारे साधारण सदस्यों के शुल्क प्राप्त हो जाने चाहिए थे, किन्तु अधिकांश सदस्यों के शुल्क प्राप्त नहीं हुए हैं—ऐसी दशा में उनको सदस्यों के अधिकार प्राप्त न होंगे और उनके प्रतिनिधि नियम १८ (३) के अनुसार स्थायी-समिति के लिए चुने नहीं जा सकेंगे। सारांश यह कि यह उत्तम नियम इस वर्ष व्यर्थ सा हो रहा है—इस ओर सदस्यों को ध्यान देना चाहिए।

गत सम्मेलन को हुए छै मास हो चुके। अब शीघ्र ही स्थायी-समिति की ओर से नियम १८ (इ) के अनुसार सदस्यों की सूची

तैयार करके भेजी जायगी। अतएव सदस्य होने वालों और जो हो चुके हैं, उनको शुल्क भेज कर नियम का पालन करना आवश्यक है। नियमों का पालन इस कारण भी नहीं हुआ है कि यह नियम नवीन है कदाचित् लोगों को इसकी भली भाँति खबर भी नहीं होगी। अतएव इस नियम को लेकर हमारी सम्बद्ध-सभाओं और सम्मेलन के हित-चिन्तकों को चाहिए कि देश भर में सदस्यों तथा हितैषियों की आवश्यकता प्रकट कर दें। सम्मेलन में यह नियम बड़े ही महत्व का है।

सम्मेलन अब तक बड़े दिन की छुट्टियों के आगे नहीं बढ़ा है और ठीक भी हुआ है। यदि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि इस वर्ष का भी सम्मेलन बड़े दिन की छुट्टियों में ही होगा तो सम्मेलन होने के लिए ८ मास का समय है। नियम ४४ के अनुसार "सम्मेलन के समय से कम से कम छ मास पहिले एक विषय-सूची" स्वागतकारिणी- समिति को बनानी चाहिए। उसके लिए समाचार-पत्रों द्वारा सर्वसाधारण की सम्मति लेकर स्थायी-समिति की सम्मति लेना होगा। दो मास का अवकाश है, इस बीच में इसके लिए पूर्णतया उद्योग होना चाहिए, जिसमें अति काल न हो जाय। स्वागतकारिणी-समिति का कार्य बड़ी योग्यता और उत्साह के साथ हो रहा है; इससे विश्वास है कि शीघ्र ही सूची तैयार हो जायगी। साथ ही हमारे हिन्दी के विद्वानों को भी इस वर्ष उत्तमोत्तम लेखों के लिए परिश्रम करना चाहिए।

इस बार इन्दौर में सम्मेमन होगा—यह हर्ष-समाचार सुन कर लोगों में बड़ी बड़ी नवीन कल्पनायें हो रही हैं। लोग विचारने लगे हैं कि इस वर्ष सभापति के लिए किन महोदय को चुना जाय। स्थायी-समिति की ओर से शीघ्र ही सभापति-निर्वाचन के सम्बन्ध में नियम ४६ के अनुसार सूचना दी जाने वाली है। हम आशा करते हैं कि इस इस बार हिन्दी-संसार अधिक शान्ति से सभापति के प्रश्न पर विचार कर सम्मेलन को आशातीत सफल बनाने में सहायक होगा।

सम्मेलन-पत्रिका के नियम

१—यह पत्रिका सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग से प्रतिमास प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक मूल्य १) रु० इस लिये रक्खा गया है कि सर्वसाधारण इसके ग्राहक हो सकें।

२—अभी इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे। आवश्यकता होने पर पृष्ठ सङ्ख्या बढ़ा भी दी जाया करेगी। आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्यिकों को रुचिकर हुई, और ग्राहकों की यथोचित सङ्ख्या हो गयी तो अधिकतर पृष्ठ-सङ्ख्याओं में और अधिकतर उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी।

३—प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र और रुपये आदि तथा सम्पादन सम्बन्धी पत्र पुस्तकें परिवर्त्तन के पत्रादि सब "मन्त्री, सम्मेलन कार्य्यालय, प्रयाग" के नाम आने चाहियें।

विज्ञापन छपाई के नियम

६ मास अथवा उससे अधिक दिनों के लिये.

प्रति मास	१ पृष्ठ,	आधा पृष्ठ	और चौथाई पृष्ठ के
कवर पेज पर	५)	३)	२)
साधारण पेज पर	४)	२॥)	१॥)

विशेष बातें जाननी हों तो मन्त्री जी से पूछिये

क्रोड़पत्र बँटाई के नियम

आधा तोला तक अथवा इससे कम के लिये ... १०)

१ तोला के विज्ञापन के लिये ... ... १२)

मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

नोट—विज्ञापन के ऊपर यह छपा होना चाहिये कि अमुक मास की "सम्मेलन-पत्रिका" का क्रोड़पत्र और उसमें यथोचित समाचार भी होने चाहियें।

पं० सुदर्शनाचार्य बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से पं० रामकृष्ण शर्म्मा द्वारा प्रकाशित।

Reg. No. A-629

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

की

मुखपत्रिका

भाग ४ | ज्येष्ठ, संवत् १९७४ | अङ्क ९

विषय-सूची

वा० मू० १)] [मूल्य ।)

सम्पादक—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ।

सम्मेलन के उद्देश्य

(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गों की उन्नति का प्रयत्न करना।

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश-व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना।

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना।

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्व-विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-समूहों तथा व्यापार ज़मींदारी और अदालतों के कार्य्यों में देवनागरी-लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना।

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारितोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना।

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना।

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्त्तमान संस्थाओं की सहायता करना।

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना।

(९) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी पुस्तकें तैयार कराना।

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जाँय उन्हें काम में लाना।

सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना और [illegible]

सम्मेलन-पत्रिका

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित

भाग ४ } ज्येष्ठ, संवत् १९७४ { अङ्क ९

कर्ण और कुन्ती

(लेखक—श्रीयुक्त आत्माराम देवकर डिडोरी)

आज मैं पाठकों को सङ्क्षेप में कर्ण और कुन्ती का अत्यन्त रोचक एवं मनोरञ्जक सम्वाद सुनाता हूँ—

जब कौरवों के राजा दुर्योधन ने पाण्डवों को उनका स्वत्व न देना चाहा, और भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जी की इच्छा से दोनों के मध्य युद्ध का सूत्र-पात हुआ, तब पाण्डवों की माता कुन्ती अपने 'गोप्य-पुत्र' कर्ण से सहायता माँगने गयीं। कर्ण उस समय कटि-पर्य्यन्त जल में स्थित हो सूर्य्य-मन्त्र जप रहे थे। उसके पूर्ण होने पर ज्योंही कर्ण ने नेत्र खोले, त्योंही पाण्डवों की माता, कुन्ती को सामने खड़ी पाया! यह देख कर्ण ने बाहर निकल कुन्ती को प्रणाम कर कहा, "क्या आदेश है, भद्रे !"

कुन्ती ने हँस कर उत्तर दिया, "भद्रे! किसे कह रहे हो, वत्स ! मैं तो तुम्हारी जन्मदात्री जननी हूँ।"

यह सुन कर्ण पर मानो सहसा विद्युत्पात हुआ। वे क्षण भर नेत्र बन्द किये न जाने क्या सोचते रहे। पश्चात् विस्मय भरे नेत्रों से कुन्ती की ओर देखते हुए बोले, "क्या कहा, देवि ! मुझे तो कुछ भी

स्मरण नहीं है।" कुन्ती ने शान्तभाव से कहा, "पुत्र! अविवाहिता अवस्था में मैंने सूर्य्य-मन्त्र से तुम्हे उत्पन्न किया था। मेरे प्रथम पुत्र तुम्हीं हो। स्वयं सूर्यदेव इसके साक्षी हैं।" यह सुन माता को पुनः पुनः प्रणाम कर हर्षोत्फुल्ल नेत्रों से कर्ण बोलेः—

कर्ण—कुन्ती जैसी माता का पुत्र होना मेरे महासौभाग्य का कारण है। आज श्रीमुख से यह शुभ सम्वाद सुन मैं हर्ष-विह्वल हो उठा हूँ। अम्ब! निकट आ शिशु के शीश को चरण-रज द्वारा पवित्र करो।

कुन्ती—चिरजीवी हो वत्स! सूर्य्य के समान तेजस्वी हो संसार में अक्षुण्ण कीर्त्ति-स्तम्भ स्थापित करो। दुर्द्दण्ड चाप-हस्त से दिगन्तर पर्य्यन्त विजय शब्द का प्रचार कर, जननी का मुख उज्ज्वल करो। शूल-पाणि शङ्कर और वज्र-पाणि पुरन्दर तुम्हारे सहायक हों।

कर्ण ने कुन्ती का चरण-रज शीश पर चढ़ा कर कहा, "मातेश्वरि! तुम्हारा आशीर्वाद कभी निष्फल न होगा।"

कुन्ती—पुत्र! तुम से एक भिक्षा माँगने आयी हूँ।

कर्ण—भिक्षा कैसी, मा! कर्ण जननी के मुख से निकले हुए योग्य आदेश का प्रतिपालन कर अपने जन्म को सफल समझेगा।

कुन्ती—सुन कर प्रसन्न हुई। पहले एक बात पूछती हूँ।

कर्ण—सहर्ष कहिये।

कुन्ती—प्रकृत धार्मिक पुरुष होकर तुम पापाचारी कौरवों का पक्षावलम्बन क्यों कर रहे हो?

कर्ण—मा, समझा तुम्हारे उद्देश्य को। तुम मुझे पाण्डवों की सहायता का आमन्त्रण देने आई हो।

कुन्ती—तब क्या तुम उसे अनीति-सङ्गत कहना चाहते हो?

कर्ण—नहीं मा! कौरवों ने मुझे आश्रय दिया है, अस्तु तुम्ही बतलाओ उनके विरुद्ध आचरण करना क्या धर्म-विहित होगा?

कुन्ती—माता की आज्ञा का प्रति-पालन ही पुत्र का परम धर्म है। इसे तो शायद तुम अस्वीकृत न करोगे।

कर्ण—माता ! तुम धर्म के मर्म को भली भाँति जानती हो ! अस्तु मुझे स्वार्थ साधन के लिये क्यों इतना बाध्य कर रही हो।

यह सुन कुन्ती ने हर्ष-गद्गद स्वर से कहा, "पुत्र ! धर्म्म-सङ्गत कार्य्य के करने में तो; मैं समझती हूँ, तुम्हे कोई आपत्ति न होगी'।"

कर्ण ने नत-मस्तक हो कहा, "जननी के उपदेश, वाक्य कानों में मधुर स्वर्गीय-सङ्गीत की नाईं ध्वनित होते हैं।"

कुन्ती ने फिर कहा, "वत्स ! तब क्या तुम मेरे लिये युद्ध कार्य्य से निरपेक्ष भी नहीं रह सकते ?"

कर्ण ने कहा, "जननी के लिये हँसते हँसते इस तुच्छ जीवन को वि र्जित कर सकता हूँ। मान सम्भ्रम तथा समस्त सांसारिक सुखों का परित्याग करने के लिये प्रस्तुत हूँ किन्तु, उसके बदले श्री चरणों पर मस्तक रख एक बार 'कर्त्तव्य-पालन' की भिक्षा माँगता हूँ। धर्म्म में अटल अवस्था देख मुझे पूर्ण विश्वास है, स्नेहमयी, वात्सल्य-भाजन शिशु को निराश न करेंगी।

कुन्ती—किन्तु तुम्हें जान बूझ कर अपने भ्राताओं पर शस्त्र उठाना क्या शोभा देगा ?

कर्ण—प्रतिज्ञा-पालन के हेतु वीर को सभी कुछ करना पड़ता है। मा ! तुम्हीं क्यों मेरे भाइयों को कौरवों से युद्ध करने की आज्ञा दे रही हो ?

कुन्ती—अधर्म्मी-अत्याचारियों को दण्ड देना क्षात्र-धर्म्म के विरुद्ध न होकर—संसार के प्रत्येक वीर पुरुष का परम कर्त्तव्य है। ऐसा भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है।

कर्ण—मा ! तुम्हारे अनुरोध को टाल न सकूँगा। मैं अर्जुन को छोड़ कर अपने शेष भाइयों पर कभी शस्त्र न उठाऊँगा। अर्जुन से युद्ध करने के लिये मैं महाराज दुर्योधन की सभा में प्रतिज्ञा-बद्ध हुआ हूँ। अस्तु आशा है, इस विषय में अधिक आग्रह कर जननी मुझे 'आज्ञोल्लङ्घन' का दोषी न बनावेंगी।

कुन्ती—यही तो महा-विपद का कारण है। यही कण्टक मेरे

हृदय को वेध रहा है। इसीकी औषधि लेने के लिये आज मैं तुम्हारे निकट आयी थी। किन्तु! देखती हूँ, तुम भी इस महा व्याधि के दूर करने में अक्षम हो।

कर्ण--सर्वथैव अक्षम हूँ मा! किन्तु इससे तुम्हारा कोई अनिष्ट न होगा।

कुन्ती--(विस्मय विमुग्ध नेत्रों से कर्ण की ओर देख कर) यह क्या कह रहे हो, पुत्र! अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करेगा और मेरा अनिष्ट न होगा। यह कैसे सम्भव है?

कर्ण--मा! धर्म की दृष्टि से मुझे संसार में तुम्हारे पाँच ही पुत्र दिखलाई देते हैं। अस्तु इस दुर्भावना के कार्य्य में परिपात होने पर भी तुम्हारे पाँच पुत्र बने रहेंगे। इसमें सन्देह नहीं।

कुन्ती--वत्स! मैं तुम्हारी उक्ति का खण्डन नहीं कर सकती। अस्तु, विदा होती हूँ। तुम्हें जो उचित जान पड़े सो करना। भगवान धर्म्म-सङ्गत कार्य्य में तुम्हारे सहायक हों।

कर्ण ने आर्द्र-गद्गद हृदय से कुन्ती के चरण छू लिये!

सम्मेलन-समाचार

भ्रमसंशोधन

गत अङ्क में जो स्थायीसमिति के द्वितीय अधिवेशन का कार्य्य विवरण प्रकाशित हुआ है उसमें निम्नलिखित अंश की न्यूनता रह गयी है।

"१० गोरखपुर के पं० राजमणि त्रिपाठी का प्रस्ताव कि अदालतों में सम्मेलन द्वारा हिन्दी के फारमों को रखने का प्रबन्ध किया जाय, उपस्थित किया गया सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि प्रचार मन्त्री इसका उचित प्रबन्ध करें।

परीक्षा-समिति का चतुर्थ अधिवेशन

परीक्षा-समिति का चतुर्थ अधिवेशन मिति वैशाख शुक्ल ८ सं० १६७४, ता० २६ एप्रिल सन् १६१७ ई० को ३ बजे से सम्मेलन-कार्यालय में निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ—

१—बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन
२—प्रो० ताराचन्द
३—गोपालस्वरूप भार्गव
४—पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी
५—पं० लक्ष्मीनारायण नागर
६—प्रो० व्रजराज

कार्यवाही का सङ्क्षिप्त विवरण निम्नलिखित है—

१—गत अधिवेशन का कार्य-विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ।

२—परीक्षा-मन्त्री के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि देवरिया और इटावा में प्रथमा तथा मध्यमा परीक्षा के केन्द्र बनाये जायँ, और राठ छपरा तथा लालगञ्ज के लिए परीक्षा-मन्त्री को अधिकार दिया गया कि यदि उचित प्रवन्ध परीक्षाओं का हो सके तो इन स्थानों में प्रथमा का केन्द्र बना दें।

३—व्रजविहारीलाल गुप्त आगरा के प्रार्थना-पत्र पर यह निश्चय हुआ कि इनको सं० १६७४ की मध्यमा परीक्षा देने का अधिकार दिया जाय।

४—पं० शेषमणि त्रिपाठी देवरिया तथा गोविन्दवल्लभ भट्ट अल्मोड़ा के लिए निश्चय हुआ कि यदि वे स्कूल-लीविङ्ग हिन्दी अथवा संस्कृत लेकर उत्तीर्ण हो जायँगे तो सं० १६७४ की मध्यमा परीक्षा दे सकेंगे।

५—जुगमन्दिरलाल जैन के प्रार्थना-पत्र पर निश्चय हुआ कि यदि वे वर्नाक्यूलर मिडिल उत्तीर्ण हों तो सं० १६७४ की मध्यमा परीक्षा दे सकते हैं अन्यथा नहीं।

६—निम्नलिखित परीक्षार्थियों के प्रार्थना-पत्र पर (जो सं० १९७३ की मध्यमा परीक्षा में शुल्क भेजने के बाद विशेष कारणों के उपस्थित होने से सम्मिलित नहीं हो सके) निश्चय हुआ कि सं० १९७४ की मध्यमा परीक्षा देने का अधिकार सं० १९७३ के दिये हुए शुल्क से ही दिया जाय—

१ मौजीलाल सरमण्डल, सिहाड़ा
२ शङ्करानुज लक्ष्मण शर्मा, लश्कर
३ जगन्नाथप्रसाद बी० ए०, राजनाँद गाँव
४ आनन्दकर झा, राजनाँद गाँव
५ मोरध्वजलाल श्रीवास्तव, राजनाँद गाँव

७—रघुवीरदयाल मिश्र, कानपुर, के प्राथना-पत्र पर निश्चय हुआ कि उनको बिना शुल्क दिये सं० १९७४ की मध्यमा परीक्षा देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

८—उत्तमा के परीक्षार्थी पं० बाबूलाल सयाशङ्कर दुबे "विशारद" की लेखक्रम की सूची पढ़ी गयी—निश्चय हुआ कि परिवर्तित सूची जो निम्नलिखित है भेजी जाय।

महाकवि भास पर समालोचना

(१) भास कवि का समय तथा उनका जीवन-चरित्र (जहाँ तक खोज से ज्ञात हो)।

(२) उनके लिखे हुए ग्रन्थों का सङ्क्षिप्त विवरण।

(३) कवि की शैलीपात्र-परीक्षा अन्य कवियों से तुलना इत्यादि।

(४) अन्य बातें तथा परिशिष्ठ।

९—प्रश्न-पत्रों के संशोधक के लिए निश्चय हुआ कि आगामी अधिवेशन में उपस्थित किये जाएँ।

१०—परीक्षा-मन्त्री ने आगरा-केन्द्र के मध्यमा के परीक्षार्थी भगवानदीन पाठक और मथुरालाल शर्मा की दर्शन की खोई हुई उत्तर-पुस्तकें उपस्थित की—निश्चय हुआ कि इन उत्तर-पुस्तकों को (जो डी० एल० ओ० से लौट कर आयी हैं) बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन और पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी जी जाँचे और परीक्षा-फल परीक्षा-मन्त्री के पास भेज दें।

११—सं० १६७४ के प्रथमा के परीक्षार्थी भोलानाथ–फिरोजाबाद के प्रार्थना पर निश्चय हुआ कि उपनियम १७ के अनुसार शुल्क लौटाया नहीं जा सकता।

१२—राममनोहर पाण्डेय लेखक सम्मेलन-कार्यालय के प्रार्थना-पत्र पर निश्चय हुआ कि सम्मेलन की मध्यमा परीक्षा का परीक्षा-शुल्क देने के लिए ५) पुरस्कार रूप में उनको दिया जाय।

१३—परीक्षा-मन्त्री ने प्रिन्सपल मेल ट्रेनिङ्ग कालज बड़ौदा का पत्र उपस्थित किया; जिसमें उन्होंने लिखा था कि जिन लोगों की मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है, उनके लिए हिन्दी-साहित्य का पाठ्य-क्रम सरल होना चाहिए—निश्चय हुआ कि जिनकी मातृ-भाषा गुजराती, मराठी, बङ्गला, उड़िया, तामील, तेलेगू, कर्नाटकी वा मलायली हों और जो हिन्दी की परीक्षाएँ देना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए प्रथमा के साहित्य में सरल पाठ्य-क्रम रक्खा जाय; उनको अधिकार होगा कि या तो सम्पूर्ण प्रथमा परीक्षा में सम्मिलित हों अथवा नियम ३१ के अनुसार केवल साहित्य में सम्मिलित हों—और दोनों दशा में उनके लिए हिन्दी-साहित्य का केवल निम्नलिखित सरल पाठ्य-क्रम होगा—

प्रश्न-पत्र १ गद्य—

पाठ्य-ग्रन्थ (१) सौ अजान एक सुजान।
(२) सत्य-हरिश्चन्द्र नाटक।

प्रश्न-पत्र २ पद्य—

पाठ्य-ग्रन्थ (१) सीता-स्वयम्बर (रामचरितमानस—दोहा २३६ से २८६ तक)
(२) रङ्ग में भङ्ग (मैथिलीशरण गुप्त कृत)

व्याकरण सम्बन्धी प्रश्न दोनों पत्रों में रहेंगे। हिन्दी-व्याकरण बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन कृत अथवा पं० चन्द्रमौलि शुक्ल कृत पढ़ा जा सकता है।

प्रश्न-पत्र ३ लेख तथा अनुवाद—

किसी सामान्य विषय पर १०० पङ्क्ति का हिन्दी में लेख और किसी दिये हुए साधारण हिन्दी गद्य से अपनी मातृ-भाषा में अनुवाद।

ऐसे परीक्षार्थियों के लिए केवल हिन्दी-साहित्य के तीन परीक्षाओं के लिए—जिनमें दो उपाधि-परीक्षाएँ होंगी—सम्पूर्ण व्यवस्था बना कर परीक्षा-मन्त्री स्थायी-समिति के सन्मुख उपस्थित करें।

परीक्षा-समिति का पञ्चम अधिवेशन

परीक्षा-समिति का पञ्चम अधिवेशन मिति ज्येष्ठ कृष्ण सं० १९७४, ता० २० मई सन् १९१७ ई० को ३ बजे सम्मेलन-कार्यालय में निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ—

(१) प्रो० ताराचन्द प्रयाग
(२) बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन "
(३) पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी "
(४) प्रो० गोपालस्वरूप भार्गव "
(५) पं० लक्ष्मीनारायण नागर "
(६) बा० महावीरप्रसाद "
(७) प्रो ब्रजराज "

कार्यवाही का सङ्क्षिप्त विवरण निम्नलिखित है—

१—आज की समिति के सभापति प्रो० ताराचन्द जी निर्वाचित हुए।

२—गत अधिवेशन की कार्यवाही पढ़ी गयी और स्वीकृत हुई।

३—परीक्षा-मन्त्री के प्रस्ताव पर निश्चित हुआ कि कन्या-महाविद्यालय जालन्धर स्त्रियों के लिए प्रथमा तथा मध्यमा परीक्षा का केन्द्र बनाया जाय।

५—परीक्षा-मन्त्री ने पं० भागीरथप्रसाद दीक्षित कोटा का प्रश्न-पत्र उपस्थित किया; जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजपूताना मिडिल-स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को वही अधिकार दिये जायँ जो वर्नाक्यूलर मिडिल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को दिये गये हैं। राजपूताना मिडिल-स्कूल परीक्षा के पाठ्य-क्रम को देखने पर निश्चय हुआ कि राजपूताना मिडिल-स्कूल के परीक्षोत्तीर्ण परीक्षार्थी प्रथमा के केवल साहित्य पत्रों में उत्तीर्ण होने पर मध्यमा परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकारी होंगे।

६—प्रथमा तथा मध्यमा परीक्षा के आवेदन-पत्र उपस्थित किये गये—निश्चय हुआ कि परीक्षा-मन्त्री नियमानुसार आये हुए आवेदन-पत्रों को स्वीकार करें।

७—उत्तमा परीक्षा संस्कृत-साहित्य के लिए निम्नलिखित परीक्षक नियत किये गये—

लेख—(१) म० म० डा० गङ्गानाथ झा
(२) पं० हरिमङ्गल मिश्र
(३) बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन

प्रश्न-पत्र—१—{ म० म० डा० गङ्गानाथ झा
पं० श्रीकृष्ण जोशी }

२ और ४—पं० हरिमङ्गल मिश्र

३—पं० कालीप्रसाद

५—बा० नरेन्द्र देव

६—पं० लक्ष्मीनारायण नागर

७—बा० कृष्णराव नारायण लघाँटे

८—प्रथमा परीक्षा के साहित्य १, साहित्य २, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान विषयों के प्रश्न-पत्र संशोधित हुए।

विलम्ब हो जाने के कारण अधिवेशन स्थगित किया गया और स्थगित अधिवेशन, कायस्थ-पाठशाला-प्रयाग में बा० ताराचन्द जी के सभापतित्व में सोमवार ज्येष्ठ कृष्ण ३० को ३॥ बजे से हुआ; जिसमें निम्नलिखित कार्यवाही हुई—

९—मध्यमा परीक्षा के साहित्य १, साहित्य २, साहित्य ३, साहित्य ४, इतिहास २, ज्योतिष, दर्शन, विज्ञान, संस्कृत से अनुवाद, अङ्ग्रेज़ी से अनुवाद और अर्थ-शास्त्र के प्रश्न-पत्र संशोधित हुए और उनके छपाने का अधिकार परीक्षा-मन्त्री को दिया गया।

१०—पं० भगवानदीन पाठक तथा मथुरालाल शर्मा के दर्शन विषय का परीक्षा-फल, परीक्षा-मन्त्री ने उपस्थित किया—विचार के पश्चात् निश्चय हुआ कि पं० भगवानदीन पाठक मध्यमा परीक्षा में

उत्तीर्ण किये गये और मथुरालाल शर्मा अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा-मन्त्री को अधिकार दिया गया कि परीक्षा-मन्त्री पं० भगवानदीन पाठक का उपाधि-पत्र उचित हस्ताक्षर करा के दे दें।

सूचना

नियमावली के नियम ४६ के अनुसार आगामी अष्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति के आसन के लिए पाँच सज्जनों की सूची बनाने को रविवार मिति श्रावण शुक्ल ३ सं० १९७४, ता० २२ जुलाई सन् १९१७ ई० को सन्ध्या समय ४ बजे स्थायी-समिति का एक अधिवेशन सम्मेलन-कार्यालय में होगा।

स्थायी-समिति के सदस्यों से निवेदन है कि वे निश्चित तिथि पर अधिवेशन में पधारें, अथवा यदि न आ सकें तो उससे पहले मेरे पास अपनी सम्मति के अनुसार पाँच उपयुक्त सज्जनों की सूची भेज दें। स्वागत-समिति और सम्बद्ध-संस्थाओं के मन्त्रियों से निवेदन है कि वे अपनी अपनी संस्था का अधिवेशन कर उसमें एक सूची बनवा कर निश्चित तिथि से प्रथम भेज दें।

ज्येष्ठ कृ० १३ शनिवार सं १९७४ — पुरुषोत्तमदास टण्डन, प्रधान-मन्त्री

सं० १९७४ का परीक्षा-क्रम

प्रथमा-परीक्षा

साहित्य का पहला प्रश्नपत्र	रविवार प्रथम भाद्रपद शु० २, ता० १९ अगस्त सन् १९१७ ई०	७ बजे प्रातःकाल से १० बजे दिन तक
साहित्य का दूसरा प्रश्नपत्र	सोमवार प्रथम भाद्रपद शु० ३, ता० २० अगस्त सन् १९१७ ई०	७ बजे प्रातःकाल से १० बजे दिन तक

साहित्य का तीसरा प्रश्नपत्र	मङ्गलवार प्रथम भाद्रपद शु० ४ ता० २१ अगस्त सन् १९१७ ई०	७ बजे प्रातःकाल से १० बजे दिन तक
इतिहास	बुधवार प्रथम भाद्रपद शु० ५/६, ता० २२ अगस्त सन् १९१७ ई०	" "
आरायज़-नवीसी कारिन्दगरी का प्रथम प्रश्नपत्र	" "	" "
मुनीबी का प्रथम प्रश्नपत्र	" "	" "
भूगोल	गुरुवार प्रथम भाद्रपद शु० ५/२, ता० २३ अगस्त सन् १९१७ ई०	" "
अङ्कगणित	शुक्रवार प्रथम भाद्रपद शु० ६, ता० २४ अगस्त सन् १९१७ ई०	" "
आरायज़-नवीसी कारिन्दगरी का दूसरा प्रश्नपत्र	" "	" "
मुनीबी का दूसरा प्रश्नपत्र	" "	" "
विज्ञान	शनिवार प्रथम भाद्रपद शु० ७, ता० २५ अगस्त सन् १९१७ ई०	" "

मध्यमा-परीक्षा

साहित्य का पहला प्रश्नपत्र	रविवार प्रथम भाद्रपद शु० २, ता० १९ अगस्त सन् १९१७ ई०	७ बजे प्रातःकाल से १० बजे दिन तक

साहित्य का दूसरा प्रश्नपत्र	सोमवार प्रथम भाद्रपद शु० ३, ता० २० अगस्त सन् १९१७ ई०	७ बजे प्रातःकाल से १० बजे दिन तक
साहित्य का तीसरा प्रश्नपत्र	मङ्गलवार प्रथम भाद्रपद शु० ४, ता० २१ अगस्त सन् १९१७ ई०	" "
साहित्य का चौथा प्रश्नपत्र	बुधवार प्रथम भाद्रपद शु० ५/१, ता० २२ अगस्त सन् १९१७ ई०	" "
इतिहास का पहला प्रश्नपत्र	गुरुवार प्रथम भाद्रपद शु० ५/२, ता० २३ अगस्त सन् १९१७ ई०	" "
इतिहास का दूसरा प्रश्नपत्र	शुक्रवार प्रथम भाद्रपद शु० ६, ता० २४ अगस्त सन् १९१७ ई०	" "
दर्शन	शनिवार प्रथम भाद्रपद शु० ७, ता० २५ अगस्त सन् १९१७ ई०	" "
अङ्ग्रेज़ी से अनुवाद	" "	२ बजे दिनसे सन्ध्याकाल के ५ बजे तक
संस्कृत से अनुवाद	रविवार प्रथम भाद्रपद शु० ८, ता० २६ अगस्त सन् १९१७ ई०	७ बजे प्रातःकाल से १० बजे दिन तक
धर्मशास्त्र	" "	२ बजे दिनसे सन्ध्याकाल के ५ बजे तक
वैद्यक	सोमबार प्रथम भाद्रपद शु० ९, ता० २७ अगस्त सन् १९१७ ई०	७ बजे प्रातःकाल से १० बजे दिन तक
अर्थशास्त्र	" "	२ बजे दिनसे सन्ध्याकाल के ५ बजे तक

विज्ञान	मङ्गलवार प्रथम भाद्रपद शु० १०, ता० २८ अगस्त सन् १९१७ ई०	७ बजे प्रातःकाल से १० बजे दिन तक
गणित	" "	२ बजे दिनसे सन्ध्या-काल के ५ बजे तक
ज्योतिष	बुधवार प्रथम भाद्रपद शु० ११, ता० २९ अगस्त सन् १९१७ ई०	७ बजे प्रातःकाल से १० बजे दिन तक

सम्मेलन परीक्षा शिक्षालय

हिन्दी-हितैषिणी-सभा, लालगञ्ज ने मिति वैशाख शुक्ल १० सं० १९७४ से हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के परीक्षार्थियों के शिक्षा दिलाने के लिये अपने आधीन एक 'सम्मेलन-परीक्षा-शिक्षालय' नामक विद्यालय खोला है। इस वर्ष यहाँ प्रथमा के ही परीक्षार्थी हैं, अतः इस विद्यालय में भी अभी प्रथमा की ही कक्षा खोली गयी है। इसके व्यवस्थापक तथा अध्यापक आदि का सभी कार्य अभी अवैतनिक रूप से इस सभा के सहायक मन्त्री पं० राजनारायण शुक्ल जी अपने साहस से कर रहे हैं। आगे आवश्यक होने पर और भी अध्यापक आदिकों के बढ़ाने का विचार सभा से किया जायगा।

भवदीय

रामलषन प्रसाद, सभा सदस्य,

लालगञ्ज।

हिन्दी-संसार

कर्मवीर महात्मा गान्धी जी का पत्र

हिन्दी ही हिन्दुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है यह बात निर्विवाद सिद्ध है, कैसे हो सकती है केवल यही विचार करना है। जिस स्थान को आजकल अङ्गरेज़ी भाषा लेने का प्रयत्न कर रही है पर जिसको लेना उसके लिये असम्भव

है वही स्थान हिन्दी को मिलना चाहिये। क्योंकि उस पर हिन्दी का पूर्ण अधिकार है यह स्थान अङ्गरेज़ी को नहीं मिल सकता है; वह विदेशी भाषा है और हमारे लिये बड़ी कठिन हैं। अङ्गरेज़ी की अपेक्षा हिन्दी का सीखना हाथ का खेल है। हिन्दी बोलनेवालों की सङ्ख्या प्रायः ९॥ करोड़ है। बङ्गला, बिहारी, उड़िया, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पञ्जाबी और सिन्धी, हिन्दी की बहिनें हैं। उक्त भाषाओं के बोलने वाले थोड़ी बहुत हिन्दी समझ तथा बोल लेते हैं। इन सब को मिलाने से सङ्ख्या प्रायः २२ करोड़ हो जाती है। जिस भाषा का इतना प्रचार है उसकी बराबरी करने के लिये अङ्गरेज़ी जिसे एक लाख भी हिन्दुस्तानी ठीक ठीक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकर समर्थ हो सकती है। आजकल हमारा देशी काम और व्यवहार हिन्दी में नहीं होने लगा है, इसका कारण हमारी भीरुता-अश्रद्धा और हिन्दी भाषा के गौरव का अज्ञान है, यदि हम भीरुता छोड़ दें, श्रद्धावान बनें, हिन्दी का गौरव समझ लें तो हमारी राष्ट्रीय और प्रान्तिक परिषद् तथा सरकारी धारा सभा का भी व्यापार हिन्दी में चलने लगेगा। आरम्भ, प्रान्तिक राष्ट्रीय मण्डलों से होना आवश्यक है, इस कार्य में यदि कुछ कठिनता भी है तो वह प्रायः तामिलादि, द्राविड़ भाषा भाषियों के लिये है पर इसकी भी औषधि हमारे हाथ में है। उत्साही-साहसिक-स्वभाषाभिमानी-हिन्दी के जोशीले पुरुषों को बिना मूल्य हिन्दी की शिक्षा देने के लिये मद्रासादि प्रान्तों में भेजना चाहिये। वे हिन्दी के पराक्रमी प्रचारक बन जायँ तो अल्प ही काल में मद्रासादि प्रान्त के शिक्षित-वर्ग हिन्दी सीख लेंगे। यदि हमारे में उचित जोश हो तो इस प्रश्न का उत्तर केवल काम करने वालों की सङ्ख्या पर ही रहता है। जितने अधिक शिक्षक भेजे जायँ उतना ही शीघ्र हिन्दी का प्रचार हो जावेगा। शिक्षकों के भेजने के साथ ही साथ स्वयं शिक्षण पुस्तकें भी बनानी चाहियें, इन पुस्तकों का प्रचार बिना मूल्य होना आवश्यक है। भाषा सीखने की आवश्यकता बतलाने के लिये प्रतिष्ठित वक्ताओं का भेजना भी आवश्यक है।

जैसा प्रचार द्रविड़ देश में करना आवश्यक है वैसा ही प्रचार मुम्बई आदि प्रदेशों में भी उचित है। मराठी गुजराती भाषा-

भाषियों के लिये भी हिन्दी पुस्तकें तैयार करनी चाहियें और उन प्रदेशों में भी प्रचारक भेजे जाने चाहियें।

इस कार्य में द्रव्य की आवश्यकता है हमारे धनाढ्य समुदाय को यह कार्य बोझ रूप न समझना चाहिये, उनका यह कर्तव्य है कि इस बृहत्कार्य में सहायता दें।

प्रबन्ध करने के लिये एक छोटी सी समिति बनाने की आवश्यकता है। इतना ध्यान रखना उचित है कि इस समिति में केवल कार्य करने वाले ही चुने जायँ।

इस निवेदन में एक गर्भित बात आ जाती है, वह यह है कि हिन्दी और उर्दू के बीच में भेद नहीं रक्खा गया है वास्तव में ये लिपि के भेद से भिन्न हैं, वे बहुत अंश में एक हैं। लिपि के विषय में हम अपने इस्लामी भाइयों से क्यों झगड़ें? वे उर्दू लिपि में पढ़ें हम में से थोड़े लोग उर्दू लिपि भी जानते हैं तथा और अधिक लोग सीख लेंगे जब तक इस्लामी भाई देवनागरी लिपि नहीं पढ़ लेंगे तब तक हमारे राष्ट्रीय कार्य दोनों लिपि में हुआ करेंगे—कैसा ही क्यों न हो इस प्रश्न का निपटारा हम इस्लामी भाईयों के साथ भ्रातृभाव से कर सकते हैं। अब तो उक्त लिपि से सारे भारतवर्ष में भाषा का प्रचार करना यही एक कर्तव्य है।

हिन्दी-पुस्तकालय

वैशाख शुक्ल ८ रविवार सं० १९७४ को बछरावाँ–रायबरेली में एक शारदासदन नामक पुस्तकालय की स्थापना हुई है। पुस्तकालय के स्थापनार्थ जो सार्वजनिक सभा हुई थी उसका उत्साह आशाप्रद था। लोगों ने ७०० पुस्तकें १५०) रु० नगद और १२ समाचार पत्रों के देने के लिये वचन दिये हैं। इस पवित्र कार्य में ला० वंशीधर नागरमल, पं० शिवरत्न शुक्ल और ला० विश्वनाथ जी तालुक़ेदार का उत्साह प्रशंसनीय था। हम आशा करते हैं कि वचन दाताओं और उत्साही सज्जनों के वचन और उत्साह क्षणिक न होकर स्थायी होंगे और उनके द्वारा हिन्दी-संसार का उपकार होगा।

ज्येष्ठ शुक्ल ३ बृहस्पति सं० १९७४ को सीतामढ़ी के नागरी

प्रचारक पुस्तकालय का वार्षिकोत्सव सकुशल सम्पन्न हुआ। अवश्य ही वार्षिकोत्सव से लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, किन्तु पुस्तकालयों के वार्षिकोत्सव की अपेक्षा उनकी अन्यान्य उपयोगी उन्नति कार्यों की अधिक आवश्यकता होती है।

कुछ दिनों से खुर्जा में एक 'वाचनालय' खुला है, प्रताप में उसके सम्बन्ध में कुछ ऐसी वैसी बातें प्रकाशित हुई थीं। उत्तर में योगानन्द जी ने जो कुछ लिखा है उससे ज्ञात होता है कि 'वाचनालय' का प्रबन्ध ठीक है। हम दोनों पक्ष के सज्जनों से अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की व्यक्तिगत बातें आपस में ही तै कर लिया करें तो अधिक उत्तम हो और पत्रों में हिन्दी संस्थाओं की साधारण या आक्षेपजनक बातें प्रकाश करने में अपनी इच्छा पूर्ति न किया करें।

वैशाख कृष्ण ८ रविवार सं० १९७४ को सरधना के 'प्रेम पुस्तकालय' का वार्षिकोत्सव श्रीयुक्त पं० हेमचन्द्र जी बी० ए० (तहसीलदार) की अध्यक्षता में हो गया। उत्सव सम्बन्धी सभी रसम पूरे किये गये और कई व्याख्यान भी हुए हैं।

हमीरपुर में एक वर्ष से 'आनन्दभवन' नामक हिन्दी पुस्तकालय खुला है और दिनों दिन उसकी उन्नति हो रही है। जो समाचार मिले हैं उनसे ज्ञात होता है कि वहाँ के सज्जनों का ध्यान अभी पुस्तकालय की ओर आकर्षित नहीं हुआ है। पुस्तकालयों की गाँव गाँव और मुहल्ले मुहल्ले में आवश्यकता है। ऐसी दशा में पुस्तकालयों की सहायता करना सभी शिक्षा-प्रचार के प्रेमी सज्जनों का कर्तव्य है।

हाथरस में स्व० लाला बङ्गालीमल के स्मारक में एक हिन्दी पुस्तकालय स्थापित हुआ है। कहा जाता है कि इस पुस्तकालय में लगभग २००० पुस्तकें हैं। इसके व्यय के लिए सर्वसाधारण से कुछ चन्दा नहीं लिया जाता है। अवश्य ही सार्वजनिक संस्था के लिए यह आवश्यक है कि उसका स्वामी व्यक्ति विशेष न हो अतएव यदि उक्त पुस्तकालय के सञ्चालक सज्जन उसे सार्वजनिक संस्था का महत्व दिया चाहते हैं तो चन्दा भले ही न लें किन्तु उसका सञ्चालन सर्वसाधारण की समिति के द्वारा करावें।

साएडा बेगूसराय—बलिया में 'सज्जन-समिति' नामक पुस्तकालय स्थापित हुआ है किन्तु कहा जाता है कि पुस्तक और समाचार-पत्रों के पढ़ने के लिए अब तक कोई स्थान निश्चित नहीं हुआ है। पुस्तकालय के सञ्चालकों को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

आगर (मालवा) की "हिन्दी-साहित्य-प्रचारिणी-युवकसभा" ने अपने चतुर्थ अधिवेशन के अवसर पर एक हिन्दी पुस्तकालय भी खोल दिया है और उसमें लगभग ५०० पुस्तक प्राप्त हुई हैं। आशा है कि सभा अपने पुस्तकालय को शीघ्र ही एक उत्तम श्रेणी का पुस्तकालय बना देगी।

ता० ६ अप्रैल सन् १९१७ ई० को बिल्हौर-कानपुर में कुछ सज्जनों के उद्योग से "श्रीगोपाल पुस्तकालय" की स्थापना हुई है। पुस्तकालय में पुस्तकों और समाचारपत्रों की सहायता विशेषतः पं० सिद्धगोपाल जी से मिली है और उसका साम्प्रतिक स्थान श्रीयुक्त पं० हजारीलाल जी अवस्थी की कोठी में है।

सिकोहाबाद में "सरस्वतीसदन" नामक पुस्तकालय है जो समाचार मिले हैं उनसे ज्ञात होता है कि उसके सञ्चालकों और सभासदों में कुछ मतभेद हो रहा है, हम आशा करते हैं कि सार्वजनिक स्वार्थ के लिए लोग स्वार्थ-त्याग करके अपने पारस्परिक मतभेद से पुस्तकालय की उन्नति में बाधा न देंगे, प्रत्युत सहायक होने का पुण्य लाभ करेंगे।

हिन्दी सभायें और प्रान्तीय सम्मेलन

देवरिया—गोरखपुर की नागरीप्रचारिणी सभा का वार्षिकोत्सव १९ और २० मई को श्रीयुक्त पं० कृष्णकान्त मालवीय के सभापतित्व में सकुशल हो गया। अनेक सज्जनों के भाषण हुए किन्तु सभापति का भाषण समयोपयोगी और बहुत ही उत्तम था।

आगर (मालवा) की "हिन्दी-साहित्य-प्रचारिणी—युवकसभा" का चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन श्रीयुक्त बाबू चतुर्भुज जी बी० ए० के सभापतित्व में बड़े समारोह के सहित हुआ।

हरदोई प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन श्रीयुक्त ठाकुर राजेन्द्रसिंह जी के सभापतित्व में सफ-

लता के साथ हो गया। सभापति महोदय की वक्तृता अच्छी थी। वक्तृता का सारांश हम आगामी सङ्ख्या में देंगे।

सूचना

इन्दौर राज्य का इतिहास और इन्दौर राज्य का भूगोल हिन्दी में जो महाशय लिखेंगे और जिनकी पुस्तक सर्वोत्तम समझी जायगी उनको इन्दौर–धरगाँव के श्रीयुत ठाकुर बाघसिंह जी की ओर से अष्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन में स्वर्णपदक दिये जायँगे। भूगोल ऐसा होना चाहिए जो इन्दौर राज्य के स्कूलों में पढ़ने योग्य हो और जिसे राज्य की टेक्स्ट बुक कमिटी पाठ्य-ग्रन्थों में रख सके। पुस्तकों की परीक्षा एक कमिटी द्वारा की जायगी। हस्तलिखित पुस्तकें ३१ अगस्त, १९१७ ईसवी तक नीचे लिखे पते से आ जानी चाहिए।

सरजू प्रसाद,
मन्त्री, स्वागतकारिणी समिति,
अष्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, इन्दौर।

सूचना

श्रीमन्त महाराजा साहब बहादुर इन्दौर ने हिन्दी-साहित्य की समुन्नति के लिए २५००) रु० वार्षिक देने की कृपा की है। इस द्रव्य से हिन्दी की उपादेय पुस्तकें प्रकाशित की जाँयगी। हिन्दी-ग्रन्थ-लेखकों को उनके उत्साह के लिए पुरस्कार भी दिया जायगा। पुस्तकों के विचार तथा द्रव्य के समुचित उपयोग के लिए होलकर सरकार ने एक कमिटी सङ्गठित कर दी है, जिसमें पाँच सदस्य हैं—तीन सरकारी और दो मध्य-भारत हिन्दी–साहित्य समिति के सदस्य। कमिटी के नियम हिन्दी के प्रणेताओं की जानकारी के लिए नीचे दिये जाते हैं।

(१) कमिटी प्रतिवर्ष कम से कम दो पुस्तकों के प्रणयन और प्रकाशन में सहायता देगी। ग्रन्थ चाहे स्वतन्त्र रूप से लिखे जायँ या विदेशी भाषा के अनुवाद हों।

(२) कमिटी को ऐसी पुस्तकों की रचना के लिए विज्ञापन छपाने और आई हुई पुस्तकों में से चुनने का अधिकार होगा।

(३) इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, नीतिशास्त्र आदि (उपन्यास छोड़ कर) की पुस्तकें ली जायँगी।

(४) कमिटी, यदि उचित समझेगी तो पूर्व प्रकाशित पुस्तकों पर, (जो कि कमिटी के लिए खास कर नहीं लिखी गयी है) भी पुरस्कार देगी।

(५) एक पुस्तक पर १०००) रु० से अधिक पुरस्कार या सहायता के रूप में न दिया जा सकेगा।

(६) प्रकाशित पुस्तकों में से उन्हीं पर पुरस्कार दिया जा सकेगा, जो दो वर्ष के भीतर प्रकाशित हुई हों।

(७) पुरस्कार साल में दो बार मार्च और सितम्बर महीनों में बाँटा जाया करे।

(८) यदि कमिटी स्वयं हस्तलिखित पुस्तकों के छपाने का प्रबन्ध करेगी तो लेखक को पुरस्कार दे देगी। यदि कमिटी पुस्तक छपाने का प्रबन्ध न करेगी, केवल पुरस्कार ही देना चाहेगी तो पुस्तक छपने पर पुरस्कार देगी।

(९) कमिटी की पुस्तकें जहाँ तक हो सकेगा मध्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति द्वारा प्रकाशित की जावेंगी।

(१०) पुरस्कार पाने के लिए ग्रन्थकारों को प्रकाशित पुस्तक की दो प्रतियाँ भेजनी होंगी। वे लौटाई न जायँगी, चाहे उन पर पुरस्कार दिया जाय या नहीं।

(११) कमिटी प्रकाशित पुस्तक पर जो पुरस्कार देना निश्चित करेगी उसका २५) रु० सैकड़ा पुस्तक के मूल्य रूप में दिया जायगा। इससे जो पुस्तकें आयेंगी वे राज्य की सरकारी और सार्वजनिक पुस्तकालयों में भेंट दी जायँगी।

मा० द्वि० किबे,

सभापति महाराजा होलकर्स

हिन्दी कमिटी, इन्दौर।

समालोचना

(लेखक—श्रीयुत पं० रामनरेश जी त्रिपाठी)

पैसा

अर्थात् अर्थशास्त्र के मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन

लेखक—शारदा सम्पादक श्रीयुक्त पण्डित चन्द्रशेखर शास्त्री।

प्रकाशक—बाबू कृष्णप्रसाद सिंह चौधरी मैनेजर "पाटलिपुत्र", बाँकीपुर। आकार डबलक्राउन, पृष्ठ सङ्ख्या ६१, मूल्य छः आने। छपाई सफाई ठीक है। प्रकाशक से प्राप्य।

यह पुस्तक अर्थशास्त्र सम्बन्धी है। ऐसी पुस्तकों की हिन्दी में अधिक आवश्यकता है। सरल हिन्दी में ऐसी आवश्यक पुस्तक लिख कर शास्त्री जी ने हिन्दी-साहित्य भण्डार की वृद्धि की है इसके लिये वे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं।

पुस्तक पढ़ने योग्य है। लेखक का परिश्रम पुस्तक की उपयोगिता और कागज की महँगी देखते हुए पुस्तक का मूल्य अधिक नहीं है।

महाभारत नाटक

(लेखक—एक समालोचक)

महाभारत नाटक (पूर्वार्द्ध)—पण्डित माधव शुक्ल रचित। मूल्य ||=) प्रयाग के कूचा श्यामदास के निवासी पं० रामचन्द्र शुक्ल वैद्य से प्राप्य।

सम्मेलन-पत्रिका के पाठक पण्डित माधव शुक्ल के नाम से परिचित होंगे। हिन्दी के वर्त्तमान कवियों में पं० माधव शुक्ल की कविता जनता को अपने राष्ट्रीय भाव के कारण बहुत प्रिय हो रही है। यह महाभारत नाटक भी पं० माधव शुक्ल के उन्हीं भावों का उद्गार है। इसको लिख कर शुक्ल जी ने हिन्दी की अच्छी सेवा की है। हिन्दी भाषा में जहाँ बड़े बड़े अमूल्य ग्रन्थ उपस्थित हैं

वहाँ रङ्गस्थल में खेलने योग्य अच्छे नाटकों की कमी है। इसी कारण मैं शुक्ल जी के इस नाटक का विशेष रीति से स्वागत करता हूँ। यह नाटक षष्ठ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर पहले पहल प्रयाग में खेला गया था। जिन लोगों ने उस नाटक को देखा था, उनको स्मरण होगा कि प्रयाग की जनता ने कैसे उमड़ते हुए भावों से इसका स्वागत किया था। प्रयाग के हार्डिङ्ग थियेटर में उस अवसर से अधिक भीड़ कदाचित ही कभी हुई होगी। पं० माधव शुक्ल ने अपनी भूमिका में लिखा है कि इस नाटक को लिखने का विचार उनके चित्त में पारसी कम्पनी के 'महाभारत नाटक' को देख कर आया। मुझे भी पारसी कम्पनी के महाभारत नाटक देखने का अवसर हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि उस नाटक की पं० माधव शुक्ल रचित नाटक के साथ कुछ भी तुलना नहीं हो सकती। मैंने जब पारसी नाटक देखा था तो मुझको तो यही जान पड़ा कि नाटक खेलने वाले और लिखने वाले महाभारत के पात्रों को समझे ही नहीं। पं० माधव शुक्ल के नाटक में भी कहीं कहीं मेरे विचार में उच्छृङ्खलता की गयी है। कर्ण का चरित्र बहुत ही नीच दिखाया गया है। यद्यपि भूमिका में उसके चरित्र को 'उदार' कहा गया है; किन्तु नाटक में उसकी नीचता ही अधिक देखने में आती है। युधिष्ठिर के चरित्र में भोंदूपन अधिक दिखाया गया है। दुर्योधन के चरित्र में भी यद्यपि वह दुष्ट तो था ही मेरे विचार में वीरता अधिक आनी चाहिये थी। धृतराष्ट्र के चरित्र के खींचने में भी रङ्ग कुछ अधिक चढ़ गया है। किन्तु इन त्रुटियों और कहीं कहीं कविता सम्बन्धी दोषों के होते हुए भी नाटक हिन्दी साहित्य में नवीन ढङ्ग का और प्रभावशाली है। कोई कोई दृश्य तो अत्युत्तम हैं जैसे द्वितीय अङ्क का प्रथम गर्भाङ्क जिसमें कुन्ती, पाण्डवों और कृष्ण का सम्वाद है। शुक्ल जी ने कविता का अंश भी आवश्यकता से अधिक रक्खा है किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि कहीं कहीं कविता अत्यन्त भावपूर्ण और प्रौढ़ है। मुझे विश्वास है कि हिन्दी के पाठक इस पुस्तक को पढ़ कर लाभ उठावेंगे।

सम्पादकीय-विचार

राष्ट्र-भाषा-प्रचार

यह तो प्रसिद्ध ही है कि जिस काम को महात्मा कर्मवीर गान्धी जी अपने हाथ में लेते हैं, उसे करके छोड़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के कार्य और कुली-प्रथा की बात इसके जाज्वल्यमान उदाहरण हैं। इस समय देश के सौभाग्य से आपका ध्यान हमारी राष्ट्र-भाषा हिन्दी की ओर आकृष्ट हुआ है। इस कार्य में सभी राष्ट्र-सेवी सज्जन उनके साथ हैं। उनका सिद्धान्त है कि राष्ट्र-भाषा के प्रचार के लिए एक काम करने वाले आदमियों की समिति बनायी जाय। उनके लेख को इसी अङ्क में आप पढ़ेंगे—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि आपका प्रस्ताव अत्यन्त उचित और हिन्दी के प्रचार के लिए उपयोगी ही नहीं, प्रधान कार्य है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन इस कार्य के लिए बहुत दिनों से विचार कर रहा था, किन्तु अब तक इस ओर राष्ट्र-सेवी—कोरे राष्ट्र-सेवी सज्जनों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ था और कारण यही प्रतीत होता है कि हमारे अधिकांश नेता बड़े लोगों से—और उन्हीं बड़े लोगों से जो अङ्ग्रेज़ी पढ़े लिखे सभ्य होते हैं—मिलते जुलते हैं, वे बेचारे हिन्दी-चिन्दी को समझते ही नहीं। उनकी मातृ-भाषा भले ही हिन्दी हो; परन्तु उनकी जीवन-भाषा, या यों कहें कि जिसकी बदौलत वे सभ्य कहलाते हैं, वह भाषा अङ्ग्रेज़ी ही होती है। किन्तु समय ने पलटा खाया, देश के सौभाग्य से रोग के निदान जानने वाला वैद्य मिल गया और उसके बतलाने से अन्ध-परम्परा का विश्वास जाता रहा। लोग जानने लगे कि राष्ट्र की सेवा राष्ट्र-भाषा में ही हो सकती है, और हमारे देश की राष्ट्र-भाषा हिन्दी के अतिरिक्त दूसरी होही नहीं सकती। कर्मवीर गान्धी उन नेताओं से भिन्न हैं, जो बड़ों ही से मिलना अपनी सभ्यता समझते हैं। वे तीसरे दर्जे की गाड़ी में इसी से यात्रा करते हैं कि जिसमें देश के छोटे बड़े सभी लोगों से मिलने का अवसर मिले। अतएव उनको सर्वसाधारण से मिल कर अनुभव हुआ कि देश में किस भाषा के द्वारा कार्य चलाया जा सकता है? ऐसे अनुभव-पूर्ण विचार को भला कौन ऐसा अजान होता जो मानने से इनकार करता—यही

कारण है कि आपके प्रस्ताव पर सभी सज्जन सहमत दिखाई देते हैं। अब हिन्दी-संसार का कर्तव्य है कि इसपर शीघ्र विचार करके कार्य प्रारम्भ कर दे।

अलवशीर का अपलाप

इटावा का अलवशीर उर्दू का साप्ताहिक पत्र, हिन्दी का प्रचार बढ़ते देख अपलाप करने लगा है। अपने लेखों में वह हिन्दी-प्रचारकों को दवाने के लिए सरकार की दोहाई दी है। वह कहता है कि यह काम गवर्नमेण्ट के विरुद्ध है। इतना ही नहीं, वह यह भी कहता है कि हिन्दी के लिए जो सब से बड़ा चार्टा मिला है, वह ता० १८ अप्रैल सन् १९०० की गवर्नमेण्ट की आज्ञा है, उसमें हिन्दी में इस प्रकार की कार्रवाई करने की आज्ञा नहीं है। पाठकों के जानने के लिए हम ता० १८ अप्रैल सन् १९०० ई० की आज्ञा का कुछ अंश यहाँ उद्धृत किये देते हैं, पाठक देखें कि हमारे हिन्दी के मित्र अलवशीर की बातें कहाँ तक सत्य हैं—

गवर्नमेण्ट पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवध

नं० $\frac{५८५}{३-३४३ \text{ सी}-६८}$ १९००

निश्चय

जेनरल प्रबन्ध विभाग

नैनीताल ता० १८ अप्रैल सन् १९००।

(१) सम्पूर्ण मनुष्य प्रार्थनापत्रों और अर्जी दावों को अपनी इच्छा के अनुसार नागरी वा फारसी के अक्षरों में दे सकते हैं।

(२) सम्पूर्ण सम्मन, सूचनापत्र और दूसरे प्रकार के पत्र जो सरकारी न्यायालयों वा प्रधान कर्मचारियों की ओर से देशभाषा में प्रकाशित किये जाते हैं। फारसी और नागरी अक्षरों में जारी होंगे और इन पत्रों के उस भाग की खानापुरी भी हिन्दी में उतनी ही होगी जितनी फारसी अक्षरों में की जाय।

(३) अङ्गरेजी आफिसों को छोड़ कर आज से किसी न्यायालय में कोई मनुष्य उस समय तक नहीं नियत किया जायगा जब तक वह नागरी और फारसी के अक्षरों को अच्छी तरह से लिख और पढ़ न सकेगा।

ता० २६ जून सन् १६०० को दूसरी आज्ञा प्रकाशित हुई जो इस प्रकार है—

ता० १८ अप्रैल सन् १६०० के रेज्यूलेशन नं० $\frac{५८५}{३-३४३ \text{ सी}-६८}$ के चौथे पैरेग्राफ के तीसरे नियम को काट कर उसके स्थान पर यह नियम [illegible] जाता है—

"इस रिजोल्यूशन की तारीख के एक वर्ष के उपरान्त कोई मनुष्य अङ्गरेजी आफिसों को छोड़ कर और किसी दफ़्तर के काम पर नियत न किया जायगा जब तक कि वह हिन्दी और उर्दू दोनों ही न जानता हो और इस बीच में जो कोई ऐसा मनुष्य नियत किया जायगा जो केवल एक भाषा जानता हो और दूसरी नहीं, उसे जब से वह नियत किया जायगा उसके एक वर्ष के भीतर उस दूसरी भाषा में भी योग्यता प्राप्त कर लेनी होगी जिसे वह न जानता हो"।

अब पाठक विचार करें कि अलबशीर की बातें कहाँ तक गवर्नमेण्ट की आज्ञा की अवहेलना करने वाली हैं। हम तो यही कहेंगे कि इस विषय में गवर्नमेण्ट की दोहाई देना और देश में विरोध भाव फैलने का भय दिखलाना व्यर्थ है। यदि ईश्वर भी हमसे कहें कि तुम देशहित की परवा छोड़ कर हिन्दी से नाता तोड़ दो तो कम से कम हम हिन्दुस्तानियों को यही उत्तर देना होगा कि आप क्षमा करें यह बात असम्भव है।

———

सम्मेलन-पत्रिका के नियम

१—यह पत्रिका सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग से प्रतिमास प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक मूल्य १) रु० इस लिये रक्खा गया है कि सर्वसाधारण इसके ग्राहक हो सकें।

२—अभी इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे। आवश्यकता होने पर पृष्ठ सङ्ख्या बढ़ा भी दी जाया करेगी। आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्यिकों को रुचिकर हुई, और ग्राहकों की यथोचित सङ्ख्या हो गयी तो अधिकतर पृष्ठ-सङ्ख्याओं में और अधिकतर उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी।

३—प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र और रुपये आदि तथा सम्पादन सम्बन्धी पत्र पुस्तकें परिवर्त्तन के पत्रादि सब "मन्त्री सम्मेलन कार्य्यालय, प्रयाग" के नाम आने चाहियें।

विज्ञापन छपाई के नियम

६ मास अथवा उससे अधिक दिनों के लिये

प्रति मास	१ पृष्ठ,	आधा पृष्ठ	और चौथाई पृष्ठ के
कवर पेज पर	५)	३)	२)
साधारण पेज पर	४)	२॥)	१॥)

विशेष बातें जाननी हों तो मन्त्री जी से पूछिये

क्रोड़पत्र बँटाई के नियम

आधा तोला तक अथवा इससे कम के लिये ... १०)

१ तोला के विज्ञापन के लिये ... ... १२)

मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

नोट—विज्ञापन के ऊपर यह छपा होना चाहिये कि अमुक मास की "सम्मेलन-पत्रिका" का क्रोड़पत्र और उसमें यथोचित समाचार भी होने चाहियें।

पं० सुदर्शनाचार्य्य बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर [illegible] प्रकाशित।